जिला आपदा प्रबंधन योजना, मधुबनी

खंड – 4

लाइन डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत समितियों एवं अन्य गैर–सरकारी हितधारियों के लिए विशिष्ट कार्ययोजना

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

जिला आपदा प्रबंधन योजना, मधुबनी

खंड – 4

लाइन डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत समितियों एवं अन्य गैर–सरकारी हितधारियों के लिए विशिष्ट कार्ययोजना

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

प्रकाशकः
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

जून, 2013

अधिक जानकारी के लिए कृप्या संपर्क करेंः

जिलाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार
फोनः +91–06276–222217
फैक्स +91–06276–222209
ईमेलः dm-madhubani.bih@nic.in

यह योजना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, बिहार, स्फेयर इंडिया, बिहार राज्य इंटर एजेंसी ग्रुप, मधुबनी जिला इंटर एजेंसी ग्रुप, इफिकोर, टियरफंड और अन्य मूल एजेंसियों के सहयोग से 2012 में तैयार की गई।

Table of Contents

FOREWORD	ix
PREFACE	xi
ACKNOWLEDGMENTS	xiii
इस योजना को कैसे प्रयोग करें	xv
अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थः	xvii
कृषि विभाग	**1**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः	1
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	5
पशु एवं मत्स्यपालन विभाग	**9**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः	9
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	13
भारत संचार निगम लिमिटेड	**19**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः	19
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	23
भवन विभाग	**27**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः	27
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	31
शिक्षा विभाग	**35**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः	35
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	39
ऊर्जा विभाग	**45**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः	45
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	49
अग्नि सेवा/दमकल विभाग	**53**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः	53
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	57
खाद्य निगम विभाग	**61**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः	61
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	67
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	**71**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	71
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	77
स्वास्थ्य विभाग	**81**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	81
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	85
उद्योग विभाग	**91**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	91
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	95
श्रम संसाधन विभाग	**101**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	101
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	105
पंचायती राज विभाग	**111**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	111
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	113
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा/पीएचइडी विभाग	**118**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	118
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	123
योजना एवं विकास विभाग	**127**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	127
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	131
पुलिस विभाग	**137**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	137
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	141
डाक एवं तार विभाग	**145**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	145
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	147
ग्रामीण विकास विभाग	**153**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	157
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां	157
विज्ञान एवं तकनालॉजी विभाग	**161**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:	161

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 165

सामाजिक सुरक्षा विभाग **171**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 171

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 175

सांख्यिकी विभाग **179**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 179

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 181

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन **187**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 187

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 189

परिवहन विभाग **195**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 195

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 199

शहरी विकास विभाग **203**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 203

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 207

जल संसाधन विभाग **231**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 231

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 217

ग्राम पंचायत बाल समिति **221**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 221

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 227

ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी **233**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 233

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 237

ग्राम पंचायत शिक्षा समिति **241**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 241

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 249

खाद्य एवं पोषाहार टीम **253**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 253

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 261

ग्राम पंचायत पशुधन प्रबंधन कमेटी **265**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 265

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 271
ग्राम पंचायत शरणस्थल टीम **277**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 277
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 281
ग्राम पंचायत सामाजिक संरक्षण कमेटी **287**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 287
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 295
ग्राम पंचायत जल स्वच्छता एवं सफाई/वॉश कमेटी **299**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 299
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 307
ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कमेटी **311**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 311
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 319
ग्राम पंचायत परिवार कमेटी **325**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 335
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 329
ज्ञान केंद्र कमेटी **333**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 333
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 337
ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव कमेटी **343**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 343
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 347
ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य **351**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 351
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 357
शैक्षणिक संस्थाए **361**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 361
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 362
वास्तुकार, इंजीनियर, डिप्लोमाधारी और राजमिस्त्री **363**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 363
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 364
कारीगर, शिल्पकार समूह **367**
1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 367

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 367

व्यापार समूह (निजी क्षेत्र में कॉरपोरेट, उद्योग, एसएमई, व्यापारी शामिल हैं) और बाजार तथा बाजार संघ **369**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 369

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 370

दलित एवं आदिवासी संघ **374**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 375

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 376

पूर्व सैनिक एवं अवकाश प्राप्त प्रोफेशनल संघ **377**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 377

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 379

स्वास्थ्य संघ (मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, आरवीसी, नर्सें) **381**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 381

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 382

मधुबनी इंटर एजेंसी ग्रुप **383**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 383

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 389

स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया **393**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 393

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 394

स्थानीय एनजीओ, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, रेड क्रॉस, राष्ट्रीय एनजीओ **397**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 397

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 399

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), महिलाएं, किसान, जीविका समूह **401**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 401

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 402

ट्रांसपोर्टर समूह (रेल, सड़क एवं नौका) **403**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 403

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 405

युवा, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड समूह **407**

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः 407

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां 408

Member
National Disaster Management Authority
Government of India

FOREWORD

The formulation of various National guidelines is an important part of the mandate given to the National Disaster Management Authority (NDMA). The National Disaster Management Act, 2005 also mandates authorities at different level to develop a comprehensive disaster management plan at each level.

NDMA's guiding principles for the preparation of the Plan at state and district level has been to draft the Plan in a participatory approach with the preparatory process essentially strengthening the communities, elected local bodies and administration's response and preparedness. NDMA envisages an ideal Disaster Management Plan that ensures local ownership, addresses local needs, and promotes volunteerism and mutual help to prevent and minimize damage.

Therefore, I appreciate the efforts of Bihar State Disaster Management Authority and Madhubani District Disaster Management Authority in partnership with Sphere India, EFICOR and Tearfund for executing our envisioning and guiding principles and developing this model District Disaster Management Plan (DDMP) for Madhubani. I would also like to appreciate the guidance of members of National, State and District Advisory in this endeavor.

I am extremely pleased with the deep involvement, support and cooperation of various stakeholders from community, line departments and other important groups in the preparation of the DDMP Madhubani. I am hopeful that the Madhubani District Disaster Management Plan and its process guidelines would inspire other Districts to follow the multistakeholder participatory approach.

New Delhi
June 2012

T. Nanda Kumar
Member, NDMA

बिहार सरकार

Vice Chairman
Bihar State Disaster Management Authority
Government of Bihar

PREFACE

National Disaster management Act, 2005 mandates for development of comprehensive and holistic District Disaster Management Plan (DDMP) to negate the impact of disasters on the communities, to facilitate timely and effective response to the disasters, and to facilitate holistic disaster management through integration of mitigation, preparedness and DRR measures into development.

India has different geographical characteristics and hazard scenarios in different regions which becomes more complex due to varied socio-economical settings. For each scenario, the Plan would be different to effectively deal with the complexities of the region. Therefore, Bihar State Disaster Management Authority always advocated that for different scenarios and contexts model DDMPs should be made which would serve as guidance for similarly vulnerable Districts.

BSDMA along with National Disaster Management Authority, Sphere India, Tear Fund, EFICOR and other like minded organizations came together to draft model DDMPs for varied hazard scenarios. As a first step, National Advisory Body was set to conceptualize our ideas and decide on Districts for piloting of model DDMPs.

The District of Madhubani was chosen for the first pilot to demonstrate a systematic, dynamic and practical DDMP due to its multi hazard profile of recurrence of floods, Drought, Earth Quake (Zone-V), Fire incidents, Heat waves, Cold waves and High Winds and the prevalence of socio-economic vulnerabilities. Once the district was finalized, a State level Advisory Body at Patna, Bihar and District Advisory Body at Madhubani, Bihar was set up to guide and take forward the process.

I am very pleased that the implementing partners Sphere India, EFICOR, Tearfund, Bihar Inter Agency Group and Inter Agency Group (IAG)-Madhubani have been very meticulous in their approach and have followed every step of the process guideline developed by the Advisory Bodies.

I am elated by this Madhubani District Disaster Management Plan as it has been developed in a consultative manner with constant inputs and feedbacks from all the stakeholders. This Plan has moved beyond the reactive relief based approach and has a concise plan of actions for 53 different stakeholders at District level for disaster risk reduction, emergency response and recovery. The Plan also lays out the coordination structures at varied levels along with defined level for response as per the impact of the incident.

I hope that this plan will be widely used by all the stakeholders in Madhubani encouraging us to make participatory multi-stakeholder plan for other districts of Bihar as well.

Patna	Anil Sinha
June 2012	Vice-Chairman, BSDMA

ACKNOWLEDGMENTS

At the outset, I must express my sincere thanks to all the Members of the National, State and District Advisory Bodies for their invaluable contribution and whole-hearted cooperation to guide the process of developing Model District Disaster Management Plan for Madhubani. But for conceptualization, active guidance as well as high standard of the technical inputs and feedbacks from them, it would have not been possible to bring out this much needed Plan for holistic management of disasters in Madhubani.

I would like to express my gratitude to Shri. T. Nanda Kumar, Honorable Member, NDMA for his guidance, critical review, inputs and motivating all those involved with the Plan. My gratitude and sincere thanks are also to Shri. Anil Sinha, Vice-Chairman, BSDMA for choosing Madhubani as the pilot for model DDMP and his constant guidance to the DDMA and the executing team.

I would like to appreciate the efforts of Sphere India, Tearfund, EFICOR, Inter agency Group Bihar and Inter Agency Group Madhubani for the execution of ideas and benchmarks set by the Advisory Bodies. I would like to place on record that I was extremely pleased by the sincerity of executing team for its effort to involve all the stakeholders and developing local capacities.

I would also like to thank the members of Inter Agency Group Madhubani for its enthusiasm in taking forward the development of Plan and establishing local coordination mechanisms. From District Disaster Management Authority, I would like to thank Mr. A.K. Gupta – ADM Revenue and In-Charge – Disaster Management, Mr. Raman Prasad Clerk Disaster Management and other staff of DDMA for all the effort and time that they have constantly extended for the development of this Plan.

Finally, I must place on record my gratitude and appreciation to all the individuals of various stakeholders group who have participated in various consultations and discussions and have given their inputs, comments and feedbacks as this Plan would not have haven possible without your ideas and knowledge and experience sharing. I anticipate that this Plan developed through you would be widely implemented by you all.

I sincerely hope that the DDMP for Madhubani would be widely implemented and constantly revised by all the stakeholders collaboratively and contribute in achieving a disaster resilient Madhubani.

Madhubani   Lokesh Kumar

June 2013   District Magistrate cum Chairman-DDMA, Madhubani

योजना तैयार होने की तिथि	:	अप्रैल, 2013
अगली समीक्षा और अ़द्यःतन की जाने की तिथि	:	अप्रैल, 2014
डाटाबेस अ़द्यःतन करने का समय	:	प्रत्येक अप्रैल एवं अक्तूबर माह में (हर 6 माह पर)
पूर्वाभ्यास (मॉकड्रील) का समय	:	प्रत्येक साल के मई माह में (मानसून पूर्व)

इस योजना को कैसे प्रयोग करें

कार्य	संदर्भ	टिप्पणी
1. स्वंय को जाने	परिवार ग्राम पंचायत समिति लाइन डिपार्टमेंट अन्य हितधारक	
2. अपने खतरे को जाने {खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता विश्लेषण}	खंड–1 भाग–1 संदर्भ विश्लेषण {एचभीसीए}	इसे पढ़े ताकि जिले के आपदा संदर्भ को समझ सके
3. अन्य हितधारियों को चिन्हित करे/जाने	खंड–1 भाग–1 {हितधारी विश्लेषण}	इसे पढ़े ताकि जिले के हितधारकों को समझ सके
4. अपनी विशिष्ट योजना के मुताबिक कार्य करें	डीडीएमए के कार्य खंड–1 और 2	जिला प्रत्युत्तर योजना {डीडीएमए–हरी किताब} खंड–1 भाग–2 जिला प्रत्युत्तर योजना {डीडीएमए–लाल किताब} खंड–2
	ग्राम पंचायत समिति, लाइन डिपार्टमेंट, अन्य हितधारी {सभी के लिए अलग–अलग पॉकेट बुक}	हरी किताब {सामान्य समय में हितधारियों के कार्य} लाल किताब {आपदा के समय में हितधारियों के कार्य}
5. योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न संस्थानों एवं अच्छें व्यवहारों/उदाहरणों को जानें	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़ें ताकि जिले की विभिन्न संस्थानों यथा ईएसएफ, आइआरएस, युआरएस, डीएमटी/क्युआरटी और अच्छे व्यवहारों/उदाहरणों को जान सकें
6. राज्यीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध/संपर्क जाने	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़े ताकि आपदा की गंभीरता के स्तरों के अनुरूप संपर्क कर सकें
7. Know legal & financial provisions for implementation of plan	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़े ताकि योजना के कार्यान्वयन और इनके अनुवर्ती कार्यो समझ सके
8. जांच सूची,आकलन प्रपत्रा, संसाधानों के आकड़े/विवरण जानें	खंड–3 जॉच सूची, प्रपत्रा एवं संसाधन आंकड़ें	इसे देखें ताकि जिले की संसाधन उपलब्धता समझ सकें और विभिन्न प्रपत्रा, आंकड़े, जांचसूची कर सकें

मधुबनी आपदा प्रबंधन योजना को निम्नलिखित 4 मुख्य खंडों में बांटा गया है:

1. **खंड–1: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन योजना:** इस खंड में (हरी किताब के रूप में भी उल्लिखित) में आपदा की स्थिति नहीं रहने के हालात में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की योजनाएं शामिल की गई हैं। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना; क्षमता सृजित करना; कार्यात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां; और आपातस्थिति की तैयारियां शामिल हैं। इसमें विभिन्न संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक तथा संकट शमन के उपाय एवं रणनीतियां भी शामिल हैं।

   इस खंड में मधुबनी से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया गया है। इसमें मधुबनी की सामान्य स्थिति; आपदा संकट; संवेदनशीलता एवं क्षमता का विश्लेषण; समस्या का विश्लेषण; गांवों की संवेदनशीलता का सूक्ष्म विश्लेषण; मधुबनी आपदा प्रबंधन योजना विकास की रणनीति और हितधारी विश्लेषण बताया गया है। अगर आप जिले के लिए नये हैं और जिले की सामान्य स्थिति, इतिहास, और संदर्भ के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह विशेष खंड आपके लिए विशेष तौर पर उपयोगी है।

   इसमें जिला स्तर के विभिन्न संस्थाओं और आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका/उत्तरदायित्व के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इसमें विभिन्न हितधारियों के बीच समन्वय एवं एकीकरण के लिए इएसएफ, आइआरएस, यूआरएस, डीएमटी और क्यूआरटी आदि जैसे बेहतर तरीकों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। आपदा के स्तर और आने वाली जरूरतों के अनुरूप दूसरे जिलों, प्रमंडलों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संयोजन का विवरण इस खंड में दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन; उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही; वित्तीय प्रावधान; और अनुवतध कार्रवाइयों का विवरण भी इस खंड में है।

2. **खंड–2: जिला आपदा प्रत्युत्तर योजना:** इस खंड में (लाल किताब के रूप में भी उल्लिखित) किसी आपदा की स्थिति में जिला स्तर पर की जाने वाली कार्रवाइयां सन्निहित हैं। बचाव की मुख्य कार्रवाइयों को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां; बचाव कार्य शुरू करना; राहत एवं बचाव; बचाव कार्य बंद करना; और पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां। इसमें विशेष आपदाओं से उबरने के लिए विशिष्ट आपात कार्रवाइयां और फील्ड इओसी का गठन भी शामिल है।

3. **खंड–3: चेकलिस्ट, प्रारूप और संसाधनों का विवरण {डाटाबेस}:** इस खंड में जिले में उपलब्ध संसाधनों तथा संपर्क सूची, उपयोगी चेकलिस्ट, आकलन प्रारूप आदि को अलग से संकलित किया गया है। जब कभी जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. **खंड–4: विभिन्न हितधारियों के लिए विशिष्ट कार्ययोजना:** इस खंड में उपरोक्त मुख्य खंडों के अलावा विभिन्न स्तरों के अलग–अलग हितधारियों के लिए तैयार विशिष्ट कार्ययोजना शामिल है। इसमें 27 लाइन डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत स्तर की 13 कमेटियों और जिला स्तर के अन्य गैर सरकारी हितधारियों के लिए विशिष्ट कार्ययोजना है। प्रत्येक हितधारी समूह के लिए इन कार्य–योजनाओं को दो अलग–अलग पुस्तिकाओं में संकलित किया गया है। ये पुस्तिकाएं हैं ;1) लाल किताब {रिड बुक}: आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए तथा; 2) हरी किताब {ग्रीन बुक}: आपात स्थिति नहीं रहने पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयों के लिए।

अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थः–

BRGF	Backward Regions Grant Fund	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
CBO	Community Based Organizations	सामुदायिक संगठन
CE	Chief Engineer	मुख्य अभियंता
CEO	Chief Executive Officer	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
CMO	Chief Medical Officer	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
CMRF	Chief Minister Relief Fund	मुख्य मंत्री राहत कोष
CSO	Civil Society Organization	नागर संस्था
DDMA	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DDRF	District Disaster Response Force	जिला आपदा प्रत्युत्तर बल
DM	District Magistrate	जिला समाहर्ता
DMT	Disaster Management Team	आपदा प्रबंधन दल
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
EOC	Emergency Operation Center	आपातकालीन परिचालन केन्द्र
ESF	Essential Service Functions	आवश्यक सेवा कार्य
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
FRT	First Response Team	प्रथम प्रत्युत्तर टीम
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
GPS	Global Position System	स्थिति निर्धारण वैश्विक प्रणाली
HFA	Hyogo Framework for Action	ह्योगो कार्रवाई निर्णय
HRVCA	Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, जोखिम, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
HVCA	Hazard Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
IAF	Indian Armed Force	भारतीय सशस्त्र बल
IAG	Inter-Agency Group	इन्टर एजेंसी ग्रुप
IAP	Immediate Action Plan	तात्कालिन कार्य योजना
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवायें
IMT	Incident Management Teams	घटना (आपदा) प्रबंधन टीम
IRS	Incident Response System	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर प्रणाली
IRT	Incident Response Team	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर टीम

IYA	Indira Awas Yojna	इंदिरा आवास योजना
LSG	Lower Selection Grade	निम्न प्रवर कोटि
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
MLA	Member of Legislative Assembly	विधान सभा सदस्य
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural and Education Guarantee Action	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MP	Member of Parliament	संसद सदस्य
MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
NCC	National Cadet Corps	राष्ट्रीय छात्र सेना
NDMA	National Disaster Management Plan	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF	National Disaster Response Force/ Relief Fund	राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
NGOs	Non- Government Organizations	गैर–सरकारी संगठन
NREGA	National Rural Employment Guarantee Act	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
NREGS	National Rural Employment Guarantee Scheme	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
NRHM	National Rural Health Mission	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NSV	National Service Volunteer	राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवक
NYK	Nehru Yuva Kendra	नेहरू युवा केन्द्र
OEOC	Onsite Emergency Operational Center	क्षेत्रीय घटना स्थल आपातकालीन परिचालन केन्द्र
PDS	Public Distribution Shop	जनवितरण दूकानें
PHC	Primary Health Center	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMRF	Prime Minister Relief Fund	प्रधानमंत्री राहत कोष
Q&A	Quality and Accountability	गुणवत्ता एवं जवाबदारी
QRT	Quick Response Team	त्वरित प्रत्युत्तर टीम
SDMA	State Disaster Management Plan	राज्य आपदा प्रबंधन योजना
SDRF	State Disaster Response Force/ Relief Fund	राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
SHG	Self Help Group	लघु एवं मध्यम उद्योग/ उपक्रम
SME	Small and Medium Enterprise	लघु एवं मध्यम उद्योग/ उपक्रम
SOP	Standard Operating Procedure	मानक परिचालन पद्धति
SP	Superintendent of Police	पुलिस अधीक्षक

SSA	Sarva Shiksha Abhiyan	सर्व शिक्षा अभियान
UN	United Nations	सयुक्त राष्ट्र
URS	Unified Response Strategy	एकीकृत प्रत्युत्तर रणनीति
VKC	Village Knowledge Center	ग्राम ज्ञान केन्द्र
WASH	Water Sanitation and Hygiene	जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

लाइन डिपार्टमेंट

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनः प्राप्ति की कार्यवाइयां

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्यवाइयां

कृषि विभाग

कृषि विभाग के बारे में:

कृषि विभाग के अधीन कृषि, बागवानी (हार्टिकल्चर) और भूमि संरक्षण नामक तीन निदेशालय हैं। यह विभाग कृषि विकास, पौधा रोपण और जैविक अभियंत्राणा, जमीन की सतह से मिट्टी के क्षरण या अत्यधिक इस्तेमाल, लवणीकरण, अम्लीयकरण या किसी अन्य रासायनिक सम्मिश्रण के कारण मिट्टी के रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाने से रोकने की रणनीति बनाने जैसे कुछ खास कामों को देखता है।

बनावटःसंरचना एवं क्षमता

कृषिः

1. जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकरी
2. प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी
3. पंचायत स्तर पर ग्राम्य स्तरीय कार्यकर्ता {वीएलडब्लू)
4. पंचायत स्तर पर किसान सेवक

बागवानीः

1. जिला स्तर पर जिला बागवानी पदाधिकारी
2. प्रखंड स्तर पर बागवानी पदाधिकारी
3. पंचायत स्तर पर बागवानी सेवक

भूमि संरक्षणः

- जिला स्तर पर जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी
- भूमि संरक्षण पदाधिकारी
- प्रखंड स्तर पर सहायक भूमि संरक्षण पदधिकारी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उददेश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्रा विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्य:

✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।

✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।

✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंउलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।

✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।

✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।

✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उददेश्य:

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्य:

✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।

✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।

✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।

✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, समाज के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।

✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।

✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।

✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उददेश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

✓ बाढ के समय कृषि संयंत्राों, बीज, खाद आदि को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा आहार एवं पोषाहार तथा खोज एवं बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ बीज एवं दूसरे कृषि संसाधनों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर रखवाना ताकि क्षतिग्रस्त गोदाम की मरम्मत आसानी से हो सके।

✓ फसल, डैम, जलनिकासी व्यवस्था, जलस्रोत आदि की हुई बर्बादी का आकलन करना तथा उन्हें फिर से क्रियाशील बनाने की व्यवस्था करना। ऐसा करने के बाद सिंचाई एवं फसल तंत्रा फिर से काम करने लगेगा।

✓ विभिन्न जरूरी मदद के कामों में लगी नोडल एजेंसियों के साथ जुड़कर खोज एवं बचाव तथा राहत कार्य में मदद करना।

✓ प्रभावित इलाकों में कुशल एवं मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजररखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उददेश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा समुत्थान के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से हैं या नहीं और

आधारभूत संरचना तथा पशु एवं मत्स्य पालन विभाग की जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

- ✓ यह सुनिश्चित करना कि बीज, अनाज, खाद आदि की जरूरतें पूरा करने का काम गांव स्तर की कमेटियों के पास हो तथा निगरानी की कारगर व्यवस्था काम कर रही हो।
- ✓ समुदाय स्वास्थ्य कमेटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों, इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना। किए गए कामों एवं उनकी प्रकृति का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन (सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उददेश्यः

- आपदा के दौरान विभाग के हुई क्षति की भरपाई योजनागत, व्यवस्थित तथा शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित कराना।

मुख्य कार्यः

- ✓ क्षति आकलन एवं सरकार द्वारा घोषित रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी योजना को कार्यान्वित करना।
- ✓ आपात स्थिति में इस्तेमाल किए गए विभागीय संयंत्रा, बीज, अनाज, खाद, कृषि संसाधन की सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर जितना जल्द हो सके उसकी पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना तथा उसे फिर से हासिल करने की कोशिश।
- ✓ आपदा के प्रभाव से उबरने तथा पुनर्वास के लिए की जा रही कोशिशों में मदद करना जिससे समुदाय आपदा के प्रभाव से उबर सके और उन्हें बेहतर स्थिति में ला सके।
- ✓ आपदा के दौरान मिली सीख को भविष्य की रणनीति तैयार करने एवं आपदा पूर्व बचने की कार्रवाइयों में समाहित करना।
- ✓ डीआरआर को नये विकास कार्यक्रम से जोड़ना और डीआरआर की कार्रवाइयों को भविष्य के खतरे को कम करने लायक बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपायः

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उददेश्यः

- आपदा जोखिम में कमी सुनिश्चित करना विभाग के कार्यकलापों में शामिल है।

प्रमुख कार्यः

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
कृषि विभाग कृषि संवृद्धि का काम करता है और नयी तकनीक, बीज, फसल के पैटर्न को बढावा देता है बागवानी विभाग पौधा प्रसार एवं संवर्धन, फसल उत्पादन, पौधा संपोषण और जैविकी अभियंत्रणा, वनस्पति जीव रसायन एवं वनस्पति मनोविज्ञान के क्षेत्रा में शोध का काम करता है। इस काम में मुख्य रूप से फल, सरसफल, सब्जी, फूल, वृक्ष, झाड़ी और घास का इस्तेमाल होता है। उद्यान विशेषज्ञ फसल की उपज, गुणवत्ता, पोषकता, कीटरोधी, रूग्णता रोधी क्षमता बढ़ाने और पर्यावरणीय दबाव से मुक्त करने का काम करते हैं। जमीन से मिट्टी के कटाव या अत्यधिक इस्तेमाल होने के कारण रसायनिक रूप से परिवर्तित होने, लवणीकरण, अम्लीकरण या दूसरे तरह की रासायनिक गंदगी रोकने की रणनीति रोकने की रणनीति भूसंरक्षण विभाग बनाता है। इसका मुख्य तरीका हैः प्ररोही आवरण का इस्तेमाल करना, कटाव रोकना, लवणीयता प्रबंधन, अम्लता नियंत्रण, लाभप्रद मिट्टी को बढावा देना,भू संदूषण का शुद्धीकरण। कुछ अन्य तरीके हैः हल से खेती नहीं करना, परिरेखा बनाकर जुताई करना, बदल–बदल कर फसल लगाना, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खाद का इस्तेमाल करना और जमीन को आराम देना।	सुनिश्चित करना कि सभी निर्माण भूकंपरोधी हों कृषि विस्तार केंद्र निश्चित रूप से बाढ एवं भूकंप रोधी जगहों पर बनाए जाएं बीज भंडारण की आपदारोधी व्यवस्था सुनिश्चित करना बाढ एवं दूसरी आपदा रोधी भूमि की पहचान करना अनुकूल जगहों पर नलकूप गाड़ना कटाव की जोखिम कोकम करने का उपाय करना किसी नयी संरचना या रख–रखाव को लेकर आपदा जोखिम का आकलन करना निश्चित रूप से आपदा रोधी पौधा लगाना चाहिए तालाबों एवं नदियों के तटबंधों की सुरक्षा कटाव रोकने के र्प्याप्त उपाय सुनिश्चित करना

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उददेश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम किया जाय।

प्रमुख कार्यः

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, जन कमेटियों, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्रा विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ बीज और खाद का भंडारण सुरक्षित जगहों पर करना, प्रखंड कृषि पदाधिकारी निश्चित रूप से किसानों को तकनीकी जानकारी मुहैया करायें, जिला से प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर नियमित रूप से कीटनाशक एवं खाद की आपूर्ति हो।

✓ फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम

✓ खाद प्रबंधन के प्रति जागरूकता, भू संरक्षण विभाग की ओर से जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए कार्यक्रम चलाना।

✓ खेती के नये तरीके अपनाने के लिए प्रशिक्षण, उत्कृष्टता के केंद्रों तथा संस्थानों में किसानों को ले जाना, खेती के तरीके के बारे में प्रशिक्षण तथा आधुनिक तकनालॉजी का इस्तेमाल।

✓ कृषि विभाग निश्चित रूप से गाद संरोधी डैमों की पहल करे।

✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि किसी भी आपात स्थिति के बाद आवश्यक पुनर्निर्माण का काम जल्द शुरू किया सके।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड परिभाषित करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागयकता पैदा करना।

✓ आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उददेश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों (मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना, जिसका

इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्रा सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में, का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने किसी सहयोगी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्राों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्राों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल परिभाषित करना, उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्रा विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्रा विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ आपदा प्रवण क्षेत्राों के लिए बीज और दूसरे कृषि संसाधनों का पर्याप्त भंडार बनाना। साथ ही निषेधात्मक उपाय करना।
- ✓ वर्षा की माप के लिए केंद्रों की जांच करना और काम में नहीं आ रहे मशीन एवं संयंत्रों की मरम्मती के लिए पर्याप्त संयंत्र व औजार काभंडार सुनिश्चित करना।
- ✓ फसल के लिए जरूरी वर्षा का आकलन एवं शोध हर दिन करना। इससे सूखे की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी।
- ✓ बाढ, सूखा, जलजमाव, कीड़ा से प्रभावित होने वाले फसलों की पहचान करना और फसल की बर्बादी कम करने के लिए फसल की वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करना।
- ✓ मरम्मती के सामानों को तुरंत मरम्मत कराने के लिए जमा करना तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।
- ✓ संयंत्रों, टेलीफोनों, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना ।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

पशु एवं मत्स्यपालन विभाग

पशु एवं मत्स्यपालन विभाग के बारे में:

पशु एवं मत्स्य पालन विभाग के अधीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन नामक तीन निदेशालय है। विभाग पशु चिकित्सा, दुग्धउत्पादकता में वृद्धि, पोखरों में मछली पालन को बढ़ावा देने, तालाब एवं पोखरों में जलसंरक्षण आदि का काम देखता है।

संगठन (संरचना एवं क्षमता):

पशु एवं मत्स्य पालन विभाग के अधीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन नामक तीन निदेशालय है। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के कामकाज का नियंत्रण जिला पशुपालन अधिकारी (डीएएचओ), मवेशी फार्म के प्रबंधक, पॉल्ट्री फार्म के प्रबंधक, घूमंतू पशु चिकित्सा अधिकारी (टीवीओ), पशु शल्य चिकित्सक (वेटनरी सर्जन) करते हैं। पशुधन सहायक प्रखंड स्तर पर होता है और वह कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम तथा दूसरे कार्यक्रमों में मदद करता है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड पशुपालन अधिकारी और घूमंतू पशु चिकित्सा अधिकारी तथा पंचायत स्तर पर पशुधन सहायक अपनी सेवाएं देता है।

पंचायत स्तर पर सारे कार्यक्रम प्रखंड पशुपालन अधिकारी के माध्यम से चलते हैं। जिला दुग्ध विकास पदाधिकारी (डीडीडीओ) जिला से काम को देखते हैं। एक और अधिकारी सहायक दुग्ध विस्तार पदाधिकारी होते हैं। वर्तमान में जिला एवं प्रखंड में डीडीडीओ एकमात्रा अधिकारी होता है, जो दुग्ध सहकारी समितियों का नियंत्राण एवं मदद करता है। मत्स्य पालन में जिला एवं प्रखंड में जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी (डीएफओ) एकमात्रा अधिकारी होता है जो उत्पादन और किसानों के बीच बीज वितरण का काम देखता है।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयों

उद्देश्य:

- स्थिति को मॉनिटर करना, पूर्व चेतावनी की सूचना विकसित तथा प्रचारित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के भवनों तथा दूसरी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तर की तैयारी करने हेतु विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों को निर्देश देना।
- ✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपात नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थपित करने के लिए सूचना अधिकारी बहाल करना।
- ✓ अनुमंडलाधिकारियों, जिलाधीश, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को नियमित मदद करने के लिए विभाग के सभी सतर के अधिकारियों को निर्देश देना।
- ✓ पशुओं के लिए र्प्यापत चारा, दवा आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ✓ पशुओं को ले जाने के लिए सुरक्षित जगहों पर खटाल बनाना।
- ✓ सूखे की स्थिति में पशुओं के लिए जलस्रोत का पता लगाना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- संयुक्त आपात कार्रवाई शुरू करना और अविलंब उपाय करने के लिए कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल व सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए जवाबदेह होंगे। उनकी मदद के लिए स्थिति की जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त कर्मचारी बहाल करना।
- ✓ स्थिति की आवधिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे इओसी एवं डीडीएमए केसाथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा करता है और संयुक्त कार्रवाई शुरू होती है तो सभी कर्मचारियों , मुख्य स्टेकहोल्डरों आदि को इसकी जानकारी देना।
- ✓ हालात, विभागीय क्षमता पर आपदा के प्रभाव का जायजा लेने, जरूरत एवं क्षति के आकलन जैसे तात्कालिक कार्रवाई करने, इएसफ तथा आइआरएस/इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने, जनता के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे मुख्य स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय बनाने के लिए मुख्य अधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के कामों एवं आपात कामों को देखने के लिए मौजूदा कर्मचारियों के बीच काम का बंटवारा करना। खासकर जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं हो वहां प्रतिरोधात्मक कार्रवाइयों एवं तैयारियों को लेकर कतई कोई समझौता नहीं करना। कतई कोताही नहीं बरतना।
- ✓ क्षति और तात्कालिक, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन संलग्न प्रारूप के अनुरूप करना तथा इसे इओसी एवं दूसरे मुख्य स्टेकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी तथा इएसफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर तात्कालिक, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों की योजनाएं कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

✓ मवेशियों एवं चारा को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी और सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य एवं खोज तथा बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ खोज एवं बचाव, राहत कार्य आदि में विभिन्न तरह की मदद के लिए नोडल एजेंसियों को जोड़कर मदद करना।

✓ बाढ एवं किसी अन्य आपदा के समय घूमंतू पशु अधिकारी ; टीवीओ) के मार्गदर्शन में खोज एवं बचाव टीम सुरक्षित जगह पर ले जाये गये मवेशियों को निश्चित रूप से टीका एवं तात्कालिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायेंगें।

✓ बच गए या गुमशुदा मवेशियों का पता लगाना एवं उन्हें खटाल की सुविधा उपलब्ध कराना।

✓ प्रभावित इलाकों में पर्याप्त चारा, दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

✓ प्रभावित इलाके में कुशल मॉनिटरिंग दल की सुविधा सुनिश्चित करना।

✓ मवेशियों की लाश को हटाने तथा महामारी से बचने के लिए सफाई की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।

✓ जो इलाके आपदाग्रस्त नहीं हैं, उनपर भी निगाह रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात कार्रवाई बंद करना तथा समुत्थान –रिकवरी की ओर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी काम सही तरह से काम कर रहे हैं और पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग की आधारभूत संरचनाओं एवं जवाबदेही के कारण आगे जान–माल और संपत्ति को कोई खतरा नहीं है। इओसी और इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

✓ सुनिश्चित करना कि मवेशी, चारा की जरूरत आदि सामुदायिक स्तर की कमेटी के हवाले है और मॉनिटरिंग का तंत्रा सही तरीके से काम कर रहा है।

✓ लोगों, स्वास्थ्य कमेटियों,इएसएफ नोडल एजेंसियों, इओसी तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों से सलाह–मशविरा कर आपात कार्रवाइयों की समीक्षा करना। आपात कार्रवाइयों तथा कमियों का दस्तावेज तैयार करना

- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह–मशविरा कर आपात कार्रवाइयों को बंद करना।
- ✓ विभाग के संसाधनों (मानव, समान और वित्त) को सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के समय विभाग को हुई क्षति की भरपाई,तथा आपात समय में लगाए गए विभाग के संसाधनों (समान एवं वित्त) को वापस पाने की योजना शुरू करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार तुरंत एवं लंबे समय में रिकवरी की योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ क्षति के आकलन एवं सरकार द्वारा घोषित रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए संयंत्रों, सामानों, दवा, चारा आदि और पैसे जैसे विभाग के संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ डीआरआर को विकास से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपायः

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्यः

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
मवेशियों का इलाज, मवेशियों की बीमारियों को रोकना एवं बचाना, दुध, गोश्त, अंडा और उन जैसे मुख्य पशुधन उत्पादन का आकलन करना, बीमारियों की पहचान के कार्यक्रम से मवेशियों को बेहतर चिकित्सासुविधा उपलब्ध कराना पशु गर्भाधान कार्यक्रम चलाकर, मवेशियों को सही तरीके से खिलाने के लिए लोगों को उत्क्रेरित कर,पशुपालन कार्यक्रम को प्रचारित व विसतारित कर मवेशियों का जननिक विकास करना। पशुओं के खिलाफ क्रूरता निषेध अधिनियम को लागू कर पशुओं के लिए कल्याणकार्यक्रम चलाना गांव के स्तर पर दुग्ध सहकारिता समितियों का गठन सरल बनाना, दुध संग्रह के लिए जिला स्तर पर दुग्ध संघ,दुध की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, दुग्ध उत्पादकता में वुद्धि, द्रुतशतीन ; चीलिंग)प्लांट की स्थापना, थोक कूलर, और संग्रह व विपणन के लिए दुध को रखने एवं उसकी गुणवत्त बनाए रखने के लिए कोल्डचेन की सुविधा जांच के लिए दुग्ध एवं डेयरी को–आपरेटिव सोसायटी की संयंत्रों एवं साजोसामान की सुविधा जैसी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना, हरे चारा का बीज, कृत्रिम गर्भाधान के साजोसामान पोखर में मछली पालन को बढ़ावा देना, कल्चर आधारित मत्स्यपालन, बाढ़ के कटाव वाले जगह पर झील ; औक्स बो लेक) बनाना, मछली पालने वाले किसानों को मछली उत्पादन की नयी तकनीक से अवगत कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना,पोखर एवं तालाबों में जलसंरक्षण, जलाप्लावित इलाकों का विकास, पूरे साल गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना	सुनिश्चित करना कि सभी निर्माण भूकंपरोधी हों चिकित्सा केंद्रद्रनिश्चित रूप से बाढ एवं भूंकपरोधी इलाके में हों सुनिश्चित करना कि दवा दुकानें आपदारोधी इलाके में हों अस्पतालों का निर्माण उपयुक्त एवं बाढ प्रवण क्षेत्र से दूर सुनिश्चित करना कृत्रिम गर्भाधान केंद्र निश्चित रूप से उपयुक्त एवं बाढरोधी जगहों पर हों पशुओं की तकलीफो को कम करने के लिए निश्चित तौरपर डीआरआर की विभिनन नीतियां बनायी जानी चाहिए। चारा भंडार सुरक्षित जगहों पर बनाना चाहिए, जीवन रक्षक टीकाओं की अग्रिम आपूर्ति और उनका सुरक्षित भंडारण होना चाहिए, तथा चारा बैंक भूकंपरोधी भवनों में सुरक्षित जगहों पर बनाया जाना चाहिए। प्लांट निश्चित रूप से आपदारोधी जगहों पर लगना चाहिए। किसी नये निर्माण या रखरखाव के कारण उत्पन्न होने वाली जोखिम का आकलन किया जाना चाहिए सुनिश्चित करना कि कटाव रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हैं। पोखर एवं नदियों के तटबंध की सुरक्षा

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकता वाली कार्रवाइयां आपदा की स्थिति नहीं रहने के वक्त चलायी जाय।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग में बाढ़ एवं सुखा की पूर्व चेतावनी देने के लिए कोषांग की स्थापना करना तथा आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी की बहाली करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, सामुदायिक स्तर की कमेटियों , दूसरे जिलों, राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ़ एवं सूखे की पूर्व चेतावनी देने के लिए समन्वय एवं संपर्क स्थापित करना।

✓ पूर्व चेतावनी की मंजूरी एवं प्रचार के लिए प्रोटोकॉल बनाना एवं उसका पालन करना।

✓ मछली पोखर एवं कटाव वाले जगहों पर झील ; आूक्स बो लेक) का पुनरुद्धार करना।

✓ पशु गर्भाधान एवं टीकाकरण कार्यक्रम निश्चित तौर पर पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बाद शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे कार्यक्रमों से नावाकिफ होते हैं।

✓ ग्राम पंचायत को सूचित करने के बाद एफएमडी नियंत्रण, कृमि नियंत्रण जैसे कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

✓ किसानों को वैज्ञानिक एक्वाकल्चर से परिचित कराना एवं उन्हें यहां मछली मारने की कला सिखाना, पंचायतों के माध्यम से आहर–पोखर जैसे जलस्रोतों का पुनरुद्धार कराना, मछली पालने वाले किसानों को मार्केटिंग के लिए जागरूक बनाना।

✓ जिलों में मॉडल फार्म स्थापित करना तथा किसानों को वहां ले जाना ताकि उन्हें जानकारी हासिल हो सके।

✓ पॉल्ट्री तथा मवेशी फार्म साफ–सुथरारहना चाहिए तथा वहां पानी चारा सालो भर उपलब्ध रहना चाहिए।

✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से फंड देना, ताकि किसी भी आपात स्थिति के बाद आवश्यक पुनर्निमाण का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जा सके।

✓ जोखिम कम करने और आपदा से निपटने की विभागीय क्षमता को आंकने के लिए मानदंड / पैमाना तय करना।

✓ संभावित जोखिम और जोखिम को कम करने के उपायों के प्रति विभागीय कर्मचारियों, लोगों और मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थिति से निपटने की पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- आपदा जोखिम कम करने एवं आपात उपायों तथा वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों के बीच पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रम, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के काम में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने हेतु डीडीएमए, आइएजी, तथा दुसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ णविभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों एवं मुख्य स्टेकहोल्डरों की आवधिक मॉक ड्रिल आयोजित करना।

✓ जला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

✓ क्या कुछ सही हुआ और जोखिम कम करने तथा आपत स्थितियों से और बेहतर तरीके निपटने के लिए विभाग को और क्या कुछ करना चाहिए, यह जानने के लिए विभाग के पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद अपने अनुभवों एवं सबकों का दस्तावेज बनाना।

✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।

✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के कामकाज, विशेष रूप से आपदा के समय में, नियम–कानून बनाना।

✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को

संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।

- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल परिभाषित करना, उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ बाढ़ जैसी मौसमी आपदा के पहले नियमित रूप से टीकाकरण कराना।
- ✓ जीवन रक्षक टीकाओं की अग्रिम आपूर्ति एवं उनका सुरक्षित भंडारण।
- ✓ जनता और विभाग के फील्ड कर्मचारियों की मदद से पंचायत में सुरक्षित जगह की पहचान
- ✓ सुरक्षित जगहों पर चारा भंडारण
- ✓ सुनिश्चित करना कि मछली तालाबों को सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है।
- ✓ मरम्मती के सामानों को तुरंत मरम्मत कराने के लिए जमा करना तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।
- ✓ संयंत्रों, टेलीफोनों, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना ।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे

इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

भारत संचार निगम लिमिटेड

बीएसएनएल के बारे में

भारत संचार निगम लिमिटेड ; बीएसएनएल) का गठन 15 सितंबर 2000 को हुआ था। इसने टेलीकॉम सेवाएं एवं नेटवर्क प्रबंधन का काम पहले से कार्यरत केंद्र सरकार के दूरसंचार सेवा विभाग ; डीटीएस) एवं टेलीकॉम ऑपरेशंस ;डीटीओ) से एक अक्तूबर, 2000 के प्रभाव से हासिल किया। भारत में व्यापक श्रेणी की टेलीकॉम सेवा प्रदान करने वाला यह सबसे बड़ा और अग्रणी लोकउपक्रम है ।

बीएसएनएल का देश भर में व्यापक गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क है और अब वह इसे और बेहतर बना रहा है तथा सेवाओं का विस्तार कर रहा है। । गांवों में आइसीटी अप्लीकेशन के जरिए नयी टेलीकॉम सेवाएं शुरू कर उपभोक्ताओं का दिल जीत रहा है।

बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। इनमें वायरलाइन, सीडीएमए मोबाइल, जीएसएम मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, कैरियर सर्विस, एमपीएलएस–वीपीएन, वीएसएटी, वीओआइपी, इन सर्विस, एफटीटीएच, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसिंग आदि प्रमुख हैं ।

बनावट (संरचना एवं क्षमता):

- निदेशक, मधुबनी
- सहायक निदेशक, मधुबनी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।
- ✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक सूचना जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ दूरसंचार के माध्यम से लोगों कोपूर्व चेतावनी जारी करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, समाज के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।

- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ सूचना एवं संचार व्यवस्था को बनाये रखने के लिए डीडीएमए, संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा खोज एवं बचाच कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ दूरसंचार के जरिये अद्यःतन जानकारी देना।
- ✓ जिला प्रशासन को वेब कान्फ्रेंसिंग या ऑडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए सेट–अप उपलब्ध कराना।
- ✓ फोन पर या दूरसंचार के दूसरे माध्यमों से मौसम की पूर्व जानकारी देना।
- ✓ प्रभावित इलाके में संचार व्यवस्था तुरंत बहाल करना।
- ✓ टेलीग्राफ सेवा उपलब्ध कराना तथा जारी रखना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में कुशल एवं मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग दूरदराज के अपने रिश्तेदारों से संपर्क स्थापित कर सकें।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा बीएसएनएल कार्यालय की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

- ✓ यह सुनिश्चित करना कि संचार व्यवस्था आदि की देखरेख का काम प्राइवेट कंपनियों, गांव स्तर की कमेटियों के पास हो तथा निगरानी की कारगर व्यवस्था काम कर रही हो।
- ✓ गांव, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कामः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ क्षति के आकलन एवं सरकार द्वारा घोषित रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए संयंत्रों, सामानों ;दवा, चारा आदि), और पैसे जैसे विभाग के संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ डीआरआर को विकास से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
कंपनी वायरलाइन, सीडीएमए मोबाइल, जीएसएम मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबेंड, कैरियर सर्विस, एमपीएलएस–वीपीएन, वीएसएटी, वीओआइपी, इन सर्विसेज, जैसी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। स्विचिंग एवं ट्रांसमिशन नेटवर्ककी योजना, इन्सटालेशन , नेटवर्क से जोड़ना तथा रखरखाव करना। दूरसंचार प्रशिक्षण	सुनिश्चित करना कि बीएसएनएल के सभी कार्यालय या प्रतिष्ठान भूकंपरोधी हैं। बीएसएनएल टावर या सेटअप स्थापित करने में बाढ़ रोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अग्निरोधी केबल एवं संयंत्र किसी नये निर्माण, अभिस्थापना, या टावर की देखरेख या कोई और सेटअप के कारण होने वाले जोखिम का आकलन। बाढ़ प्रवण इलाके या नीचे के इलाके में लगे टावर और खंभे की डिजाइन बाढ़ को ध्यान में रखकर तैयार करना। पावर बैक–अप के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को स्थापित करना। अग्निरोधी स्विच एवं नेटवर्क डिवाइस

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, जन कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों को डीआरआर की जानकारी में प्रशिक्षण देना

✓ बीएसएनएल टावर लगाने या कोई यूनिट स्थापित करने के पहले सुरक्षित जगह की पहचान करना।

✓ काम निरंतर चलता रहे, इसके लिए पावर बैकअप सुनिश्चित करना।

✓ ग्रामीण एवं दुरस्थ एक्सटेंशन ऑफिस का कंप्यूटरीकरण

✓ बीएसएनएल द्वारा दिये जाने वाले दूरसंचार प्रशिक्षण में डीआरआर से जुड़ी बातें शामिल करना।

✓ लोगों को मौसम की पूर्व जानकारी देने के लिए एसएमएस सेवा शुरू करने की पहल करना।

✓ आपात समय में एलर्ट मैसेज भेजना।

✓ तकनीकी खराबियां समय पर ठीक करने के लिए सुरक्षित जगहों पर साज—समान रखना।

✓ बीएसएनएल कंपनी निश्चित रूप से सुनिश्चित करे कि उसके संयंत्रों और सेवाएं डीआरआर की जरूरतों से जुड़ी हुई हैं।

✓ लोगों को अबाधित दूरसंचार सेवा उपलब्ध हो सके, इसके लिए बीएसएनएल कार्यालय सुरक्षित मकानों में होने चाहिए।

✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि किसी भी आपात स्थिति के बाद आवश्यक पुनर्निर्माण का काम जल्द शुरू किया सके।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।

✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।

✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।

✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।

✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।

- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल परिभाषित करना, उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन / परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ अपने भवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ लाइन डिपार्टमेंट के दूरसंचार की आधारभूत संरचना की नियमित मॉनिटरिंग करना।
- ✓ बीएसएनएल निश्चित रूप से जीर्णशीर्ण भवनों में अस्थायी निर्माण कार्य कराना या उसे छोटे तौर पर नया रूप देने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
- ✓ खराबियों की जांच एवं उसे ठीक करने के लिए बीएसएनएल के पास निश्चित तौर पर व्यवस्था ;वाहन, केबल, जेनरेटर, और औजार) होनी चाहिए।
- ✓ अबाधित दूरसंचार सिगनल के लिए पावर बैक अप।
- ✓ संयंत्रों, टेलीफोनों, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों

के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे।नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

भवन विभाग

भवन विभाग के बारे में:

1982 के पहले तक सड़क निर्माण, भवन निर्माण, और ग्रामीण अभियंत्रणा संगठन एक ही विभाग लोक निर्माण विभाग ; पीडब्लूडी) के अधीन होते थे। प्रशासनिक दृष्टि से लोक निर्माण विभाग को तीन अलग–अलग विभागों में बांट दिया गया। ये विभाग हैं– सड़क निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, और ग्रामीण अभियंत्रणा संगठन।

भवन विभाग सरकारी भवन, संग्रहालय, बनाता है, सरकारी भवनों का आवंटन और निर्माण में वास्तुशिल्पीय मदद करता है। विभाग सरकारी भवनों को सभी आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराता है, निर्माण स्थल का मूल्यांकन और आकलन, संरचनात्मक आकलन और पुनरूद्धार का काम करता है।

संगठन: संरचना एवं क्षमता

- जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंता
- जिला स्तर पर सहायक अभियंता
- जिला स्तर पर तकनीकी सलाहकार

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुन:प्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुन:प्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुन:प्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।
- ✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ देने और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ आपदा घटित होने की स्थिति में क्या करना है, और क्या नहीं करना है, इसके बारे में संबंद्ध कार्यालयों एवं लोगों को सूचना देना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, समाज के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए पदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।

- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ कार्यालय के सामानों, दस्तावेजों तथा लोगों को सुरक्षित मकान में पहुंचाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, शरण, खोज एवं बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ सरकारी गोदामों एवं भवनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था।
- ✓ पंचायत एवं प्रखंड को अस्थायी जगह उपलब्ध कराना।
- ✓ विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर खोज एवं बचाव, राहत आदि कार्यक्रमों में मदद करना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में कार्यकुशल मॉनिटरिंग फोर्स की सुविधा सुनिश्चित करना।
- ✓ जो इलाके प्रभावित नहीं हैं, उनपर भी नजर रखना

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा भवन विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि भवनों का रखरखाव सरकारी विभागों और सामुदायिक स्तर की कमेटियों के पास हो तथा पर्याप्त मॉनिटरिंग का तंत्र बहाल हो।
- ✓ गांव, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का

दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए संयंत्रों, निर्माण सामग्रियों भवन सामग्रियों और पैसे जैसे विभाग के संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल कर लिया जाएगा।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ नए विकास कार्यक्रम को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने के लिए डीआरआर की योजनाओं को शामिल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपायः

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- विभाग की मुख्य गतिविधियों को आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
विभाग सरकारी भवन, संग्रहालय बनाता है। सरकारी भवनों के आवंटन करता है तथा निर्माण में वास्तुशिल्पीय सहायता उपलब्ध कराता है।	सुनिश्चित करना कि सभी निर्माण भूकंपरोधी हो।
विभाग सरकारी भवनों को सभी आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराता है, निर्माण स्थल का मूल्यांकन और आकलन, संरचनात्मक आकलन और पुनरूद्धार का काम करता है।	संग्रहालय और सरकारी भवन निश्चित तौर पर बाढ और भूकंपरोधी हो।
विभिन्न विभागों के आवासीय एवं गैर आवासीय सरकारी भवनों को प्लानिंग एवं डिजाइनिंग बिल्डिंग नेटवर्क उपलब्ध कराना।	इलाके के लिए उपयुक्त आधुनिक तकनालॉजी अपनाना।
विभिन्न विभागों के आवासीय एवं गैर आवासीय सरकारी भवनों का रख–रखाव, पुनरुद्धार, स्तरोन्नयन करना।	बाढ प्रवण इलाके में हाई प्लींथ पर भवन बनाना या बाढ रोधी इमारत बनाना।
	प्रखंड, पंचायत और जिला स्तर पर सरकारी भवनों को नया रूप देना

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर विभाग के सभी भवनों की पहचान और आकलन करना।
- ✓ पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर भूकंप एवं बाढरोधी संरचनाएं लोगों को दिखाना।
- ✓ पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराना।
- ✓ पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर सरकारी डीआरआर की जानकारी में प्रशिक्षण देना।
- ✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि किसी भी आपात स्थिति के बाद आवश्यक पुनर्निर्माण का काम जल्द शुरू किया सके।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के

बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।

- ✓ आपदा प्रवण इलाके में निर्माण सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना । साथ ही रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करना।
- ✓ पंचायत एवं प्रखंड में सुरक्षित भवनों की पहचान करना। सुरक्षित स्थलों की पहचान आपदा ;बाढ़, भूकंप) के अनुसार होनी चाहिए।
- ✓ कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि अस्थायी निर्माण कार्य आपदा ;बाढ़, तूफान) की पूर्व सूचना मिलने के पहले शुरू हो जाय।
- ✓ जिन भवनों पर बाढ़, भूकंप, जलजमाव का असर पड़ सकता है, वैसे भवनों की पहचान करना तथा भवन को क्षति से बचाने की योजना तैयार करना।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत करने के लिए मरम्मती के सामानों को जमा कर सुरक्षित स्थानों पर रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग के बारे में

शिक्षा विभाग शिक्षा उपलब्ध कराने एवं संबंधित संरचना खड़ा करने का काम करमा है। इसका उद्देश्य एक ऐसा अनुकूल माहौल बनाना है जिसमें युवा, महिला और दूसरे लोग प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उच्चतर और जनशिक्षा के जरिये शिक्षा हासिल कर सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें।

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम ;आरटीई) लागू होने के बाद शिक्षा विभाग का लक्ष्य 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

संगठन ;संरचना एवं क्षमता)

- जिला शिक्षा पदाधिकारी ; डीइओ)
- जिला प्राथमिक शिक्षा पदाधिकारी
- उप प्राथमिक शिक्षा पदाधिकारी
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ;बीइओ)
- आंगनवाड़ी सेविका

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना

पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

- ✓ स्थिति का मुआयना करना तथा विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, समुदाय आधारित इडब्लू सिस्टम, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, स्थिति के बारे में प्रखंड/ जिला/राज्य के अधिकारियों की राय।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सभी स्कूलों, कॉलेजों,शैक्षणिक संस्थानों, संबंद्ध कार्यालयों को पूर्व चेतावनी की सूचना मिल गई है तथा उन सबों को चेतावनी को समझ लिया है।
- ✓ आपात स्थिति में स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों आदि और घरों में स्कूल की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर बरती जाने वाली सतर्कता को प्रचारित करना।
- ✓ अगर जरूरत पड़े ;पूर्व चेतावनी के आधार पर) तो स्कूलों, कॉलेजों को जल्द से जल्द खाली कराना।
- ✓ भूकंप जैसे आपदा, जिसकी पर्याप्त पूर्व जानकारी नहीं होती, के समय तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक उपायों को भी अपनाना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों को छात्रों एवं शिक्षकों की सुरक्षा के लिए स्कूल , कॉलेजों में उच्च्य स्तर की पूरी तैयारी करने का निर्देश देना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को नियमित रूप से मदद करने का निर्देश देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण फोन नंबर, परिवहन के साधन, फर्स्ट एड बॉक्स सभी स्कूलों में उपलब्ध है और तुरंत इस्तेमाल किये जाने की हालत में हैं।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किसी विभागीय व्यक्ति को नोडल पर्सन बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।

- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, समाज के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए पदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ क्षति के सही आकलन के बाद सभी स्कूल, कॉलेजों के भवनों की मरम्मति और नया रूप देने के लिए कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ अगर डीडीएमए कई विभागों की क्षति का आकलन कर रहा हो तो सुनिश्चत करना कि इस आकलन में शिक्षा विभाग भी शामिल रहे।
- ✓ जरूरत के अनुसार, राहत एवं पुनर्वास केंद्र के रूप में इस्तेमाल किये जाने के लिए स्कूल, कॉलेजों को स्थानीय प्रशासन को सौंपना।
- ✓ पूर्व प्रशिक्षित/ बच्चों और स्वयंसेवकों को भेजकर खोज एवं बचाव के प्रयासों में स्थानीय प्रशासन को मदद करना।
- ✓ अगर स्कूल भवन/परिसर क्षतिग्रस्त हो गया हो या उसका इस्तेमाल राहत/पुनर्वास केंद्र के रूप में हो रहा हो तो आपात स्थिति के सभी चरणों में पढ़ाई के लिए जगह की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- ✓ सुनिश्चित करना कि सर्व शिक्षा अभियान समर्थित स्कूलों तथा मदरसा समेत दूसरे केंद्रों में क्लास 1 से 8 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मिड डे मील मिलता रहे।
- ✓ प्रभावित समुदाय में शिक्षा सेवा की स्थिति को मॉनिटर करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी और सामुदायिक स्तर की शिक्षा कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना और मॉनिटरिंग एवं देखभाल में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ✓ विभिन्न आवश्यक सहायता कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर खोज एवं बचाव,राहत आदि कार्यक्रमों में मदद करना।
- ✓ बदलते हालात पर निगाह रखना, तथा ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, पंचायत और बीडीएमए तथा संबंद्ध इएसएफ टीम को अद्यःतन जानकारी देते रहना।
- ✓ जो इलाके प्रभावित नहीं हैं, उन पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि आपात स्थिति के दौरान शिक्षा विभाग के सभी तात्कालिक उपाय ठीकठाक हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात शिक्षा सेवाएं एवं सुविधाएं पूरी तरहगांव के लोगों के अधीन है औरउन्हीं के द्वारा चलायी जा रहा हैं तथा मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था की गई है।
- ✓ गांव, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना तथा किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुन:प्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

उद्देश्य:

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्य:

✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।

✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।

✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल कर लिया जायेगा।

✓ जिले में जल्द से जल्द सामान्य शिक्षा की बहाली सुनिश्चित करना।

✓ बच्चों ; तथा जरूरत हो तो शिक्षकों) को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक मदद सुनिश्चित करना।

✓ स्कूल, कॉलेज आदि में मरम्मती, पुनर्निर्माण के लिए जरूरी पैसा आवंटित एवं रिलीज कराने का प्रयास करना।

✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।

✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।

✓ नए विकास कार्यक्रम को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने के लिए डीआरआर की योजनाओं को शामिल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- विभाग की मुख्य गतिविधियों को आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
शैक्षणिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना, पर्यापत संख्या में स्कूल आधारभूत संरचना एवं शिक्षकों के लिए निवेश करगुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना, अकादमिक सुधार को बढ़ावा देना, शिक्षण संस्थानों के संचालन में सुधार, तथा सांस्थनिक बदलाव लाकर शिक्षा की पहुंच वंचित समुदाय तक पहुंचाना सभी योग्य व्यक्तियों, खासकर वंचित समूह, को समानतापूर्वक उच्चतर शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। मौजूदा असंतुलन को खत्म करना,मौजूदा संस्थानों को मदद कर उनकी पहुंच बढ़ाना, नये संस्थान स्थापित करना, सरकारी प्रयासों की मदद के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं सिविल सोसायटी को मदद करना, शोध एवं अनुसंधान को मजबूत करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाना और ज्ञान कीपहुंच बढ़ाने के लिए सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा देना।	सुनिश्चित करना कि नये स्कूल भवनों का निर्माण आपदा के नजरिये से इलाके का आकलन करने के बाद किया जाए। सुनिश्चित करना कि सभी नये निर्माण आपदारोधी हो तथा पुराने मकानों को संरचनात्मक तरीके से ; राष्ट्रीय भवन कोड/कानून का पालन करते हुए)नया रूप देकर आपदारोधी बनाया जाय। किसी नये निर्माण या रखरखाव के परिवर्तन के कारण आपदा जोखिमका आकलन करना। विकास के कामों के नकारात्मक प्रभाव के तहत होने वाले जोखिम को कम करने के लिए विभाग अंतर्विभागीय समन्वय को बेहतर बनाये। ण सभी योग्य व्यक्तियों, खासकर वंचित समूह तक सुरक्षित एवं बिना भेदभाव वाली शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय समन्वय स्थापित करना। सुनिश्चित करना कि नीतियों एवं कार्यक्रमों में डीआरआर के उपाय शामिल रहें।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ सुनिश्चित करना कि सभी स्कूलों, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन शामिल रहे।

✓ सुनिश्चित करना कि स्कूल भवनों का निर्माण उपयुक्त मानदंड एवं दिशा निर्देश के तहत हुआ है तथा स्कूल चलने के समय में यह सुरक्षित है तथा आपात स्थिति में स्कूल से बाहर आने का सुरक्षित रास्ता है।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय

कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ छात्रों एवं शिक्षकों ; चिशेषकर आपदा प्रवण क्षेत्र के) को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना।
- ✓ आपदा प्रवण क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों में सालाना मॉक ड्रिल आयोजित करना तथा आपदा से निपटने की तैयारी संबंधी गतिविधियां चलाना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।

- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन / परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि स्कूल, कॉलेज के फर्नीचर काफी मजबूत हैं और भूकंप आने की स्थिति में उनका इस्तेमाल छुपने की जगह के तौर पर किया जा सकता है।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सभी क्लासरूम में दो बड़े दरवाजे ; प्रवेश एवं निकस) हों।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सीढियां बड़ी–बड़ी हों ताकि किसी आपातकाल में आसानी से भागा जा सके।
- ✓ बाहर निकलनेका निकटतम रास्ता, सुरक्षित जगहों, फर्स्ट एड, तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने का रास्ता इंगित करते हुए साइनबोर्ड लगाया जाय।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना।
- ✓ जीवन, सामान, साज–सामान की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग के बारे में

विभाग अपने इलेक्ट्रिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जरिये राज्य के सरकारी भवनों में बिजली की व्यवस्था तथा देखरेख करता है। विद्युत प्रतिष्ठानों की जांच और बिजली को लेकर जनसुरक्षा की देखरेख तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन के लिए विभाग ने विद्युत निरीक्षकालय की स्थापना की है। ऊर्जा विभाग जल विद्युत परियोजनाओं, ताप बिली, बायो गैस, पवन ऊर्जा जैसे गैर परंरागत स्रोतों आदि जैसे विभिन्न परियोजनाओं से बिजली उत्पादित करता है।

संगठन ;संरचना एवं क्षमता)

- जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंता
- जिला स्तर पर सहायक अभियंता
- कनीय अभियंता

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी मिलने पर हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।

- ✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ आपदा घटित होने पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में संबंद्ध विभागों को सूचना देना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयास शुरू करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, समाज के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए पदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।

✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

✓ कार्यालय के साज–सामन, दस्तावेज और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, खोज एवं बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर इलेक्ट्रिकल एवं पावर जेनरेशन के संयंत्र एवं संसाधनों को उपलब्ध कराना ताकि क्षतिग्रस्त पार्ट आसानी से बदला जा सके।

✓ प्रभावित इलाकों में इंजीनियरों की मौजूदगी सुनिश्चित करना।

✓ मदद के आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर खोज एवं बचाव, राहत कार्यक्रमों को मदद करना।

✓ प्रभावित इलाकों में कुशल एवं मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि क्या जीवन रक्षक सभी उपाय ठीकठाक हैं और ऊर्जा विभाग के आधारभूत संसाधनों और दायित्वों के कारण जान–माल और पर्यावरण को आगे कोई खतरा नहीं है। इओसी और इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

✓ गांव, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना तथा किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।

- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए संयंत्रों, निर्माण सामग्री, ऊर्जा / बिजली, वित्त जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल कर लिया जायेगा।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ नए विकास कार्यक्रम को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने के लिए डीआरआर की योजनाओं को शामिल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपायः

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- विभाग की मुख्य गतिविधियों को आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करना बायो गैस, पवन चक्की आदि जैसे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादित करना।	सभी निर्माण भूकंपरोधी सुनिश्चित करना बिजली उत्पादन की पुरानी युनिटों की मरम्मति कराना तथा नया रूप देना और इस प्रक्रिया में आपदारोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल करना इलाके के वातावरण के लिए अनुकूल आधुनिक तकनालॉजी अपनाना। पावर यूनिट की स्थापना के कारण होने वाले जलजमाव, कटाव आदि को रोकना। भूकंपरोधी संरचना ऐसी यूनिटों की स्थापना करते वक्त ऐसी योजना बनाना कि जलजमाव, कटाव नहीं हो।

2.2 आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ पंचायत, प्रखंड और जिला सतर पर पावर जेनरेटिंग यूनिट की पहचान और आकलन करना।

✓ गैर परंपरागत स्रोतों से बिजली बनाने की योजना को बढ़ावा देना।

✓ ऐसे यूनिटों की स्थापना जलजमाव वाले इलाके से दूर करना।

✓ गावों में सुरक्षित जगहों पर बायोगैस या पवन चक्की लगाना।

- ✓ बिजली उत्पादन के लिए कैनाल बनाते वक्त कटाव और जलजमाव से बचने के उपाय करना।
- ✓ विभाग निश्चित तौर पर आपदा प्रवण इलाके में अवस्थित पावर यूनिटों की पहचान और राहत व आपात जरूरतों के सामानों को वहां पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। साथ ही आवागमन का वैकल्पिक रासता उपलब्ध करायेगा ताकि क्षति कम से कम हो सके।
- ✓ ताजा अनुभव या पहले की आपात स्थिति या समस्या के अनुभवों के आधार पर जोखिमों को कम करने संबंधी उपायों समेत विभाग भविष्य की कार्ययोजना तैयार करेगा।
- ✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन ताकि किसी भी आपात स्थिति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जा सके।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में

विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल परिभाषित करना, उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ आपदा प्रवण इलाके में निर्माण सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना । साथ ही रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करना।
- ✓ बिजली संयंत्रों को ले जाने के लिए वाहनों की उपलब्धता।
- ✓ कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि अस्थायी निर्माण कार्य आपदा ;बाढ़, तूफान) की पूर्व सूचना मिलने के पहले शुरू हो जाय।
- ✓ प्रमुख जगहों पर केबल, तार, ट्रांसफार्मर, जेनरेटर आदि जैसे सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ जिन पावर यूनिटों पर बाढ़, भूकंप, जलजमाव का असर पड़ सकता है, वैसे यूनिटों की पहचान करना तथा इन यूनिटों के भवनों को क्षति से बचाने की योजना तैयार करना।
- ✓ मरम्मती के सामानों को जमा कर सुरक्षित स्थानों पर रखना ताकि मरम्मती का काम तुरंत शुरू किया जा सके।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

अग्नि सेवा / दमकल विभाग

अग्नि सेवा विभाग के बारे में

बिहार सरकार की अग्नि सेवा विभाग की स्थापना एक दक्ष एवं प्रभावी ऑपरेशनल अग्नि सेवा को संरक्षण देने एवं चलाने के लिए की गई है। आगजनी की घटना घटित होने पर दमकल न सिर्फ जान–माल को बचाते हैं, बल्कि वे बाढ़, भूकंप आदि जैसे दूसरे आपदा के वक्त भी मदद करते हैं।

संगठनः संरचना एवं क्षमता

- जिला अग्निशमन पदाधिकारी
- अग्निशन पदाधिकारी
- फायरमैन

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी मिलने पर हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ पूर्व चेतावनी के आधार पर आपदा के स्तर को मॉनीटर करना, सूचनाओंको मंजूरी के लिए डीडीएमए के साथ साझा करना।

✓ खतरे की खबर मिलते ही अग्निशमन सेवा का हर दल चौकस हो जाएगा।

- ✓ संबंधित कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन अद्यतन स्थिति की जानकारी देना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना के प्रसार में मदद करना।
- ✓ बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी एक व्यक्ति को नोडल पर्सन बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयास शुरू करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, समाज के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ मॉनीटरिंग के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी और सामुदायिक स्तर की अग्निशमन सेवा कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना और मॉनीटरिंग एवं रखरखाव के कामों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ✓ खोज एवं बचाव, राहत कार्यक्रम, घायलों को पहुंचाने और अनाज भंडार तथा दूसरे महत्वपूर्ण विभागों से पानी निकालने में मदद करना।
- ✓ लोगों को क्षतिग्रस्त मकानों, वाहनों, ट्रेन, कारखानों आदि से बाहर निकालने में मदद करना।
- ✓ पेट्रोलियम, गैस और दूसरे खतरनाक चीजें के कारण उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरों की रोकथाम में संसाधन उपलब्ध कराना तथा तकनीकी मदद करना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि क्या जीवन रक्षक सभी उपाय ठीकठाक हैं और अग्निशमन सेवा विभाग के आधारभूत संसाधनों और दायित्वों के कारण जान–माल और पर्यावरण को आगे कोई खतरा नहीं है। इओसी और इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।
- ✓ मकानों की सुरक्षा तथा देखभाल सुनिश्चित करना। साथ ही यह भी देखना कि सुरक्षा और देखभाल सामुदायिक स्तर की कमेटियों के हाथों है तथा मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ गांव, अग्नि सुरक्षा कमेटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना तथा किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ क्षतिग्रस्त एवं खराब हालत वाले मकानों को ढाहने की योजना शुरू करना।

- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए आग बुझाने के साधन , सामान, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल कर लिया जाएगा।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ नए विकास कार्यक्रम को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने के लिए डीआरआर की योजनाओं को शामिल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम घटाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देना

2.3- क्षमता निर्माण की कार्रवाइयां

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- विभाग की मुख्य गतिविधियों को आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्यः

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
अगलगी तथा बाढ़ जैसी दुसरी आपदाओं से जान–माल की सुरक्षा। अग्नि सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।	फायर अलार्म,हाइड्रोलिक पंप, स्प्रिंक्लर आदि जैसे अग्नि सुरक्षा के साधनों को लगाना सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना कि फायर फाइटर्स प्रभावी एवं आधुनिक हथियारों, तथा अग्निरोधी दस्ताना एवं सूट जैसे सुरक्षा के सामानों से लैश हों। फायर फाइटर्स को सीबीआरएन और इसके जैसे आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिषित करना। खराब हालात वाले इलाकों, मकानों आदि का पता लगाना और इनकी जोखिम कम करने की कार्ययोजना बनाना। खतरनाक इलाकों का आकलन करना और उनकी जरूरत के अनुसार अग्नि सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराना नियमित रूपसे अग्नि सुरक्षा के उपायों का मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित करना तथा फायर फाइटर्स एवं जनता की जोखिम को कम करना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

- ✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।
- ✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।
- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ आधारभूत संरचनाओं, विशेषकर खतरनाक उद्योगों की खराबियों का आकलन करना और समय पर उन्हें मरम्मत कराने जैसा उपाय करना।
- ✓ दमकल जैसे अग्निशमन के तमाम संसाधनों को सही हालत में रखना और फायर अलार्म तथा हाइड्रोलिक, स्प्रिकंलर जैसे वाटर पंप लगाना।

- ✓ अग्निशन के साधनों के रखरखाव तथा विभिन्न श्रेणी के संरचनात्मक उपायों के लिए बजट की व्यवस्था करना
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।

✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।

✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति / पत्नी को नामजद करेंगे / करेंगी।

✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।

✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन / परिसर की पहचान करना।

✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।

✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्य:

✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।

✓ अगलगी और दूसरे आपदा की संभावना वाले सर्वाधिक खतरनाक इलाके की पहचान करना और जनता के बीच अगलगी से निपटने की जागरूकता पैदा करना व उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित

करना, आपात खोज एवं बचाव ऑपरेशन के लिए दल तैयार करना।

- ✓ प्राइवेट, सरकारी तथा अपने मकान एवं प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करना।
- ✓ फायर ब्रिगेड को चौकस बनाने के लिए प्राथमिक उपचार एवं निकास, खोज एवं बचाव का नियमित प्रशिक्षण देना।
- ✓ समय–समय पर खतरनाक केमिकल एवं दूसरे उद्योग वाले जोखिम भरे इलाकों का निरीक्षण करना।
- ✓ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल एवं आग बुझाने के दूसरे साधनों को पर्याप्त संख्या में जमा कर रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।
- ✓ आपदा प्रबंधन के कामों में लगाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों से स्वयंसेवकों की पहचान करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

खाद्य निगम विभाग

खाद्य निगम विभाग के बारे में

खाद्य निगम विभाग जिला में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनवितरण का प्रबंधन करने तथा आवश्यक सामग्रियों के व्यापार एवं वाणिज्य का महत्वपूर्ण काम करता है । विभाग आपूर्ति विभाग से समन्वय स्थापित कर सामानों की आपूर्ति जारी रखता है या बढ़ता है तथा सामानों का समान वितरण सुनिश्चित करता है। विभाग आवश्यक सामग्री अधिनियम 1955 तथा दूसरे कानूनों को लागू कर उचित कीमत पर इन सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

संगठनः संरचना एवं क्षमता

- जिला प्रबंधक
- जिला वितरण पदाधिकारी
- सहायक जिला वितरण पदाधिकारी
- प्रखंड वितरण पदाधिकारी
- मार्केटिंग ऑफिसर
- प्रखंड वितरण निरीक्षक

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी मिलने पर हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

- ✓ स्थिति को मॉनीटर करना तथा पूर्व चेतावनी के संबंध में गांव की व्यवस्था , टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला/राज्य के अधिकारियों जैसे विभिन्न स्रोतों स्थिति के बारे में जानकारी जमा करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना के प्रसार में मदद करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सभी गोदामों, कार्यालयों, जनवितरण प्रणाली की दुकानों आदि को पूर्व चेतावनी की सूचना मिल गई है और उनसबों ने उसे समझ लिया हे।
- ✓ ण्गआपात स्थिति के हालात में गोदामों, जन वितरण प्रणाली की दुकानों तथा भंडारण के दूसरे जगहों की सुरक्षा से संबंधित चौकसी को प्रचारित करना।
- ✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं मिलती, की स्थिति मेंतुरंत हरकत में आ जाना और भूकंप से निपटने के आकस्मिक उपायों को भी अपनाना।
- ✓ ज्यादा नाजुक हालत वाले समूहों, जिन्हें अतिरिक्त आहार एवं पोषाहार की जरूरत होती है, की सूची बनाने तथा सूची को अद्यतन करने के लिए आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना तथा आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ✓ गोदामों, जनवितरण प्रणाली की दुकानों आदि को अगर कोई जरूरत हो तो उसे पूरा करने के लिए विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश देना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि जरूरत के समय संपर्क नंबर, सवारी, मजदूर, पोलदार आदि उपलब्ध रहें।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी एक व्यक्ति को नोडल पर्सन बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयास शुरू करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।

- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो इसकी सूचना सभी कर्मचारियों, गोदामों, जनवितरण प्रणाली की दुकानों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर, जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, गांव के स्तर की आहार एवं पोशाहार कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ जनवितरण व्यवस्था, गोदामों पर प्रभाव, एवं संलग्न प्रारूप के अनुसार तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का आकलन करना तथा इसे इओसी एवं दूसरे प्रमुख स्टेकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी, एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह– मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ इओसी, एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह– मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक खाद्य एवं जनवितरण से आवश्यक आपूर्ति की योजना बनाना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ सभी गोदामों, आधारभूत संरचनाओं की क्षति का सही तरह आकलन करने के बाद इनकी मरम्मती एवं इन्हें नया रूप देने के लिए आवश्यक कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ अगर डीडीएमए कई चीजों का आकलन कर हो तो, सुनिश्चित करना कि इस आकलन में आहार एवं पोषाहार तथा उपभोक्ता संरक्षण भी शामिल रहे।
- ✓ राहत / पुनर्वास केंद्रों में आपूर्ति के लिए खाने के चीजों की उपलब्धता तथा इन सामानों को वहां तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ✓ बीमार लोगों, गर्भवती व स्तनपान करानेवाली महिलाओं, बूढ़ों, विकलांगों जैसे खस वर्ग के लोगों जिन्हें विशेष पोशाहार की जरूरत होती है, तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ नोडल एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करना कि सामूहिक रसोई घर सुरक्षित एवं साफ इलाके में हों।

✓ सुनिश्चित करना कि लोग खाना साफ और सही तरीके से बना रहे हैं।

✓ सुनिश्चित करना कि नवजात शिशु और बच्चों को साफ और सही तरीके से खिलाया जा रहा है और उन्हें उपयुक्त मानकों के अनुसार खाना मिल रहा है।।

✓ प्रभावित लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री मिले इसके लिए विशेष राशनिंग व्यवस्था तथाखुले बाजार से खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

✓ व्यापारियों द्वारा खाद्य सामग्रियों की गैर कानूनी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाना तथा उचित कीमत पर खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

✓ प्रभावित लोगों के बीच खाद्य आपूर्ति एवं सेवाओं की उपलब्धता की मॉनीटरिंग के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा समुदाय स्तर की आहार एवं पोषाहार कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना तथा इन कामों में चलाने एवं उसकी मॉनीटरिंग में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

✓ विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर खोज एवं बचाव, राहत आदि कार्यक्रमों में मदद करना।

✓ बदलते हालातों पर नजर रखना,ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, पंचायत और प्रखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार तथा संबद्ध इएसफ टीम को अद्यतन जानकारी देते रहना।

✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य

✓ जांच करना कि आहार एवं आवश्यक सेवाओं की अबाधित आपूर्ति के सभी तात्कालिक उपाय कर लिये गये हैं।

✓ सुनिश्चित करना कि आपातकालीन आहार, सेवा व सुविधाओं की आपूर्ति का जिम्मा स्थानीय लोगों के हवाले हैं तथा मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।

✓ स्थानीय लोगों, खाद्यान्न एवं पोषाहार कमेटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना तथा किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।

- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधनों ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल कर लिया जाएगा।
- ✓ जनवितरण प्रणाली से आवश्यक खाद्यान्न एवं सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिएआपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ प्रभावित लोगों की आजीविका बहाल करने की दीर्घकालीन नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ खाद्य भंडार, प्राकृतिक वातावरण, आजीविका के स्रोत आदि की नियमित मॉनीटरिंग एवं आकलन सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदारोधी फसल,आय के वैकल्पिक स्रोत और आजीविका योजना को डीआरआर से जोड़ने को बढ़ावा देना।
- ✓ गोदाम, कार्यालयों आदि की मरम्मती एवं पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता तुरंत आंवंटित तथा रिलीज कराने का प्रयास करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ नए विकास कार्यक्रम को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने के लिए डीआरआर की योजनाओं को शामिल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- विभाग की मुख्य गतिविधियों को आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
खाद्यान्न एवं दूसरे सामग्रियों का भंडारण तथा गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु एपीएल , बीपीएल, और अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को अनाज एवं अन्य सामग्री रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराना। बूढ़े दीन हीनों को अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना। आवश्यक सामग्रियों का मूल्य नियंत्रण करना तथा जमाखोरी व कालाबाजारी रोकना। पेट्रोल और डीजल में मिलावट रोकना। रसोई गैस ;एलपीजी) का सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करना। उगाही कर किसानों को अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना। उपभोक्ताओं को रियायती कीमत पर किरासन तेल उपलब्ध कराना	सुनिश्चित करना कि सभी गोदाम, निर्माण भूकंपरोधी और बाढ़ की पानी ;ऊंचे प्लेटफार्म पर बने हों) और, आग से सुरक्षित हो। सुनिश्चित करना कि सभी पुराने गोदाम और मकानों को संरचनात्मक तरीके से ; राष्ट्रीय भवन कोड/कानून का पालन करते हुए)नया रूप देकर आपदारोधी बनाया जाय। सुनिश्चित करना कि पेट्रोल, डीजल, किरासन, एलपीजी वितरण केंद्र किसी तरह के संभावित आपदा से सुरक्षित हों तथा वहां मानव निर्मित या संयोगवश आने वाली आपदा की रोकथा में पय्राप्त उपाय मौजूद हों। किसी नये निर्माण या रखरखाव के काम के जोखिम का आकलन करना। विभाग के विकास कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभाव के जाखिम को कम करने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय बढ़ाना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ समन्वय और संपर्क बनाना ।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

✓ सुनिश्चित करना कि खाद्य आपूर्ति किसी तरह के मिलावट तथा जहरीली या हानिकारक चीजें से मुक्त है।

✓ सुनिश्चित करना कि एक्सपायर्ड गैस सिलिंडर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

✓ आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करना कि भंडारण, ट्रांसपोटेशन, और वितरण के लिए सुरक्षा के सही उपाय कर लिये गये हैं।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

  मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।

✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।

✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।

✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज–सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

  मुख्य कार्यः

✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में, का नियम–कानून बनाना।

✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।

✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों

के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।

- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन / परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभवित आपात स्थितियों की पहचान करना तथा आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ आपूर्ति विभाग से समन्वय स्थापित कर आपदा प्रवण इलाके में पर्याप्त खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ✓ पर्याप्त खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामानों को रखने के लिए हर प्रखंड में कम से कम एक बड़ा गोदाम सुनिश्चित करना।
- ✓ हर पंचायत की जनवितरण प्रणाली की दुकानों में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना। साथ ही यह भी देखना कि आपात स्थिति के समय इसका इस्तेमाल हो सके।
- ✓ आपदा के समय में खाद्यान्न की ढुलाई के लिए पर्याप्त वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना। यह व्यवस्था अग्रिम तौर पर होनी चाहिए।
- ✓ आपर्ति विभाग के साथ मिलकर खाद्यान्नों की आपात ढुलाई एवं वितरण की कार्ययोजना तैयार करना।
- ✓ बाढ़ या अन्य आपदा के समय गोदामों में रखे गए खाद्य सामग्रियों की पर्याप्त सुरक्षा ;जरूरत पड़े तो दूसरी जगह ले जाने) के लिए कार्ययोजना तैयार करना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गए निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनवितरण का प्रबंधन करने तथा आवश्यक सामग्रियों के व्यापारएवं वाणिज्य का महत्वपूर्ण काम करता है । आवश्यक सामग्री अधिनियम 1955 तथा दूसरे कानूनों को लागू कर विभाग सामानों की आपूर्ति जारी रखता है या बढ़ता है तथा सामानों का समान वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

विभाग का उपभोक्ता मामलों का कोषांग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता की शिकायतें दूर कर उन्हें बेहतर संरक्षण उपलब्ध कराता है।

संगठनः संरचना एवं क्षमता

- जिला प्रबंधक
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी
- सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
- मार्केटिंग ऑफिसर
- प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी मिलने पर हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

- ✓ स्थिति को मॉनीटर करना तथा पूर्व चेतावनी के संबंध में गांव की व्यवस्था , टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला/राज्य के अधिकारियों जैसे विभिन्न स्रोतों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना के प्रसार में मदद करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सभी गोदामों, कार्यालयों, जनवितरण प्रणाली की दुकानों आदि को पूर्व चेतावनी की सूचना मिल गई है और उनसबों ने उसे समझ लिया हे।
- ✓ ण्आपात स्थिति के हालात में गोदामों, जन वितरण प्रणाली की दुकानों तथा भंडारण के दूसरे जगहों की सुरक्षा से संबंधित चौकसी को प्रचारित करना।
- ✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं मिलती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आ जाना और भूकंप से निपटने के आकस्मिक उपायों को भी अपनाना।
- ✓ ज्यादा नाजुक हालत वाले समूहों, जिन्हें अतिरिक्त आहार एवं पोषाहार की जरूरत होती है, की सूची बनाने तथा सूची को अद्यतन करने के लिए आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना तथा आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ✓ गोदामों, जनवितरण प्रणाली की दुकानों आदि को अगर कोई जरूरत हो तो उसे पूरा करने के लिए विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश देना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि जरूरत के समय संपर्क नंबर, सवारी, मजदूर, पोलदार आदि उपलब्ध रहें।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी एक व्यक्ति को नोडल पर्सन बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयास शुरू करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।

- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाते हैं तो इसकी सूचना सभी कर्मचारियों, गोदामों, जनवितरण प्रणाली की दुकानों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर, जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, गांव के स्तर की आहार एवं पोशाहार कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ जनवितरण प्रणाली की व्यवस्था, गोदामों पर पड़ने वाले प्रभाव, एवं संलग्न प्रारूप के अनुसार तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का आकलन करना तथा इसे इओसी एवं दूसरे प्रमुख स्टेकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी, एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह– मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक खाद्य एवं जनवितरण से आवश्यक आपूर्ति की योजना बनाना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ सभी गोदामों, आधारभूत संरचनाओं की क्षति का सही तरह आकलन करने के बाद इनकी मरम्मती एवं इन्हें नया रूप देने के लिए आवश्यक कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ अगर डीडीएमए कई चीजों का आकलन कर हो तो, सुनिश्चित करना कि इस आकलन में आहार एवं पोषाहार तथा उपभोक्ता संरक्षण भी शामिल रहे।
- ✓ राहत/ पुनर्वास केंद्रों में आपूर्ति के लिए खाने की चीजों की उपलब्धता तथा इन सामानों को वहां तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ✓ बीमार लोगों, गर्भवती व स्तनपान करानेवाली महिलाओं, बूढ़ों, विकलांगों जैसे खस वर्ग के लोगों जिन्हें विशेष पोशाहार की जरूरत होती है, तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ नोडल एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करना कि सामूहिक रसोई घर सुरक्षित एवं साफ इलाके में हों।

- ✓ सुनिश्चित करना कि लोग खाना साफ और सही तरीके से बना रहे हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि नवजात शिशु और बच्चों को साफ और सही तरीके से खिलाया जा रहा है और उन्हें उपयुक्त मानकों के अनुसार खाना मिल रहा है।।
- ✓ प्रभावित लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री मिले इसके लिए विशेष राशनिंग व्यवस्था तथा खुले बाजार से खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ✓ व्यापारियों द्वारा खाद्य सामग्रियों की गैर कानूनी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाना तथा उचित कीमत पर खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ✓ प्रभावित लोगों के बीच खाद्य आपूर्ति एवं सेवाओं की उपलब्धता की मॉनीटरिंग के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा स्थानीय स्तर की आहार एवं पोषाहार कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना तथा इन कामों में चलाने एवं उसकी मॉनीटरिंग में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ✓ विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर खोज एवं बचाव, राहत आदि कार्यक्रमों में मदद करना।
- ✓ बदलते हालातों पर नजर रखना,ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, पंचायत और प्रखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार तथा संबद्ध इएसफ टीम को अद्यतन जानकारी देते रहना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य

- ✓ जांच करना कि आहार एवं आवश्यक सेवाओं की अबाधित आपूर्ति के सभी तात्कालिक उपाय कर लिये गए हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपातकालीन आहार, सेवा व सुविधाओं की आपूर्ति का जिम्मा स्थानीय लोगों के हवाले हैं तथा मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों, खाद्यान्न एवं पोषाहार कमेटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना तथा किये गए कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी एवं दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह–मशविरा कर आपात कार्रवाइयों को बंद करना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई की योजना शुरू करना तथा आपात स्थिति में

लगाये गये विभाग के संसाधनों ;सामान एवं वित्त) को तुरंत वापस हासिल करना।

✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।

✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।

✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल कर लिया जाएगा।

✓ सुनिश्चित करना कि क्षति का आकलन कर लिया गया है और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने के लिए लिखा गया है।

✓ जनवितरण प्रणाली से आवश्यक खाद्यान्न एवं सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिएआपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ प्रभावित लोगों की आजीविका बहाल करने की दीर्घकालीन नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ प्रभावित लोगों के लिए सरकारी लाभ, या अनुदान/मुआवजा सुनिश्चित करना।

✓ जहां कहीं संभव हो, वहां स्थानीय क्षमता का इस्तेमाल करते हुए समन्वित व प्रभावी सप्लाई चेन मैनेजमेंट ;एससीएम) बनाना।

✓ जनवितरण प्रणाली से जरूरत के अनुसार खाद्यान्न एवं सामानों की आपूर्ति और वितरण को सशक्त करना।

✓ प्रभावित लोगों की आजीविका बहाली के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना।

✓ अनाज गोदामों, प्राकृतिक पर्यावरण, आजीविका के साधन आदि की नियमित मॉनीटरिंग एवं आकलन सुनिश्चित करना।

✓ आपदारोधी फसल,आय के वैकल्पिक स्रोत और आजीविका योजना को डीआरआर से जोड़ने को बढ़ावा देना।

✓ गोदाम, कार्यालयों आदि की मरम्मती एवं पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता तुरंत आंवंटित तथा रिलीज कराने का प्रयास करना।

- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ नए विकास कार्यक्रम को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने के लिए डीआरआर की योजनाओं को शामिल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- विभाग की मुख्य गतिविधियों को आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
खाद्यान्न एवं दूसरे सामग्रियों का भंडारण तथा गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु एपीएल , बीपीएल, और अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को अनाज एवं अन्य सामग्री रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराना। बूढ़े दीन हीनों को अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना। आवश्यक सामग्रियों का मूल्य नियंत्रण करना तथा जमाखोरी व कालाबाजारी रोकना। पेट्रोल और डीजल में मिलावट रोकना। रसोई गैस ;एलपीजी) का सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करना। उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण एवं उनका कल्याण उगाही कर किसानों को अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना। उपभोक्ताओं को रियायती कीमत पर किरासन तेल उपलब्ध कराना	सुनिश्चित करना कि सभी गोदाम, निर्माण भूकंपरोधी और बाढ़ की पानी ;ऊंचे प्लेटफार्म पर बने हों) और, आग से सुरक्षित हो। सुनिश्चित करना कि सभी पुराने गोदाम और मकानों को संरचनात्मक तरीके से ; राष्ट्रीय भवन कोड/कानून का पालन करते हुए)नया रूप देकर आपदारोधी बनाया जाय। सुनिश्चित करना कि पेट्रोल, डीजल, किरासन, एलपीजी वितरण केंद्र किसी तरह के संभावित आपदा से सुरक्षित हों तथा वहां मानव निर्मित या संयोगवश आने वाली आपदा की रोकथाम के पर्याप्त उपाय मौजूद हों। किसी नये निर्माण या रखरखाव के काम के जोखिम का आकलन करना। विभाग के विकास कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभाव के जाखिम को कम करने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय बढ़ाना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ सुनिश्चित करना कि खाद्य आपूर्ति किसी तरह के मिलावट तथा जहरीली या हानिकारक चीजें से मुक्त है।

✓ सुनिश्चित करना कि एक्सपायर्ड गैस सिलिंडर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

✓ सुनिश्चित करना कि भंडारण, ट्रांसपोटेशन, और वितरण के लिए सुरक्षा के सही उपाय कर लिये गए हैं।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।

✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।

✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।

✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज–सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में, का नियम–कानून बनाना।

- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभवित आपात स्थितियों की पहचान करना तथा आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ आपदा प्रवण इलाके में पर्याप्त खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ✓ पर्याप्त खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामानों को रखने के लिए हर प्रखंड में कम से कम एक बड़ा गोदाम सुनिश्चित करना।
- ✓ हर पंचायत की जनवितरण प्रणाली की दुकानों में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना। साथ ही यह भी देखना कि आपात स्थिति के समय इसका इस्तेमाल हो सके।
- ✓ आपदा के समय में खाद्यान्न की ढुलाई के लिए पर्याप्त वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना। यह व्यवस्था अग्रिम तौर पर की जा सकती है।
- ✓ खाद्यान्नों की आपात ढुलाई एवं वितरण की कार्ययोजना तैयार करना।
- ✓ बाढ़ या अन्य आपदा के समय गोदामों में रखे गए खाद्य सामग्रियों की पर्याप्त सुरक्षा ;जरूरत पड़े तो दूसरी जगह ले जाने) के लिए कार्ययोजना तैयार करना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गए निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग के बारे में:

स्वास्थ्य विभाग ''राज्य के हर परिवार तथा हर व्यक्ति'' को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। विभाग न सिर्फ राज्य के दूरदराज के हर नागरिकों के घर तक गुणवत्ता पूर्ण इलाज की सुविधा पहुंचाकर, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनालॉजीकल प्रगति के साथ कदमताल बैठाते हुए उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर, राज्य की जनता को स्वस्थ बनाने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

संगठन: संरचना एवं क्षमता

- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सीएमओ ;क्षेत्रीय जिला मुख्यालय)
- उप मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक –सीएमएस ; पुरूष हॉस्पीटल)
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक –सीएमएस ; महिला हॉस्पीटल)
- परियोजना पदाधिकारी
- चिकित्सा पदाधिकारी
- सीएचसी प्रभारी
- पीएचसी प्रभारी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी मिलने पर हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को हर अपेक्षित इलाज के लिए उच्चस्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।

✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को हमेशा मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।

✓ सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण संपर्क नंबर, सवारी, फर्स्ट एड बॉक्स, आवश्यक दवाओं की किट्स, प्रसव किट्स और चिकित्सकीय साज–सामान, स्ट्रेचर आदि पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहें।

✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी एक व्यक्ति को नोडल पर्सन बहाल करना।

✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना के प्रसार में मदद करना।

✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी व्यक्ति को नोडल पर्सन बहाल करना।

✓ सुनिश्चित करना कि पांच साल के कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली महिलाओं, बीमार समेत सभी परिवार को पूर्व चेतावनी की सूचना मिल गई है और उनसबों ने उसे समझ लिया है।

✓ स्थानीय लोगों को फेमली हेल्थ किट्स के साथ तैयार रहने का निर्देश देना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयास शुरू करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।

✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।

✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास शुरू हो

जाते हैं तो इसकी सूचना सभी कर्मचारियों, गोदामों, जनवितरण प्रणाली की दुकानों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक पहुंचाना।

- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर, जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, गांव के स्तर की आहार एवं पोशाहार कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, एवं संलग्न प्रारूप के अनुसार तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का आकलन करना तथा इसे इओसी एवं दूसरे प्रमुख स्टेकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी, एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह– मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किये जाने वाले कामों की योजना बनाना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ कार्यालय के साज–सामन, दस्तावेज और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, खोज एवं बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में कुशल एवं मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।
- ✓ प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति की मॉनीटरिंग के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा स्थानीय स्तर की स्वास्थ्य कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना तथा इन कामों में चलाने एवं उसकी मॉनीटरिंग तथा बीमारी से मुक्ति दिलाने के उपायों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर खोज एवं बचाव, तथा राहत कार्यक्रमों को मदद करना।
- ✓ आपात स्थिति में प्रभावित इलाके के लोगों की इलाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाना , टीका अभियान चलाना आदि।

- ✓ लोगों को टी.बी. डायरिया, मलेरिया और बुखार आदि जैसे छुआछूत बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के बारे में शिक्षित और सचेत करना। लोगों को बताना कि ऐसी बीमारियों को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
- ✓ रोग विशेष के रोकथाम के उपायों को लागू करना।
- ✓ रोग के उपचार एवं निदान के संबंध में पूर्व चेतावनी का ;म्ॅ।त्छद्ध तंत्र बनाना।
- ✓ रोग के फैलने के कारणों की जांच एवं रोकथाम की योजना को लागू करना।
- ✓ रोग के संभावित प्रकोप का पता लगाने एवं रिपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करना।
- ✓ गर्भवास्था एवं शिशुजन्म मार्गदर्शिका के अनुसार सभी नवजात शिशुओं को आवश्यक नवजात देखभाल उपलब्ध कराना।
- ✓ संबंधित क्षेत्रों एवं कमेटयों के साथ समन्वय स्थापित कर यौनहिंसा के जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरोधात्मक, असरकारी एवं निदान वाले उपायों को लागू करना।
- ✓ एमआइएसपी का ;डैप्ैद्ध कार्यान्वयन, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग एवं कानूनी सहायता समेत यौन हिंसा के क्लीनिकल प्रबंधन की सेवाएं,गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 7–9 महीने में प्रसव किट्स, गर्भनिरोधक तरीके आदि उपलब्ध कराना।
- ✓ अति बदहाल लोगों को मनोवैज्ञानिक प्रथम उपचार उपलब्ध कराना।
- ✓ बदलते हालातों पर निगरानी रखना तथा ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, पंचायत और प्रखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार और संबंधित इएसएफ टीम को अद्यःतन जानकारी देते रहना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य

- ✓ इस बात की जांच करना कि क्या जीवन रक्षक सभी उपाय ठीकठाक हैं और आपदा की तात्कालिक स्थिति के कारण स्वास्थ्य और जीवन को कोई खतरा नहीं है। इओसी और इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य का देखभाल एवं बीमारियों का उपचार एवं निदान का काम स्थानीय लोगों के हवाले हैं तथा मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना तथा किये गए कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए दवा, टीका, साज–सामान, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल कर लिया जाएगा।
- ✓ स्थानीय लोगों के बीच स्वास्थ्य एवं पोषाहार सेवाएं तुरंत बहाल करने के लिए कदम उठाना।
- ✓ मुआवजा एवं सहायता राशि के तुरंत वितरण में सरकार को मदद करना, सभी प्रभावित लोगों को सही मुआवजा मिल जाए, इसकी मॉनीटरिंग करना और अगर कोई शिकायत हो, तो उसे निपटाना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ नए विकास कार्यक्रम को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने के लिए डीआरआर की योजनाओं को शामिल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- विभाग की मुख्य गतिविधियों को आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य:

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
लोगों , खासकर देहाती इलाके में रहने वालों, गरीब, महिलाओं और बच्चों, को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना।	जन स्वास्थ्य प्रबंधन की कार्यकुशल और प्रतिरोधक व्यवस्था सुनिश्चित करना। सुनिश्चत करना कि सभी निर्माण एवं आधारभूत संरचनाएं आपदारोधी हों।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, स्थानीय कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ जिला स्वास्थ्य योजना के जरिये सफाई एवं स्वास्थ्य विज्ञान,पोषण, और सुरक्षित पेयजल जैसे निधार्रको से स्वास्थ्य सेवा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- ✓ पेयजल, सफाई एवं स्वास्थ्य विज्ञान,और पोषण, समेत अंतर्विभागीय जिला स्वास्थ्य योजना तैयार एवं लागू करना।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात सिितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।

✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।

✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।

✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।

✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।

✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उददेश्य:

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्य:

✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।

✓ बाढ़ जैसी मौसमी आपदा के पहले सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि का टीकाकरण सुनिश्चित करना।

✓ सुनिश्चित करना कि जीवन रक्षक टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उन्हें सुरक्षित रखा गया है।

✓ बाढ़ के पहले दवा, टीका, आवश्यक साज–सामान को जमा कर उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना सुनिश्चित करना।

✓ सुनिश्चित करना के आपात स्थिति के दौरान कोई डाक्टर, नर्स, स्टाफ छुट्टी पर नहीं जायें।

- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, साज–सामान की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

उद्योग विभाग

उद्योग विभाग के बारे में

उद्योग विभाग जिले में उद्योग की योजना बनाने, बढ़ावा देने और विकसित करने की नोडल एजेंसी है। विभाग के महत्वपूर्ण कामों में शामिल है– ओद्यागिक नीति बनाना ; उद्योग; उद्योग से संबंधित शोध एवं समन्वय ; सभी तरह के औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से संपर्क;ओद्योगिक परिसर;औद्योगिक क्षेत्र और जिला उद्योग केंद्र; कच्चे माल का प्रबंधन, आपूर्ति और वितरण;लौह एवं इस्पात;राज्य के बाहर ओद्योगिक संपर्क अधिकारी; राज्य के अंदर और बाहर औद्योगिक बिक्री केंद्र आदि।

संगठनः संरचना एवं क्षमता

- जिला उद्योग पदाधिकारी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी मिलने पर हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ स्थिति को मॉनीटर करना तथा पूर्व चेतावनी के संबंध में स्थानीय व्यवस्था , टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला/राज्य के अधिकारियों जैसे विभिन्न स्रोतों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना के प्रसार में मदद करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सभी उद्योगों, विकास परियोजनाओं आदि को पूर्व चेतावनी की सूचना मिल गई है और उनसबों ने उसे समझ लिया है।
- ✓ आपात स्थिति में औद्योगिक ठिकानों के बचाव एवं सुरक्षा से संबंधित चौकसी के बारे में जानकारी प्रचारित करना।
- ✓ अगर जगह खाली करने की जरूरत हो तो उसके लिए तथा सभी औद्योगिक ठिकानों पर सभी कामगारों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करना।
- ✓ खतरनाक केमिकल, कच्चे माल आदि की सुरक्षा के तमाम उपायों को सुनिश्चित करना।
- ✓ औद्योगिक/केमिकल हादसे की स्थिति में कम से कम समय के अंदर सभी लोगों के बीच स्व–रक्षा से जुड़ी चेतावनी का प्रचार सुनिश्चित करना।
- ✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं मिलती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आ जाना और भूकंप से निपटने के आकस्मिक उपायों को भी अपनाना।
- ✓ अतिरिक्त सहायता की जरूरत वाले दीन हीन लोगों की सूची बनाना और सूची को अद्यःतन करना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों को किसी भी जरूरत से पूरी तरह निपटने की पूरी तैयारी करने का निर्देश देना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि जरूरत के समय संपर्क नंबर, सवारी, मजदूर, पोलदार आदि उपलब्ध रहें।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी एक व्यक्ति को नोडल पर्सन बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयास शुरू करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास शुरू हो

जाता है तो इसकी सूचना सभी कर्मचारियों, संस्थानों, आइसीडीएस सेंटरों, शरणार्थी शिविरों आदि तक पहुंचाना।

- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर, जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की सामाजिक सुरक्षा कमेटी, तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संस्थानों, आइसीडीएस, शरणस्थलों, विशेष स्कूलों पर पड़ने वाले प्रभाव, एवं संलग्न प्रारूप के अनुसार तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का आकलन करना तथा इसे इओसी एवं दूसरे प्रमुख स्टेकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी, एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह– मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ अगर डीडीएमए कई चीजों का आकलन कर रहा हो तो, सुनिश्चित करना कि इस आकलन में औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, केमिलक, गोदम आदि भी शामिल रहे और इन पर ध्यान दिया जाय।
- ✓ प्रभावित इलाके में उद्योग एवं केमिकल्स से तुड़े सुरक्षा मुद्‌दों पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार और ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना तथा इन कामों को चलाने एवं उसकी मॉनीटरिंग में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ✓ कर्मचारियों, श्रमिकों, औद्योगिक संयंत्रों, गोदामों आदि की सुरक्षा के लिए आपात योजना शुरू करना।
- ✓ बचाव एवं पुनर्वास के सभी तरह के कामों में सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों को मदद करना तथा सामान्य स्थिति बहाल होने तक इसे बहाल रखना।
- ✓ ओद्योगिक भवनों गोदामों आदि को हुई क्षति का आकलन करने के बाद उनकी मरम्मती एवं नया रूप देने के लिए कोष की उपनब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ आवश्यक मदद के विभिन्न कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर खोज, बचावएवं राहत के कामों में मदद करना।

- ✓ बदलते हालातों पर नजर रखना,ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, पंचायत और प्रखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार तथा संबद्ध इएसफ टीम को अद्यतन जानकारी देते रहना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य

- ✓ जांच करना कि औद्योगिक ठिकानोंकी सुरक्षा के सभी तात्कालिक उपाय ठीकठाक तरीके से कर लिये गए हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि औद्योगिक सुरक्षा के उपायो एवं कामों का जिम्मा स्थानीय लोगों के हवाले हैं तथा मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों, सामाजिक सुरक्षा कमेटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना तथा किये गए कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी एवं दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह–मशविरा कर आपात कार्रवाइयों को बंद करना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई की योजना शुरू करना तथा आपात स्थिति में लगाये गये विभाग के संसाधनों ;सामान एवं वित्त) को तुरंत वापस हासिल करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल कर लिया जाएगा।

- ✓ सुनिश्चित करना कि क्षति का आकलन कर लिया गया है और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने के लिए लिखा गया है।
- ✓ प्रभावित लोगों के लिए सरकारी लाभ, या अनुदान/मुआवजा सुनिश्चित करना।
- ✓ आर्थिक, सामाजिक एवं चिकित्सकीय पुनर्वास के लिए उपयुक्त प्रक्रिया बनाना।
- ✓ औद्योगिक संरचनाओं का पुनर्निर्माण और पुनःबहाली जल्द से जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- ✓ हादसे के पीड़ितों ; केमिकल/औद्योगिक हादसे की स्थिति में)के लिए पर्यावरण राहत कोष से मदद सुनिश्चित करना।
- ✓ केमिकल/औद्योगिक हादसे के कारण मानसिक सदमा झेल रहे लोगों के लिए मनोवैज्ञानिकों और मनोरोग चिकित्सकों की सलाह सुनिश्चित करना।
- ✓ अनुपालन का अंकेक्षण, कामकाज का जायजा, सुधारात्मक उपायों की बहाली ;हर हादसे ; केमिकल या औद्योगिक हादसे या औद्योगिक संरचनाओं की क्षति के मामले में) की जांच, रिपोर्टिंग और फालो–अप कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ औद्योगिक आपदा प्रबंधन के सबक को साझा करना तथा भविष्य में सुधार के लिए डाक्यूमेंटशन, सबक, फॉलो अप एवं शोध कार्यक्रमों का इस्तेमाल करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास के नये कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों ; डीआरआर) को शामिल करना तथा भविष्य में जोखिम करने के लिए इन कार्यक्रमों का इस्तेमाल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- विभाग की मुख्य गतिविधियों को आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
अधिक से अधिक घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिएअंतरराष्ट्रीय स्तर का बुनियादी संरचना विकसित करना।	सुनिश्चित करना कि नये परियोजनाओं, उद्योगों की स्थापना सिर्फ आपदा जोखिम का आकलन कर लेने के बाद ही होगी और इन जोखिमों को कम करने के उपाय कर लिये गये हैं।
उद्योगों की स्थापना एवं दूसरे विकासपरियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराना।	सुनिश्चित करना कि नयी परियोजनायें और उद्योग आपदारोधी हैं और किसी तरह के दुर्घटनात्मक या मानव सृजित हरकतों से मुक्त हैं।
लघु, माइक्रो, ग्रामीण यूनिटों, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, रेशम उत्पादन के विकास के लिए उनके उत्पादों की बिक्री का अवसर तैयार करना।	सुनिश्चित करना कि नयी परियोजनाओं एवं उद्योग के लिए भूमि की व्यवस्था स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के बाद ही की गयी है।
औद्योगिक रुग्णता पर रोक लगाने के लिए रुग्णता के कारणों की पहचान समय पर करनाऔर उपयुक्त कदम उठाना। इस तरह की रुग्णता राकने के लिए जिला स्तर की मॉनीटरिंग व्यवस्था को यथासंभव विकसित और मजबूत करने की जरूरत है।	
प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करना,सड़क, पानी और अबाधित बिजली आपूर्ति जैसे आधारभूत संरचनाओं के साथ प्रोजेक्ट की उपलब्धता।	
सभी तरह के आवंटन, अनुदान तथा उद्यमियों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाना तथा यथासंभव ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान करना।	
इंडस्ट्रीयल एरिया/इस्टेट में कचड़ा शोधन ;ट्रिंटमेंट) का प्रावधान।	
ग्रामीण एवं शहरी इलाके में नये मध्यम एवं बड़े उद्योग लगाने के लिए बियाडा द्वारा इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना।	

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

- ✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।
- ✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।
- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपदा के दौरान उद्योगों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों से विभाग के कर्मचारी, अधिकारी अवगत हैं तथा अपने स्तर से वे इन प्रभावों से बचने का उपाय कर रहे हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि विभाग के कर्मचारी, अधिकारी संयोगवश घटित या मानव सृजित हादसे के संभावित जोखिमों से अवगत हैं तथा अपने स्तर से वे इन प्रभावों से बचने का उपाय कर रहे हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि किसी उद्योग में काम कर रहे कर्मचरियों के पास वास्तविक काम शुरू करने के पहले काम का प्रशिक्षण करने के लिए पर्याप्त वक्त रहे और वे किसी आपात स्थिति में सुरक्षा और सतर्कता के उपायों से अवगत हो जायें।
- ✓ नये उद्योगों की स्थापना इस तरीके से की जाय कि केमिकल आधारित यूनिटों का समूह इकट्ठे एक ही भौगोलिक इलाके में लगे।
- ✓ प्रबंधकीय कामों की सुरक्षा नियमावली स्वस्थ अभियांत्रिकी परंपराओं के अनुसार डिजाइन में सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित हो ; निर्माण, कार्यान्वयन, और सम्पोषण सही तरीके से हो तथा एकरूपता के लिए इसकी आवधिक समीक्षा की जाए।
- ✓ सुनिश्चित करना कि संयोगवश हादसे की शिकार होने वाले सारे प्रतिष्ठान मौके पर केमिकल हादसे के पीड़ितों को राहत देने के लिए ; लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991) थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी लिये हुए हों ।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि संयोगवश हादसे की शिकार होने वाले सारे प्रतिष्ठान मौके पर केमिकल

हादसे के पीड़ितों को राहत देने के लिए ; लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991) थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी कराये लिये हुए हों ।

✓ उद्योगों में स्वनियमन लागू करने के लिए परिवहन, भंडारण और पहचान किये गये और कामों के लिए गाइडलाइन बनाना।

✓ औद्योगिक / केमिकल हादसे की स्थिति के लिए घटना नियंत्रण एवं तकनीकी समन्वय व्यवस्था की पहचान करना, उपलब्ध कराना, जांच करना और जिला आपदा प्रबंधन में समाहित करना।

✓ महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों के लिए प्रभावी और सरल संचार नेटवर्क समर्पित अबाधित तौर पर सुनिश्चित करना।

✓ सुनिश्चित करना कि भारतीय उद्योग संघ ; सीआइआइ),एसोचेम, फिक्की, आइसीसी, एएमएआइ जैसे भारतीय उद्योग एवं महासंघ शोध एवं विकास ; त्—क) का काम करें तथा उद्योगों में सुरक्षा के उपायों को आगे बढ़ाते बढ़ाने के लिए जानकारी देते रहें।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

✓ विभाग के कर्मचारी और दूसरे स्टेकहोल्डर आपदा जोखिम कम करने और आपात उपायों को बढ़ाने तथा वांछित परिणाम हासिल करने संबंधी अपने उत्तरदायित्व एवं भूमिका को बेहतर तरीके से निभा सकें, इसके लिए उनकी क्षमता पर्याप्त रूप से बढ़ाना।

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभाग के अधीन कामकाम करनेवाले सभी एजेंसियों में आपात उपायों की योजना बनाने का कामसुनिश्चित करना।

✓ स्थानीय स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन के काम में प्रशिक्षित करना तथा आपात स्थिति के दौरान विभाग के कामकाजों में सहयोग के लिए उन्हें तैयार करना। उन्हें आपात सामग्री एवं साज सामान उपलब्ध कराना।

- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि विभाग, और उद्योग , विकास परियोजनाओं में लगे सभी कर्मचारी/लोग केमिकल एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय गाइडलाइन से अवगत हों तथा सतर्कता बरतने एवं आपात समय में उनका इस्तेमाल करने में सक्षम हों।
- ✓ सभी स्टेकहोल्डरों को केमिकल एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन से अवगत कराने के लिए सेमिनार एवं प्रदर्शनी के रूप में शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करना।
- ✓ केमिकल एवं औद्योगिक आपदा की स्थिति में सुरक्षा एवं सतर्कता उपायों के प्रति और अधिक जागरूक बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करना।
- ✓ केमिकल एवं औद्योगिक आपदा की स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है ; उद्याोग एवं विभाग से स्वरक्षा की चेतावनी मिलने के बाद क्या करना है) , इसके बारे में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण व जानकारी देना।
- ✓ केमिकल एवं औद्योगिक आपदा की स्थिति में कुछ बुनियादी प्रशिक्षण देने के बाद नागरिक सुरक्षा एवं होगार्डों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ सतर्कता के किसी खास निर्देश, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, राज्य, राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।
- ✓ छलकाव के वाष्पीकरण या कॉम्प्रेसड गैस को लीक होने से को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोम या किसी और निरोधक उपलब्ध कराना।
- ✓ विभिन्न जगहों पर पर्याप्त संख्या में अग्निशामकों ;दमकल) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ घटनास्थल से पीड़ितों को ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंसों के साथ सुसज्जित इमरजेंसी मेडिकल रूम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ आपात सतर्कता के कार्यक्रमों में स्थानीय कल्याण संघों एवं पंचायती राज की संस्थाओं को शामिल करना।
- ✓ जहरीले गैस से बचाने एवं पुनर्जीवन देने वाले दवाओं का किट्स तैयार रखना।
- ✓ सर्वाधिक बदहाल समूहों और लोगों की सूची अद्यःतन करना।

- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

श्रम संसाधन विभाग

श्रम संसाधन विभाग के बारे में:

बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग की स्थापना दोनों क्षेत्रों ,यानीसंगठित एवं असंगठित, के मजदूरों के हितों की रक्षा तथा इससे संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए की गई थी।

संगठन: संरचना एवं क्षमता

- उप सचिव
- प्रशाखा पदाधिकारी
- सहायक

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्य:

✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।

✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।

✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा

प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।

- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, समाज के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ बाढ़, केमिकल एवं औद्योगिक आपदा के दौरान श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए डीडीएमए, संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा खोज एवं बचाच कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ संसाधनों का भंडारण सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर करना ताकि भंडार का इस्तेमाल आसानी से किया जा सके।
- ✓ श्रमिकों को हुई क्षति का आकलन करना तथा उनकी मांगे पूरी करना।
- ✓ महिला, बच्चे जैसे अतिदयनीय लोगों को किसी तरह के शोषण एवं यौन प्रताड़ना से बचाना।
- ✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में दक्ष एवं मॉनिटिरिंग बल ;श्रमिक संघ) की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ प्रभावित श्रमिकों के लिए आपदारोधी आजीविका का विकल्प खोजना।
- ✓ प्रभावित इलाके से श्रमिकों को बाहर निकालकर आपदारोधी शरणस्थल उपलब्ध कराना।
- ✓ श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी और आराम करने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करना।
- ✓ कर्मचारी राज्य बीमा निगम ; ईएसआई)के तहत श्रमिकों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना।
- ✓ प्रभावित इलाके में दक्ष और मॉनीटरिंग बल की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा श्रम संसाधन विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।
- ✓ असहाय एवं कमजोर समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा देखना कि ये लोग अपने परिवार के लोगों के साथ हो जाएं।

- ✓ कानून–व्यवस्था की बहाली सुनिश्चित करना तथा देखना कि श्रमिको को हर तरह के शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों , डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ डीआरआर को विकास के नये कार्यक्रमों से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने के लिए इन कार्यक्रमों में डीआरआर के उपायों को शामिल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपायः

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सामाजिक सुरक्षा के उपाय बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी या प्रवासी मजदूरी जैसे श्रम शोषण के मामले में दखल देना आई.टी.आई के जरिये प्रशिक्षित कर कुशल श्रमबल तैयार करना डाटाबेस तैयार करना श्रम नियोजनालयों के जरिये बेरोजगारों को रोजगार दिलाना कर्मचारी राज्य बीमा निगम ;ईएसआई) में बीमा कराये श्रमिकों को इलाज की सुविधा दिलाना	खतरनाक केमिकल्स और इस्तेमालों के उपयोग तथा खतरनाक केमिकल के जोखमों को कम करने के लिए कार्यस्थल के मानकों संबंधी कानूनों को लागू कराना। विधवाओं, अनाथों, बूढ़ों जैसे असहाय समूह के लोगों को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध करानां। असहाय समूह के लोगों को आपदारोधी सुविधाएं उपलब्ध करानां। कार्यस्थलों पर अति असहाय समूह के लोगों की पहचान करना तथा उन्हें शोषण से बचाने के उपाय खोजना। अग्नि सुरक्षा, फर्स्ट एड, तथा रोकथाम के दूसरे उपायों के बारे में श्रमिकों को प्रशिक्षित करना तथा जागरूक करना। लोगों की आजीविका का आपदारोधी विकल्प खोजना तथा उसे बढ़ावा देना। आपात स्थिति के कारण होने वाले बीमारियों का इलाज राज्य कर्मचारी बीम निगम के तहत कराना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ आधुनिक एवं आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने का प्रशिक्षण देना।

✓ कार्यस्थलों पर सर्वाधिक असहाय लोगों के समूह का पता लगाना और उन्हें किसी तरह के शोषण से बचाना।

✓ आपात समय में बच्चों के शोषण को कम करने के लिए बाल श्रम उन्मूलन कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

✓ कार्यस्थलों की जोखिम एवं असहाय स्थिति का विश्लेषण करना तथा आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन करना ताकि किसी भी आपात स्थिति के तुरंत बाद आवश्ये पुनर्निर्माण का काम शुरू हो सके।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ कारखानों, उद्योगों द्वारा अग्निशमन तथा सुरक्षा के दूसरे उपायों का पालनसुनिश्चित करना।
- ✓ कार्यस्थल पर सुरक्षित तरह से बाहर निकलने या शरणस्थल की व्यवस्थासुनिश्चित करना ताकि आपात स्थिति में श्रमिक वहां शरण ले सकें।
- ✓ जरूरत की नौबत आने पर श्रमिकों की मदद के लिए संसाधनों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना।
- ✓ शोषण और प्रताड़ना को अभिशप्त असहाय लोगों के समूह की पहचान करना तथा उनकी सुरक्षा के लिए कार्ययोजना बनाना।
- ✓ कार्यस्थलों की बदहाली और जोखिमों का पता करना तथा उसके अनुसार रोकथाम का उपाय सुझाना।
- ✓ श्रमिकों की मांगें पूरी करने की व्यवस्था करना।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत करने के लिए मरम्मती के सामानों को जमा कर सुरक्षित स्थानों पर रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग के बारे में

पंचायती राज विभाग राज्य में निवार्चित निकायों के माध्यम से गांव, प्रखंड, और जिला स्तर पर त्रि–स्तरीय व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम देखता है। यह लोगों की व्यापक भागीदारी और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था है।

संगठनः संगठन एवं क्षमता

- जिला पंचायती राज पदाधिकारी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।

✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।

- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, समाज के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

✓ बाढ़ के दौरान विभाग के साज–सामान, लोगों, संसाधन सामग्री आदि को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी और खोज व बचाव के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ जिला पंचायती राज पदाधिकारी विभाग के नोडल पदाधिकारियों के पास उपलब्ध पंचायत प्रतिनिधियों का संपर्क नंबर निश्चित तौर पर हासिल करेंगे।

✓ जिला पंचायती राज पदाधिकारी पंचायत में उपलब्ध जनसांख्यिकी डाटा से जवाबदेह अधिकारियों या घटना कमांडर को निश्चित तौर पर अवगत करायेंगे।

✓ विस्थापितों या आजीविका का साधन गवां चुके लोगों के लिए रोजगार का अवसर सृजित करना।

✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।

✓ प्रभावित इलाके में दक्ष और मॉनीटरिंग बल की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करना।

✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा पंचायती राज विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

✓ ग्रामीण संरचनाओं की देखरेख का काम स्थानीय स्तर की कमेटियों के हाथों सुनिश्चित करना तथा देखना कि मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।

✓ स्थानीय लोगों , डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुन:प्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

उद्देश्य:

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्य:

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ डीआरआर को विकास से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिशिचित करना

मुख्य कार्यः

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
स्वशासन की ईकाई के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, इन संस्थाओं को विकास योजनाएं बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में सक्षम बनाना, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना, राजगार के अवसर पैदा करना तथा न्याय दिलाना। किसी नये निर्माण या रखरखाव के काम के कारण उत्पन्न होने वाले आपदा जाखिम का आकलन करना।	सभी निर्माण को भूकंपरोधी सुनिश्चित करना। हर मौसम में काम करने लायक सड़के। मकान बनाने में भूकंप एवं बाढ़रोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल जहां पंचायत के कल्याण के लिए जमीन अधिृहीत कीगई हों, वहां बंदोबस्ती नीति की रूपरेखा तैयार करने के पहले पंचायती राज विभाग निश्चित तौर डीआरआर के सभी उपायों को अपनायेगा। किसी नये निर्माण या रखरखाव के काम के कारण उत्पन्न होने वाले आपदा जाखिम का आकलन करना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

- ✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।
- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों को डीआरआर की जानकारियों का प्रशिक्षण देना।
- ✓ बिहार पंचायत सुदृढीकिकरण परियोजना, पंचायत सरकार भवन, ग्राम पंचायत क्षमता सृजन,संस्थागत सुदृढीकिकरण तथा पंचायतों की क्षमता के सुदृढीकिकरण एवं विकास जैसे विकास परियोजनाओं एवं योजनाओं में पंचायती राज विभाग निश्चित तौर पर डीआरआर का शामिल किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- ✓ विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता सृजन के अलावा पंचायती राज विभाग पंचायतों को डीआरआर के मामले में भी सुदृढ करेगा।
- ✓ पंचायती राज विभाग निवार्चित प्रतिनिधियों के लिए डीआरआर समेत दूसरे संबंद्ध विषयों का प्रशिक्षण आयोजित करेगा ताकि खेती के नये तरीकों या विभिन्न विभागों द्वारा लागू की किसी अन्य तकनालॉजी को अपनाना आसान हो जाए।
- ✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया सके।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्य:

✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।

✓ जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास पंचायत का जनसांख्यिकी डाटा, संसाधनों और भौगोलिक विवरण विस्तार में है।

✓ पंचायती राज विभाग सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के निवार्चित प्रतिनिधियों को उनका निजी कोष तथा अन्य सरकारी कोष नियमित और समय पर मिले।

✓ जिला पंचायती राज पदाधिकारी पंचायतों को तकनीकी मार्गदर्शन या कोई और कार्यक्रम आयोजित करने में मदद करेंगे।

✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।

✓ जीवन, सामान, संयंत्रा की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरक करना

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वियन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा / पीएचइडी विभाग

पीएचइडी विभाग के बारे में

लोक सरथ्य अभियंत्रणा ;पीएचइडी) विभाग का उद्‌धेश्य जिले में स्वास्थ्य एवं सफाई की वयवस्था में सुधार लाना है। विभाग सुरक्षित पेयजल, कचड़ा प्रबंधन, सफाई का प्रबंध आदि काम करने के क्रम में कुछ खास अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं को अपनाता है।

संगठनः संरचना एवं क्षमता

- जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंता
- अनुमंडल स्तर पर अवर प्रमंडल अभियंता ; एसडीओ / एससीई)
- कनीय अभियंता

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।

✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।

- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था / इओसी के साथ समन्वय, समाज के स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ पानी, सफाई, स्वास्थ्य विज्ञान; हाइजिन) , कचड़ा प्रबंधन की तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के विश्लेषण के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा पानी एवं सफाई समिति के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ पानी की जरूरत के अनुसार चापाकल, नलकूप, कुंआ जैसे पानी के उपयुक्त स्रोतों की पहचान करना तथा पता करना कि कितने समय के लिए भरोसा किया जा सकता है।
- ✓ प्रति व्यक्ति कम से कम 15 लीटर और प्रति परिवार 10–20 लीटरी पानी की न्यूनतम जरूरत पूरा करने के लिए तंत्र खड़ा करना।
- ✓ परिवारों को सुरक्षित तरीके से पानी रखने का बर्तन उपलब्ध कराना।
- ✓ आपदा प्रभावित इलाके में चापाकलों एवं पेयजल के दूसरे स्रोतों की मरम्मती के लिए टेकनिकल टीम ; मिस्त्री) भेजना।
- ✓ अगर प्रभावित इलाके में जलापूर्ति व्यवस्था ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी हो, तो वहां टैंकरों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना।
- ✓ आपदा प्रभावित इलाकों में पानी के स्रोतों की सफाई कराना एवं असंक्रामक बनाना।
- ✓ अस्पतालों एवं दूसरे लाइफ लाइन भवनों एवं स्थानों में सुरक्षत जल की आपूर्ति करना।
- ✓ राहत शिविरों, शरणस्थलों में पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंगपाउडर की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा प्रभावित इलाकों में सभी चापाकलों एवं पेयजल की दूसरी व्यवस्था को तुरंत ठीक करना।
- ✓ रोगवाहकों पर नियंत्रण के लिए केमिकल छिड़काव, रोगवाहकों की सफाई एवं उन्हें मारने, मक्खी भगाने जैसे उपाय करना।
- ✓ टेटनस, हेपटाइटिस बी और दूसरे रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाना।
- ✓ कचड़ा जमा करने एवं उसके निपटान का तंत्र बनाना।
- ✓ आदमी के लाश एवं मरे हुए जानवरों के लोथड़े के सम्मानजनक निपटान की व्यवस्था करना।
- ✓ प्रभावित इलाके में दक्ष और मॉनीटरिंग बल की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य:

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से कर लिये गये हैं और पशु एवं मत्स्य पालन विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

✓ पानी एवं सफाई संरचनाओं का काम स्थानीय स्तर की कमेटियों के हाथों सुनिश्चित करना तथा देखना कि मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।

✓ स्थानीय लोगों, स्वस्थ्य समिति, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।

✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।

✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।

✓ क्षति क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्य:

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्य:

✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।

✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।

✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान, ब्लीचिंग पाउडर, दूसरे के मिकल्स तथा पीएचइडी विभाग के संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।

✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास

कार्यों में मदद करना।

- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ डीआरआर को विकास से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य:

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
पेयजल की आपूर्ति काम नहीं कर रहे और क्षतिग्रस्त जलस्रोतों की मरम्मति ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिन और हेलोजिन टैबलेट की आपूर्ति सफाई सुविधा कचड़ा निपटान कार्यक्रम तैयार करना तथा लागू करना	सुनिश्चित करना कि सभी जल संरचनाएं आपदारोधी हो। पीएचइडी विस्तार केंद्र निश्चित तौर पर बाढ़ और भूकंपरोधी होने चाहिए। पाइपलाइन बिछाने, या कुंआ खोदने , चापाकल लगाने या नल वाले पानी की वयवस्था करने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान करना। बाढ़, भूकंपरोधी शौचालयों एवं जलनिकासी प्रणाली

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
शौचालय बनाना तथा चापाकल लगाना एवं पानी के अन्य स्रोतों की व्यवस्था करना।	कचड़ा प्रबंधन के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान कटाव रोकने का उपाय । किसी नये निर्माण से पैदा होने वाले जोखिमों का आकलन । तालाब एवं नदियों के तटबंध की सुरक्षा । चापाकल ऊंची जगहों पर लगाया जाना चाहिएं। शौचालय ऊंची जमीन या चबूतरे पर बनाया जाना चाहिए।

1.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ आपदा की संभावना वाले इलाकों के राहत शिविरों / शरणस्थलों में सुरक्षित पेयजल, हेलोजेन टैबलेट, और ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति करने के लिए तंत्र बनाना।

✓ विभाग में आकस्मिक निधि की स्थापना करना।

✓ विभाग को निश्चित तौर पर समस्यारहित सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके।

✓ कचड़ा प्रबंधन के लिए उपयुक्त जगह की पहचान करना तथा इस संबंध में लोगों को जागरूक करना।

- ✓ आपात समय में होने वाली अधिकांश बीमारियां पानी की गंदगी के कारण होती है। ऐसे में सिर्फ सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति तथा इको–फ्रेंडली सफाई की व्यवस्था कर लोगों को भला–चंगा रखा जा सकता है।
- ✓ विभाग को सभी तरह के कचड़ों के प्रबंधन के प्रावधान पर भी ध्यान देना चाहिए।
- ✓ जलशोधन ; वाटर ट्रिटमेंट) के तरीके, क्लोरिन टैबलेट, सुरक्षित पानी जमा करने आदि के बारे में भी पहले से जानकारीदी जानी चाहिए।
- ✓ सफाई का इंतजाम करते वक्त या चापाकल लगाते वक्त पीएचइडी विभाग को महिलाओं एवं विकलांगों की सुविधाओं का भी तकनीकी रूप से ध्यान रखना चाहिए।
- ✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष आवंटित करना ताकि आपात सिेति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जा सके।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ

किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति / पत्नी को नामजद करेंगे / करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन / परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।

- ✓ जिले में आपदा प्रभावित इलाकों की पहचान करना तथा लोगों को स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में चापाकल लगाना तथा खराब पड़े चापाकलों को मरम्मत कराना।
- ✓ कचड़ा प्रबंधन स्थलों की सुरक्षा का उपाय करना।
- ✓ हर क्वार्टर में चापाकल मरम्मत करने के औजारों और ब्लीचिंग पाउडर के स्टॉक की समीक्षा करना तथा विभाग में पहले से ही इनका पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करना।
- ✓ जिले के आपदा प्रभावित इलाके में कम लागत वाले शौचालय के प्रचलन को बढ़ावा देना।
- ✓ राहत शिविरों एवं शरण स्थलों में वितरण एवं इस्तेमाल के लिए पहले से ही चापाकल एवं कम लागत वाले शौचालय मॉडल के पर्याप्त भंडार की व्यवस्था करना।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत करने के लिए पहले से ही मरम्मती के सामानों को जमा कर सुरक्षित स्थानों पर रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

योजना एवं विकास विभाग

योजना एवं विकास विभाग के बारे में :

बिहार सरकार की योजना एवं विकास विभाग की स्थापना राज्य की पंचवर्षीय योजना बनाने, उसकी जांच करने और समंजन करने तथा पंचवर्षीय योजना के साथ समन्वय बनाने के लिए की गई थी।

विभाग का काम योजना के लिए संसाधनों के आवंटन का आकलन करनेएवं योजना परियोजनाओं के विकास का आकलन करने तथा पिछड़े इलाकों के विकास की योजना तैयार करना है।

संगठनः संरचना एवं क्षमता

- उप निदेशक सह योजना पदाधिकारी
- सहायक निदेशक सह सहायक योजना पदाधिकारी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।

✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।

- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह– मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

✓ प्रभावित लोगों एवं मवेशियों को सुरक्षित जगहों में ले जाने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा योजना एवं विकास कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ सामाग्री ससांधनों का भंडारण सुरक्षित एवं सुविधाजनक करना ताकि क्षतिग्रस्त भंडार के लिए आसानी से नयी जगह उपलब्ध करायी जा सके।

✓ प्रभावित लोगों की संख्या का आकलन करना तथा भोजन, शरण तथा दूसरी बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था करना।

✓ क्षतिग्रस्त डैम, जलनिकासी व्यवस्था, के नहरों, सरकारी भवनों आदि का आकलन करना तथा उन्हें फिर से काम लायक बनाने की योजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना।

✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।

✓ प्रभावित इलाकों में कुशल मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

✓ क्षतिग्रस्त संरचनाओं तथा प्रतिष्ठानों के पुनर्निर्माण की योजना विकसित करना।

✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा योजना एवं विकास विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

✓ बीज, भोजन, अनाज, खाद आदि की देखरेख का काम स्थानीय स्तर की कमेटियों के हाथों सुनिश्चित करना तथा देखना कि मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।

✓ स्थानीय लोगों,, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ

सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों (मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन (सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना
- ✓ क्षति के आकलन अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए बीज, भोजन, अनाज, खाद, खेती के सामानों, वित्त आदि साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास को डीआरआर को से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपायः

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
राज्य की पंचवर्षीय योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के साथ समन्वय बनाना। विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना योजना के लिए संसाधनों का आकलन एवं आवंटन क्षेत्रीय विकास एवं जिला योजनाएं सशक्तिकृत कमेटी एवं बाहरी अनुदान वाली परियोजनाएं	राज्य की योजना में सभी स्तरों पर पूर्व चेतावनी की प्रणाली लगाने, आपदारोधी मकान बनाने जैसी जोखिम कम करने के उपायों का प्रावधान करना। जिले की असहाय स्थिति का आकलन करना तथा योजना में जोखिम कर करने के उपायों, जैसे पहले से बने तटबंधों के खतरों का पता लगाना, और इनकी मरम्मती कर नया रूप देने तथा आपदारोधी तटबंध का निर्माण, को योजना में शामिल करने के लिए पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना पर काम कर रही कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना। आवास जैसी विकास परियोजनाओं में आपदारोधी संरचनाओं का निर्माण। सुनिश्चित करना कि विकास कार्यक्रमों के चलते संकट नहीं बढ़े। संकट के प्रति इलाके की असहाय स्थिति का आकलन तथा जोखिम कर करने के उपायों की योजना बनाने के लिए कोष का आवंटन। आपदारोधी भवन, पुल आदि जैसे आपदा जोखिम कम करने के उपायों को क्षेत्रीय विकास एवं जिलायोजनाओं में शामिल करना। डीआरआर पर काम कर रही कमेटियों एवं बाहरी अनुदान वाली परियोजनाओं को मदद करना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

- ✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।
- ✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।
- ✓ पूरी योजना में जोखिम कम करने वाले उपायों को शामिल करना।
- ✓ पहले से चल रही विकास योजनाओं में जोखिम कम करने वाले उपायों को शामिल करना।
- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ सामग्री संसाधनों का भंडारण सुरक्षित जगहों पर करना।
- ✓ जाखिम कम करने के उपायों के प्रति जागरूकता ताकि सभी संबंद्ध विभाग विकास के सभी कामों में जाखिम कम करने के उपायों को शामिल कर सकें।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों को आधुनिक एवं आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने का प्रशिक्षण देना।
- ✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया सके।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने

लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों (मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।

- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन / परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैक–अप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ आपदा प्रवण इलाके में निर्माण सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना । साथ ही रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करना।
- ✓ पंचायत एवं प्रखंड में सुरक्षित भवनों की पहचान करना। सुरक्षित स्थलों की पहचान आपदा (बाढ़, भूकंप) के अनुसार होनी चाहिए।
- ✓ कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि अस्थायी निर्माण कार्य आपदा (बाढ़, तूफान) की पूर्व सूचना मिलने के पहले शुरू हो जाय।
- ✓ जिन भवनों पर बाढ़, भूकंप, जलजमाव का असर पड़ सकता है, वैसे भवनों की पहचान करना तथा भवन को क्षति से बचाने की योजना तैयार करना।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत करने के लिए मरम्मती के सामानों को जमा कर सुरक्षित स्थानों पर रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर

एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

पुलिस विभाग

पुलिस विभाग के बारे में:

बिहार में पुलिस विभाग बिहार सरकार का एक प्रमुख संगठन है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।पुलिस विभाग का काम राज्य में कानून–व्यवस्था बहाल करना है।

संगठनः (संरचना एवं क्षमता

- पुलिस अधीक्षक
- पुलिस उपाधीक्षक
- एसएचओ
- सब–इंस्पेक्टर
- कॉन्सटेबल

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचनापहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।

✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन कानून–व्यवस्था के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।

- ✓ किसी तरह की पूर्व चेतावनी मिलने पर जिला स्तर पर आपात परिचालन केंद्र की स्थापना करना।
- ✓ स्थानीय स्तर पर उपकेंद्र की स्थापना करना तथा कानून–व्यवस्था बहाल करने में स्थानीय लोगों को शामिल करना।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी बहाल करना।
- ✓ अनुमंडल आयुक्त, जिलाधीश, अनुमंडलाधिकारी से नियमित संपर्क रखना और स्थानीय सरकार एवं आपदा प्रबंधन कमेटी को मदद उपलब्ध कराना।
- ✓ आपदा से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए वायरलेस प्रणाली को कार्यशील करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और साझा प्रयास क्रियाशील हो जाता है तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ ईओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

✓ स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर खोज, बचाव एवं सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के काम में शामिल होना।

✓ आपदा प्रभावित इलाके में कानून–व्यवस्था की बहाली, राहत सामग्री, जनता, और क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण भवनों तथा असहाय इलाकों को अतिक्ति पुलिस बल उपलब्ध कराना।

✓ आपात परिवहन सुविधा की व्यवस्था करना तथा घायल लोगों के बचाव एवं लाशों के निपटारे में स्थानीय प्रशासन को मदद करना।

✓ असामाजिक तत्वों पर नजर रखना तथा मुनाफाखोरों, कालाबाजारियों, के खिलाफ ऑरेशन एवं गरीबों के हितों की रक्षा में स्थानीय प्रशासन को मदद करना।

✓ असहाय समूहों को शोषण एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचाने के काम का नियमित मॉनीटरिंग करना।

✓ परिवारों को मिलाने की वयवस्था सुनिश्चित करना।

✓ राहत सामग्री के वितरण के दौरान कानून7व्यवस्था बहाल रखनातथा राहत शिविरों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

✓ आपदा के दौरान अफवाहों को रोकने का उपाय करना।

✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा पुलिस विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

✓ कानून–व्यवस्था की बहाली स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करना तथा देखना कि मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।

- ✓ स्थानीय लोगों,, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों (मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन (सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का कामशुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि रिकवरी पैकेज के वितरण के समय किसी तरह का भेदभाव न हो।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए हथियार, सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
कानून–व्यवस्था बहाल करना। नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा करनां। अपराध पकड़ना तथा रोकथाम करना। आतंकवादी एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को खत्म करना। काम का माहौल और काम की नैतिकता कायम करना।	किसी आपात स्थिति के लिए कानून–व्यवस्था की जोखिमों का आकलन करना। किसी भी आपात स्थिति में कानून–व्यवस्था की बहाली के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल सुनिश्चित करना। आपात स्थिति के दौरान उभरने वाली संभावित मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं से निपटने के लिए सुरखाबल को प्रशिक्षित करना। असहाय समूहों (बच्चे, महिलाएं, बूढ़े) का आकलन करना तथा उनकी रक्षा की कार्ययोजना बनाना। आपदा स्थिति के दौरान लाभ उठा सकने वाली आतंकवादी एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की पहचान करना तथा ऐसी ताकतों के खिलाफ रोकथाम की कार्रवाई करना। असहाय इलाकों एवं लोगों (जैसे राष्ट्रविरोधी ताकतें आसानी से बच्चों को सशस्त्र गिरोह में शामिल कर लेती हैं) का आकलन करना तथा उनकी रक्षा के लिए कार्ययोजना बनाना। गरीबों एवं दूसरे असहाय समूह के लोगों के शोषण का जोखिम कम करने हेतु मानवतावाद , कार्य नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए जनअभियान चलाना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ असहाय इलाके, लोगों का आकलन करना तथा उनके हितों की रक्षा करना।

✓ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून–व्यवस्था बहाल करना।

✓ कानून–व्यवस्था की बहाली का बजट बढ़ाना।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करना और पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों (मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।

- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमितजांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और/या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ आगजनी एवं दूसरे आपदाओं के सामने पूरी तरह असहाय बने इलाको की पहचान करना और आपात खोज एवं बचाव अभियान के लिए पुलिस बल तैयार करना।
- ✓ पुलिस बल को चौकस बनाने के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एवं निकास, खोज व बचाव का नियमित प्रशिक्षण देना।
- ✓ उपयुक्त एवं आधुनिक हथियारों के साथ पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत करने के लिए मरम्मती के सामानों को जमा कर सुरक्षित स्थानों पर रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को पहले से ही चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।
- ✓ विशेष आपदा प्रत्युत्तर बल / बटालियन की स्थापना करना तथा जिला पुलिस बल के अधीन उन्हें खोज एवं बचाव कार्य में सही जगहों पर लगाना।
- ✓ असहाय इलाकों में पुलिसबल के महत्वपूर्ण निर्बल संगठनों की पहचान करना और उनकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- ✓ आने–जाने एवं पानी ढोने के लिए वाहनों की पहचान करना और किसी आपातकाल के दौरान उन्हें प्रभावित इलाके में भेजना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संघठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

डाक एवं तार विभाग

डाक एवं तार विभाग के बारे में:

डाक एवं तार विभाग संचार एवं सूचना तकनालॉजी मंत्रालय के अधीन है। डाक सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश को 22 पोस्टल सर्किलों में बांटा गया है। इन 22 सर्किलों के अलावा एक और सर्किल सशस्त्र सेना की डाक संचार की जरूरतों को पूरा करने है। इसे बेस सर्किल कहा जाता है। प्रत्येक सर्किल को क्षेत्रवार डिविजनों (डाक / रेल मेल सेवा (आरएमएस डिविजन) में बांटा गया है। फिर सर्किलों एवं डिविजनों में स्टाम्प डिपो, पोस्टल स्टोर डिपो, और मेल मोटर सर्विस जैसी यूनिटें हैं। विभाग निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराता है:

- स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, बिल मेल सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट आदि।
- पोस्ट ऑफिस बचत खाता– लघु बचत योजनाएं, और बचत प्रमाण पत्र
- डाक जीवन बीमा और ग्रामीण जीवन बीमा

संगठन: संरचना एवं क्षमता

✓ डाक अधीक्षक, मधुबनी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।
- ✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की बहाली करना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- साझा प्रयासों को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां क्रियाशील हो जाती हैं, तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं बचाव व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना।

विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।

- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ बाढ़ के दौरान साज–सामानों, लोगों, संसाधन सामग्रियों को सुरक्षित जगहों में ले जाने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा योजना एवं विकास कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ प्रभावित लोगों को बैंकिंग एवं बीमा सेवा उपलब्ध कराना।
- ✓ प्रभावित लोगों को ई–पोस्ट, रुपये का इलेक्ट्रॉनिंक ट्रांसफर, अन्य इलेक्ट्रॉनिंक या टेजीग्राफिक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में कुशल मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग दूरदराज के अपने सगे–संबंधियों से संपर्क स्थापित कर सकें।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात उपायों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा डाक–तार विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

- ✓ सुनिश्चित करना कि डाक–तार विभाग का कामकाज सामान्य तरीके से चले।
- ✓ स्थानीय लोगों,, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह–मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों (मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन (सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

उद्देश्य:

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक शांति के साथ सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्य:

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
मेल सर्विस– पत्र, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुकपोस्ट, वीपीवी, पार्सल, पोस्ट बॉक्स, लॉजिस्टिक पोस्ट, ई–पोस्ट,स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, बिल मेल सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, डाक टिकटों, एवं पोस्टल स्टेशनरी आदि की बिक्री । मनी ट्रांसफर– मनीऑर्डर, इन्सटेंट मनीऑर्डर, एमओ विदेश, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, लघु बचत योजना एवं बचत प्रमाण पत्र, डाक जीवन बीमा, और ग्रामीण जीवन बीमा	डाकघरों या दूसरे प्रतिष्ठानों को भूकंपरोधी सुनिश्चित करना। ग्रामीण डाकघरों के निर्माण में भूकंप एवं बाढ़रोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल किसी नये निर्माण या मरम्मती के काम के कारण होने वाले जाखिमों का आकलन बाढ़प्रवण क्षेत्रों या नीचे के इलाके में अवस्थित डाकघरों की डिजायन बाढ़ को ध्यान में रखकर करना पावर बैक–अप के लिए बिजली का वैकल्पिक स्रोत लगाना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे प्रासंगिक विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, सामुदायिक कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ डीआरआर के बारेमें विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- ✓ काम निरंत रचलता रहे, इसके लिए पावर बैक–अप सुनिश्चित करना।
- ✓ ग्रामीण एवं दूरदारज के डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण
- ✓ आपात स्थिति में सरकारी विभागों को ई–मैसेज भेजना।
- ✓ बीमा पत्रों, पोस्टल आर्डर, महत्वपूर्ण पार्सलों जैसे सरकारी कागजामों को सुरक्षित जगहों में रखना।
- ✓ डाक–तार विभाग निश्चित तौर पर ग्रामीण डाकघरों में डीआरआर के उपायों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करे ।
- ✓ लोगों को अबाधित बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षित भवनों में डाकघरों का संचालन
- ✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया सके।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों (मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।

- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ अपने भवनों एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ डाक एवं तार विभाग आपदा की चपेट में आने लायक भवनों की अस्थायी मरम्मती या उसे तात्कालिक रूप से नया रूप देने का काम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेगी ।
- ✓ डाक एवं तार विभाग के पास निश्चित तौर पर पार्सल, पैकेट को ले जाने या ई–पोस्ट भेजने की व्यवस्था रहनी चाहिए।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। विभाग आइआरएस और यूनिफायड रिस्पांस ऑफ इंटर एजेंसी ग्रुप जैसे तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संगठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे।नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग के बारे में:

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ;डीआरडीए) परंपरागत रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को जिला स्तर पर देखने वाला मुख्य संगठन है। मूल रूप से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ;आईआरडीपी), के कार्यान्वयन के लिए सृजित डीआरडीए को बाद में केंद्र और राज्य सरकार के कई और कार्यक्रम सौंप दिये गये। स्थापना काल से डीआरडीए के खर्च के लिए हर विभाग के कार्यक्रम के आवंटन का एक हिस्सा तय कर दिया जाता था। बाद में कार्यक्रमों की संख्या बढ़ गई और कई कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नया रूप दिया गया। डीआरडीए के कामों को ध्यान में रखकर उसके लिए कर्मचारियों का ढ़ांचा तैयार किया गया, लेकिन अनुभवों से पता चलता है कि इस ढ़ाचें में एकरूपता नहीं थी। इसी परिप्रेक्ष्य में शंकर कमेटी के नाम से जाने जानी वाली अंतरमंत्रालय कमेटी की अनुशंसा पर एक अप्रैल, 1999 से केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के लिए डीआरडीए प्रशासन शुरू किया गया। इसमें प्रशासनिक खर्च के लिए कार्यक्रमों के आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत देने की पहले से चली आ रही व्यवस्था की जगह नयी व्यवस्था शुरू की गयी।

संगठनः संरचना एवं क्षमता

- परियोजना निदेशक
- परियोजना पदाधिकारी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च्य स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।
- ✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की बहाली करना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रत्युत्तर को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां क्रियाशील हो जाती हैं, तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं प्रत्युत्तर प्रणाली/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।

- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां पहले से की जाने वाली सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ बाढ़ के दौरान साज–सामानों, लोगों, संसाधन सामग्री आदि को सुरक्षित जगहों में ले जाने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा खोज व बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ बाढ़ के दौरान विभाग के साज–सामान, लोगों, संसाधन सामग्री आदि को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी और खोज व बचाव के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ सूखे के समय पानी के वैकल्पिक स्रोतों का पता करना।
- ✓ तटबंधों एवं प्रमुख केंद्रों की नियमित मॉनीटरिंग तथा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मरम्मती का काम तुरंत कराना।
- ✓ विस्थापित लोगों या अपनी आजीविका के साधन गवां चुके लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना।
- ✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में कुशल मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य:

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा ग्रामीण विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

✓ ग्रामीण संरचनाओं की देखरेख का काम स्थानीय स्तर की कमेटियों के हाथों सुनिश्चित करना तथा देखना कि मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।

✓ स्थानीय लोगों,, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।

✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।

✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।

✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

उद्देश्य:

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक और ज्यादा सशक्त तरीके से सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्य:

✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।

✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।

✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।

✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।

✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।

✓ विकास को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण सामुदायिक भवन ख ग्रामीण सड़कें तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बीपीएल परिवारों की देखरेख ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजित करना, बंजर भूमि के विकास लोगों की भागीदारी बढ़ाना, लाभ और विकास की समान हिस्सेदारी के साथ वनरोपण एवं चरागाह विकास	हर निर्माण भूकंपरोधी सुनिश्चित करना। सभी मौसम में कामकरने वाली सड़कें मकानों के निर्माण में भूकंप एवं बाढ़रोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल सुरक्षित भमि की पहचान करना कटाव के खतरे को कम करने का उपाय करना किसी नये निर्माण या मरम्मती कार्य के कारण होने वाले आपदा के जोखिमों का आकलन करना नहर, पोखर आदि का निर्माण आपदारोधी होना चाहिए

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे संबंद्ध विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, स्थानीय स्तर की कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।

✓ ग्रामीण विकास विभाग विकास के क्षेत्र की प्राथमिकता तय करेगा। मनरेगा के तहत तटबंधों को मजबूत और ज्यादा दिनों तक चलने लायक बनाया जाएगा, तथा प्रतिरोधक वृक्षारोपण एवं आवधिक रूप से गाद की खुदाई और सफाई करायी जायेगी।

✓ सड़कों, सामुदायिक केंद्रों, ग्रामीण भवनों आदि के निर्माण में बाढ़ एवं भूकंपरोधी तकनीक /संरचना का इस्तेमाल करना।

✓ नहर एवं जलनिकासी व्यवस्था का रखरखाव करना।

✓ विभिन्न कार्यक्रमों के तहत गादरहित डैमों की योजना शुरू करना।

✓ आपदा प्रबंधन योजना बनाने में आपदा प्रबंधन कमेटी को मार्गदर्शन एवं सहयोग करना।

✓ डीआरआर के बारे में ग्रामीण इलाके के स्थानीय लोगों की क्षमता सृजित करना।

✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया सके।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।

✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।

✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।

✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।

✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।

✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों

के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।

- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन / परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ आपदा प्रवण इलाके में निर्माण सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना । साथ ही रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करना।
- ✓ जीर्ण–शीर्ण मकानों में अस्थायी निर्माण कार्य करना तथा उसे नया रूप देना।
- ✓ जिन भवनों पर बाढ़, भूकंप, जलजमाव का असर पड़ सकता है, वैसे भवनों की पहचान करना तथा भवन को क्षति से बचाने की योजना तैयार करना।
- ✓ पौधारोपण, जलनिकासी व्यवस्था की मरम्मती, छोटी नहरें, तटबंध आदि बनवाना।
- ✓ आहर–पोखर की रक्षा करना।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत करने के लिए मरम्मती के सामानों को पहले से जमा कर जमा कर सुरक्षित स्थानों पर रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर

एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। आइआरएस और इंटर एजेंसी ग्रुप के प्रत्युत्तर जैसे तंत्र के माध्यम से विभाग जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संगठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

विज्ञान एवं तकनालॉजी विभाग

विज्ञान एवं तकनालॉजी विभाग के बारे में:

बिहार सरकार के विज्ञान एवं तकनालॉजी विभाग की स्थापना विज्ञान एवं तकनालॉजी के विकास तथा इससे संबंधित नीतियां बनाने के लिए हुई थी। विभाग विज्ञान एवं तकनालॉजी से संबंधित सर्वे, शोध एवं परिकल्पना का काम करता है, तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा उपलब्ध कराता है।

संगठन:संरचना एवं क्षमता

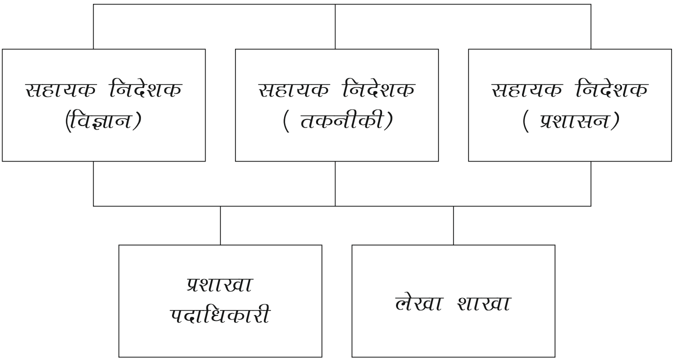

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

- ✓ रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी के जरिये उत्पन्न हो रहे हालातों को मॉनीटर करना तथा पूर्व चेतावनी की सूचना तैयार करना एवं सूचना की मंजूरी केलिए उसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ साझा करना।
- ✓ संबंद्ध कार्यालयों को हर रोज अद्यःतन स्थिति की जानकारी देना तथा इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ जिला एवं अनुमंडल स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करनातथा उनके साथ सूचनाओं को साझा करना।
- ✓ विभाग के किसी एक व्यक्ति को ईओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल पदाधिकारी बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रत्युत्तर को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां क्रियाशील हो जाती हैं, तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं प्रत्युत्तर व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां पहले से की जाने वाली सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा

इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।

- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक प्रत्युत्तर की कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ तटबंधों की मॉनीटरिंग एवं मॉनीटरिंग में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा स्थानीय स्तर की सुरक्षा के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ बाढ़ के दौरान विभाग के साज–सामान, लोगों, संसाधन सामग्री आदि को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी और खोज व बचाव के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ सूखे के समय पानी के वैकल्पिक स्रोतों का पता करना।
- ✓ तटबंधों एवं प्रमुख केंद्रों की नियमित मॉनीटरिंग तथा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मरम्मती का काम तुरंत कराना।
- ✓ विस्थापित लोगों या अपनी आजीविका के साधन गवां चुके लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना।
- ✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में कुशल मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग दूरदराज के अपने रिश्तेदारों से संपर्क स्थापित कर सकें।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या

नहीं तथा विज्ञान एवं तकनालॉजी विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

- ✓ सुनिश्चित करना कि मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों,, सुरक्षा समितियों, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक और ज्यादा सशक्त तरीके से सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
विज्ञान एवं तकनालॉजी से जुड़े सर्वे, शोध, एवं परिकल्पना का काम करना।	आपदा को लेकर असहाय इलाकों का आकलन करना, भूमि सर्वेक्षण, पूर्व चेतावनी की व्यवस्था, तथा बाढ़ मॉनीटरिंग तंत्र विकसित करने में सिटलाइट तकनालॉजी का इस्तेमाल कर आपदा जोखिम कम करने के लिए शोध में वैज्ञानिक तकनालॉजी का व्यापक इस्तेमाल करना।
विज्ञान एवं तकनालॉजी से जुड़े विषयों में अंतरविभागीय समन्वय स्थापित करना।	आपदाप्रवण इलाके में माइक्रोजोनेशन एवं जाखिम आकलन की परिकल्पना तैयार करना।
अनुदान एवं मदद उपलब्ध कराना	तकनालॉजी का इस्तेमाल कर भूमि विज्ञान जैसे जोखमों को कम करने, मौसम के आकलन, बाढ़ के जोखिमों की मॉनीटरिंग तथा पूर्व चेतावनी के प्रसार के लिए समनव्य स्थापित करना।
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	आपदा जोखिम कम करने के लिए सर्वे, शोध और के काम में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं को अनुदान तथा डीआरआर कार्यक्रमों को चलाने के लिए विश्वविद्यालयों एवं दूसरे संस्थानों को मदद।
	डीआरआर में विज्ञान एवं तकनालॉजी के इस्तेमाल के लिए स्टेकहोल्डरों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

- ✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।
- ✓ दूसरे संबंद्ध विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, स्थानीय स्तर की कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।
- ✓ आपदा की संभावना का पता लगाने, सूचना के प्रसार, आपदारोधी तकनालॉजी और खोज एवं बचाव कार्य के साज सामानों के लिए तकनालॉजी की परिकल्पना करना।
- ✓ आपदाप्रवण क्षेत्रों में माइक्रोजोनेशन और जाखिम आकलन शुरू करना तथा रिमोट सेंसिंग एवं जीआइसी के जरिये शमन और प्रत्युत्तर योजना के लिए सूचना और डाटा एकत्र करना।
- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ स्थानीय लोगों को आधुनिक एवं आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने एवं इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना।
- ✓ पहले के आपदाओं की तीव्रता और बारंबारता के बारे में व्यापक शोध करना और आपदाओं घटित होने के संभावित कारणों के बारे में सशक्त डाटाबेस तैयार करना तथा क्षेत्र के जाखिम एवं खतरे का पता करना।
- ✓ संसाधनों की पहचान के लिए एरियल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करना तथा जगल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के जोखिमों को जानने के लिए इसका विश्लेषण करना।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी शोध के लिए युवा शोधकर्ताओं को स्कालॅरशीप एवं सहायता उपलब्ध कराना।
- ✓ आधारभूत सेरचना के निर्बल केंद्रों का पता करना और समय पर उकी मरम्मती की व्यवस्था करना।
- ✓ विभिन्न संवर्गों के तहत आधारभूत संरचनाओं के रखरखाव के लिए बजट का विसतार करना।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।

✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।

✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।

✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।

- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थिति की पहचान करना। इसके लिए आकस्मिक कार्ययोजना बनाना।
- ✓ राष्ट्रीय संगठनों, भूविज्ञान सव्रेक्षण, इसरो, एनआरएसए आदि के साथ समन्वय के लिए आवश्यक डाटा तैयार करना और डाटा का विश्लेषण करना तथा प्रत्युत्तर की कार्ययोजना बनाना।
- ✓ संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं की मरम्मती के पर्याप्त संसाधनों का भंडार पहले सही सुनिश्चित करना।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत करने के लिए मरम्मती के अन्य आवश्यक सामानों को पहले से जमा कर सुरक्षित स्थानों पर रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर

एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। आइआरएस और इंटर एजेंसी ग्रुप के प्रत्युत्तर जैसे तंत्र के माध्यम से विभाग जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संगठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

सामाजिक सुरक्षा विभाग

सामाजिक सुरक्षा विभाग के बारे में:

सामाजिक सुरक्षा एवं अशक्तता उन्मूलन कल्याए एवं विकास कार्यक्रम व योजनाएं तीन तरह के लोगों मुख्य तौर से ध्यान देता है: अशक्त , बूढ़े, और निस्सहय। सामाजिक सुरक्षा एवं अशक्तता निदेशालय, जिसे पहले सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1981 में श्रम संसाधन विभाग के अधीन हुआ था। छोटे उत्पाद ईकाइयों, कार्यशालाओं, घरेलू आघारित कामकाज, और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अनौपचारिक या 'असंगठित' आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने वाले निदेशालय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के गरीब एवं निस्सहायों की मदद करना था। 2007–08 में निदेशालय समाज कल्याण विभाग के अधीन लाया गया। इसके बद 2009 में इसके कामों में निस्सहायता से जुड़े कल्याण के प्रयासों को शामिल कर लिया गया ओर इसका नाम सामाजिक सुरक्षा एवं अशक्तता विभाग हो गया।

संगठन: संरचना एवं क्षमता

- निदेशक, मधुबनी
- सहयक निदेशक, मधुबनी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।
- ✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की बहाली करना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रत्युत्तर को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां क्रियाशील हो जाती हैं, तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं प्रत्युत्तर व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।

- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां पहले से की जाने वाली सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक प्रत्युत्तर की कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ बाढ़ के दौरान साज–सामानों, लोगों, संसाधन सामग्री आदि को सुरक्षित जगहों में ले जाने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा खोज व बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ सुरक्षित सथानों की पहचान करना तथा अशक्त लोगों, बूढ़ों और निस्सहायों को वैकल्पिक सुरक्षित जगह ले जाना।
- ✓ अशक्त लोगों, बूढ़ों और निस्सहायों के लिए 'वाश', भोजन एवं शरण की व्यवस्था करना।
- ✓ अशक्त लोगों का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैाानिक पुनर्वास करना।
- ✓ विस्थापितों या अपनी आजीविका खो चुके लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना ।
- ✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में कुशल मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।
- ✓ सामाजिक सुरक्षा के संरचनाओं की देखरेख का काम स्थानीय स्तर की कमेटियों के हाथों सुनिश्चित करना तथा देखना कि मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों,, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक और ज्यादा सशक्त तरीके से सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।

✓ विकास को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
सामाजिक सुरक्षा एवं अशक्तता निदेशालय विशेष रूप से सामजिक सुरक्षा पेंशन तथा वृद्धावस्था पेशन समेत पेंशनों के वितरण,वृद्धजनों के कल्याण से जुड़े सभी कार्यकलापों एवं योजनाओं,शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के सशक्तीकरण से जुड़े सभी योजनाओं के कार्यानवयन एवं समन्वयीकरण,नशाखोरी की रोकथाम, इलाज एवं पुनर्वास से जुड़े सभी कार्यक्रमों, भिखारियों एवं दूसरे सभी निस्सहाय लोगों के पुनर्वास, आदिवासियों एवं आपराधिक इतिहास वाले लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रमों के काम से जुड़ा हुआ है।	सभी निर्माणों को आपदारोधी सुनिश्चित करना। वृद्धावस्था शरण गृह, केयर सेंटरों के निर्माण में भूकंप एवं बाढ़रोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल एवं आपदारोधी मोबाइल मेडिकेयर यूनिटों की व्यवस्था। किसी नये निर्माण या मरम्मती कार्य के कारण आपदा जोखिम का आकलन। गरीबों एवं भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए आवास योजना के तहत निश्चत तौर पर भूकंपरोधी मकानों को प्रश्रय देना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

- ✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।
- ✓ दूसरे संबंद्ध विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, स्थानीय स्तर की कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।
- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ कमजोर वर्ग के लोगों को नियमित आर्थिक मदद एवं पेशन सुनिश्चित करना।
- ✓ ओल्ड एज होम एवं डे केयर सेंटरों का नियमित फालो—अप।
- ✓ ओल्ड एज होम एवं डे केयर सेंटर सुरक्षित जगहों पर खोलना।
- ✓ सामाजिकसुरक्षा विभाग निश्चित तौर पर ओल्ड एज होम, डे केयर सेंटर एवं मोबाइल केयर यूनिटों में डीआरआर के उपायों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करेगा
- ✓ विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार अशक्तों, पूढ़ों एवं निस्सहायों को डीआरआर काप्रशिक्षण देगी।
- ✓ क्या करना है, और क्या नहीं करना है, इस बारे में सामाजिक सुरक्षा विभाग प्रशिक्षण देगा।
- ✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जा सके।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।

- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ जिला निदेशक सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास संसाधन और जिले का भौगोलिक नक्शा उपलब्ध है।
- ✓ सामाजिक सुरक्षा विभाग आपदा को लेकर निस्सहाय भवनों का अस्थायी निर्माण एवं उसे नया रूप देने का काम सुनिश्चित करेगा।
- ✓ आपात स्थितियों के दौरान अशक्तों, बूढ़ों तथा निस्सहायों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास आवश्यक संख्या में वाहन उपलब्ध रहना चाहिए।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। आइआरएस और इंटर एजेंसी ग्रुप के प्रत्युत्तर जैसे तंत्र के माध्यम से विभाग जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संगठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

सांख्यिकी विभाग

सांख्यिकी विभाग के बारे में:

निदेशालय भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अधीन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय गणना प्रणाली के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था की मॉनीटरिंग के लिए वृहत ;मैक्रो) मानदंड के संकलन में महत्वपूर्ण भमिका अदा करता है। यह इस काम के लिए उाटाबेस तैयार करता है। साथ ही साथ राजय सरकार एवं बिहार में केंद्र सरकार की डाटा संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। बिहार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का विशेष महत्व बिहार में जनम एवं मृत्यु के मुख्य निबंधक के रूप में भी है। इन सभी कामों के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- कृषि एवं सम्बद्ध आंकड़े
- आर्थिक एवं विविध आंकडे
- नागरिक निबंधन व्यवस्था
- मदर्थ सर्वे एवं जनगणना
- प्रकाशन एवं प्रशिक्षण

संगठनःसंरचना एवं क्षमता

- जिला सांखयिकी अधिकारी , मधुबनी

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।
- ✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की बहाली करना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- सशक्त प्रत्युत्तर को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां क्रियाशील हो जाती हैं, तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं प्रत्युत्तर व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।

- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां पहले से की जाने वाली सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक प्रत्युत्तर की कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा खोज व बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना तथा सरकारी एवं स्थानीय जनता के स्तर पर होने वाले निर्णयों एवं शोधों के लिए आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध कराना।
- ✓ सरकारी विभाग एवं राहत एजेंसियों को उस इलाके में उपलबध संसाधनों का आंकड़ा उपलब्ध कराना।
- ✓ प्रासंगिक, समय से, आसानी से समझने लायक, और उत्तम किस्म के आंकड़ों की उपलब्धत सुनिश्चित करना।
- ✓ सरकार एवं दूसरे मानवीय संगठनों को प्रभावित इलाके का कृष और उससे संबंधित आंकड़ा और आर्थिक डाटा उपलब्ध कराना।
- ✓ श्रम एवं रोजगार का आंकड़ा, फसल बुआई के क्षेत्र और उत्पादन का आंकड़ा उपलब्ध कराना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ सुनिश्चित करना कि सांख्यिकी विभग का कामकाज सामान्य तरीके से चल रहा है।

- ✓ स्थानीय लोगों,, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक और ज्यादा सशक्त तरीके से सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपायः

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
ग्रामीण एवं शहरी प्रतिष्ठानों का सांख्यिकी डाटा तैयार करना।	सांख्यिकी विीाग के भवनों को आपदारोधी सुनिश्चित करना
कृषि एवं इससे जुड़ा आंकड़ा ;ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों का डाटा, उनको मिलने वाला कोष आदि)	बाढ़ प्रवण क्षेत्र में अवस्थित कार्यालय भवनों के निर्माण में आपदारोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल
आर्थिक एवं विविध आंकड़ा	नये निर्माण या मश्रममती कार्य के कारण जोखिमों का आकलन
नागरिक निबंधन व्यवस्था	पावर बैक–अप के लिए बिजली का वैकल्पिक स्रोत लगाना
प्रकाशन एवं प्रशिक्षण	कार्यालयों में जल एवं अग्निरोधी आधारभूता संरचना

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ सही और अद्यःतन आंकड़ों, के लिए कंप्यूटर सेक्शन में उन्नत तकनालॉजी उपलब्ध कराना तथा डाटा संग्रह यह मानकर करना कि देश/राज्य/जिला के सही आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को जानने के लिए ये डाटा अहम हैं।

✓ सांख्यिकी विभाग सुनिश्चित करेगी कि इसके कार्यालयों के आधारभूत संरचनाएं डीआआर के मुताबिक हों।

✓ सांख्यिकी विभाग का कार्यालय सुरक्षित भवनों में रखना ताकि लाइन विभागों, प्राइवेट संगठनों तथा स्वंयसेवी संगठनों को अबाधित रूप से डाटा उपलब्ध कराया जा सके।

✓ निःस्सहाय भौगोलिक इलाकों की पहचान करना तथा इसके जनसांख्यिकी डाटा हासिल करना तथा इसके लिए सांख्यिकी जानकारी उपलब्ध कराना।

✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया सके।

✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।

✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय

कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।

✓ विभागीय भवनों एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

✓ योजना बनाने , मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए विभिन्न क्षेत्रों ; कृषि और इससे जुड़े आंकड़े, आर्थिक एवं विविध आंकड़े, नागरिक निबंधन व्यवस्था, तदर्थ सर्वे तथा जनगणना) का आंकड़ा तैयार करना।

✓ सांख्यिकी विभाग आपदा की चपेट में आने लायक भवनों की अस्थायी मरम्मती या उसे तात्कालिक रूप से नया रूप देने का काम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेगी ।

✓ वर्षा की माप का आंकड़ा एकत्र करना तथा इसे दूसरे विभागों के साथ साझा करना।

✓ उद्यान ; हार्टीकल्चर) फसल के क्षेत्र तथा उत्पादन से जुड़ा आंकड़ा तैयार करना तथा बाढ़ एवं सूखाप्रवण इलाके में सिंचाई का आंकड़ा रखना।

✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।

✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। आइआरएस और इंटर एजेंसी ग्रुप के प्रत्युत्तर जैसे तंत्र के माध्यम से विभाग जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संगठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के बारे में :

स्थानीय क्षेत्रा अभियंत्रण संगठन जिले में भवन निर्माण, सड़क निर्माण, और उनके रखरखाव जैसे कामों को देखता है। संगठन सरकारी भवनों को सभी आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह स्थलों के मूल्याकंन एवं आकलन, संरचनात्मक आकलन और पुनरुद्धार के विकल्पों में सहयोग करता है। अपनी अभियांत्रिकी सेवाओं के जरिये लोगों को सुरक्षा एवं रक्षा उपलब्ध कराना संगठन का लक्ष्य है।

संगठनः संरचना एवं क्षमता

- कार्यपालक अभियंता
- सहायक अभियंता

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ विभाग के सभी भवनों एवं दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को उच्च स्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।

✓ आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना अधिकारी की बहाली करना।

- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।
- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रत्युत्तर को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां क्रियाशील हो जाती हैं, तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं प्रत्युत्तर व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां पहले से की जाने वाली सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक,

मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक प्रत्युत्तर की कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ आपात समय के दौरान साज–सामानों, लोगों, संसाधन सामग्री आदि को सुरक्षित जगहों में ले जाने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा खोज व बचाव कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ सूखे के समय पानी के वैकल्पिक स्रोतों का पता करना।
- ✓ भवनों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- ✓ जनसुविधा के साधनों, आधारभूत संरचनाओं और दूसरे मुख्य केंद्रों की नियमित मॉनीटरिंग तथा मरम्मती का काम तुरंत कराना।
- ✓ सड़क–गली के जरिए संपर्क स्रोत बनाए रखना।
- ✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में कुशल मॉनिटिरिंग बल की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा ग्रामीण विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।
- ✓ सड़क एवं भवन संरचनाओं की देखरेख का काम स्थानीय स्तर की कमेटियों के हाथों सुनिश्चित करना तथा देखना कि मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों,, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ

सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक और ज्यादा सशक्त तरीके से सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपायः

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
सामुदायिक भवनों, सड़कों और दूसरे अभियांत्रिक कार्यों का निर्माण, सरकारी भवनों,सड़कों का रखरखाव स्थलों का मूल्यांकन एवं आकलन, संरचनात्मक आकलन	सभी निर्माण को भूकंपरोधी सुनिश्चित करना। सभी मौसम में काम करने लायक सड़कें भवनों के निर्माण में भूकंप एवं बाएत्ररोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल सुरक्षित भमि की पहचान कटाव रोकने के उपाय करना नये निर्माण या मरम्मती के कारण आपदा जोखिम का आकलन

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे संबंद्ध विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, स्थानीय स्तर की कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्रा विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ संगठन क्षेत्रा के हितों का ख्याल करते हुए विकास की प्राथमिकताएं तय करेगा, तटबंध आवश्यक रूप से बनाएगा, दीर्घकाल वाला आपदारोधी पौधारोपण, आवधिक रूप से गाद की खुदाई एवं सफाई कराएगा।
- ✓ मॉनसून पूर्व की कार्रवाइयां ताकि शहर में बाढ़ का पानी नहीं घूसे तथा जलजमाव नहीं हो।
- ✓ सड़कों, सामुदायिक केंद्रों, शहरी एवं ग्रामीण भवनों के निर्माण में बाढ़ एवं भूकंपरोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल।
- ✓ नहर और जलनिकासी व्यवस्था की देखरेख
- ✓ आपदा प्रबंधन की योजना बनाने में आपदा प्रबंधन कमेटियों का मार्गदर्शन एवं सहयोग।
- ✓ ग्रामीण इलाके में लोगों के बीच डीआरआर क्षमता सृजित करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जा सके।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।

- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने के लिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ आपदा प्रवण इलाके में निर्माण सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना । साथ ही रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करना।
- ✓ निस्सहाय मकानों में अस्थायी निर्माण कार्य कराना या उसे नया रूप देना।
- ✓ पौधारोपण, जलनिकासी व्यवस्था की मरम्मती, छोटी नहरें, सड़के, मटबंध आदि।
- ✓ शहर में आहर–पोखर की रक्षा।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत करने के लिए मरम्मती के सामानों को पहले से जमा कर सुरक्षित स्थानों पर रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना ।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। आइआरएस और इंटर एजेंसी ग्रुप के प्रत्युत्तर जैसे तंत्र के माध्यम से विभाग जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संगठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग के बारे में:

परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट जारी करने तथा नवीकरण करने, कर/शुल्क वसूलने जैसे परिवहन से जुड़े कामों तथा मोटरवाहन अधिनियम 1988 द्वारा प्रदत्त नियमन एवं प्रवर्तन संबंधी अन्य सभी कार्यों को करता है। विभाग सर्वोच्च नियमन निकाय के रूप में काम करता है, जो प्राइवेट एवं व्यावसायिक यात्री वाहनों एवं मालवाहक गाड़ियों के परिचालन से जुड़े तमाम कामों को देखता है। नियमन के इन कार्यों की बदौलत परिवहन विभाग सबसे अधिक आय अर्जित करने वाला एक विभाग है।

संगठन:संरचना एवं क्षमता

- जिला परिवहन पदाधिकारी
- मोटर वाहन निरीक्षक

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्य:

✓ स्थिति को मॉनीटर करना तथा स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी देने तंत्र, टी/रेडियो, इंटरनेट,

प्रखंड / जिला / राज्य के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ भूकंप जैसे आपदा, जिसके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की सििति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप से निपटने के आकस्मिक उपायों को करना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को किसी भी प्रत्युत्तर के लिए पहले से ही उच्चस्तर की तैयारी करने का निर्देश देना।
- ✓ विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारियों, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एजेंसियां तथा अन्य स्थानीय प्रशासन को साथ और सतत मदद उपलब्ध कराने का निर्देश देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण संपर्क नंबर, परिवहन के साधन,ड्राइवर, कंडक्टर आदि जरूरत के समय उपलब्ध रहें।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- सशक्त प्रत्युत्तर को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां क्रियाशील हो जाती हैं, तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं प्रत्युत्तर व्यवस्था / इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।

- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां पहले से की जाने वाली सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक प्रत्युत्तर की कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ अगर जिला आपदा प्रबंधन कमेटी बहु–क्षेत्रीय आकलन कर रही हो तो सुनिश्चित करना कि परिवहन एवं संभार तंत्र इस आकलन का अंग हो ओर इसका विश्लेषण किया जाए।
- ✓ प्रभावित इलाके में परिवहन की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की मॉनीटरिंग के लिए जिला आपदा प्रबंधन कमेटी तथा संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना तथा सुनिश्चित करना कि मॉनीटरिंग स्थानीय लोगों के हवाले हो तथा देखभाल में उनकी भागीदारी हो।
- ✓ कर्मचारियों, वाहनों, ड्राइवरों, कंडक्टरों आदि की सुरक्षा की आपात योजना शुरू करना।
- ✓ राहत, बचाव, और राहत सामग्रियों की ढुलाई आदि के लिए प्रशासन को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराना।
- ✓ बचाव ओरपुनर्वास के सभी तरह के कामों में सरकारी एवं स्थानीय अधिकारियों की मदद करना तथा सामान्य स्थिति बहाल होने तक इसे जारी रखना।
- ✓ क्षति के सही आकलन के बाद वाहनों,मोटरों आदि की मरम्मती तथा उन्हें नया यप देने के लिए आवश्यक कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।
- ✓ बदलते हालातों पर नजर रखना तथा ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, पंचायत और प्रखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार तथा संबंधित इएसएफ टीम को अद्यःतन जानकारी उपलब्ध करानां।

- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि प्रभावित लोगों को राहत एवं बचाव सेवाएं उपलब्ध कराने के जिला प्रशासन द्वारा वाहनों, ड्राइवरों आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गयी है तथा यह व्यवस्था जारी है।
- ✓ इस बात की जांच करना कि वाहनों, ड्राइवरों आदि की सुरक्षा के सभी उपाय ठीक ठाक तरीके से कर लिये गये हैं।
- ✓ ढुलाई, वाहन प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चितक करना तथा यह देखना कि मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों,, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना तथा किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक और ज्यादा सशक्त तरीके से सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपात परिवहन प्रबंधन के अनुभवों को साझा करना एवं भविष्य में बेहतरी के लिए अनुभवों, फालो–अप कार्रवाइयों तथा शोध कार्यक्रमों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य:

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
मोटर वाहनों का निबंधन वाहनों का फिटनेस प्रमाण मोटर वाहन कर की वसूली यात्री एवं माल वाहक वाहनों का परमिट जारी करना एवं नवीकरण करना ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस जारी करना एवं नवीकरण करना आम जनता को शिक्षित करना तथा सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाने के प्रति जागरूक बनाना। लोगों को यातायात की सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराना। मोटर वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करना। चुनाव , प्राकृतिक आपदाओं, और दूसरी आपात स्थितियों के दौरान वाहनों को लेकर आम आदमी को उनकी जिंदगी और संपत्ति की I उपलब्ध कराना।	सुनिश्चित करना कि सड़क पर आने के पहले सभी वाहन अच्छी हालत में और चलने लायक हों। सुनिश्चित करना कि मोटर वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों का आकलन कर लिया गया है और उन जोखिमों को कम करने के उपाय कर लिये गये हैं। सुनिश्चित करना कि मोटर वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय कर लि

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।

✓ दूसरे संबंद्ध विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, स्थानीय स्तर की कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।

- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति के तुरंत बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया सके

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभाग के अधीन काम करने वाले सभी एजेंसियों में आपात प्रत्युत्तर कोषांग का गठन सुनिश्चित करना।
- ✓ आपात स्थिति के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर के स्वंयसेवकों को प्रशिक्षित करना और उन्हें आपात स्थिति के दौरान विभाग के नेतृत्व में की जाने वाली प्रत्युत्तर कार्रवाई में सहयोग के लिए तैयार करना। उन्हें आपात स्टॉक और साज–सामान उपलब्ध कराना।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में

विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ पहले से की जाने वाली किसी तैयारी का निर्देश देने, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, राज्य एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ सभी लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना पहुंचाने का तंत्र बनाना।
- ✓ आवश्यकता पड़ने पर आपात प्रत्युत्तर के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिनिश्चत करना।
- ✓ आपात समय में इस्तेमाल के लिए ड्राइवर, कंडक्टर, वाहनों की सूची अ़द्यःतन रखना।
- ✓ सामानों की ढुलाई के लिए सुरक्षित रास्ते की पहचान करना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। आइआरएस और इंटर एजेंसी ग्रुप के प्रत्युत्तर जैसे तंत्र के माध्यम से विभाग जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संगठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

शहरी विकास विभाग

शहरी विकास विभाग के बारे में:

शहरी विकास विभाग सरकार का एक प्रमुख अंग है। इसका काम शहरी बिहार को आधुनिक, जीवंत, एवं दक्ष शहरी क्षेत्र, बनाना है, जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से सक्षम होगा और साथ ही साथ अपनी समृद्ध परंपरा को बचायेगा।

संगठन (संरचना एवं क्षमता):

- मुख्य नगर योजनाकार
- नगर आयुक्त
- कार्यपालक पदाधिकारी (नगर परिषद/पंचायत)

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्य:

- ✓ बाढ़ तथा दूसरी आपदाओं के बारे में पूर्व चेतावनी तैयार करने के लिए स्थिति को मॉनीटर करना, जानकारी को मंजूरी के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ साझा करना।
- ✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस

बुलेटिन जारी करना।

- ✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।
- ✓ आपात सूचना केंद्र स्थापित करना।
- ✓ स्थानीय स्तर पर आपात सूचना उपकेंद्र स्थापित करना।
- ✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रत्युत्तर को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां क्रियाशील हो जाती हैं, तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं प्रत्युत्तर व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां पहले से की जाने वाली सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक प्रत्युत्तर की कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

✓ विकास की मॉनीटरिंग तथा मॉनीटरिंग एवं रखरखाव के कामों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा स्थानीय स्तर की विकास कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।

✓ क्षतिग्रस्त एवं जीर्णशीर्ण भवनों का आकलन करना एवं आगे कोई क्षति नहीं हो, इसके लिए ऐसे भवनों को नष्ट कर देना तथा प्रभावित लोगों को शरण उपलब्ध कराना।

✓ पेयजल की पयाप्त आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग से समन्वय सुनिश्चित करना।

✓ आपातकाल के दौरान जीर्णशीर्ण व निस्सहाय संरचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग करना।

✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना के प्रसर में मदद करना।

✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा शहरी विकास विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है।

✓ विभाग के एक व्यक्ति को सूचना अधिकारी नामजद करना तथा इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।

✓ संरचनाओं की सुरक्षा एवं रखरखाव का काम स्थानीय स्तर की कमेटियों के हाथों सुनिश्चित करना तथा देखना कि मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।

- ✓ स्थानीय लोगों, विकास समिति, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह मशविरा कर बचाव के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों (मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन (सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक और ज्यादा सशक्त तरीके से सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान एवं संसाधन सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास को डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपायः

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्यः

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	**डीआरआर में शामिल करना**
शहरी एवं ग्रामीण आयोजन	शहरी बाढ़ के खेतरे को कम करने के लिए मल निकास एवं जलनिकासी प्रणाली का निर्माण, भूकंपरोधी भवन निर्माण के नियम–कानून का विकास, भवनों के जोखिम एवं निस्सहायता का आकलन तथा कमजोर भवनों को भवन कानून के अनुसार नया रूप देने जैसे डीआरआर उपायों को शहरी आयोजन में शामिल करना। सुनिश्चित करना कि नये आयोजन में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल किया गया है तथा इससे किसी तरह का खतरा बढ़ेगा नहीं या कोई नयी समस्या नहीं खड़ा होगी।
निर्माण एवं सर्वेक्षण	सुनिश्चित करना कि नये निर्माण आपदारोधी हैं तथा भवनों की निस्सहाय स्थिति से संभावित खतरे का आकलन करना।
पर्यावरणीय आयोजन तथा समन्वय	पर्यावरण पर किसी परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करना तथा संभावित खतरे को कम करने एवं खत्म करने के केमिकल लीक डिटेक्टर लगाने जैसे उपायों को शामिल करना
स्लम विकास	स्लामों को कम निस्सहाय जगहों पर ले जाना। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में भूकंप और बाढ़रोधी मकान बनाना तथा उंचे जगहोंपर मकान बनाना। साथ ही मकानों में अल्पलागत वाले बाढ प्रूफ सफाई व्यवस्था करनां सुनिश्चित करना कि स्लमों को कम खतरे वाली जगहों पर ले जाने के कारण वहां के वाशिंदों के साथ सांप्रदायिक दंगे जैसा कोई और खतरा आगे नहीं उभरे।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

- ✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।
- ✓ दूसरे संबंद्ध विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, स्थानीय स्तर की कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।
- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ भवनों की निस्सहायता एवं जोखिमों का आकलन एवं कमजोर मकानों की पहचान करना तथा ऐसे मकानों में निर्माण कार्य कराकर उसे नया रूप देना। साथ ही नष्ट करने लायक मकानों की पहचान भी करना।
- ✓ लाइफ लाइन भवनों एवं सड़े, पुल, जलापूर्ति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा करना तथा उन्हें आपदारोधी बनाना सुनश्चित करना।
- ✓ शहरी इलाकों में बाढ़ का जोखिम कम करने के लिए मलनिकास एवं जलनिकास की व्सवस्था खड़ा करना।
- ✓ निस्सहाय समूहों का जोखिम कम करने के लिए रोजगार सृजन जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मैयार करना।
- ✓ बीआरजीएफ (ठत्ळथ) की विभिन्न योजनाओं के तहत आपदारोधी स्कूलों, सामुदायिक भवनों, पंचायत घर आदि का निर्माण सुनिश्चित करना।
- ✓ विभिन्न संवर्गों के लाइफ लाइन भवनों आदि के रखरखाव का बजट बढ़ाना।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ विभिन्न स्तरों के विभिन्न परियोजनाओं में भूकंप एवं दूसरे आपदारोधी तकनालॉली को शामिल करना।
- ✓ विकास के कामों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों के कार्यान्वयन में स्थानीय शासन को बढ़ावादेना तथा मदद करना।

- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों (मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ बाढ़, भूकंप, जलजमाव के लिए खतरे वाले इलाकों की पहचान करना तथा भवन को क्षति से बचाने की योजना तैयार करना।
- ✓ लाइफ लाइन भवनों की आवधिक जांच करना तथा उन्हें आपदारोधी बनाना सुनिश्चित करना , जिनकी जरूरत हो उनकी मरम्मती कराना और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट कर देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि मलनिकास एवं जलनिकास की व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही हो।
- ✓ पेयजल जैसे बुनियादी जरूरतों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना।
- ✓ खतरे वाली जगहों पर रहने वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाना।
- ✓ भवनों की मरम्मती के सामानों का पर्याप्त स्टॉक पहले से तैयार रखना।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत शुरू कराने के लिए मरम्मती के दूसरे सामानों का पर्याप्त स्टॉक पहले से तैयार कर सुरक्षित जगहों पर रखना।

- ✓ शहरी इलाकों में खोज एवं बचाव के साज–सामान की व्यवस्था करना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना।

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। आइआरएस और इंटर एजेंसी ग्रुप के प्रत्युत्तर जैसे तंत्र के माध्यम से विभाग जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संगठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेही:

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग के बारे में

जल संसाधन विभाग बिहार सरकार एक एक प्रमुख विभाग है। इसे पहले सिंचाई विभाग के नाम से जाना जाता था। यह अंतरराज्यय नदियों/बेसिन के पानी की हिस्सेदारी में राजय के अधिकारों का संरक्षण करता है।

जल संसाधन विभाग वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, रखरखाव और नियमन, बाढ नियंत्रण एवं जलनिकासी व्यवस्था का काम करता है।

संगठन:संरचना एवं क्षमता

- अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर अंचल, मधुबनी

  क. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–1, मधुबनी

  ख. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–1, राजनगर

  ग. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–बेनीपट्टी

- अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर अंचल, निर्मली, कैम्प–मधुबनी

  क. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–2, सकरी

  ख. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–2, राजनगर

  ग. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–2 मधुबनी

- अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर अंचल–1 झंझारपुर

  क. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–कनौली

  ख. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–खटौना

  ग. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–अंधराटाढ़ी

  घ. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–झंझारपुर

- अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर अंचल–जयनगर

  क. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–1 जयनगर

  ख. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–2 जयनगर

  ग. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल–खजौली

  घ. कार्यपालक अभियंता, मुनहारा बरॉज प्रमंडल– जयनगर

  च.. कार्यपालक अभियंता, कमला नहर प्रमंडल– जयनगर

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, सूचना तंत्र विकसित करना तथा सूचना पहुंचाना।

मुख्य कार्य:

✓ बाढ़ एवं सूखे के बारे में पूर्व जानकारी हासिल करने के लिए प्रमुख नदियों एवं नहरों के बहाव एवं स्तर की मॉनीटरिंग करना तथा मंजूरी के लिए इस सूचना को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ साझा करना।

✓ संबद्ध कार्यालयों एवं लोगों को हर दिन मौसम के बारे में सूचना देना और इस संबंध में प्रेस बुलेटिन जारी करना।

✓ डीडीएमए की मंजूरी मिल जाने के बाद पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करने में मदद करना।

✓ मौसमी बाढ़ के पहले जिला स्तर पर बाढ़ सूचना केंद्र स्थापित करना।

✓ मौसमी बाढ़ के पहले स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उपकेंद्र स्थापित करना।

✓ इओसी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभाग के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी बहाल करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- सशक्त प्रत्युत्तर को क्रियाशील करना तथा तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

मुख्य कार्य:

✓ बाढ़ सूचना एवं नियंत्रण केंद्र को चौबीसो घंटा कार्यरत रखना।

- ✓ विभाग में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों तथा अन्यविभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए जवाबदेह होंगे। स्थिति की जरूरत के अनुसार उनकी मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करना।
- ✓ आवधिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे इओसी एवं डीडीएमए के साथ साझा करना।
- ✓ अगर जिला स्तर पर इओसी आपात स्थिति की घोषणा कर देता है और प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां क्रियाशील हो जाती हैं, तो सभी स्टाफों, मुख्य स्टाकहोल्डरों आदि तक सूचना पहुंचाना।
- ✓ हालात, विभाग की क्षमता पर आपदा के असर,जरूरत एवं क्षति आकलन के लिए तात्कालिक कार्रवाई, इएसएफ एवं प्रत्युत्तर व्यवस्था/इओसी के साथ समन्वय, स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा दूसरे स्टाकहोल्डरों के साथ समन्वय का जायजा लेने के लिए प्रदाधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाना।
- ✓ सामान्य समय के काम एवं आपातकालीन समय के काम को मौजूदा कर्मचारियों के बीच बांटना। विशेष तौर से जिन इलाकों में आपात स्थिति नहीं है वहां पहले से की जाने वाली सुरक्षात्मक तैयारियों में कोई कोताही नहीं करना।
- ✓ संलग्न प्रारूप के अनुसार क्षति तथा तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों का प्रारंभिक आकलन करना तथा इसे इओसी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टाकहोल्डरों के साथ साझा करना।
- ✓ इओसी एवं इएसएफ नोडल सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के मुताबिक प्रत्युत्तर की कार्ययोजना तैयार करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ तटबंधों की मॉनीटरिंग एवं रखरखाव के कामों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा स्थानीय स्तर की तटबंध सुरखा कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करनातािा मॉनीटरिंग के कामों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ✓ मदद के विभिन्न आवश्यक कामों के लिए नोडल एजेंसियों से जुड़कर बचाव, राहत एवं अन्य कामों में मदद करना।
- ✓ विभाग के मुख्य अभियंता, एडिशनल इंजीनियर, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, जरूरत के अनुसार अपनी तकनीकी जानकारियां मुहैया करायेंगे ।
- ✓ आपात समय के दौरान तटबंधों , नहरों, पुलों, कल्वर्ट, नियंत्रण कक्षों आदि की सुरखा की

नियमित मॉनीटरिंग करना।

- ✓ आपदा से अप्रभावित इलाकों पर भी नजर रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं या नहीं तथा जल संसाधन विभाग की आधारभूत संरचना तथा जवाबदेही के कारण जानमाल तथा पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। इओसी तथा इएसएफ नोडल एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट देना।
- ✓ तटबंधों, नहरों आदि की सुरक्षा स्थानीय लोगों के हवाले करना एवं इन कामों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना तथा देखना कि मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र अच्छी तरह काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना।
- ✓ विभागीय संसाधनों ;मानवीय, सामान एवं वित्तीय) को फिर से सामान्य समय के कामों में लगाना।
- ✓ आपदा के दौरान विभाग को हुई क्षति की भरपाई तथा आपात समय में इस्तेमाल किए गए विभागीय संसाधन ; सामान एवं वित्तीय) को लौटाने की योजना तैयार करना।
- ✓ क्षति के आकलन के अनुसार अल्प एवं दीर्घ काल की रिकवरी के लिए योजना बनाने का काम शुरू करना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा के कारण विभाग को हुई क्षति की रिकवरी नियोजित तरीके से सावधानीपूर्वक और ज्यादा सशक्त तरीके से सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।

- ✓ रिकवरी की योजनाओं को लागू करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय में इस्तेमाल किए गए साज–सामान ; बालू के बोरे आदि), सामग्री, वित्त आदि जैसे विभागीय संसाधनों का हिसाब कर लिया गया है तथा यथासंभव जल्द से जल्द उन्हें फिर से हासिल करना।
- ✓ लोगों को आपदा के प्रभाव से उबारने तथा बेहतर स्थिति में लाने के लिए रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
- ✓ आपदा के दौरान मिले सबक को भविष्य की योजना एवं पहले से की जाने वाली तैयारियों में समाहित करना।
- ✓ विकास का डीआरआर से जोड़ना तथा भविष्य में जोखिम कम करने लायक डीआरआर की योजना बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

2.2- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.3- क्षमता सृजन के उपाय:

2.4- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.5- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम को घटाने का काम विकास की मुख्यधारा में शामिल करना

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयों को विभाग की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करना

मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, रखरखाव और नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, जलनिकासी व्यवस्था तथा एक क्यूसेक से कम क्षमता वाली नहर की व्यवस्था	हर निर्माण को भूकंपरोधी सुनिश्चित करना। किसी नये निर्माण या रखरखाव के काम के कारण होने वाले जोखिम काआकलन।

विभाग के मुख्य कार्यकलाप	डीआरआर में शामिल करना
जलनिकासी व्यवस्था, नहर का विकास	सुनिश्चित करें कि विकास के कामों या विभाग के कोमोंया परियोजनाओं के जलनिकासी का स्वाभाविक रास्ता बंद नहीं हो। कटाव से बचने तथा नयी सड़कों के बनने या किसी अन्य निर्माण के कारण इन नहों का रास्ता न रूके इसकी रोकने का इंतजाम करना।

2.2 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम कम करने का मुख्य काम आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान किया जाय।

मुख्य कार्य

- ✓ विभाग में बाढ एवं सूखा चेतावनी कोषांग बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बहाल करना।
- ✓ दूसरे संबंद्ध विभागों, इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसी, स्थानीय स्तर की कमेटियों , जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसियों के साथ विशेष रूप से बाढ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी देने का तंत्र विकसित करने के लिए समन्वय और संपर्क बनाना ।
- ✓ पूर्व चेतावनी की स्वीकृति एवं प्रसार के लिए प्रोटोकाल बनाना और उसका पालन करना।
- ✓ संरचनाओं, खासकर तटबंधों के खतरें वाले केंद्रों का पता करना तथा समय पर इनकी मरम्मती की व्यवस्था करना।
- ✓ आहर–पोखर में पानी का वितरण करने के लिए स्लूइस गेट का रखरखाव तथा नहर आदि बनाना।
- ✓ तटबंधों, स्लूइस गेट, लॉक गेट, आदि के रखरखाव का बजट बढ़ाना।
- ✓ जोखिम कम करने संबंधी कामों तथा आपात स्थिति से निपटने की क्षमता के बारे में विभाग के कामकाज की माप के लिए मानदंड तय करना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों, जनता और विभाग के साथ जुड़े मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के संभावित जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।

2.3 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- विभागीय कर्मचारियों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों को आपदा जोखिम में कमी और आपात स्थिति के अपने कामों को बेहतर तरीके से करने एवं अपना दायित्व निभाने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने लायक बनाने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना , जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों का समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में विभाग का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, विभाग के पूर्व अनुभवों का विश्लेषण करना। हर साल और हर आपदा के बाद विभागीय सबक का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.4 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम करने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ विभाग के कामकाज, विशेषकर आपदा के समय में , का नियम–कानून बनाना।
- ✓ किसी आकस्मिकता की स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति में अपने अतिरिक्त कार्यों को संपादित करने के लिए अपने पति/पत्नी को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ आपदा से अप्रभावित क्षेत्रों में सामान्य समय के कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपात कार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाना , उपरोक्त व्यवस्था के कार्यभार को साझा करना, आपदा के समय अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन आदि जैसे विशेष उपाय करना।
- ✓ आपदा के कारण अगर विभाग का कार्यालय और परिसर पहुंच के बाहर हो गया हो तो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के काम और बैठक के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।

- ✓ विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। जहां कही संभव हो, बैकअप बनाना।
- ✓ विभागीय कर्मचारियों के साथ सूचनाओं को साझा करने केलिए तंत्र विकसित करना।अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम करना है तो आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि जैसा वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.5 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- संभावित आपात स्थिति की पहचान करना और कार्रवाई की तैयारी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ संभावित आपात स्थितियों की पहचान करना। आकस्मिक स्थिति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करना।
- ✓ तटबंधों के दरार, छेद या किसी अन्य खराबियों की अवधिक जांच करना।
- ✓ तटबंधों के दरारों की मरम्मती के लिए पर्याप्त संख्या में पहले से बालू के बोरों को तैयार रखना।
- ✓ मरम्मती का काम तुरंत हो सके इसके लिए दूसरे सामानों को पहले से सुरक्षित जगहों पर तैयार रखना।
- ✓ टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना।
- ✓ जीवन, सामान, संयंत्र की सुरक्षा और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना

समन्वय एवं संगठन

दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वे इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस सेक्सन के ऑफिसर–इन–चार्ज, इंटर एजेंसी ग्रुप और प्रभावित इलाके की सामुदायिक स्तर की कमेटियों और विभाग के दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ निश्चित तौर पर समन्वय एवं सलाह–मशविरा का काम करेंगे। आइआरएस और इंटर एजेंसी ग्रुप के प्रत्युत्तर जैसे तंत्र के माध्यम से विभाग जिला स्तर पर योजना बनाने एवं काम करने की रणनीति को संगठित करने का प्रयास करेगा।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए विभागीय प्रमुख, विभिन्न स्तर के अधिकारी और विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जवाबदेह होंगे। नोडल अधिकारी डीआरआर कार्ययोजना और आपात कार्ययोजना की अनुसूची के अनुसार आवधिक रिपोर्ट इओसी को दिया करेंगे।

ग्राम पंचायत कमेटी

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनः प्राप्ति की कार्यवाइयां

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्यवाइयां

ग्राम पंचायत बाल समिति

बाल समिति के बारे में:

आपदा के समय बच्चों कह हालत सबसे नाजुक होंती है। उन्हें हिंसा और मानसिक यंत्रणा का शिकार होना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि आपदाग्रस्त पूरासमुदाय बच्चों की सुरक्षा भावना को नजरअंदाज कर जाता है।

डीएमटी बाल समिति इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की बातें सुनी जाय तथा स्कूलों/ग्राम पंचायतों में आपदा जोखम कम करने की प्राथमिकताएं तय करने की योजना बनाने एवं उनके कार्यान्वियन में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो। किसी भी आपात स्थिति में यह प्रत्युत्तर देने वाले मुख्य टीम की तरह काम करता है और आपदा प्रभावित बच्चों को भोजन,शरण, सुरक्षित पेयजल और सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह पर्यावरण एवं सामाजिक जोखिमों को भी कम करने का काम करता है और बच्चों की रुग्णता एवं नश्वरता को कम करता है।

संरचनाः 12–16 लोग

- टीम लीडर ; बाल सुरक्षा, बुनियादी जरूरतों और शिक्षा के बारे में अनुभवी व्यक्ति /डीएमटी द्वाराचयनित एवं ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी में टीम का प्रतिनिधित्व करेगा)
- बाल संरक्षण की जानकारी तथा बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा आदि से संबंधित कानूनों, अधिनियमों, कार्यक्रमों के जानकार पुरुष एवं महिलाएं समिति की सदस्य होंगी।
- टीम में बच्चों का भी सक्रिय प्रतिनिधित्व होगा, जो टीम में योजना बनाने, सलाह देने , निर्णय लेने और कार्यान्वित करने के काम में हिस्सा लेंगे।
- ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल शिक्षा समिति, सकूलों के प्रधानाध्यापक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाल, अल्पसंख्यक अशक्त बच्चों के प्रतिनिधि; लड़के तथा लड़कियां), बाल संरखण एवं शिक्षा का अनुभव रखने वाले सवंयसेवी संस्थाओं /सीबीओ के प्रतिनिधि टीम के सदस्यों में शामिल होंगे।
- गांव के प्रतिनिधि अपने गांवों/वार्डों में इसी तरह की टीम बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्य:

✓ स्थिति को मॉनीटर करना।

✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथाग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित किये जाने वाले उपायों को सभी संबंद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।

✓ संभावित स्थिति और क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करना।

✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ सूखे जेसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- प्रभावी आकलन एवं प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य:

✓ प्रभावित इलाके में बच्चों की सुरक्षा /संरक्षण की स्थिति के बारे में स्थिति प्रतिवेदन प्रपत्र ; निधार्रित प्रारूप में) भरना।

✓ आपात स्थिति के हालात में निर्णय लेने के लिए इस प्रतिवेदन को प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, बाल सुरक्षा की इएसएफ नोउल एजेंसी के साथ साझा करना।

- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, अगर तय करती हे कि स्थिति आपातकाल की है और प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां जरूरी हैं, तो प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को क्रियाशील करने की सूचना सभी संबंद्ध लोगों, विशेषकर गांव/स्तर की बाल समिति तथा स्थानीय संस्थाओं , तक पहुंचाना।
- ✓ प्रारंभिक आकलन की योजना बनाने के लिए प्रभावित इलाके के प्रतिनिधित्व के साथ पहली समन्वय बैठक बुलाना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

बाल समिति की प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैं:

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2- सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3- बच्चों को आगे के नुकसान से बचाना

1.3.4- भेदभावरहित सहायता

1.3.5- हिंसा एवं बर्बरता के कारण बच्चों को शारीरिक एवं मनोवेज्ञानिक क्षति से बचाना

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई

उद्देश्य:

- प्रत्युत्तर की कार्रवइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित बच्चों की जरूरतों का आकलन करना।
- प्रभावित बच्चों को मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति तथा रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य के प्रयासों का आकलन करना।

मुख्य कार्य: :

- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व के अधीन तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।
- ✓ बच्चों की जरूरतों, उनकी सुरक्षा, पोषण तथा मनोवेाानिक जरूरतों का विस्तार से आकलन करना।
- ✓ सर्वाधिक नाजुक हालत वाले, खासकर विकलांगों, बच्चों, लड़कियों, एचआइवी/एड्स ग्रस्त लोगों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तथा बीमार लोगों, की बहुतजरूरी जरूरतों के बारे में जानकारी एकत्र करना।

- ✓ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले दूसरे सभी समूहों की भागीदारी एवं उनसे सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- प्रभावित बच्चों की जीवन रक्षक जरूरतें पूरी करना।
- सुविधाओं की योजना बनाने, स्वरूप तय करने, प्रबंधन और देखभाल में बच्चों की भागीदारी हो।
- भोजन, शरण, इलाज, आदि जैसी बच्चों की खास जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय।
- रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों की योजना बनाने में अधिकारियों की मदद करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ बच्चों की तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ बच्चों के तात्कालिक जोखिमों ; कुपोषण, शोषण, अपहरण एवं सशस्त्र गिरोह व बदमाशों के गिरोह में शामिल किया जाना, लैंगिक हिंसा, और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर न होना) का विश्लेषण करना तथा कार्ययोजना बनाना।
- ✓ बच्चों को सुरक्षित शरण, भोजन और दूसरी बुनियादर जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाजि एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के बच्चों समेत नाजुक हालत वाले सभी बच्चों के प्रतिनिधियों से राहत सामग्री एवं सुविधाओं के स्वरूप एवं स्वीकार्यता तय करते वक्त सलाह–मशविरा करना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के काय्रन्वयन के लिए संसाधनों के लिए योजना बनाना ;मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां)
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के काय्रन्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, बाल इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करकना।
- ✓ मुआवजे तथा रिकवरी/ पुनरूद्धार के प्रयासों के लिए क्षति की सूचनाओं का विश्लेष्ण करना।

1.3.3 बच्चों को आगे के नुकसान से बचाना

उद्देश्य

- बच्चों को आगे के नुकसान से बचाना

मुख्य कार्यः

✓ सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन टीम एवं दूसरे एजेंसियों द्वारा की जा रही प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों से बच्चों को भविष्य में कोई नुकसान नहीं हो।

✓ स्कूल से हटाये जाने की स्थिति में सुनिश्चित करना कि नाजुक हालत वालों के साथ बच्चों को सुरक्षित एवं पहले से तय राहत शिविरों में पहुंचाया जाय। जितना जल्द हो सके, उन लोगों को उनके परिवार के सदस्यों से मिलवाना।

✓ सुनिश्चित करना कि बच्चे दुर्व्यवहार, अपहरण, सशस्त्र गिराहों के शिकंजे में जाने तथा शोषण के शिकार नहीं हों।

✓ सुनिश्चित करना कि कोई बचचा, खासकर लड़किया देह व्यापार में नहीं लगाई जाय या प्रताड़ित या लैंगिक प्रताड़ना की शिकार नहीं हो। स्थानीय स्तर पर इन कामों की मॉनीटरिंग में बच्चों को लगाना।

✓ बच्चों औरउनके परिवार वालों के बीच स्वसुरक्षा को बढ़ावादेना तथा किसी तरह प्रताड़ित किये जानेपर उसकी सूचना दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करना।

✓ किसी संवेदनशील सूचना को इस तरह निपटाना कि सूचना देने वाले या सूचना के आधार पर जिनकी पहचान हो सकती है, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न पैदा हो।

1.3.4 भेदभावरहित सहायताः

उद्देश्यः

- सभी प्रभावित बच्चों के लिए भेदभावरहित हर संभव सहायता सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्यः

✓ अशक्त बच्चों तथा किशोरियों की विशेष जरूरतें बिना किसी भेदीाव के पूरा करना।

✓ उनके लिए बिना किसी भेदभाव के प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य, भोजन, पोषण, वॉश और सामाजिक सुरक्षा आदि जैसी सभी संभव राहत सहायता सुनिश्चित करना।

✓ नाजुक हालत वो बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय सुनिश्चित करना।

✓ राहत शिविरों /ग्राम पंचायतों में बच्चों को शैक्षणिक क्लास और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

1.3.5 हिंसा एवं बर्बरता के कारण बच्चों को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाना

उद्देश्य:

- बच्चों को हिंसा या जबरदसती के कारण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाना।

मुख्य कार्य:

✓ बच्चों के साथ गलत व्यवहार, बलात्कार या हिंसा, के मामले में मामला बनाना तथा ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के साथ साझा करना। फिर आगे जरूरत के अनुसार इसे ग्राम कचहरी या पुलिस के साथ साझा करना।

✓ ऐसे मामलों की मॉनीटरिंग, रिपोर्टिंग तथा रोकथाम के उपायों में बच्चों को शामिल करना। वे अपने पड़ोस के बच्चों या सहपाठियों के बीच जागरूकता पैदा करने के काम भी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।

✓ स्थिति की मॉनीटरिंग करते रहना।

✓ यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावित बच्चे किसी तरह के हिंसक हमले या जोर–जबरदस्ती के शिकार नहीं हो, सभी उचित कदम उठाना।

✓ बच्चों को समुदाय आधारित सामाजिक सुरक्षा और बच्चों की स्व–रक्षा के लिए परिवार को प्रोत्साहित करना।

✓ राहत शिविरों / गांव में कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, पंचायत को मदद करना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य:

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और बच्चों की नश्वरता या रुग्णता को कोई खतरा नहीं है। तथा दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करना एवं ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को रिपोर्ट देना।

✓ सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे अपने परिवारवालों के साथ फिर से मिल जायें एवं मॉनीटरिंग व्यवस्था ठीक से काम करे।

✓ स्थानीय लोगों,, डीएमटी, इएसएफ नोडल एजेंसियों , इओसी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ इओसी तथा दूसरे इएसएफ नोडल एजेंसियों से सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों

को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित बच्चे आपदा के प्रभाव से मुक्त हो जायें एवं मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निजात पा लें तथा सामान्य एवं स्वस्थ जीवन को लौट जायें।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ प्रभावित लोगों के बीच मुआवजे और आधिकारिता को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- ✓ सरकार और दूसरे संबंद्ध अधिकारियों द्वारा बच्चों के अधिकारों का आदर एवं बहाली सुनिश्चित करना।
- ✓ बच्चें की हालत में सुधार एवं बदलाव के लिए बाल विकास कार्यक्रमों तथा रिकवरी के सवाल पर काम कर रहे स्व्यंसेवी संगठनों से तालमेल रखना।
- ✓ बच्चों को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराने में मदद करना।
- ✓ भविष्य में बेहतर तैयारी के लिए बाल संरक्षण के सबकों को विकास एजेंसियों के साथ साझा करना।
- ✓ विकास के नये कार्यक्रमों को डीआरआर से जोड़ना तथा डीआरआर के उपायों को अपनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित हैः

2.1- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपायः

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों से संबंधित विकास कार्यक्रमों में आपदा

जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना। साथ ही देखना कि बच्चों से संबंधित आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं दस्तावेजीकरण हो रहा है।

मुख्य कार्यः

- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रत्येक गांव में बाल समिति का गठन कर लिया गया है तथा आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ बच्चों से संबंधित विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना। इसमें निम्न काम शामिल हो सकते हैंः
  - सुनिश्चित करना कि सभी वार्डों एवं गांवों में बच्चों से संबंधित जोखिमों का विश्लेषण एवं जोखिम कम करने की तैयारी तथा आपात प्रत्युत्तर के उपाय ठीकठाक तरीके से कर लिया गया है और सभी संबंद्ध लोगों को इसकी जानकारी है।
  - सुनिश्चित करना कि मध्याह्न भोजन ; मिड डे मिल)/सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों का स्वरूप मधुबनी की स्थिति के अनुरूप आपदारोधी है।
  - सर्व शिक्षा अभियान तथा केंद्र औरराज्य संपोषित दूसरे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के नियम कानून के अनुसार ग्राम पंचायत के स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करना। तथा इसके लिए संबंधित संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
  - स्कूल भवनों का आपदारोधी होना सुनिश्चित करना तथा नये बनने वाले भवनों में कानूनों का पालन सुनिश्चित कराना।
- ✓ बच्चों की सुरक्षा, सहायता एवं मनोवैज्ञानिक मदद के लिए उपसमुह नामित करना।
- ✓ इसी तरह ग्राम/वार्ड स्तर की कमेटियां और उपसमुह बनाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत के सभी लोग बच्चों के संभावित जोखिमों से अवगत हों और घर–परिवार के स्तर पर इससे निपटने की तैयारी पहले से ही करें।
- ✓ सुनिश्चित करना कि बच्चों के मामले से जुड़े प्रोफेशनल और सारे लोग बच्चों के संभावित जोखिम, जोखिमों से बचने के लिए हसतक्षेप के तरीके से अवगत हों तथा जरूरत के मुताबिक प्रखंड स्तर पर उन्हें नोडल एजेंसियों से विशेषज्ञों की सलाह सुलभ हो।
- ✓ सुनिश्चित करना कि बच्चों की राय तथा अनुभवों का इस्तेमाल न सिर्फ आपात स्थितियों के दौरान किया जाय बल्कि उनका इस्तेमाल मानवीय सेवाएं उपलब्ध कराने एवं इसकी मॉनीअरिंग और मूल्याकंन में भी हो।
- ✓ बच्चों के आपदा जोखिम कम करने संबंधी विषय पर विचार के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ क्या करना है और क्या नहीं करना है, अच्छी और बुरी आदतें क्या हैं, इस बारे में बच्चों को शिक्षित करना।
- ✓ आपात स्थितियों में पहले से पर्याप्त तैयारी और तत्काल प्रत्युत्तर के उपाय सुनिश्चित करना।

2.2 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- बाल समिति की टीम एवं दूसरे स्टेकहोल्डरं आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

✓ गांव, वार्ड, और आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों आदि जैसी संस्थाओं के सतर पर ऐसी ही कमेटियां एवं उपसमूह विकसित करना।

✓ ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त, सामग्री आदि) की देखभाल करना।

✓ विभिन्न एजेंसियोंद्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए विशेष बच्चों, यानी स्कूल जाने वाले और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों तथा अशक्त बच्चों के लिए समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।

✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

✓ दूसरी कमेटियों सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोलडरों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना तथा आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।

✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में बाल समिति का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था,इसके लिए पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना तथा हर साल और हर आपदा के बाद मिले सबकों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।

✓ साज –सामाना की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि बाल समिति आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय

काम जारी रखने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम7कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ आहार एवं पोषण, वॉश, स्वास्थ्य एवं शरण जैसी कमेटियों के साथ समन्वय के तंत्र विकसित करना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्यः

- ✓ समय–समय पर समिति की बैठक आयोजित करना। इस बैठक के बाद ग्रांव/वार्ड स्तर और संस्कागम सती की टीमों की बैठक करना।
- ✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ सामाजिक समावेश एवं स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का पता करना एवं उनकी बदहाली का आकलन करना तथाउनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ सभी लोगों, खासकर बच्चों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।
- ✓ स्कूल में नामांकित बच्चों और नियमित रूप से स्कूल नहीं आने वाले बच्चों की सूची उनके माता–पिता/अभिभावकों के संपर्क विवरण के साथ अद्यःतन करना।

- ✓ सभी वर्गो के बच्चों की सुरक्षा/संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पहले से की गयी तैयारियों की जांच करना।
- ✓ बच्चों के लिए तयआहार एवं पोषाहार, वॉश, स्वास्थ्य, शरण आदि का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ आपात समय के दौरान बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा आपदा के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस संबंध में बच्चों, शिक्षकों,समाज के संबंद्ध सदस्यों की क्षमता एवं जागरूकता सृजित करना।
- ✓ बच्चें की सुरक्षा के लिए कानून–व्यवस्था का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- ✓ नाजुक हालात वाले बच्चों की पहचान करना तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि बच्चों की दी जाने वाली मध्याह्न भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता कुपोषण से बचाने ओर स्वास्थ्य की रक्षा करनेलायक हो, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर बच्चों के लिए स्वास्थ्य की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
- ✓ दूसरे ग्राम पंचायतों की बाल समिति, नोडल एजेंसियों और मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की बच्चों के बीच काम करने वाली एजेंसियों के साथ जरूरत के मुताबि उनके सहयोग और कानूनी परामर्श के लिए नेटवर्क बनाना।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए समिति एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे वीकेसी, ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफनोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डश्रों खस कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए समिति के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। समिति आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी

ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के बारे में:

ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी (डीएमसी) एक स्थायी कमेटी है, जो आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाली दूसरी सभी कमेटियों और स्टेकहोल्डरों के समूहों के बीच एकीकरण एवं समन्वय का काम करती है। कमेटी दूसरी कमेटियों के कार्य प्रतिवेदन को मॉनीटर, संचित और साझा करती है।

कमेटी की संरचना: 10—12 लोग

- मुखिया :संयोजक
- पूर्व मुखिया
- वार्ड सदस्य: 2—3
- ग्राम पंचायत स्तरीय कमेटियों के टीम लीडर (सार, वॉश, शरण, स्वास्थ्य, आहार)
- ग्राम पंचायत स्तर पर दूसरे स्टेकहोल्डरों के समूहों के टीम लीडर (महिलाएं, स्व–सहायता समूह, स्कूल आदि)
- कमेटी के नामित सचिव

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात को मॉनीटर करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ स्थिति को मॉनीटर करना।
- ✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथाग्राम पंचायत स्तर पर भोजन एवं शरण से संबंधित पहले से किये जाने वाले उपायों को सभी संबंद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।
- ✓ संकट विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ सूखे जैसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता है , की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- प्रत्युत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को प्रखंड स्तर पर दूसरी ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटियां, और इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।
- ✓ आपात स्थिति होने की स्थिति में ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी निश्चित तौर पर प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को क्रियाशील करने की सूचना सभी संबंद्ध कमेटियों तथा गांव/वार्ड के वार्ड सदस्यों तक पहुंचाएगी।
- ✓ पहली समन्वय बैठक बुलाना तथा इस बैठक में प्रभावित इलाकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- ✓ आकलन में प्रभावित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर की तैयारी और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की मॉनीटरिंग

1.3.4-कानून–व्यवस्था

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई:

उद्देश्य:

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लेगों की जरूरतों का आकलन करना।
- प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति तथा रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य के संरचनाओं का आकलन करना।

मुख्य कार्य :

✓ नेतृत्व संभालकर दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ प्रभावित इलाकों में निधार्रित प्रपत्र में आकलन का काम सुनिश्चित कराना।

✓ सर्वाधिक नाजुक हालत वाले, खासकर विकलांगों, बच्चों, लड़कियों, एचआइवी/एड्स ग्रस्त लोगों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तथा बीमार लोगों, की बहुतजरूरी जरूरतों के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले दूसरे सभी समूहों की भागीदारी एवं उनसे सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर की तैयारी और समन्वित कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- प्रभावित बच्चों की जीवन रक्षक जरूरतें पूरी करना।
- सुविधाओं की योजना बनाना, स्वरूप तय करना, प्रबंधन और देखभाल करना।
- संसांधनों का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य:

✓ तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।

✓ स्वास्थ्य के तात्कालिक खतरों को विश्लेषण करना और तैयारी की योजना बनाना।

✓ मुआवजे तथा रिकवरी/ पुनरूद्धार के प्रयासों के लिए क्षति की सूचनाओं का विश्लेषण करना।

- ✓ ग्राम पंचायत से सलाह–मशविरा कर खोज एवं बचाव कार्य शुरू करना तथा इस बात का आकलन करना कि बाहरी मदद की जरूरत है या नहीं, और इसके अनुसार इएसएफ एजेंसी , प्रखंड एवं जिला अधिकारियों को सूचित करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन टीम के कामों का पुनर्मूल्यांकन करना।
- ✓ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के लोगों समेत नाजुक हालत वाले सभी लोगों के प्रतिनिधियों से राहत सामग्री एवं सुविधाओं के स्वरूप एवं स्वीकार्यता तय करते वक्त सलाह–मशविरा करना।
- ✓ हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों (मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, बाल इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करकना।

1.3.3 प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की मॉनीटरिंग

उद्देश्यः सुनिश्चित करना किः

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं
- समाज के सभी वर्गों के लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है
- संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल हो रहा है।

मुख्य कार्यः

- ✓ वार्ड सदस्यों की जवाबदेही तय करना।
- ✓ खोज एवं बचाव तथा अन्य आपदा प्रबंधन कमेटियों के कामों की मॉनीटरिंग करना।
- ✓ ढुलाई के सामानों को सुरक्षित जगह पहुंचाना सुनिश्चित करना।
- ✓ बदलते हालों का आकलन और मॉनीटरिंग करना तथा हालात के अनुसार प्रभावित लोगों, प्रत्युत्तर की कार्रवाई में लगे स्टेकहोल्डर समूहों, प्रखंड तथा जिला के अधिकारियों के साथसलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के साथ समन्वय बिठाना।
- ✓ नाजुक हालात वाले लोगों के समूहों (महिला, गर्भवती महिला, नवजात शिशु वाली माताएं, बूढे, अपंग लोग, एचआइवी / एड्स ग्रस्त लोग) की पहचान करना उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा देखना कि उनकी सबसे जरूरी जरूरतें सबसे पहले पूरी हो जायें।
- ✓ वंचित समूहों, अल्पसंख्यकों, दलितों और बहिष्कृत लोगों के साथ सलाह–मशविरा तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में उनका प्रतिनिधित्व तथा भागीदारी सुनिश्चित करना।

- ✓ सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन टीमें सही तरीके से काम कर रही हैं।

1.3.4 कानून–व्यवस्था

उद्देश्यः सुनिश्चित करना कि

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के दौरान शांति है
- जान–माल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है

मुख्य कार्य :

- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी सुनिश्चित करेगी की गड़बड़ी की कोई घटना नहीं हो।
- ✓ जान–माल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ असामाजिक तत्वों को महत्वपूर्ण ठिकानों से दूर रखना सुनिश्चित करना।
- ✓ दंगे की रोकथाम के लिए फोर्स की मौजूदगी सुनिश्चित करना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और रुग्णता तथा नश्वरता को आगे कोई खतरा नहीं है। अगर पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई है तो दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय स्थापित करना एवं पंचायत को रिपोर्ट देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात सुविधाएं पूरी तरह स्थानीय लोगों द्वारा नियंत्रित हैं तथाउनकी देखरेख में सारा काम हो रहा है तथा मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों, दूसरी कमेटियों, तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ दूसरी कमेटियों से सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार रहना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग आपदा के प्रभाव से मुक्त हो जायें और आपात व्यवस्थाओं से

निकलकर अपने पुराने घर या पुनर्निर्मित शरणस्थलों या गांवों में चले जायें जायें ।

मुख्य कार्य:

- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी सुनिश्चित करेगी कि क्षति का आकलन हो गया है और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित लोगों को सरकार से लाभ या अनुदान मिले।
- ✓ जहां संभव हो, वहां स्थानीय क्षमता का इस्तेमाल करते हुए समन्वित और प्रभावी आपूर्ति समूह प्रबंधन ";ब्डद्ध स्थापित करना।
- ✓ लोगों की आजीविका फिर से बहाल करने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी दीर्घकालिक योजना बनाने की सलाह ग्राम पंचायत को देगी।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें तैयार आपदा प्रभावित लोगों के हित में दीर्घकालिकयोजना बनाने की बात शामिल रहेगी और ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में निश्चित रूप से इसका उल्लेख होगा।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने की सुझाव ग्राम पंचायत को देगी।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपाय:

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि कार्यकलापों में आपदा जोखिम कम करना शामिल है।
- आपदा प्रबंधन कमेटी की आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का काय्रन्वयन एवं दस्तावेजीकरण हो रहा है।

मुख्य कार्य:

- ✓ सुनिश्चित करना कि ग्राम स्तर की सभी कमेटियां और कार्य समूह आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।

- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी पंचायत सदस्यों को आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने की सलाह निश्चित तौर पर दे।
- ✓ ग्राम पंचायत में आपदा प्रबंधन कमेटी आपदा के लिए विशेष रूप से बनी निकाय है, इसलिए यह निश्चित तौर पर पंचायत की योजनाओं एवं नीतियों में आपदा जोखिम कम करने की योजनाओं को शामिल कराने पर जोर डाले।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी निश्चित तौर पर पूरे पंचायत की जोखिम एवं नाजुकता का आकलन शुरू कराये।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी निश्चित तौर पर दूसरी कमेटियों , स्टेकहोल्डरों तथा दूसरी एजेंसियों के साथ आपदा जोखिम कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए समन्वय बनाये।
- ✓ इएसएफ, नोडल और सपोर्ट एजेंसियों तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कमेटियों से सलाह मशविरा कर सभी क्षेत्रों के लिए एक न्यूनतम मानक तय करे।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी निश्चित तौर पर सुनिश्चत करे कि किसी योजना के कार्यान्वयन के कारण उसके वार्ड या पंचायत में प्राकृतिक वातावरण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़े।

2.2 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में पंचायत एवं दूसरे स्टेकहोल्डरं अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण एवं मौसम के अनुसार जागरूकता सृजन तथा वार्ड एवं पंचायत के लिए स्टेकहोल्डरों की जरूरतों का कैलेंडर बनाना।
- ✓ यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना कि ग्राम पंचायत के सभी लोग संभावित आपदा से अवगत हो जायें तथा उन्हें यह मालूम हो कि आपदा के कुप्रभावों से बचने के लिएघर के स्तर पर कम से कम क्या कुछ करना चाहिए।
- ✓ सुनिश्चित करना कि अलग–अलग वार्ड के लोगों को बुनियादी जानकारी के प्रशिक्षण के साथ–साथ॑ विशेष रूप से क्या कुछ करना है, इसका प्रशिक्षण भी मिले।
- ✓ सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने आपदा प्रबंधन की प्रारंभिक और उच्च स्तर की प्रशिक्षण हासिल की है।
- ✓ प्रशिक्षण और क्षमता सृजन के कार्यकलापों से तारतम्य बनाये रखने तथाइसमें ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय अधिकारियों तथा दूसरे संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ साल में कम से कम ऐसे दो कार्यक्रम आयोजित करना। (एक, बाढ़ के मौसम के पहले तैयारी की जांच के लिए मॉक ड्रिल के रूप में, तथा दूसरा, आपदा और प्रत्युत्तर के सबकों को रिकार्ड करने के लिए आपदा गुजर जाने के बाद)।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन कमेटी आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम है।ा

मुख्य कार्य:

✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम7कानून तय करना।

✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में ग्राम पंचायत के सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।

✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।

✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।

✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।

✓ आहार एवं पोषण, वॉश, स्वास्थ्य एवं शरण जैसी कमेटियों के साथ समन्वय के तंत्र विकसित करना।

✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्य:

✓ गांव और वार्ड स्तर पर स्टेकहोल्डरों की बैठक आयोजित करना।

✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए

उपसमूह नामजद करना।

- ✓ सभी लोगों, तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।
- ✓ आपदा प्रबंधन की विभिन्न टीमों की पूर्व तैयारियों का मॉनीटरिंग करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी सुनिश्चित करेगी कि सभी आपदा प्रबंधन टीमें सुसज्जित हैं।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी निश्चित रूप से स्थानीय रिसोर्स पर्सन, स्वयंसेवी संगठनों तथा दूसरी एजेंसियों का डाटा तैयार करेगी।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी सुनिश्चित करेगी कि पंचायत में आपूर्ति समूह प्रबंधन ॄ;ब्डद्ध काम कर रहा है।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन कमेटी प्रखंड एवं इएसएफ एजेंसियों से संपर्क बनाये हुए है।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफनोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए समिति के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। समिति आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत शिक्षा समिति

शिक्षा समिति के बारे में

शिक्षा आपदा प्रबंधन कमेटी समुदाय को ग्राम पंचायत में आपदारोधी शिक्षा व्यवस्था की योजना, कार्यान्वयन और देखरेख में मदद करती है। आपात स्थिति के दौरान यह प्रत्युत्तर देने वाली प्रमुख टीम के तौर पर काम करती है और वंचित या पहले जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला हो, जो किसी आपात स्थिति से प्रभावित हों, समेत सभी बच्चों को जाहिरा तौर पर ं गुणवत्तापूर्ण एवं सहभागिता वाली शिक्षा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

संरचनाः 12–16 लोग

- टीम लीडर ; टीम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित/ चयनित शिक्षा क्षेत्र के बारे में अनुभवी व्यक्ति। वे ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी में टीम का प्रतिनिधित्व करेगे/ करेंगी)।
- समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की अच्छी जानकारी रखने वाले पुरुष एवं महिलाएं समिति की सदस्य होंगी। उन्हें ग्राम पंचायत में शिक्षा कार्यक्रमों पर बातचीत एवं निर्णय कराने में सक्षम होना चाहिए।
- टीम समावेशी चरित्र की होगी और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और वंचित समूहों समेत विभिन्न गांवों और विभिनन वर्गों के प्रतिनिधि रहेंगे।
- गांव के प्रतिनिधि अपने गांवों/वार्डों में इसी तरह की टीम बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

✓ स्थिति को मॉनीटर करना।

✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आपात स्थिति में स्कूल की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर बरती जाने वानी सावधानियों की सूचना सभी संबंद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।

✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ सूखे जैसी आपदा , जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

✓ प्रभावित इलाके में निधार्रित प्रारूप में आकलन सुनिश्चित करना।

✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को प्रखंड स्तर पर दूसरी ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटियां, और इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।

✓ अगर ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तय करती है कि आपात स्थिति है, और शिक्षा को लेकर प्रत्युत्तर कार्रवाई की जरूरत है तो सभी संबंद्ध लोगों, खासकर गावं/वार्ड स्तर की शिक्षा टीम तथा सीानीय स्तर की संस्थाओं तक प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को क्रियाशील करने की सूचना पहुंचाना।

✓ पहली समन्वय बैठक बुलाना तथा इस बैठक में प्रभावित इलाकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

✓ आकलन में प्रभावित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

शिक्षा के लिए प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैं:

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-स्कूल की सुविधा एवं स्कूल में शिक्षा का माहौल

1.3.4-शिक्षण एवं पढ़ाई

1.3.5-शिक्षक एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारी

1.3.1 शुरुआती आकलन :

उद्देश्यः

- प्रत्युत्तर की कार्रवइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लोगों की जरूरतों का आकलन करना।
- आपात स्थिति में शिक्षा का आकलन सद्भावपूर्ण एवं सहभागी तरीके से करना।

मुख्य कार्यः :

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व के अधीन तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ आपात स्थिति से ग्रस्त सभी इलाकों में शिक्षा की जरूरतों एवं विभिन्न स्तर व विभिन्न तरह की शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों का विस्तृत आकलन करना।

✓ अगर अंतरविभागीय आकलन हो रहा हो, तो सुनिश्चित करना कि इस आकलन में शिक्षा भी शामिल रहे।

✓ संकेतकों की विवेचना एवं सुधार तथा सूचना प्रबंधन एवं प्रसार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले दूसरे सभी समूहों एवं सामाजिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर की तैयारी

उद्देश्यः

- समस्या के सुस्पष्ट विवरण और कार्य की रण्रनीति के ब्यौरे के साथ शिक्षा से जुड़ी प्रत्युत्तर की रूपरेखा बनाना
- सुविधाओं की योजना, प्रबंधन और देखरेख में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाना।

- रिकवरी एवं पुनर्निर्माण की योजना में अधिकारियों की मदद करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार शिक्षा के प्रत्युत्तर का विश्लेषण करना।
- ✓ अगर किसी स्कूल को मरम्मती की जरूरत हो तो क्षति की सूचना का विश्लेषण करना और रिकवरी / पुनर्निर्माण का प्रयास करना।
- ✓ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के लोगों समेत नाजुक हालत वाले सभी लोगों के प्रतिनिधियों से राहत सामग्री एवं सुविधाओं के स्वरूप एवं स्वीकार्यता तय करते वक्त सलाह–मशविरा करना।
- ✓ हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों ;मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) की योजना बनाना।
- ✓ अन्य एजेंसियों एवं कमेटियों के साथ मिलकर एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, प्रशिक्षित कैडेटों को खोज, बचाव एवं आपात स्थिति वाले जगहों से लोगों को बाहर ले जाने के काम में लगाना।
- ✓ आपात स्थिति की हालत में स्कूल में प्रशिक्षित कैडेट जीवनरक्षा के लिए तत्काल कदम उठायेंगे। जैसेः
- ○ आग लगने की स्थिति में अग्निशमन का इस्तेमाल करना।
- ○ बाढ़ की स्थिति में जो कैडेट टीम तकनीकी तैराकी में दक्ष हों, उन्हें लोगों को बाढ़ से बचाना चाहिए।
- ○ भूकंप की स्थिति में प्रशिक्षित कैडेट मलबे में दबे में लोगों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।
- ✓ उपरोक्त सामानों को जुटाने तथायोजनाओं के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, शिक्षा इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली एजेंसियों तथा गैर सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.3.3 स्कूल की सुविधा एवं स्कूल में शिक्षा का माहौल

उद्देश्यः

- सभी रूक्तियों के लिए गुणवत्तापूर्ण, प्रासंगिक शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करना।
- सुरक्षित पढ़ाई का माहौल सुनिश्चित करना और पढ़ने वाले की सुरक्षा तथा मानसिक एवं भावनात्मक बेहतरी का इंतजाम करना।
- पढने वालों की शारीरिक बेहतरी की सुविधाएं सुनिश्चित करना ।

मुख्य कार्य :

- ✓ सुनिश्चित करना कि गरीबी, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म, भाषा, संस्कृति, राजनीतिक संबंध, लैंगिक यझाान, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थल या शिक्षा की विशेष जरूरतों के आधार पर शिक्षा या पढ़ाई के अवसर से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाये ।
- ✓ सुनिश्चित करना कि किसी तरह का प्रमाण–पत्र या अन्य कागजात ; नारिकता प्रमाण पत्र, जन्म या आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, स्कूल रिपोर्ट आदि) स्कूल में दाखिले में आड़े न आए, क्योंकि आपात स्थिति से प्रभवित लोगों के पास ये कागजात नहीं भी हो सकते हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात सिति से प्रभावित बच्चों एवं युवाओं पर आयुसीमा नहीं लागू की जाये। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें भी दुबारा दाखिले की अनुमति मिलनी चाहिए।
- ✓ आपात स्थिति के पूरे समय में अच्छी तरह से पढ़ाई जारी रहने के लिए पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ आपात स्थिति के कारण आयी किसी रूकावट के बाद जितना जल्द हो सके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात स्कूल सुरक्षित और सुविधाजनक जगहों पर अवस्थित हों
- ✓ पढने वालों को मनोवैाानि समर्थन उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों एवं स्कूल के दूसरे लोगों को प्रशिक्षित होना चाहिए।
- ✓ डराने–धमकाने की कोई धटना न हो इसके लिए शिक्षकों को क्लास प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शारीरिक दंड न तो दिया जाना चाहिए और ना ही प्रोत्साहित की जानी चाहिए।
- ✓ बच्चों की पोषाहार एवं नाश्ते की जरूरत स्कल के भोजन कार्यक्रम से पूरी की जानी चाहिए।
- ✓ सभी बच्चों के लिए पानी एवं सफाई की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

1.3.4 शिक्षण एवं पढ़ाई

उद्देश्य:

- औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रासंगिक एवं सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का इस्तेमाल सुनिश्चित करना।
- जरूरत और स्थिति के अनुसार शिक्षकों एवं स्कूल के अन्य कर्मियों के लिए समय–समय पर प्रासंगिक एवं संस्थागत प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- पढ़ाई केंद्रित, सहभागी और समावेशी शिक्षण सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ सुनिश्चत करना कि आपात स्कूलों में पाठ्यक्रम जिला शिक्षापदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लिये गये हों और उनकी अग्रिम स्वीकृति ले ली गई हो।
- ✓ पढ़ने वाले की स्थिति, जरूरत, आयु और क्षमता के अनुसार पढ़ाने का उपयुक्त तरीका बनाया जाना चाहिए और उस तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- ✓ शिक्षको एव स्कूल के अन्य कर्मियों को प्राथमिकता वाली जरूरतें, शैक्षणिक कार्यकलापों के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा पदाधिकारी / प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मंजूर होना चाहिए।
- ✓ बच्चों को अपनी पढ़ाई में लगे रहने का अवसर सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- ✓ बच्चों को अपनी पढ़ाई में लगे रहने के लिए शिक्षकों द्वारा सहभागिता का तरीका अपनाया जाना चाहिए और पढ़ाई के माहौल में सुधार करना चाहिए।

1.3.5 शिक्षक एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारी

उद्देश्य

- पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की बहाली सुनिश्चित करना।
- सुनिश्चित करना कि शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का काम अच्छी तरह तय हो, वे आचार संहिता का पालन करते हों और उन्हें उचित वेतन मिलता हो।
- शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के काम कामकाज का पर्यवेक्षण और उसके लिए तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करना तथा देखना कि यह काम नियमित हो रहा है।

मुख्य कार्य :

- ✓ आपात स्कूलों को चलाने के लिए अगर और शिक्षकों की जरूरत हो, तो उनकी बहाली उचित और पारदर्शी तरीके से जरूरत की अवधि तक के लिए की जानी चाहिए। बहाल और काम पर लगाये गये शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए ताकि शिक्षकों पर एक ही साथ एक ही कलास में बहुत बच्चों को न पढ़ाना पड़े।
- ✓ शिक्षें की सेवा शर्तें और वेतन जॉब कांट्रैक्ट में उल्लिखित होना चाहिए और योग्यता व दक्षता के अनुसार वेतन ; नकद या अन्य रूप में) नियमित मिलना चाहिए।
- ✓ शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का नियमित आकलन, मॉनीटरिंग और साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- ✓ आवश्यकतानुसार शिक्षकों एवं अन्य शेक्षणिककर्मियों को मनोवैाानिक समर्थिन एवं सलाह–मशविरा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि आपात समय के लिए शिक्षा से जुड़े सारे तात्कालिक उपाय ठीकठाक तरीके से कर लिये गये है।

✓ सुनिश्चित करना कि आपात शिक्षा सेवाएं एवं सुविधाएं पूरी तरह स्थानीय लोगों के नियंत्रण में हैं और मॉनीटरिंग का पर्याप्त तंत्र काम कर रहा है।

✓ स्थानीय लोगों,, दूसरी कमेटियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा दूसरी कमेटियों के साथ सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- सभी लोगों के लिए पढ़ाई के लिए सुरक्षित, एवं पढ़ने वालों के शारीरिक एवं मानसिक देखभाल के साथ सुविधाजनक माहौल में गुणवत्ता युक्त एवं प्रासंगिक शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।

✓ प्रभावित लोगों के बीच मुआवजे और आधिकारिता को लेकर जागरूकता पैदा करना।

✓ क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मती एवें पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा विभाग के विकास कार्यक्रमों तथा रिकवरी के सवाल पर काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों से तालमेल रखना। उन्हें आपदारोधी डिजयन अपनाने और बेहतर निर्माण की सलाह देना।

✓ भविष्य में बेहतर तैयारी के लिए शिक्षा के प्रत्युत्तरों के सबकों को विकास एजेंसियों के साथ साझा करना।

✓ विकास के नये कार्यक्रमों को डीआरआर से जोड़ना तथा डीआरआर के उपायों को अपनाना।

✓ शिक्षा की पहुंच बढाने के लिए शिक्ष प्रबंधन सूचना तंत्र विकसित करना तथा उसका इस्तेमाल करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित खंडों में विभाजित है:

2.1- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपाय:

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य:

- ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना।
- यह देखना कि बच्चों से संबंधित आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं दस्तावेजीकरण हो रहा है।

मुख्य कार्य:

✓ सुनिश्चित करना कि गांव स्तर की कमेटियां और कार्य समूह आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।

✓ साथ ही यह देखना कि ग्राम पंचायत में शिक्षा संबंधी विकास के कामों में कमेटियां आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताएं शामिल करा रही हैं। इन प्राथमिकताओं में निम्न बातें शामिल हो सकती हैं::

○ सुनिश्चित करना कि स्कूल और शिक्षा से संबंधित जोखिमों का विश्लेषण कर लिया गया है।

○ सुनिश्चित करना कि सभी वार्डों और गावों के स्कूलों की सुरक्षा के उपायं एवं आपात शिक्षा के प्रत्युत्तर की योजना ठीकठाक है तथा सभी संबंद्ध लोगों को इसकी जानकारी है।

○ सुनिश्चित करना कि स्कूल द्वारा अपनाये गये स्कूली शिक्षा कार्यक्रम ; स्कूल भवन निर्माण) मधुबनी में आपदा के सवरूप के अनुसार आपदारोधी हैं।

✓ स्थानीय लोग स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की पहचान कर सकें, इसके लिए जनसमर्थन तैयार करना, खास छात्रों की मदद किस तरह की जा सकती है, इसका सुझाव देना।

✓ स्कूल को सुरक्षित और पहुंच लायक बनाने के लिए इसके भौतिक माहौल में सुधार करना।

✓ बच्चों को स्कूल जान और पढ़ाई से रोकने वाले गरीबी, खराब स्वास्थ्य आदि जैसे शिक्षा से इतर कारणों को सुलझाने के लिए दूसरी कमेटयों के साथ समन्वय बनाना।

✓ शिक्षा से वंचित करने वाली नीतियों को बदलने की वकालत करना, संबंधित कानूनों और शिक्षक

शिक्षा में बदलाव का का पालन करवाना –या इन कामों को करने वालों को बढ़ावा देना।

- ✓ कौन लोग भाग ले रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, इसकी नियमित मॉनीटरिंग करना। डाटा संग्रह के काम में स्थानीय लोगों को लगाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि स्कूल की सुरक्षा तथा बच्चों की शिक्षा के संभावित जोखिमों के बारे में ग्राम पंचायत के सभी लोग अवगत हों।
- ✓ सुनिश्चित करना कि स्कूल सुरक्षा से जुड़े जोखिमों, स्कूल भवनों के लिए उचित निर्माण संहिता, आपात स्थिति में शिक्षा के अच्छे तौर–तरीके के बारे में शिक्षा से जुड़े लोग ; शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, स्कूल प्रबंधन समिति आदि) अवगत हों तथा जरूरत के अनुसार प्रखंड स्तर पर शिक्षा की नोडल एजेंसियों से उन्हें विशेषज्ञों की सलाह सुलभ हो।
- ✓ शिक्षा इएसएफ नोडल और सपोर्ट एजेंसयों से सलाह–मशविरा कर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मानकों को अपनाते हुए आपात स्थिति में शिक्षा का एक न्यूनतम मानक तय करना।
- ✓ आपात स्थिति की नौबत में शिक्षा के तातकलि प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाई के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करना।
- ✓ आपात शिक्षा कार्यक्रम को शिक्षा क्षेत्र के दीर्धकालिक विकास से जोड़ना सुनिश्चित करना।
- ✓ शिक्षा अधिकारी और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले दूसरे लोग मौजूदा और भविष्य के आपदाओं के लिए स्थानीय शिक्षा योजनातैयार करेंगें और इसके नियमित पुनरीक्षण की व्यवस्था बनायेंगे।

2.2 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- शिक्षा टीम एवं दूसरे स्टेकहोल्डरं आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ अलग–अलग तरह के बच्चों के साथ काम करने के लिए समझ एवं वश्वास पैदा करने में शिक्षकों की मदद करना।
- ✓ समकक्षों कको सहयोग को बढ़ावा देना: बच्चों की समस्याओं को जानने और उनका हल तलाशने में एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की मदद करेंगे। इसी तरह स्कूल के भीतर और बाहर बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे।
- ✓ अलग–अलग तरह के बच्चों के लिए कम लागत वाली पाढ्य सामग्री तैयार करने में शिक्षक, छात्र और माता–पिता को मदद करना।
- ✓ विचार एवं अनुभवों को साझाकरने के लिए दूसरे स्कूल–कॉलेजों ; दूसरे इलाके व जिले के) के साथ संपर्क बढ़ाना।

✓ गांव/वार्ड और संस्था के सतर पर भी स्कूल जैसी ही कमेटी बनाना तथा ऐसी कमेटियों को मदद करना।

✓ स्कूलों में समय–समय पर मॉक ड्रील एवं जागरूकता पैदा करने के लिए बहस आयोजित करना। स्कूली सुरक्षा के जोखिमों एवं आपात स्थिति में स्कूलोंद्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में शिक्षकों, बच्चों तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों को जागरूक बनाने के लिए अंतरविधालय प्रतियोगिता, रैली, और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम आयोजित करना।

✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

✓ विभिन्नएजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में कमेटी के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ;डीडीएमए), इंटर एजेंसी ग्रूप ;आइएजी), तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ दूसरी कमेटियों, सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोलडरों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना तथा आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।

✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में शिक्षा समिति का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था,इसके लिए पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना तथा हर साल और हर आपदा के बाद मिले सबकों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा समिति आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम7कानून तय करना।

✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।

✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।

✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।

✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।

✓ आहार एवं पोषण, वॉश, स्वास्थ्य एवं शरण जैसी कमेटियों के साथ समन्वय के तंत्र विकसित करना।

✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्य:

✓ समय–समय पर कमेटी की बैठक आयेजित करना और इसके बाद गांव और वार्ड स्तर पर टीमों की बैठक करना।

✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।

✓ सभी लोगों, खासकर छात्रों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।

✓ छात्रों ; जिनका नाम स्कूल में दर्ज हो) तथा नियमित स्कूल नहीं जाने वाले दूसरे बच्चों की सूची अद्यःतन बनाना सुनिश्चित करना।

✓ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे शिक्षकों की पहचान करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना, जिन्हें आपात स्थिति के दौरान शिक्षण कार्य में लगाया जा सकता है।

✓ पारंपरिक रूप से शिक्षा से वंचित छात्रों को स्कूलों से जोड़ने के लिए स्थानीय सतर पर और कौन सा संसाधन उपलब्ध है, इसका पता करना।

  - कैसे लोग उपलब्ध है? उनके पास कौन सा हूनर और उनकी रुचि क्या है?अगर उनसे कहा जाये तो शिक्षा से संबंधित प्रत्युत्तर के काम के लिए उनके पास कितना वक्त है?
  - यहां सामानों का कौन सा स्रोत है?
  - मदद करने के लिए पैसा किसके पास है?
  - बड़े और युवा बच्चे क्या कर सकते हैं?

- क्या इलाके में मदद या सलाह देने लायक कोई विशेष स्कूल है ?
- शिक्षककितने लचीले हैं– उन्हें क्या कुछ करने की अनुमति है यउन्हें काम करने के अपने तरीके तथ अपने समय प्रबंधन को बदलने की कितनी आजादी है ?
- स्कूल में दाखिले को लेकर जो अवरोध हैं, उन्हें दर्ज करे। लेकिन मुख्य रूप से पहले से उपलब्ध स्थान, संसाधन और अवसर पर विशेष ध्यान दें।

✓ ग्राम पंचायत, इएसएफ नोडल एजेंसी और दूसरी सपोर्ट एजेंसियों,राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा क्षेत्र की विशेषज्ञ कमेटियों के साथ उनकी मदद एवं तकनीकी सलाह लेने के लिए शिक्षाकमेटी का नेटवर्क बनायें।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए समिति के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। समिति आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

खाद्य एवं पोषाहार टीम

खाद्य एवं पोषाहार टीम के बारे में:

सशक्त संस्था के अंग के रूप में खाद्य एवं पोषाहार टीम ग्राम पंचायत में खाद्य एवं पोषाहार गतिविधियों की योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने तथा उसकी देखरेख करने में स्थानीय लोगों की मदद करती है। खाद्य एवं पोषाहार आपदा प्रबंधन टीम खाद्य सुरक्षा, पोषाहार एवं आजीविका के लिए आपदा प्रबंधन योजना के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाती है। आपात स्थिति के दौरान टीम प्रभावित इलाकों में खाद्य एवं पोषाहार से संबंधित आवश्यक सहाय्य कार्य ;इएसएफ) को मदद करती है।

संरचनाः 12–16 लोग

- टीम लीडर ; खाद्य एवं पोषाहार के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति /ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी द्वारा चयनित एवं प्रखंड स्तर पर खाद्य एवं पोषाहार इएसएफ के नोडल पदाधिकारीसे सलाह–मशविरा कर बहाल किया गया)
- खाद्य एवं पोषाहार क्षेत्र की जानकारी रखने वाले या इस क्षेत्र में काम किये स्त्री–पुरुष कमेटी के सदस्य होंगे।
- टीम समावेशी चरित्र का होगा और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और वंचित समूहों समेत विभिन्न गांव और समाज के विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधि रहेंगे।
- ग्राम प्रतिनिधि इसी तरह की टीम अपने–अपने गांव/ वार्ड में बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

✓ स्थिति को मॉनीटर करना।

✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य एवं पोषाहार से संबंधित बरती जाने वाली सावधानियों को सभी संबंद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।

✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ सूखे जैसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य

✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को प्रखंड स्तर पर दूसरी ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटियां, और इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।

✓ अगर आपात स्थिति है, तो ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी निश्चित तौर पर सभी संबंद्ध कमेटियों, विशेषकर गांव/वार्ड तथा समुदाय स्तर की खाद्य एवं पोषाहार टीम तक खाद्य एवं पोषाहार की प्रत्युत्तर कार्रवाइ शुरू होने की सूचना पहुंचाएगी।

✓ पहली समन्वय बैठक बुलाना तथा इस बैठक में प्रभावित इलाकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

✓ आकलन में प्रभावित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

✓ प्रभावित इलाके में निधार्रित प्रारूप में आकलन सुनिश्चित करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

खाद्य एवं पोषाहार की प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैं:

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-खाद्य सुरक्षा एवं पोषाहार का आकलन

1.3.4-नवजात शिशु एवं बच्चों का आहार

1.3.5-गंभीर कुपोषण एवं सूक्ष्म कुपोषण की बीमारियां

1.3.6-खाद्य सुरक्षा

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई

उद्देश्य

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लोगों की जरूरतों का आकलन करना।
- प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति तथा रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य की संरचनाओं का आकलन करना।

मुख्य कार्य :

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व के अधीन तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ सर्वाधिक नाजुक हालत वाले लोगों, खासकर बूढं, विकलांग, बचचे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं, एचआइवी/एड्स ग्रस्त रोगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समूह के लोग, की सबसे जरूरी जरूरतों की जानकारी हासिल करना।

✓ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत सर्वाधिक नाजुक हालत वाले लोगों, के समूहों तथा सामाजिक समूहों की भागीदारी एवं उनसे सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना।

1.3.2 प्रत्युत्तर की तैयारी :

उद्देश्यः

- प्रभावित लोगों की जीवन रक्षक जरूरते पूरी हो जाये।
- सुविधाओं की योजना, डिजायन,प्रबंधन और देखरेख में लोग शामिल रहें।
- रिकवरी एवं पुनर्निर्माण की योजना में अधिकारियों को मदद पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

✓ खाघ सुरक्षा एवं पोषाहार आकलन, नवजात शिशु एवं बच्चों का आहार, गंभीर कुपोषण एवं कुपोषण से उभरी बीमारियों का प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा जैसे प्रत्येक वॉश एरिया केः

तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।

- ✓ स्वास्थ्य के तात्कालिक खतरों को विश्लेषण करना और तैयारी की योजना बनाना।
- ✓ मुआवजे तथा रिकवरी / पुनरूद्धार के प्रयासों के लिए क्षति की सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के लोगों समेत नाजुक हालत वाले सभी लोगों के प्रतिनिधियों से राहत सामग्री एवं सुविधाओं के स्वरूप एवं स्वीकार्यता तय करते वक्त सलाह–मशविरा करना।
- ✓ हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों ;मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना।
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, बाल इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.3.3 खाद्य सुरक्षा एवं पोषाहार का आकलन

उद्देश्यः : सुनिश्चित करना कि

- खाद्य असुरक्षा के कारण गंभीर खतरे वाले लोगों की पहचान हो
- कुपोषण के कारण गंभीर खतरे वाले लोगों की पहचान हो

मुख्य कार्य :

- ✓ राहत केंद्रों तक खाद्य पदार्थ की ढुलाई।
- ✓ इलाके की औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाओं समेत स्थानीय क्षमता का आकलन।
- ✓ आपदा पूर्व की मौजूद सूचनाओं का संकलनतथा पोषणा की स्थिति की प्रकृति एवं गंभीरता को दर्शाने के लिए शुरुआती आकलन
- ✓ पोषण की सर्वाधिक जरूरत वाले समूह तथा पोषण की स्थिति को प्रभावित करने वाले निहित कारणों की पहचान
- ✓ कुपोषण के संभावित कारणों को तय करते वक्त स्थानीय लोगों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों की राय पर विचार करना।

1.3.4 नवजात शिशु एवं बच्चों का आहार

उद्देश्यः :

- नवजात शिशुओं एवं बच्चों को सुरक्षित एवं उपयुक्त आहार सुनिश्चित करना।
- नवजात शिशुओं एवं बच्चों की माताओं और लालन–पोषण करने वाली को समय से

खतरे को कम और पोषण, स्वास्थ्य तथा आयु बढ़ाने वाला उपयुक्त आहार सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ बीमार लोगों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बूढ़ों विकलांगों आदि जैसे चिह्नित समूह के लोग, जिन्हें विशेष पोषाहार की जरूरत होती है, को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- ✓ आपात समय में शिशु को आहार देने के संबंध में मार्गदर्शन का प्रावधान।
- ✓ नवजात शिशुओं एवं बच्चों के संरक्षण के लिए समन्वित बहुक्षेत्रीय पहल शुरू करना।
- ✓ आहार, नकद, और या वाउचर हस्तांतरण तथा दूसरे तरह की मदद में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महलाओं को प्राथमिकता देना।
- ✓ जिन माताओं और लालन–पालन करने पाली महिलाओं के बच्चे को कृत्रिम आहार की जरूरत होती है, उन्हें अपने बच्चे को स्तनपान का पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने लायक साधन मुहैया कराना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि नवजात शिशुओं एवं बच्चों को मानक आहार मिल रहा है।

1.3.5 गंभीर कुपोषण एवं सूक्ष्म कुपोषण की बीमारियां

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि अल्प गंभीर कुपोषण पर ध्यान दिया जा रहा है
- सुनिश्चित करना कि अति गंभीर कुपोषण पर ध्यान दिया जा रहा है
- आपात स्थिति से जुड़ी सामान्य बीमारियों को कम करने के लिए सूक्ष्मपोषक सामग्री मुहैय्या कराना तथा सूक्ष्मपोषण की कमी को दूर करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ अगर मौके पर खिलाने की स्पष्ट अनिवार्यता नहीं हो तो सूखा या तुरंत इस्तेमाल कर लेने वाला पूरक आहार की आपूर्ति कराना।
- ✓ अति गंभीर कुपोषण के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार पोषाहर एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना।
- ✓ सूक्ष्मपोषण की कमियों वाले बीमारियों की पहचान तथा इलाज करना।
- ✓ आबादी के लिए जिस तरह के सूक्ष्मपोषण का खतरा हो, उसके प्रभावी प्रत्युत्तर का तरीका तय करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन टीम सुनिश्चित करेगी कि जो खाना बनाया जा रहा है या बंअ रहा है उसमें सूक्ष्मपोषण की कमियों को पूरा करने का पूरा इंतजाम हो।

1.3.6 खाद्य सुरक्षा

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि लोगों के पास मानवीय खाद्य सहायता का अधिकार हो तथा जहां तक संभव हो सके उनकी सहायता में कोई कमी नहीं हो और उन्हें इसकी कमी से बचाए जाए।
- जिन लोगों पर जोखम का खतरा है, उनके सहित आपदा प्रभावित लोगों की पोषाहार की जरूरतें पूरी करना सुनिश्चित करना।
- जो खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है वह उपयुक्त और पाने वाले मान्य हो, ताकि घर पर उसका इस्तेमाल कुशलता के साथ प्रभावी अंदाज में किया जा सके।
- वितरित किया जाना वाला भोजन आदमी के खाने लायक हो तथा उसकी गुणवत्ता सही हो।
- महिलाओं और पुरुषों के लिए आय सृजन के समान अवसर हो।
- बाजार तक सभी लोगों की सुरक्षित पहुंच हो।

मुख्य कार्यः

- ✓ तुरंत की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरुआती प्रत्युत्तर की रूपरेखा बनाना।
- ✓ आपदा प्रबंधन टीम सुनिश्चित करेगी कि सामुदायिक रसोई घर सुरक्षित और साफ इलाके में हैं।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों से प्राकृतिक आबोहवा को बचाना तथा उसे बिगड़ने नहीं देना।
- ✓ खाद्य वितरण की रूपरेखा स्थानीय स्थिति के अनुसार उर्जा, प्रोटिन, चरबी, सूक्ष्म पोषक, की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनायी जायेगी।
- ✓ वितरण के पहले लोगों की भंडारण क्षमता, पानी और ईंधन एवं भोजन पकाने के लिए समय की उपलब्धता तथा अनाज सुखाने की जरूरतोंका आकलन करना।
- ✓ स्वीकार्य भोजन का वितरण, एवं जिन चीजों को लोग नहीं जानते उन्हें पकाने का तरीका बताना।
- ✓ राष्ट्रीय मानदंड या अन्य अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंड के अनुसार खाद्य पदार्थों का चयन करना।
- ✓ लोगों को भोजन पकाने के सुरक्षित एवं उचित तरीके से अवगत कराना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि जमाकर रखा हुआ खाद्य पदार्थ या जो खाद्य पदार्थ अधिगृहित किया जारहा है वह क्वालिटी का हो तथा लोगोंको स्वीकार्य हो, खाना मानक के अनुसार हो तथा खाने लायक हो।
- ✓ जहां संभव हो, वहां स्थानीय क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आपूर्ति समूह प्रबंधन ॅ;ब्ड) की व्यवस्था करना।
- ✓ आय सुजन के कार्यकलापों को बाजार के आकलन तथा काम में भाग लेने वालों की क्षमता की सहभागिता विश्लेषण के आधार पर तय करना ।

- ✓ उत्पादकों,उपभोक्ताओं, और व्यापारियों के लिए उचित कीमत का बाजार उपलब्ध कराना और उसे बनाये रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ इस बात की जांच करना कि खाद्य एवं पोषाहार के जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और नश्वरता या रुग्णता को कोई खतरा नहीं है। अगर पय्राप्त व्यवस्था है तो दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करना एवं ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को रिपोर्ट देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि खाद्य एवं पोषाहार सुविधाअए पूरी तरह स्थानीय लोगों के नियंत्रण में है और उसका देखभाल स्थानीय लोग कर रहे हैं तथा मॉनीटरिंग का तंत्र काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों, दूसरी कमेटियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना तथा किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा दूसरी कमेटियों से सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग आपदा के प्रभाव से मुक्त हो जायें एवं आपात सुविधाओं से लौटकर अपने पुराने घर या पुनर्निर्मित शरण स्थल या गांव को चले जायें।

मुख्य कार्य :

- ✓ आपदा प्रबंधन टीम क्षति का आकलन और इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी।
- ✓ आपदा प्रबंधन टीम सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित लोगों को सरकार से लाभ या कोई अनुदान प्राप्त हो जाये।
- ✓ जहां कहीं संभव हो, वहां स्थानीय क्षमता का इस्तेमाल करते हुए समन्वित एवं प्रभावी आपूर्ति समूह प्रबंधन ̈;ब्ड) की व्यवस्था करना।
- ✓ लोगों की आजीविका फिर से बहाल कराने के लिए आपदा प्रबंधन टीम दीर्घकालिक योजना बनायेगी।
- ✓ आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा प्रबंधन टीम निश्चित तौर पर प्रस्ताव तैयार करे जिसमें

लोगों को आपदा से उबारने दीर्घकालिक काम शामिल रहें तथा ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में इस प्रस्ताव का उल्लेख रहे।

✓ आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन टीम ग्राम पंचायत परियोजना का प्रस्ताव तैयार करे ।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है:

2.1- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपाय:

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य

- ग्राम पंचायत के खाद्य एवं पोषाहार विकास कार्यक्रम में आपदा जोखिम कम करने की कार्रवाइयां को जोड़ना सुनिश्चित करना।
- खाद्य एवं पोषाहार से जुड़ी आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं दसतावेजीकरण सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य

✓ सुनिश्चित करना किगांव स्तर की कमेटियां एवं कार्य समूह आपदा नहीं रहने की स्थिति में सही तरीके से काम करती रहे।

✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य सुरक्षा, बीज सुरक्षा आदि की योजना वार्षिक योजना में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाये।

✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम इलाके के भौगोलिक चरित्र के परिप्रेक्ष्य में खाद्य एवं पोषाहार के क्षेत्र में जोखिम एवं नाजुकता आकलन का काम शुरू कराये।

✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम खाद्य भंडारण की पारंपरिक आपदारोधी तरीके को बढ़ावा दे।

✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम नदियों, तटबंधों, जीर्ण शीर्झा मकानों, प्रदूषित जल के आसपास या खतरनाक जगहों के आसपास रहने वाले लोगों की पहचान करे। खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम ऐसे लोगों को दूसरी जगह ले जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत को दे तथा इस संबंध में लोगों की जागरूकता बढ़ाये।

- ✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम किसानों का अन्न का भंडारण सुरक्षित जगहों पर करने को लेकर जागरूक बनाये। गांव के डेयरी, राशन दुकान निश्चित रूप से सुरक्षित जगहों पर अवस्थित होनी चाहिए।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, से सलाह–मशविरा कर खाद्य एवं पोषाहार की न्यूनतम मानक तय किया जाये तथा इस संबंध में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के मानदंडों का पालन किया जाये।
- ✓ टयआपदा प्रबंधन टीम की आपदा प्रबंधन टीम
- ✓ ण खाद्य , पोषाहार, सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त आहार, साफ–सफाई, खाद्य एवं आजीविका के संबंध में सरकारी योजनाओं के संबंध में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस संबंध में खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम जागरूकता अभियान चलाये।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम आपात समय के लिए अतिरिक्त अनाज तथा राशन जमाकर रखने की सलाह लोगों को दे।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम पंचायत में आजीविका के स्रोत, नाजुक हालत वाले लोगों, और आपूर्ति समूह प्रबंधन की उपलब्धता का पता करे और तदनरूप योजना बनाये।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम पंचायत को आपदारोधी फसल के तरीके, आय के वैकल्पिक स्रोत के बारे में बताये तथा ग्राम पंचायत की आजीविका योजनामें आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल कराये।

2.2 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में खाद्य एवं पोषाहार टीम एवं दूसरे स्टेकहोल्डरं अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम नजदीक के थोक दुकानदारों, डेयरी मालिकों, एवं दूसरे संसाधनों की संस्थाओं से संपर्क सुनिश्चित करे।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम योजना एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, भारतीय खाद्य निगम, स्वास्थ्य विभाग, से उनकी सलाह के लिए समन्वय स्थापित करे।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार की आपदा प्रबंधन टीम विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में कमेटी के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, इंटर एजेंसी ग्रुप और दूसरे एजेंसियों से समन्वय स्थापितकरे।

- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए समय–समय पर कमेटी के सदस्यों तथा स्थानीय लोगों का मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ दूसरी कमेटियों , खाद्य एवं पोषाहार इएसएफ सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ मेलजोल बढ़ाना तथा आवश्यक संपर्क बनाना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ इनवेंटरी सूची के अनुसार खाद्य एवं पोषाहार सामग्रियों तथा संसाधनों की नियमित जांच एवं रख–रखाव की नियमित का तंत्र सृजित करना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि खाद्य एवं पोषाहार कमेटी आपदा के प्रभावों से तुरंत उबारने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम–कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ कमेटी ऑपरेशनल कामों तथा बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ कमेटी के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्यः

- ✓ गांव और वार्ड स्तर पर स्टेकहोल्डरों की बैठक के बाद कमेटी का आवधिक बैठक बुलाना।
- ✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की खाद्य एवं पोषाहार इएसएफ नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ सभी लोगों, तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।
- ✓ खाद्य भंडार सुरक्षित जगहों पर सुनिश्चित करना।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार आपदा प्रबंधन टीम पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- ✓ नवजात शिशुओं एवं बच्चों के भोजन का स्तर बनाये रखने के लिए आपदा प्रबंधन टीम स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, से संपर्क करेगी।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार आपदा प्रबंधन टीम सुनिश्चित करेगी कि जमा किया गया खाद्य पदार्थ या संग्रह किया जा रहा खाद्य पदार्थ अच्दे क्वालिटी का हो, लोगों को स्वीकार्य हो, पोषाहार के मानकों को पूरा करता हो तथा उपभोग के लिए सुरक्षित हो।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी सुनिश्चित करेगी कि पंचायत में आपूर्ति समूह प्रबंधन ॅ;ब्डद्ध काम कर रहा है।
- ✓ जरूरत के अनुसार उनके सहयोग एवं तकनीकी सलाह के लिए दूसरे ग्राम पंचायतों की खाद्य एवं पोषाहार कमेटी, इएसएफ नोडल एजेंसी तथा दूसरे सपोर्ट एजेंसियों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खाद्य एवं पोषाहार की विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ नेटवर्क बनाना।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए समिति के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। समिति आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत पशुधन प्रबंधन कमेटी

ग्राम पंचायत पशुधन कमेटी के बारे में:

पशुधन कमेटी स्थानीय लोगों और स्थानीय प्रशासन को पशुधन की रूपरेखा बनाने, उसे लागू करने एवं उसका आकलन करने में ग्राम पंचायत और समुदाय को मदद करती है। पशुधन आपदा प्रबंधन टीम लोगों को पशुधन के लिए आपदा प्रबंधन की योजना के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाती है। आपात स्थितियों दौरान, यह प्रत्युत्तर देने वाली प्रमुख टीम के तौर पर काम करती है और आपदा प्रभावित लोगों को पशुधन की सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

संरचना: 12–16 लोग

- टीम लीडर ; ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी द्वारा चयनित एवं प्रखंड स्तर पर पशुधन इएसएफ के नोडल पदाधिकारीसे सलाह– मशविरा कर बहाल किया गया)
- अन्य 12–15 सदस्य ; पुरुष और महिला समेत)
- टीम सदस्यों को अंदर से मजबूत, पशुधन की देखभाल एवं प्राथमिक उपचार के बारे में न्यूनतम बुनियादी जानकारी, संभव हो सके तो 18–35 आयुवर्ग का अर्ध पशुचिकित्सक/ पशु सवास्थ्य कार्यकर्ता जिसे पशुधन की देखभाल एवं इलाज की जानकारी रखने वाला होना चाहिए।
- जहां कहीं संभव हो, टीम में पशधन से संबंधित जाकखिमों की समझ रखने वाले लोगों को भी शामिल किया जाये। योग्यता प्राप्त व्यक्ति के अभाव में पशुधन के कामों में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को टीम में शामिल किये जायेंगे।
- गांव के प्रतिनिधि अपने–अपने गांवों/वार्डों में इसी तरह की टीम बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

✓ विस्तृत जानकारी के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंध कमेटी, आपदा प्रबंधन टीम आवश्यक मदद कार्य ; इएसएफ), नोडल अधिकारी और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों जैसे विभिन्न स्रोतों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

✓ स्थिति का आकलन ओर विश्लेषण कर टीम की भूमिका ; पशुधन या मदद करने वाली एजेंसियों के बारे में) तय करें।

✓ मदद की जरूरत वाले नाजुक क्षेत्रों की पहचान एवं सूचना विकसित करें तथा प्वांइट संख्या 3 के अनुसार कार्ययोजना बनायें।

✓ अपनी कार्ययोजना को इएसएफ नोडल, पशुधन की दूसरी विशेषज्ञ एजेंसियां, और टीमों के साथ साझा करे तथा अपनी कार्ययोजना तय करें।

✓ जरूरत के साज–सामान एकत्र करें तथा उन्हें काम के लिए तैयार करें।

✓ घर–परिवार, सामुदायिक संस्थाओं,गांव/वार्ड तथा ग्राम पंचायत पर बरती जाने वाली स्वास्थ्य से संबंधित सावधानियोंको सभी संबंद्ध लोगों तक पहुंचाएं।

✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ सूखे जैसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता है,हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

✓ प्रभावित इलाके में पशुधन की सिाति के बारे में स्थिति प्रतिवेदन भरें।

✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति प्रतिवेदन को प्रखंड स्तर पर

ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, और आपदा प्रबंधन टीम, इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करें।

✓ रना।

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी अगर तय करती है कि आपात स्थिति है, और पशुधन से संबंधित प्रत्युत्तर कार्रवाई की जरूरत है तो सभी संबंद्ध लोगों, खासकर गावं/वार्ड स्तर की पशुधन टीम तथा स्थानीय स्तर की संस्थाओं तक प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को क्रियाशील करने की सूचना पहुंचाएं।

✓ शुरुआती आकलन की योजना बनाने के लिए जितना जल्द हो सके, प्रभावित इलाके के प्रतिनिधियों के साथ पहली समन्वय बैठक आयोजित करें।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

पशुधन से संबंधित सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैः

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-खोज एवं बचाव

1.3.4-निकास/ढुलाई

1.3.5-पशु चिकित्सा

1.3.6-चारा, पानी और दूसरी जरूरी जरूरतें

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई

उद्देश्यः

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए लगभग कितने मवेशी प्रभावित हुए हैं, इसका आकलन करना।
- मुआवजे तथा रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य के प्रयासों के लिए क्षति का आकलन करना।

मुख्य कार्य :

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व के अधीन तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ आपदा से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों की जानकारी हासिल करना तथा सुरक्षित जगह पहुंचाने एवं इलाज के लिए सबसे नाजुक हाल वाले, खासकर बूढ़े, गर्भधारण वाले, बीमार, अपंग मवेशियों की सूची तैयार करना।

- ✓ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत समुदाय के सभी वर्ग के प्रतिनिधियों से सलाह–मशविरा करना एवं जरूरत पड़ने पर तैयारी में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- प्रभावित मवेशियों की जीवन रक्षा तथा स्वास्थ्य की जीवन रक्षक जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ मवेशियों के स्वास्थ्य के तात्कालिक खतरों को विश्लेषण करना और तैयारी की योजना बनाना।
- ✓ मुआवजे तथा रिकवरी / पुनरूद्धार के प्रयासों के लिए क्षति की सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ समाज के सभी वर्ग के प्रतिनिधियों से राहत सामग्री एवं सुविधाओं के स्वरूप एवं स्वीकार्यता तय करते वक्त सलाह–मशविरा करना।
- ✓ तय की गयी हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं के लिए समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों ;मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, बाल इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.3.3 खोज एवं बचाव

उद्देश्य:

- मवेशियों की जीवन रक्षा सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ तय की गयी कार्ययोजना को कार्यान्वित कराये।
- ✓ मवेशियों की तुरंत गिनती करायें तथा लापता मवेशियों की सूची तैयार करें।
- ✓ फंसे हुए मवेशियों तक पहुंचने के लिए कचरा एवं गिरे हुए पेड़ों को साफ करें।

✓ आपदा प्रबंधन टीम, इएसएफ नोडल एजेंसी तथा दूसरी विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ निम्न बातों के लिए संवाद बनायें, जानकारी साझा एवं हासिल करें:

- स्थिति के निरंतर आकलन
- कार्ययोजना एवं उनसे टीम को जो जरूरत है उसका आकलन।
- उनकी योजनाओं एवं उनके द्वारा आपकी टाम से मांगी गयी सहायता का आकलन।

✓ जहां कहीं भी संभव हो मवेशियों के बचाव की योजना

✓ कृपया मवेशियों को एक जगह करने के लिए भाग दौडत्र ना करें।

✓ मवेशियों को पशुवध के खतरे से बचायें।

1.3.4 निकास / ढुलाई

उद्देश्यः

- प्रभावित मवेशियों की सुरक्षित ढुलाई एवं शरण सुनिश्चित कराना।

मुख्य कार्य :

✓ मवेशियों को बाहर निकालकर ले जाने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान, सुरक्षित रास्ता, पानी का वैकल्पिक स्रोत तथा बचाव स्थल के आसपास मवेशियों के आहार एवं शरण की व्यवस्था करें।

✓ बीमार एवं रोगगस्त ममवेशियों को अलग रखने के लिए अलग जगह तलाशें।

✓ बचाये गये मवेशियों को सुरक्षित जगहों एवं राहत शिविरों में पहुंचाने के लिए निकास एवं कैंप प्रबंधन से समन्वय स्थापित करें।

✓ असुरक्षित जगहों को चिह्नित करें तथा सभी संबंद्ध लोगों से इसकी जानकारी तुरंत साझा करें।

✓ वाहनों से सुरक्षित जगहों पर ले जाते वक्त मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

✓ सुरक्षित जगहों पर मवेशियों को बांधकर रखने के लिए रस्सी साथ ले जायें।

✓ मवेशियों के झुण्ड के बीच दूरी बनाकर रखें क्योंकि नये और अपरिचित मवेशी एकदूसरे से लड़ने लग सकते हैं।

✓ सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद वहां बहाल कर्मचारियों के निर्देशों को मानें।

✓ राहत शिविरों में मवेशियों को चोरी या कत्ल किये जाने से बचायें।

1.3.5 पशु चिकित्सा

उद्देश्यः

- चोट या बीमारी के कारण आगे कोई और खतरा नहीं हो , इसके लिए समय सेप्राथतिक

उपचार उपलब्ध कराना।

मुख्य कार्यः

- ✓ बचाये गये मवेशियों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने तथा गंभीर मामलों में उन्हें पशु चिकित्सालय ले जाने के लिए पशु चिकित्सा की फर्स्ट एड टीम के साथ पूरा तालमेल बनायें।
- ✓ मवेशियों को किसी रोग के खतरें की पहचान करें तथा उपयुक्त कदम उठायें।
- ✓ गिलटी, क्लोसट्राइडल, पेस्टियूरिलोसिस ; आंशिक निर्जीविकरण) जैसी बीमारियों का सामूहिक इलाज एवं टीकाकरण सुनिश्चित करायें।
- ✓ बीमारियों की पहचान के संबंध में स्थानीय या राष्ट्रीय सरकार की व्यवस्था को मदद करें तथा बीमारियों का फैलाव रोकने के लिए समय पर जांच एवं बचाव का काम करायें।
- ✓ सुनिश्चित करें कि जिन रोगों का इलाज सरकार कराती है उसे छोड़कर बाकी बीमारियों के लिए पशुपालकों को जरूरत के अनुसार रोकथाम या इलाज की सुविधाएं प्राप्त हों ।
- ✓ मवेशियों की टीबी, गिलटी रोग, जलातक जैसी उन बीमारियों से बचने या रोकथाम के लिए सरकारी पशु चिकित्सा व्यवस्था की मदद करें, जो मवेशियों से होते हुए आदमी तक पहुंच जाती है।
- ✓ सुरक्षित करें कि पशु चिकित्सा या देखभाल के दौरान पूरी सुरक्षा एवं इंतजाम बहाल रहे।
- ✓ बीमार या घायल जिन मवेशियों को बेहोश करने की जरूररत हो ,उन्हें मानवीयतरीके से बेहोश किया जाए और इस दौरान उपयुक्त तरीके से साफ–सफाई रखी जाये।

1.3.6 चारा, पानी और दूसरी जरूरी जरूरतें

उद्देश्यः

- पूरे आपात स्थिति के दौरान मवेशियों की उपयुक्त स्तर के पोषाहार एवं अन्य जरूरतें पूरी करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ जहां सभव हो, मवेशियों को वैसी जगहों पर स्थानांतरित किया जाये जहां सारे संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। ऐसा करने से मवेशियों एवं पशुपालकों का जोखम कम करने के दौरान मवेशियों को संक्रमण, कत्ल एवं चोरी से बचाने में भी मदद मिलेगी।
- ✓ मवेशियों को आपात आहार उपलब्ध करायें तथा आपात आहार उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रमों एवं एजेंसियों का पता करें।
- ✓ जहां प्रभवित इलाके मेंबाहर से आहार लाया जा रहा हो, वहां आहार के रखरखाव में सफाई,का पूरा घ्यान रखें।
- ✓ पूरे आपात स्थिति के दौरान तथा उससे आगे मवेशियों की जरूरत के अनुसार पेयजल

आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

- ✓ मवेशियों के रहने की जगह सुनिश्चित करें तथा देखें कि ये जगहें आपदारोधी हो ताकि प्रतिकूल के कारण मवेशियों के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़े।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि मवेशियों के जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और आगे कोई खतरा नहीं है। साथ ही दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करना एवं ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को रिपोर्ट देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात सुविधाओं का नियंत्रण एवं देखरेख पूरी तरह स्थानीय लोगोंके हाथ में है तथा मॉनीटरिंग का काम सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थिति को लगातार मॉनीटर करना तथा सभी संबंद्ध लोगों के साथ सहयोग करना।
- ✓ सभी बच्चे अपने परिवारवालों के साथ फिर से मिल जायें एवं मॉनीटरिंग व्यवस्था ठीक से काम करे। किये गये कामों का विश्लेषण एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारियां सूचना एवं मदद उपलब्ध कराने वाली टीम के साथ साझा करना।
- ✓ खोज एवं बचाव का दौर बंद हो जाने के बाद ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन टीम तथा दूसरी कमेटियों से सलाह–मशविरा कर टीम का कामबंद करना । लेकिन किसी भी आकस्मिकता के लिए टीम के साथ निरंतर संपर्क बनाये रखना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- आपदा प्रभावित समुदाय के पशुधन का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना तथा मवेशियों को आपात व्यवस्था से हटाकर उन्हें अपने मूल जगह या बसाये गये नए जगह पर पहुंचाना।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना। ना।
- ✓ प्रभावित मवेशी मालिकों के बीच मुआवजे और आधिकारिता को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- ✓ पशुधन विकास कार्यक्रमों तथा पशुधन सुविधाओं की मरम्मती एवं पुनर्निर्माण के काम में लगे स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क बनाना। उन्हें आपदारोधी रूपरेखा तैयार करने एवं बेहतर निर्माण के लिएसुझाव देना।

- ✓ सुनिश्चित करना कि उपलब्ध कराये गये मवेशियों का किसम और संख्या आजीविका की मदद के लिए उपयुक्त हो और मवेशी उत्पादक स्वस्थ और स्थनीय स्थितियों में रहनेलायक हों।
- ✓ भविष्य में बेहतर तैयारी के लिए पशुधन के सबकों को विकास एजेंसियों के साथ साझा करना।
- ✓ विकास के नये कार्यक्रमों को डीआरआर से जोड़ना तथा डीआरआर के उपायों को अपनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है:

2.1- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपाय:

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना। साथ ही देखना कि मवेशियों से संबंधित आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं दस्तावेजीकरण हो रहा है।

मुख्य कार्य:

- ✓ सुनिश्चित करना कि गांव स्तर की सभी पशुधन कमेटी एवं कार्यसमूह आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।
- ✓ मवेशियों के इलाज, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी योजनाएं ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में शामिल कराने में आपदा प्रबंधन पशुधन कमेटी निश्चित तौर पर भूमिका अदा करे।
- ✓ नदी, तटबंध, जीर्णशीर्ण शरणस्थली, और गंदे पानी या खतरनाक जगहों में रहने वाले मवेशियों की पहचान करें। आपदा प्रबंधन कमेटी मवेशियों को इन जगहों से कसी दूसरे सुरक्षित जगह लेजाने का प्रस्ताव बनाए तथा स्थानीय लोगों के बीच इस सवाल पर जागयकता पैदा करे।
- ✓ खोज एवं बचाव, निकास,/ ढुलाई और स्वास्थ्य के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ उपरोक्त उपसमूह की तरह गांव/वार्ड स्तर की कमेटी बनाना।
- ✓ मवेशियों की आम बीमारियों की पहचान करना तथा संबंद्ध स्टेकहोल्डरों को शामिल कर बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाना।
- ✓ संभावित खतरों की पहचान करना तथा सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत के सभी लोग इस

संभावित खतरे और घर में अलग से सिर्फ्फ मवेशियों के पहले से की जाने वाली तैयारियों, से अवगत हों।

- ✓ पशुधन इएसएफ नोडल एजेंसी, और सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य सतर के मानदंडों के अनुसार पशुधन के लिए न्यूनतम मानदंड तय करना।
- ✓ समूहों को संगठित करना एवं उनकी भमिका एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से तय करना। समय–समय पर जोखिम कम करने और पशुधन की देखभाल के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर निकास अभ्यास, ड्रिल, और जागरूकता बनाने के लिए बहस आयोजित करना।
- ✓ जरूरत पड़ने पर मवेशी बचाव अभियान में लोगों को लगाने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान चलाना तथा समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना पशु चिकित्सा की आधारभूत संरचना आपदा से बची रहे। साथ ही देखना पशुधन से संबंधित सामान ठीक तरीके से हैं और इन सामानों को साल में दो बार अद्यःतन करना।
- ✓ चारा, टीका और पशुधन के दूसरे साज सामानों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना तथा देखना कि ये सब आपदा के समय काम करने लायक रहें।
- ✓ गांव में ग्रामीण पशु चिकित्सा आपदा प्रबंधन योजना का होना सुनिश्चित करना।

2.2 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- पशुधन की टीम एवं दूसरे स्टेकहोल्डरं आपदा जोखिम कों कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ मधुबनी में भूकंप, बाढ़, अगलगी, आंधी, सड़क दुर्धटना, सीबीआरएन आपद जैसी आकस्मिक स्थितियों में पशुधन से संबंधित कामों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहयोगी प्रणाली से टीम तैयार करना।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर उपरोक्त विषयों पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए डीडीएमए, आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए समय–समय पर स्थानीय लोगों एवं टीम का मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

- ✓ दूसरी कमेटियों सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ मेल–मिलाप बढ़ाना तथा आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।
- ✓ यह जानने के लिए कि कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, इसके लिए पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना तथा इनका दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ साज–सामान की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि पशुधन कमेटी आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम/कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।
- ✓ ररस्थानीय स्तर पर खोज एवं बचाव ऑपरेशन के लिए आवश्यक साज–सामानों का भंडार बनाना।
- ✓ सामान काम के लिए तैयार तथा सेवा देने की स्थिति में रहे , इसकी जांच समय–समय पर करते रहना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्यः

- ✓ गांव और वार्ड स्तर पर बैठक के बाद कमेटी का आवधिक बैठक बुलाना।
- ✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की पशुधन इएसएफ नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ सभी लोगों, तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।
- ✓ खाद्य भंडार सुरक्षित जगहों पर सुनिश्चित करना।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार आपदा प्रबंधन टीम पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- ✓ नवजात शिशुओं एवं बच्चों के भोजन का स्तर बनाये रखने के लिए आपदा प्रबंधन टीम स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, से संपर्क करेगी।
- ✓ खाद्य एवं पोषाहार आपदा प्रबंधन टीम सुनिश्चित करेगी कि जमा किया गया खाद्य पदार्थ या संग्रह किया जा रहा खाद्य पदार्थ अच्व्दे क्वालिटी का हो, लोगों को स्वीकार्य हो, पोषाहार के मानकों को पूरा करता हो तथा उपभोग के लिए सुरक्षित हो।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी सुनिश्चित करेगी कि पंचायत में आपूर्ति समूह प्रबंधन ;ब्डद्ध काम कर रहा है।
- ✓ व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा मवेशियों के लिए आहार, पानी और शरण की वैकल्पिक व्यवस्था की पहचान करना।
- ✓ ग्राम पंचायत में मवेशियों की संख्याके अनुसार फर्स्ट एड एवं आपात स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों का आकलन करना तथा कम से कम दस दिन के लिए जरूरी टीका, एंटीसेप्टिक, दवा, पट्टी, कैंची, ब्लेड, मलहम, सांप बिचछु काटने के असर को निष्प्रभावी बनाने वाली दवा, के साथि फर्स्ट एकड बॉक्स का स्टॉक तैयार रखना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आम बीमारियों की दवा के पर्याप्त थैले आपदा प्रबंधन टीम के पास मौजूद रहे।
- ✓ पशु चिकित्सा के संसाधनों तथा टीकाकरण, दवा वितरण तथा स्वास्थ्य जांच के लिए आपदा पूर्व कैंप लगाने में सहयोगी विभागों तथा स्वयंसेवी संगठनों को मदद करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि लोगों के पास अपने नवजात एवं बीमार मवेशियों समेत तमाम मवेशियों के लिए कम से कम एक सप्ताह या इससे अधिक दिन की दवाएं रहे।
- ✓ मवेशियों के पेयजल को कीड़ा मुक्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

- ✓ लोागें के बीच मवेशियों के साथ व्यवहार, तथा सुरक्षित जल के भंडारण, चारा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि के प्रति आपदा पूर्व जागयकता पैदा करना।
- ✓ चारा रखने एवं जरूरत की स्थिति में शरण उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षित इलाके एवं आपदारोधी मकानों की पहचान करना।
- ✓ चेकलिस्ट की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करना।
- ✓ सभी मवेशियों को बराबर पानी मुहैया कराने के लिए जलस्रोातों को ठीक करना तथा कार्यक्रम बनाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सभी आपात उपाय आपदा के बाद रिकवरी और दीर्घकालिक आजीविका की मदद को ध्यान में रखकर किये जायें।
- ✓ जरूररत के अनुसार उनके सहयोग एवं तकनीकी सलाह के लिए ग्राम पंचायतों की इएसएफ नोडल एजेंसी, तथा मवेशी की विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ नेटवर्क बनाना।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए समिति के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। समिति आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत शरणस्थल टीम

ग्राम पंचायत शरणस्थल टीम के बारे में:

ग्राम पंचायत में सशक्त संस्था के अंग के रूप में शरणस्थल आपदा प्रबंधन टीम ग्राम पंचायत में शरणस्थल संबंधी कार्यकलापों की योजना, कार्यान्वयन और देखरेख में स्थानीय लोगों को मदद करती है। यह शरण स्थल एवं भमि व्यवस्था की योजना में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करने पर भी जोर देती है। आपात स्थितिके दौरान आपदा प्रभावित इलाके में टीम शरणस्थल से संबंधित आवश्यक सहाय्य कार्य ;इएसएफ) एजेंसियों की मदद करती है।

संरचना: 12–16 लोग

- टीम लीडर ; निर्माण क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति /ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी द्वारा चयनित एवं प्रखंड स्तर पर शरण स्थल इएसएफ के नोडल अधिकारी द्वारा नियुक्त)
- राजमिस्त्री, ठेकेदार, इंजीनियर, शिक्षक का काम किये हुए पुरूष और महिला टीम की सदस्य होंगी।
- टीम समावेशी स्वरूप का होगा और इसमें विभिन्न गांव के तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा वंचित समूहों के साथ विभिन्न समूह के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
- गांव के प्रतिनिधि अपने गांवों/वार्डों में इसी तरह की टीम बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

✓ स्थिति को मॉनीटर करना।

✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथाग्राम पंचायत स्तर पर शरणस्थल से संबंधित सावधानियों की जानकारियां सभी संबंद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।

✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ सूखे जैसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को प्रखंड स्तर पर दूसरी ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटियां, और इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।

✓ आपात स्थिति के हालत में ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी शरणस्थल से संबंधित प्रत्युत्तर की कार्रवाई शुरू होने की सूचना गावं/वार्ड और समुदाय स्तर की सभी संबंद्ध कमेटियों, खासकर खाद्य एवं पोषाहार टीम तक पहुंचाएगी।

✓ पहली समन्वय बैठक बुलाना तथा इस बैठक में प्रभावित इलाकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

✓ आकलन में प्रभावित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

शरण स्थल के लिए सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैं:

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-शरणस्थल एवं आवास

1.3.4-गैर खाद्य सामग्रियाः कपड़ा, बिछावन और घरेलू इस्तेमाल के सामान

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई

उद्देश्यः

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लोगों की जरूरतों का आकलन करना।
- प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति तथा रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य की आधारभूत संरचनाओं का आकलन करना।

मुख्य कार्यः

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व में तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ प्रभावित इलाके में मानक प्रारूप में आकलन का काम सुनिश्चित करना।

✓ सर्वाधिक नाजुक हालात वाले, खासकर बूढ़े, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं, बीमार, एचआइवी/एड्स ग्रस्त, लोगों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समूह के, लोगों के बारे में खास जानकारी हासिल करना।

✓ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले सभी समूहों तथा सामाजिक समूहों की भागीदारी एवं सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना।

1.3.2 प्रत्युत्तर योजना

उद्देश्यः

- प्रभावित लोगों की जीवन रक्षक जरूरतें पूरी करना।
- सुविधाओं की योजना, प्रबंधन और देखरेख में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाना।
- रिकवरी एवं पुनरुद्धार की योजना में अधिकारियों की मदद करना।

मुख्य कार्यः

✓ शरण से जुड़े हर क्षेत्र, यथा शरण स्थल एवं आवास , गैर आहार सामग्री, कपड़ा, बिछावन और घरेलू इस्तेमाल के सामान आदि, की तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषण करना।

- ✓ स्वास्थ्य के तात्कालिक खतरों को विश्लेषण करना और तैयारी की योजना बनाना।
- ✓ मुआवजे तथा रिकवरी / पुनरूद्धार के प्रयासों के लिए क्षति की सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के लोगों समेत नाजुक हालत वाले सभी लोगों के प्रतिनिधियों से राहत सामग्री एवं सुविधाओं के स्वरूप एवं स्वीकार्यता तय करते वक्त सलाह–मशविरा करना।
- ✓ हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों ;मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, बाल इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करकना।

1.3.3 शरणस्थल एवं आवास

उद्देश्यः

- विस्थापित एवं गैर विस्थापित प्रभावित आबादी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और हितों के संबंध में कारगर योजना बनाना तथ रिकवरी एवं पुनरुद्धार के कामों को बढ़ावा देना।
- लोगों के रहने के लिए छतवाली पर्याप्त जगह सुनिश्चित करना।
- स्थानीय प्राकृतिक आबोहवा पर प्रतिकूल असर को कम करने वाला खास तरह का निर्माण तकनीक अपनाना।

मुख्य कार्य :

- ✓ टेंट लगाने के लिए सुरक्षित स्थलों पर आवश्यक सामानों की ढुलाई करना।
- ✓ सुरक्षित स्थानों पर टेंट लगाना तथा वहां जलनिकासी एवं सफाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन टीम मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएगी।
- ✓ कोई संरचना खड़ा करते वक्त या लोगों को किसी दूसरी जगह ले जाते वक्त आपदा प्रबंधन टीम भवन विभाग की सलाह निश्चित तौर पर ले।
- ✓ सुनिश्चित करना कि घर या शरणस्थल संभावित खतरे वाली जगह से काफी दूर हो तथा मौजूद खतरे का जोखिम कम हो।
- ✓ आपदा के कारण महत्वपूर्ण स्थानों पर जमा कचरा को हटाना सुनिश्चित करना।
- ✓ पानी एवं सफाई सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूल, बाजार या आजीविका के कामों को जारी रखने के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को छत वाली जगह उपलब्ध हो।
- ✓ पेड़ एवं साग सब्जी के पौधों को बचाना तथा कटाव को कम करना।

1.3.4 गैर खाद्य सामग्रियाः कपड़ा, बिछावन और घरेलू इस्तेमाल के सामान

उद्देश्यः

- आपदा प्रबंधन टीम निश्चित तौर पर विस्थापित लोगों के लिए गैर खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- सुनिश्चित करना कि आपदा प्रभावित आबादी के पास पर्याप्त कपड़ा, कम्बल और बिछावन हो।
- स्टोव, किरासन तेल, रोशनी और बर्तन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ नवजात शिशुओं समेत महिलाओं, लड़कियों, पुरुष और लड़कों को उनकी संस्कृति के अनुेल कपड़ा उपलब्ध कराना।
- ✓ कम्बल, एवं सोने के साधन के साथ बिछावन उपलब्ध कराना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि लोगों को सुरक्षित और कम तेल खाने वाला स्टोव, किरासन तेल, खाना पकाने और खाने का बर्तन उपलब्ध रहे।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि शरण से संबंधित जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और नश्वरता या रुग्णता को कोई खतरा नहीं है। दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करना एवं ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को रिपोर्ट देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि शरण की आपात व्यवस्था पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण है एवं उसकी देखरेख उनकी हाथ्साों में है तथा मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों, दूसरी कमेटियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, और दूसरी कमेटियों के साथ सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग आपदा के प्रभाव से मुक्त हो जायें एवं आपात सुविधाओं से निकलकर अपने मूल घरों के माहौल या नये शरण स्थल या बसाये गये जगह चले जायें

मुख्य कार्यः

✓ आपदा प्रबंधन कमेटी निश्चित तौर पर सुनिश्चित करे कि क्षति का आकलन हो गया है और स्थानीय प्रशासन को इसकी रिपोर्ट दे दी गयी है।

✓ आपदा प्रबंधन कमेटी निश्चित तौर पर सुनिश्चित करे कि प्रभावित लोगों को सरकारी लाभ या अनुदान प्राप्त हो।

✓ जहां संभव हो, स्थानीय क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आपूर्ति समूह प्रबंधन ै;ब्डद्ध स्थापित करना।

✓ आपदा प्रबंधन कमेटी लोगों की आजीविका बहाल कराने के लिए दीर्धकालिक नीति बनाये।

✓ आपदा प्रबंधन कमेटी प्रस्ताव तैयार करे, जिसमें आपदा प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक हस्तक्षेप के उपाय शामिल हो तथा इस प्रस्ताव का उल्लेख ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में हो।

✓ आपदा प्रबंधन कमेटी आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत को दे।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया हैः

2.1- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपायः

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- ग्राम पंचायत में शरणस्थल से संबंधित विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना।
- यह देखना कि शरण स्थल से संबंधित आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं दस्तावेजीकरण हो रहा है।

मुख्य कार्य :

- ✓ सुनिश्चित करना कि गांव स्तर की सभी कमेटियां एवं कार्यसमूह आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं।
- ✓ शरणस्थल संबंधी आपदा प्रबंधन टीम ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने जैसे प्रस्तावों को शामिल कराने में अहम भूमिका निभाये।
- ✓ ग्राम पंचायत शरणस्थल टीम ग्राम पंचायत स्तर पर सशक्त संस्था का अंग है। इसलिए इसे निश्चिततौर पर शरणस्थल एवं भूमिव्यवस्था की योजनाओं में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल कराने पर जोर देना चहिए।
- ✓ ग्राम पंचायत शरणस्थल टीम निश्चित तौर पर इलाके के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में शरण स्थल, भूमिव्यवस्था और गैर खाद्य सामग्री के क्षेत्र में जोखिम एवं नाजुकता के आकलन का काम शुरू करे।
- ✓ ग्राम पंचायत शरणस्थल टीम घर बनाने के पारंपरिक तकनीक को बढ़ावा दे, क्योंकि ये तकनीक बाढरोधी होते हैं या इस तकनीक में खतरा कम रहता है।
- ✓ घर बनाने के लिए सुरक्षित स्थल,निर्माण कार्य में आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने और आपदा के दौरान क्या करना चाहिए और क्यानहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए शरणस्थल टीम निश्चिततौर पर जागरूकता अभियान चलाये।
- ✓ नदी, तटबंध, जीर्णशीर्ण मकानों , गंदे पानी के स्रोतों याखतरनाक जगहों के निकट रहने वाले लोगों की पहचान करना। ग्राम पंचायत शरणस्थल टीम ऐसे लोगोंको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने एवं इस सवाल पर जागरूकता बढ़ाने का प्रस्ताव ग्रामपंचायत को दे।
- ✓ किसानों को अनाज सुरक्षित जगहों पर रखने के प्रति जागरूक बनाना। मकान सुरक्षित इलाके में बनाया जाना चाहिए एवं निर्माण में आपदारोधी तकनालॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- ✓ तटबंधों के निर्माण एवं मरम्मती के लिए टीम निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत और जल संसाधन वभाग के साथ तालमेल बनाये, क्योंकि इन जगहों का इस्तेमाल शरणस्थल के रूप में होता है।
- ✓ शरण स्थल से संबंधित इएसएफ नोडल एजेंसी, और सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मानदंडों के अनुसार शरणस्थल के लिए न्यूनतम मानदंड तय करना।
- ✓ वार्षिक योजना में आपदारोधी तकनालॉजी शामिल करनेके लिए ग्रामपंचायत को सुझाव देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि योजनाओं के काय्रन्वयन का कोई प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय प्राकृतिक आबोहवा पर नहीं पड़े। टीम निश्चित तौर पर पर्यावरण पर प्रतिकूल असर कम करने वाला तकनीक अपनाये।
- ✓ बसाने की योजना में निश्चित तौर पर अस्थायी निवास, उचित जलनिकासी, आग से बचाव, न्यूनतम जगह का मानदंड, कपड़ा, बिछावन, स्टोव, और शरण स्थल की अन्य जरूरतें शामिल रहे।

2.2 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- शरणस्थल की टीम एवं दूसरे स्टेकहोल्डरं आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ शरणस्थल का सामान, गैर खाद्य सामग्री बेचने वाले पास के थोक दुकानदारों से संपर्क बनाना।
- ✓ भवन विभाग से योजना एवं जागरूकता कार्यक्रम में उनकी राय के लिए समन्वय स्थापित करना।
- ✓ मकान बनाने के लिए सुरक्षित जगहों के चयन, निर्माण कार्य में आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने तथा आपदा के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारियों को नामजद करने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ;डीडीएमए) इंटर एजेंसी ग्रूप ; आइएजी) , तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ कमेटी के सदस्यों तथ स्थानीय लोगों के लिए समय–समय पर विभिन्न आकस्मिक स्थितियों का मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ दूसरी कमेटियों सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोलडरों के साथ मेल–मिलाप बढ़ाना तथा आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- यह सुनिश्चित करना कि शरण स्थल कमेटी आपदा के प्रभावों से तुरंत उबारने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम है।

मुख्य कार्यः

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम/कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्यः

- ✓ गांव और वार्ड स्तर पर बैठक के बाद कमेटी का आवधिक बैठक बुलाना।
- ✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की पशुधन इएसएफ नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ सभी लोगों, तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।
- ✓ अस्थायी शरण के लिए सुरक्षित मकानों एवं सुरक्षित स्थलों की पहचान करना।
- ✓ पंचायतों में पर्याप्त निर्माण सामग्री एवं टेंटों की उपलब्धता टीम सुनिश्चित करेगीं।
- ✓ टेंट एवं शरणस्थली के सामानों के लिए भवन विभाग से समन्वय स्थापित करना।
- ✓ भवन विभाग से संपर्क बनाये रखना। विभाग अस्थायी निवास के लिए जगह का चयन करने, उचित जलनिकासी, आग से बचने के उपायों, न्यूनम जगह के मानदंडों, कपड़ा, बिछावन, ईंधन और शरण स्थल के लिए जरूरी दूसरे सामानों के बारे में विशेषज्ञ की राय दे सकता है।
- ✓ टेंट, कपड़ा, बिछावन, ईंधन, खाना बनाने के बर्तन आदि का व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों का डाटा तैयार करना।

✓ सुनिश्चित करना कि आपूर्ति समूह प्रबंधन ेृ;ब्डद्ध ठीक तरीके से काम कर रहा है।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए कमेटी के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। कमेटी आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत सामाजिक संरक्षण कमेटी

ग्राम पंचायत सामाजिक संरक्षण कमेटी के बारे में:

सामाजिक संरक्षण आपदा प्रबंधन टीम लोगों को ग्राम पंचायत में सामाजिक संरक्षण के हस्तक्षेपों की योजना, कार्यान्वयन एवं देखरेख में मदद करती है। आपात स्थिति के दौरान, यह प्रत्युत्तर देने वाली प्रमुख टीम की तरह काम करती है और सामाजिक संरक्षण के उपायों के जरिये आपदा प्रभावित लोगों को विभिन्न तरह की हिंसा एवं जोर–जबर्दस्ती तथा सम्मान के साथ जीने के साधनों से जानबूझकर वर्जित किये जाने से बचाती है।

संरचना:12– 16 लोग

- टीम लीडर को कानूनी अधिकारों एवं दावों की जानकारी तथा एडवोकेसी के कामों का अनुभव होना चाहिए, ताकि वे आपदा प्रभावित आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे अधिकारियों को प्रोत्याहित और राजी कर सकें, तथा अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करने की स्थिति में लोगों को समस्या से खुद निपटने में मदद कर सकें।
- टीम लीडर का चुनाव/चयन टीम के सदस्यों द्वारा होगा। वे ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी में टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे/करेंगी।
- समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों की अच्छी जानकारी रखने वाले पुरुष/महिलाएं टीम की सदस्य होंगी।
- टीम समावेशी स्वरूप का होगा और इसमें विभिन्न गांव के तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा वंचित समूहों के साथ विभिन्न समूह के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
- गांव के प्रतिनिधि अपने गांवों/वार्डों में इसी तरह की टीम बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ स्थिति को मॉनीटर करना।
- ✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ परिवार, सामुदायिक संस्थाओं, गांव/वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, भूमि अधिकार पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बचत प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे कागजातों की सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी सभी संबद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।
- ✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ सूखे जेसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रत्युत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ प्रभावित इलाके में निधार्रित प्रारूप में आकलन सुनिश्चित करना।
- ✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को प्रखंड स्तर पर दूसरी ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटियां, और इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी अगर तय करती है कि आपात स्थिति है, और सामाजिक संरक्षण के प्रत्युत्तर कार्रवाइयों की जरूरत है, तो सभी संबंद्ध लोगों, खासकर गांव/वार्ड स्तर के नाजुक हालत वाले लोगों के समूह और सामुदायिक संस्थाओं तक प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को क्रियाशील करने की सूचना पहुंचाना।
- ✓ शुरुआती आकलन की योजना बनाने के लिए जितना जल्द हो सके, प्रभावित इलाके के

प्रतिनिधित्व के साथ पहली समन्वय बैठक बुलाना।

✓ आकलन में प्रभावित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

सामाजिक संरक्षण की सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैं:

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाना

1.3.4-निष्पक्ष तरीके से सहायता उपलब्ध कराना

1.3.5-शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षति से सुरक्षा

1.3.6-अधिकार एवं दावों की मांग करने की कार्रवाइयां

1.3.1 शुरुआती आकलन :

उद्देश्य:

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लोगों की जरूरतों का आकलन करना।
- समुदाय में सदभावपूर्ण एवं सहभागी तरीके से सामाजिक संरक्षण के मुद्दों का आकलन करना।

मुख्य कार्य :

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व में तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ आपात स्थिति वाले सभी इलाकों में वर्जना, हिंसा, जोर–जबर्दस्ती आदि के मामलों तथा जरूरतों एवं संसाधनों का विस्तृत आकलन करना।

✓ अपने आकलन में इस बात को भी शामिल करें कि प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों से समुदाय को आगे भी कोई नुकसान हो रहा है क्या।

✓ अगर अंतरविभागीय आकलन हो रहा हो, तो सुनिश्चित करें कि इस आकलन में सामाजिक संरक्षण भी शामिल रहे।

✓ संकेतकों को तैयार करने, उसकी विवेचना करने तथा सुधार करने तथा सूचना प्रबंधन एवं प्रसार में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले दूसरे सभी समूहों एवं सामाजिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर की तैयारी

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित आबादी वर्जना, हिंसा, जोर–जबर्दस्ती से सुरक्षित रहे तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों का कोई नकारात्मक असर उस पर न पड़े।
- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की योजना बनाने, रूपरेखा तय करने तथा प्रबंधन में लोग शामिल रहें।
- रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में अधिकारियों की मदद करना।

मुख्य कार्यः

✓ सामाजिक संरक्षण की प्रत्युत्तर कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।

✓ राहत के कामों में वर्जना, हिंसा, जोर–जबर्दस्ती, वंचना, के मामलों का विश्लेषण करना तथा प्रत्युत्तर एवं सुधार के उपाय तय करना।

✓ राहत सामग्री और सुविधाओं की तैयार की योजनाओं के स्वरूप एवं सवीकार्यता के बारे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के लोगों समेत नाजुक हालत वाले सभी लोगों के प्रतिनिधियों से सलाह–मशविरा करना।

✓ हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।

✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों ;मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना।

✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, बाल इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.3.3 किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाना

उद्देश्यः

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के प्रतिकूल प्रभावों, खासकर लोगों के अधिकारों को खतरा या दुरुपयोग के जोखिम, को रोकना या कम करना ।

मुख्य कार्य :

✓ सुनिश्चित करना कि जिस माहौल में मानवीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है, उसके कारण लोगों की किसी तरह की शारीरिक समस्या, न बढ़े उनके खिलाफ हिंसा या उनके अधिकारों का दुरुपयोग न बढ़े।

✓ सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में किसी समूह या समुदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं हो।

- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहने वाले या भेदभाव के शिकार ; दलित, आदिवासी, हाशिये के लोग) लोगों के अधिकारों को संरक्षित करती है।
- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां प्रभावित आबादी की स्वरक्षा की क्षमता को नजरअंदाज नहीं करें।
- ✓ सुनिश्चित करना कि किसी भी संवेदनशील सूचना को इस तरह निपटाया जाय कि सूचना देने वाले या सूचना के जरिये जिनकी पहचान हो सकती है, की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो।
- ✓ सुनिश्चित करना कि राहत वितरण के दौरान प्रभावित सुदाय के बीच किसी तरह की हिंसा या दंगा नहीं भड़के।
- ✓ सुनिश्चित करना कि राहत लेने के लिए किसी व्यक्ति को खतरनाक जगह जाने या खतरनाक रास्ते से गुजरने को बाध्य नहीं किया जाय। राहत शिविर या रहने की दूसरी जगह यथासंभव सुरक्षित जगहों पर होनी चाहिए जहां किसी हमले या खतरे की गुंजाइश नहीं हो।
- ✓ लोगों को अपने जीवन निर्वाह, जैसे पानी, जलावन की लकड़ी या खाना पकाने का दूसरा ईंधन, के लिए दैनिक जरूरत की चीजें खतरनाक या कठिन रास्ता तय किये बगैर सुरक्षित तरीके से मिल जाये। इस मामले में बूढ़े लोगों, महिलाओं, बच्चों और विकलांगों का खास ध्यान रखाजाना चाहिए।
- ✓ किसी तरह का दुर्व्यवहार देखने या उसकी सूचना मिलने पर सूचना की गोपनीयता बरकरार रखते हुए किस तरह प्रत्युत्तर की कार्रवाई करनी है, इस संबंध में स्पष्ट नीति और प्रक्रिया होनी चाहिए।

1.3.4 निष्पक्ष तरीके से सहायता उपलब्ध कराना

उद्देश्य:

- लोगों के लिए जरूरत के अनुसार और बिना किसी भेदभाव के मानवीय सहायता सुनिश्चित कराना।

मुख्य कार्य :

- ✓ प्रभावित आबादी के हर हिस्से के लिए मानवीय सहायता सुनिश्चित कराना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोगों को मानवीय आधार पर सहायता मिले और किसी दूसरे आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो।
- ✓ प्रभावित लोगों, खासकर सबसे नाजुक हालत वाले लोगों, को मिल रही मानवीय सहायता की मॉनीटरिंग करना।
- ✓ दूरदराज या दुर्गम क्षेत्र के प्रभावित लोगों को बराबरी की सहायता सुनिश्चित करने के

लिए विशेष उपाय करना।

- ✓ बलात्कार या देह व्यापार जैसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए सुरक्षित जगह का निर्माण सुनिश्चित करना।
- ✓ राहत वितरण केंद्रों तक विकलांग लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना।
- ✓ प्रभावित लोगों के लिए राहत की प्राथमिकताएं सिर्फ उनकी जरूरत के आधार पर तय करना तथा जरूरत के अनुपात में सहायता उपलब्ध कराना।

1.3.5 शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षति से सुरक्षा

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि लोग हिंसा, जोर–जबर्दस्ती, जबरन कोई काम करने और ऐसे दुर्व्यवहार के भय से सुरक्षित हैं।

मुख्य कार्य:

- ✓ प्रभावित आबादी ना तो धमकी देने वालों से निपटने में और ना ही धमकी मिले व्यक्ति की मदद करने में हिंसक हमले का शिकार नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाना।
- ✓ यह सुनिश्चित करने के लिए हर उचित कदम उठाना कि प्रभावित आबादी के साथ कोई जोर–जबर्दस्ती ना हो, यानी इच्छा के विरूद्ध कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर ना होना पड़े ,जिसके कारण उनके अधिकारों ; जैसे– आवागमन की स्वतंत्रता) का हनन होता हो।
- ✓ सुरक्षित रहने, सुरक्षा हासिल करने और सम्मान बहाली के लिए प्रभावित आबादी द्वारा खुद किये जाने वाले प्रयासों तथा समुदाय के स्व सहायता तंत्र को मदद करना।
- ✓ सहायता इस तरह उपलब्ध कराना कि लाग ज्यादा सुरक्षित महसूस करें, लोगों को अपने स्तर के प्रयासों से खुद की रक्षा करने में मदद मिले या फिर लोगों का जोखिम कम हो।
- ✓ संबंधित अधिकारियों या कर्ताधर्ताओं को उनके दायित्वों की याद दिलाकर प्रभावित आबादी के अधिकारों की वकालत करना।
- ✓ सुनिश्चितकरना किलोगों को अपनी इच्छा के विरूद्ध कहीं रहने ;या कहीं से जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाय। उनके आवगमन पर बेवजह कोई रोक नहीं होनी चाहिए। ; आवागमन या आवास की पसंद की स्वतंत्रता पर कोई नियंत्रण सिर्फ गंभीर सुरक्षा या स्वास्थ्य के कारणों से लगायी जानी चाहिए तथा यह नियंत्रण कसद के अनुपात में होनी चाहिए)।
- ✓ सुनिश्चित करना कि महिलाओं, बच्चों, जबरन विस्थापित किये गये लोगों, बूढे लोगों, अपंग लोगों तथा धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यक समूह के लोगों के खिलाफ कोई हिंसा या जोर जबर्दस्ती नहीं हो।

- ✓ बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना।
- ✓ महिलाओं एवं लड़कियों को देह व्यापार, जबरन वेश्यावृति, यौनशोषण, बलात्कार या घरेलू हिंसा से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- ✓ परिवार को साथ रखकर संरक्षण और मनोवैज्ञानिक सहयोग, बच्चों को परिवार से अलग होने से बचने का तरीका सिखाने, परिवार से अलग हो गये बच्चे के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था, तथा परिवार से अलग हो गए बच्चे एवं लोगों को परिवार से फिर से मिलाने के लिए पारिवारिक एवं सामुदायिक तंत्र विकसित करना।
- ✓ निम्न तरह की सामुदायिक स्व सहायता गतिविधियों को बढ़ावा देना:
- ○ जेंडर आधारित हिंसा से निपटने के लिए महिला समूह
- ○ आजीविका की मदद के लिए युवासमूह
- ○ बच्चों के साथ सकारात्मक मेल–मिलाप, और बच्चों तथा विशेष जरूरत वाले बच्चों के माता–पिता की देखभाल के लिए माता–पिताओं का समूह
- ○ जीवन साथी खो चुके पुरुष व महिलाओं, बूढे लोगों तथा विकलांगों के लिए सामुदायिक समूह।

1.3.6 अधिकार एवं दावों की मांग करने की कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- प्रभावित आबादी को अपने अधिकारों का दावा करने में सूचना, दस्तावेजों और समाधान की मांग के जरिये मदद करना।
- लोगों को हिंसा एवं दूसरे दुर्व्यवहारों के शारीरिक , मनोवैज्ञानिक, एवं सामाजिक प्रभावों से उबरने में सही तरीके से मदद करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ लोगों को अपने अधिकारों का दावा करने तथा सरकार एवं दूसरे स्रोतों से निदान हासिल करने तथा उन्हें उनके हक एवं उपलब्ध निदानों के बारे में सूचित कर मदद करना।
- ✓ प्रभावित लोगों को किसी खास सहायता कार्यक्रम और सरकार के पास उनके दावों के बारे में जानकारी देना।
- ✓ प्रभावित लोगों को अपने दावों की मांग करने के लिए आवश्यक कागजात ; जैसे जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, भूमि अधिकार पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बचत प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि) प्राप्त करने ; या खो गये कागजातों की दूसरी प्रति हासिल कराने) में मदद करना।
- ✓ परिवारों को उनके दिवंगत प्रियजन का मृत्यु प्रमाण पत्र दिलाने तथा वित्तीय एवं कानूनी

मुआवजा दिलाने में मदद करना।

- ✓ प्रभावित लोगों को आपदा के प्रभाव से उबरने के लिए सामुदायिक आधारित या अन्य मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराना।
- ✓ लोगों को हमले,जेंडर आधारित हिंसा, या इसी तरह की दूसरी समस्याओं के बाद इलाज एवं पुनर्वास की सुविधाएं हासिल कराने में मदद करना।
- ✓ अनौपचारिक तरीके से बच्चों के लिए सुगठित, मदद करने वाली शैक्षणिक एवं संरक्षणात्मक गतिविधियां आयोजित करने में शिक्षा समितियों ; और समुदायों) को मदद करना ।
- ✓ आबादी के मदद के लिए समन्वित व्यवस्था से जोड़कर मनोवैज्ञानिक सहयोग एवं मानसिक इलाज के क्षेत्रा में काम करने वाली एजेंसियों को मदद करना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ इस बात की जांच करना कि आपात स्थिति में सामाजिक संरक्षण से संबंधित सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से कर लिये गये हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सामाजिक संरक्षण की आपात व्यवस्था पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण है एवं उसकी देखरेख उनकी हाथों में है तथा मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों,, दूसरी कमेटियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, और दूसरी कमेटियों के साथ सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि सभी लोगों के लिए निष्पक्ष व सुरक्षित सहायता तथा राहत सेवाएं सुनिश्चित कराना।

मुख्य कार्य:

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।

- ✓ प्रभावित लोगों के बीच मुआवजे और आधिकारिता को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- ✓ हिंसा, वर्जना और जोर–जबर्दस्ती की रोकथाम के लिए रिकवरी के सवाल पर काम कर रहे संबंद्ध विकास कार्यक्रमों एवं स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क बनाना ।
- ✓ भविष्य में बेहतर तैयारी के लिए सामाजिक संरक्षण के कार्यों ; वर्जना, हिंसा और जोर–जबर्दस्ती की रोकथाम की कार्रवाई) के सबकों को विकास एजेंसियों के साथ साझा करना।
- ✓ विकास के नये कार्यक्रमों को डीआरआर से जोड़ना तथा डीआरआर के उपायों को अपनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है:

2.1- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपाय:

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य:

- सामाजिक संरक्षण के कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ सुनिश्चित करना कि गांव स्तर की सभी कमेटियां एवं कार्यसमूह आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं।
- ✓ ग्राम पंचायत में कमेटियां सामाजिक संरक्षण के मुद्दों एवं उपायों में आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं को शामिल करा रही हैं।
- ✓ बाल संरक्षण, जेंडर, आवास, भूमि एवं संपत्ति, दलित एवं आदिवासी, विकलांग, वृद्धजन आदि पर उपसमूह नामजद करना।
- ✓ उपरोक्त उपसमूह की तरह गांव / वार्ड स्तर की कमेटी बनाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपदा के दौरान संभावित वर्जना, हिंसा, जोर–जबर्दस्ती आदि से ग्राम पंचायत के सभी लोग अवगत हैं और इससे निपटने के लिए परिवार के स्तर पर पहले से तैयारी कर रहे हैं।
- ✓ सामुदायिक सहयोग तैयार करना, ताकि समुदाय के लोग विभिन्न तरह की हिंसा एवं

जोर–जबर्दस्ती से पीड़ित एवं आदर के साथ जीने के आवश्यकसाधनों से जानबूझकर वंचित किये गये लोगों की पहचान कर सकें

✓ वर्जना, हिंसा एवं जोर–जबर्दस्ती से इतर कारणों, जो समुदाय की सुरक्षा एवं संरक्षण में इजाफा कर सकते हैं, से निपटने के लिए दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ सभी उम्र की महिलाओं, लड़कियों,एवं लड़कों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपयुक्त माहौल बनाने का ईमानदार प्रयास करना।

✓ प्रभावित लोगों के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यवहारों एवं नीतियों को सोची–समझी निर्णयों, कार्रवाइयों या नीतियों से बदलने की कोशिश ;वकालत) करना।

✓ आपदा के दौरान समुदाय को हिंसा, वर्जना, और जोर–जबर्दस्ती से बचाने के लिए न्यूनतम मानदंड एवं दिशा–निर्देश तय करना।

✓ आपात स्थिति रहने पर सुरक्षा के लिए तत्काल प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की पहले से पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करना।

2.2 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- सामाजिक सुरक्षा की टीम एवं दूसरे स्टेकहोल्डरं आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

✓ गांव, वार्ड, और संस्थागत ; जैसे–स्कूल आदि) स्तर पर सामाजिक संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों ; बाल संरक्षण, जेंडर, आवास, भूमि एवं संपत्ति, दजित एवं आदिवासी, विकलांग, बूढ़े आदि) के लिए ऐसी ही कमेटियां एवं उपसमूह बनाना।

✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में कमेटी के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी ; जीपीडीएमसी), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ;डीडीएमए), इंटर एजेंसी ग्रूप ;आइएजी) , तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ दूसरी कमेटियों, समाज कल्याण एवं संरक्षण इएसएफ एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोलडरों के साथ मेल– मिलाप बढ़ाना तथा आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।

✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में सामाजिक संरक्षण कमेटी का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, इसके लिए पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना तथा हर साल और हर आपदा के बाद मिले सबकों का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ अधिकार एवं दावों, वर्जना, हिंसा, जोर–जबर्दस्ती के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर कमेटी के सदस्यों की क्षमता बढ़ाना और इस ज्ञान को दूसरे संबंद्ध स्टेकहोल्डश्रों तक पहुंचाना।
- ✓ यह सुनिश्चितकरने के लिए कि लोग अपने अधिकारों एवं हकों की मांग करने के लिए पर्याप्तरूप से सक्षम हो गए हैं, उपरोक्त मसलों पर समुदाय के लोगों की क्षमता बढ़ाना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि सामाजिक संरक्षण कमेटी आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम रहे।

मुख्य कार्य:

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम–कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्य:

- ✓ गांव और वार्ड स्तर पर बैठक के बाद कमेटी का आवधिक बैठक बुलाना।
- ✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की सामाजिक संरक्षण ईएसएफ नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।

- ✓ सभी लोगों, तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।
- ✓ दूसरे ग्राम पंचायतों के सामाजिक संरक्षण कमेटियों, इएसएफ नोडल एजेंसी और दूसरी सपोर्ट एजेंसियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ जरूरत के अनुसार उनकी मदद एवं तकनीकी सलाह लेने के लिए नेटवर्क बनाना।
- ✓ सर्वाधिक नाजुक हालत वाले समूहों ; दलित, आदिवासियों, बच्चे, विधवाये, बूढ़े, विकलांग आदि) की सूची को अद्यःतन करना सुनिश्चित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सभी परिवारों को जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, भूमि अधिकार पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैक पासबुक, बचत प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आदि) जैसे कागजात मिल गए हैं।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह—मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय—समय पर लिये गये निर्णयों के लिए कमेटी के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। कमेटी आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत जल स्वच्छता एवं सफाई/वॉश कमेटी

ग्राम पंचायत जल स्वच्छता एवं सफाई/वॉश कमेटी के बारे में:

वॉश –जल स्वच्छता एवं सफाई टीम ग्राम पंचायत में आपदारोधी वॉश हस्तक्षेप की योजना , कार्यानवयव एवं देखरेख में सीानीय लोगों की मदद करती है। आपात स्थिति के दौरान यह प्रत्युत्तर देने वाली प्रमुख टीम की तरह काम करती है और आपदा प्रभावित समुदाय को स्वच्छ पेयजल एवं सफाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। यह स्वास्थ्य के जोखिमों को भी कम करती है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, सम्मान, आराम एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ माहौल बनाती है।

संरचना: 12–16 लोग

- टीम लीडर ; टीम के सदस्यों द्वारा निवार्चित, चयनित वॉश कार्यों का अनुभवी व्यक्ति। वह ग्राम पंचायत आपदाप्रबंधन कमेटी में टीम में का प्रतिनिधित्व करेगा/करगी)।
- टीम के सदस्य पलंबिग, चापाकल लगाने, राजमिस्त्री, जनस्वास्थ्य की बहाली, कचरा निपटान, और ठोस कचरा प्रबंधन तथा जलनिकासी का कामजानने वाले पुरुष एवं महिलाएं होंगी।
- टीम समावेशी स्वरूप का होगा और इसमें विभिन्न गांव के तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा वंचित समूहों के साथ विभिन्न समूह के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
- गांव के प्रतिनिधि अपने गांवों/वार्डों में इसी तरह की टीम बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

✓ स्थिति को मॉनीटर करना।

✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथाग्राम पंचायत स्तर पर वॉश से संबंधित बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी सभी संबंद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।

✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ सूखे जैसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

✓ प्रभावित इलाके में वॉश की स्थिति की रिपोर्ट निधार्रित प्रारूप में भरना।

✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटीं, और वॉश इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी अगर तय करती है कि आपात स्थिति है, और वॉश से जुड़ी प्रत्युत्तर की कार्रवाई की जरूरत है तो सभी संबंद्ध लोगों, खासकर गांव/वार्ड स्तर की वॉश टीम तथा स्थानीय स्तर की संस्थाओं तक प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को क्रियाशील करने की सूचना पहुंचाना।

✓ जितना जल्दी संभव हो सके, शुरुआती आकलन की योजना बनाने के लिए प्रभावित इलाके के प्रतिनिधियों के साथ पहली समन्वय बैठक बुलाना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

वॉश टीम की सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैंः

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-जल संबंधी कार्रवाइयां

1.3.4-सफाई संबंधी कार्रवाइयां

1.3.5-स्वस्थकर स्थिति को बढ़ावा देने की कार्रवाइयां

1.3.6-जलनिकासी संबंधी कार्रवाइयां

1.3.7-रोगवाहक नियंत्रण संबंधी कार्रवाइयां

1.3.8-ठोस कचरा प्रबंधन की कार्रवाइयां

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई

उद्देश्यः

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लोगों की जरूरतों का आकलन करना।
- प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति तथा रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य के प्रयासों का आकलन करना।

मुख्य कार्यः

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व में तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ सर्वाधिक नाजुक हालात वाले, खासकर बूढ़े, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं, बीमार, एचआइवी/एड्स ग्रस्त, लोगों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समूह के, लोगों के बारे में खास जानकारी हासिल करना।

✓ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले सभी समूहों तथा सामाजिक समूहों की भागीदारी एवं सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- प्रभावित लोगों की वॉश से जुड़ी जीवन रक्षक जरूरतें पूरी करना।
- सुविधाओं की योजना, रूपांकन, प्रबंधन और देखरेख में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाना।
- रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों की योजना बनाने में अधिकारियों की मदद करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ वॉस के हर क्षेत्र– जल, सफाई, स्वच्छता, जलनिकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, की तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ स्वास्थ्य के तात्कालिक खतरों को विश्लेषण करना और तैयारी की योजना बनाना।
- ✓ मुआवजे तथा रिकवरी/ पुनरूद्धार के प्रयासों के लिए क्षति की सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ राहत सामग्री और सुविधाओं की तैयार की योजनाओं के स्वरूप एवं स्वीकार्यता के बारे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के लोगों समेत नाजुक हालत वाले सभी लोगों के प्रतिनिधियों से सलाह–मशविरा करना।
- ✓ मुख्य कार्यो ;1 एवं 2) में तय की गयी हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों ;मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना।
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, वॉश इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.3.3 जल संबंधी कार्रवाइयां

उद्देश्यः सुनिश्चित करना किः

- सभी प्रभावित लोगों के लिए पर्यापत पेयजल, खाना पकाने का सामान, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता उपलब्ध हो ।
- सार्वजनिक नल की सुविधा हो और नल सभी समूहों के करीब हो।
- पानी पीने लायक हो और मानवीय उपभोग के लायक उसकी क्वालिटी हो।
- लोगों के पास पानी रखने और इस्तेमाल करने की पर्याप्त सुविधाएं हो।

मुख्य कार्य :

- ✓ पानी की जरूरत के अनुसार चापाकल, कुंआ, आहर–पोखर जैसे पानी के स्रोतों का पता करना और देखना कि कितने समय तक इस स्रोत पर आश्रित रहना पड़ेगा।
- ✓ हर आदमी को प्रतिदिन औसतन 15 लीटर पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि पानी की गुणवत्ता की जांच विशेषज्ञों द्वारा सुनिश्चित करना तथा पानी के स्रोत ठीकठाक हालत में रहें, और इसकी जांच समय–समय पर होती रहे।
- ✓ समुचित सूचना और जानकारी सुनिश्चित करना ताकि लोग घरों में क्लोरिन का टेबलेट

मिलाकर या इसी तरह का दूसरा उपाय कर पानी पीयें।

✓ सुनिश्चित करना कि हर परिवार के पास 10–20 लीटर क्षमता का कम से कम दो कंटेनर हो। एक कंटेनर पानी जमाकर रखने के लिए और दूसरा पयाप्त मात्रा में पानी लाने के लिए।

1.3.4 सफाई संबंधी कार्रवाइयां:

उद्देश्य: सुनिश्चित करना कि:

- रहने की जगह, खासकर शरणार्थ शिविर, खाना बनाने की जगह, सार्वजनिक उपयोग की जगह, मानवीय पेशाब–पैखाना और गंदगी से मुक्त हो।
- शिविर या अस्थायी शरणस्थल के नजदीक स्वीकार्य अस्थायी शौचालय हो।
- शौचालय सभी समूह के लोगों, खासकर महिलाओं के लिए हर समय सुलभ हो।

मुख्य कार्य:

✓ मल–मूत्र की जगह को चिह्नित कर घेर दें और सुनिश्चित करें कि यहां से रिसने वाला पानी पानी के दूसरे स्रोतों को गंदा न करे।

✓ मल–मूत्र के सुरक्षित निपटान तथा अस्थायी शौचालय बनाने एवं इस्तेमाल करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना।

✓ शौचालय की सुविधा के डिजायन एवं उपयुक्तता के संबंध में इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों, खासकर महिलाओं और चलने–फिरने में दिक्कत वाले वाले लोगों से सलाह–मशविरा करना।

✓ पर्याप्त संख्या में अस्थायी शौचालय बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। हर बीस आदमी पर एक शौचालय होनाचाहिए और 66 प्रतिशत शौचालय महिलाओं के लिए अलग किया हुआ होना चाहिए। अपंग लोगों के लिए विशेष तरह का शौचालय होना चाहिए।

✓ प्रभावित लोगों को शौचालय बनाने, रखरखाव करने और साफ करने का पर्यापत सामान उपलब्ध कराना।

✓ हाथ धोने और शौचालय साफ करने के लिए पर्यापत पानी उपलब्ध कराना।

1.3.5 स्वस्थकर स्थिति को बढ़ावा देने की कार्रवाइयां

उद्देश्य: सुनिश्चित करना कि

- सभी प्रभावित लोग ;पुरुष, महिला और सभी उम्र के बच्चे) स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख जोखिमों से अवगत हों।
- लोग हाइजिन ;स्वस्थकर स्थिति) के बिगड़ने से रोकने का उपाय कर रहे हैं और उपलब्ध कराये गये सुविधाओं का इस्तेमाल व देखरेख कर रहे हैं।

- व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक हाइजिन के समान पर्याप्त सामान उपलब्ध हैं।

मुख्य कार्य :

✓ हाइजिन संबंधी जागरूकता पैदा करने एवं रोकथा के उपायों को अपनाने के लिए आइसी सामग्री को प्रचारित करना तथा दूसरे मास मीडिया का इस्तेमाल करना।

✓ मौजूद जोखिम एवं रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सामुदायिक एवं चिह्नित समूह के साथ विचार विमर्श जैसी एक दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल करना।

✓ समुदाय में इस्तेमाल किये जाने वाले हाइजिन के तरीकों को नियमित मॉनीटर करना तथा स्वास्थ्य टीम एवं स्वास्थ्य केंद्रों के रिपोर्ट करना।

✓ वॉश इएसएफ नोडल एजेंसी एवं दूसरी सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर इस बात का आकलन करना कि क्या समुदाय के बीच हाइजिन सामग्रियों केवितरण की जरूरत है। इस आकलन के अनुसार सरकार एवं गैर सरकारी स्ंसाओं से फेमली ाइजिन किट्स प्रापत करना और उसका समय से वितरण करना। अगर जरूरत हो तो सामुदायिक हाइजिन किट्स भी हासिल करना।

✓ फेमली किट तैयार करना और समय से वितरित करना।

1.3.6 जलनिकासी संबंधी कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि जलजमाव के कारण स्वास्थ्य के खतरे एवं दूसरे खतरे कम किये जा सकें।

मुख्य कार्य:

✓ शिविर स्थल के बारे में निर्णय करते वक्त सही–सही प्रवणता, जलजमाव के इतिहास और अबाधित प्राकृतिक जलनिकासी पर विचार करना। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना कि सड़क या दूसरे निर्माण जैसी विकास की आधारभूत संरचनाओं के कारण प्राकृतिक जलनिकासी बाधित नहीं हो।

✓ अगा अपने मूल आवासों में रहने वाले लोग जलनिकासी की समस्या से निपटने के बारे में सलाह मांगे तो उन्हें आवश्यक सलाह देना।

✓ जहां जरूरत हो, वहां जलनिकासी के छोटे रास्ते बनाने एवं उसकी रखरखाव के लिए जरूरी औजार हासिलकरना और आबादी को उपलब्ध कराना।

✓ जहां जलनिकासी का प्राकृतिक रास्ता सड़क या किसी दूसरी आधारभूत संरचना के कारण बंद हो गया हो तो कल्वर्ट उपलब्ध कराने एवं पानी के प्राकृतिक निकासी को बनायेरखने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी और दूसरी संबंद्ध एजेंसियों से संपर्क बनाना।

- ✓ सुनिश्चित करना कि पानी के सभी केंद्रों एवं हाथ धोने की जगह जलनिकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो।

1.3.7 रोगवाहक नियंत्रण संबंधी कार्रवाइयां

उद्देश्यः सुनिश्चित करना किः

- आपदा प्रभावित सभी लोगों के पास स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले रोगवाहकों वाली बीमारियों से खुद को बचाने का ज्ञान एवं साधन हो।
- रोगवाहकों के प्रभाव को कम करने के उपाय।

मुख्य कार्यः

- ✓ प्रभावित लोगों को रोगवाहकजनित बीमारियों, पारगमन के तरीके और रोकथाम के संभावित उपायों के बारे में जागरूक बनाना ।
- ✓ प्रभावित लोगों द्वारा मच्छरदानी, मच्छर मारने वाले क्वायल तथा रोकथाम के दूसरे उपायों के इस्तेमाल, खासकर जिस समय मच्छर सबसे ज्यादा काटते हैं, को बढ़ावा देना।
- ✓ अगर तंद्रिक ज्वर ;टाइफस) या बुखार दुहराने की शिकायतें बढ़ जाय तो लोगों को तुरंत सतर्क करना और इसकी रोकथाम का उपाय करना।
- ✓ प्रभावित लोगों के बीच उपयुक्त तरीके से हवा की व्यवस्था करने एवं बिछवन –कपड़े की धुलाई के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- ✓ रोगवाहकों पर नियंत्रण के लिए केमिकल छिड़काव, रोगवाहक प्रभावित इलाके की सफाई, मक्खी नियंत्रण के उपाय के लिए वॉश इएसएफ नोडल एजेंसी एवं अन्य सपोर्ट एजेंसियों के साथ संपर्क बनाना।

1.3.8 ठोस कचरा प्रबंधन की कार्रवाइयां

उद्देश्यः:

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोगों को मेडिकल कचरा समेत ठोस कचरा से मुक्त माहौल मिले और उनके पास घरेलू कचरों के निपटान की सुविधाजनक और प्रभावी सुविधा उपलब्ध हो।

मुख्य कार्य

- ✓ प्रभावित लोगों को ठोस कचरा निपटान कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने एवं कार्यान्वयन में शामिल करना।
- ✓ समय–समय पर ठोस कचरा सफाई कार्यक्रम चलाना।
- ✓ ऐसी व्यवस्था बनाना कि जला देने या चिह्नित किये गये गड्ढों में डाल देने के लिए नियमित संग्रह हेतु घरेलू कचरों को कंटेनर में रखा जाय तथा अस्पताल के कचरों एवं

दूसरे खतरनाक कचरों को निपटान के लिए अलग रखा जाय।

- ✓ ठोस कचरों के संग्रह एवं निपटान के लिए स्वयंसेवकों को संगठत करना। उन्हें टेटनस एवं हेपटाइकटस बी से बचाने के लिए उपयुक्त पोशाक देना एवं टीका लगाना।
- ✓ बड़ी संख्या में लाश एवं पशुओं का कंकाल जमा हो जाने की स्थिति में उन्हें व्यवसिति करने एवं सम्मानजनक निपटान के लिए इएसएफ एजेंसी के साथ समन्वय सीापित करना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि वॉश से संबंधित जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और वॉश से जुड़े कारणों को लेकर नश्वरता या रुग्णता को कोई खतरा नहीं है। अगर पर्याप्त व्यवस्था कर ली गयी हो तो दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करना एवं ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को रिपोर्ट देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि वॉश सुविधाओं की आपात व्यवस्था पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण है एवं उसकी देखरेख उनकी हाथों में है तथा मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों,, दूसरी कमेटियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, और दूसरी कमेटियों के साथ सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग आपदा के प्रभाव से मुक्त हो जायें एवं आपात सुविधाओं से निकलकर अपने मूल घरों के माहौल या नये शरण स्थल या बसाये गये जगह चले जायें।

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ प्रभावित लोगों के बीच मुआवजे और आधिकारिता को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- ✓ घर के स्तर पर वॉश सुविधाअें की मरम्मती एवं संस्थापन के सिलसिले में लोगों को सलाह देना

एवं सुनिश्चित करना कि मरम्मती एवं संस्थापन आपदारेधी हो।

- ✓ सामुदायिक वॉश सुविधाओं की मरम्मती एवं फिर से खड़ा करने के लिए वॉश विकास कार्यक्रमों एवं रिकवरी का काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनोंसे संपर्क बनाना। लोगों का आपदारोधी रूपरेखा अपनाने की सलाह देना।
- ✓ भविष्य में बेहतर योजना के लिए वॉश कार्यों के सबकों को विकास एजेंसियों के साथ साझा करना।
- ✓ विकास के नये कार्यक्रमों को डीआरआर से जोड़ना तथा डीआरआर के उपायों को अपनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है:

2.1- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपाय:

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य:

- ग्राम पंचायत में वॉश से संबंधित विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना।
- यह देखना कि वॉश से संबंधित आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं दस्तावेजीकरण हो रहा है।

मुख्य कार्य:

- ✓ सुनिश्चित करना कि गांव स्तर की कमेटियां एवं कार्यसमूह आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।
- ✓ ग्राम पंचायत में कमेटियां वॉश से संबंधित विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं को शामिल कर रही है। इसमें निमन बातें शामिल हो सकती हैं:
  - ○ सुनिश्चित करना कि सभी वार्डों एवं गांवों में वॉश जोखिम कम करने एवं आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की वॉश के खतरे से निपटने की क्षमता का विश्लेषण कर लिया गया है और सारी योजनायें ठीकठाक तरीके से बना ली गयीं हैं।

- ○ सुनिश्चित करना कि संपूर्ण सफाई कार्यक्रम जैसे अपनाये गये सारे कार्यक्रम मधुबनी के खतरें के स्वरूप के अनुसार आपदारोधी हैं।
- ○ सुनिश्चित करना कि चापाकल जैसे पानी के सभी स्रोत आपदा के दौरान काम करने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने लायक हैं।
- ○ सुनिश्चित करना कि सड़कों और दूसी संरचनाओं में काफी संख्या में कल्वर्ट और जलनिकासी के रास्ते हैं।
- ✓ पानी, सफाई, हाइजिन को अपनाने,जलनिकासी, रोगवाहक नियंत्रण और ठोस कचरा निपटान के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ उपरोक्त उपसमूह की तरह गांव/वार्ड स्तर की कमेटी बनाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत के सभी लोग वॉश से संबंधित संभावित खतरों से अवगत हैं और इससे बचने के लिए घर में पहले से तैयारियां कर रहे हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि वॉश प्रोफेशनल और पलम्बर, हार्डवेयर स्टोर, राजमिसत्री, सफाई कर्मचारी, लोकस्थ्वास्थ्य को बढ़ावा देने जैसे वॉश संबंधी कामों से जुड़े लोग वॉश के खतरों, वॉश से निपटने के कारगर तरीकों से अवगत हैं तथा जरूरत के अनुसार प्रखंड स्तर पर उन्हें वॉश इएसएफ नोडल एजेंसी से विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध है।
- ✓ वॉश इएसएफ नोडल एजेंसी, और सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मानदंडों के अनुसार वॉश के लिए न्यूनतम मानदंड तय करना।
- ✓ वॉश जोखिम कर करने के सवाल पर ग्राम पंचायत स्तर पर समय–समय पर मौक ड्रिल एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए विचार–विमर्श आयोजित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात स्थिति के हालात में वॉश प्रत्युत्तर एवं रिकवरी के काम को तुरंत करने के लिए पहले से पूरी तैयारी ठीकठाक तरीके से कर ली गयी है।

2.2 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- वॉश टीम एवं दूसरे स्टेकहोल्डरं आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ गांव, वार्ड, और संस्थाओं ;जैसे स्कूल आदि) के स्तर पर वॉश के विभिन्न क्षेत्रों ; पानी, सफाई, हाइजिन, जलनिकासी, रोगवाहक नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन) के लिए इसी तरह की कमेटियां और उपसमूह बनाना तथाउन्हें मदद करना।
- ✓ वॉश से संबंधित सभी संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त और सामग्री) का रोस्टर रखना।

- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में कमेटी के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार;डीडीएमए) , आइएजी, तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए कमेटी के सदस्यों एवं समुदायके लोगों के लिए समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ दूसरी कमेटियों, वॉश इएसएफ सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोलडरों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना तथा आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में बाल समिति का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था,इसके लिए पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना तथा हर साल और हर आपदा के बाद मिले सबकों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ वॉश में कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ वॉश के साज–सामान की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि वॉश समिति आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम–कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।

✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्य :

✓ गांव और वार्ड स्तर पर बैठक के बाद कमेटी का आवधिक बैठक बुलाना।

✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की वॉश इएसएफ नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।

✓ सभी लोगों, तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।

✓ पेयजल को संक्रमण से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्लोरिन टैबलेट की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

✓ पानी के बड़े स्रोतों को संक्रमण से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चूना पाउडर की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

✓ क्लोरिन टैबलेट का इस्तेमाल कर एवं, सुरक्षित पानी का भंडारण कर किस तरह पानी के स्रोतों का शुद्धीकरण करना है, इसके बारे में लोगों की पूर्व जानकारी बढ़ाना।

✓ पर्याप्त संख्या में उंचे प्लेटफार्म का निमार्ण और डीप ट्यूबवेल लगाना सुनिश्चित करना।

✓ लाश एवं मवेशियों के लोथड़ों के निपटना के लिए लोहे के लंबे छड़ों, किरासन तेल, जलावन की लकड़ी का समुचित भंडार बनाना।

✓ शौच एवं स्नान के लिए अस्थायी जगहों की पहचान करना।

✓ वॉश के कामों के लिए ट्रैक्टरों एवं मानवीय संसाधनों का पता करना।

✓ पर्याप्त संख्या में उंचे प्लेटफार्म का निमार्ण और डीप ट्यूबवेल लगाना सुनिश्चित करना।

✓ लाश एवं मवेशियों के लोथड़ों के निपटना के लिए लोहे के लंबे छड़ों, किरासन तेल, जलावन की लकड़ी का समुचित भंडार बनाना।

✓ शौच एवं स्नान के लिए अस्थायी जगहों की पहचान करना।

- ✓ रवॉश के कामों के लिए ट्रैक्टरों एवं मानवीय संसाधनों का पता करना।
- ✓ जरूरत के अनुसार उनकी राय लेने के लिए दूसरे पंचायतों की वॉश कमेटियों, इएसएफ नोडल एजेंसियों तथ दूसरी सपोर्ट एजेंसियों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की वॉश विशेषज्ञ एजेंसियों से नेटवर्क बनाना।
- ✓ विभिन्न आपदाओं के लिए अलग से उनके लिए आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ आपात स्थिति में शुरुआती आकलन एवं प्रत्युत्तर की कार्रवाई में इस्तेमाल किये जाने के लिए बजट तय करना।अगर आपात स्थिति नहीं हो तो इस आकस्मिक निधि का पैसा पूर्व तैयारियों के काम पर खर्च किया जा सकता है।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए कमेटी के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। कमेटी आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कमेटी

ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कमेटी के बारे में :

स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन टीम लोगों और ग्राम पंचायत को स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना एवं कार्यान्वयन में मदद करती हैं। स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन टीम लोगो ंको स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए आपदा प्रबंधन की योजना बनाने के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाती है। यह प्रत्युत्तर की कार्रवाई करने वाली प्रमुख टीम की तरहकाम करती है और आपदा प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है।

संरचनाः 12–16 लोग

- टीम लीडर ; टीम के सदस्यों द्वारा निवार्चित, चयनित स्वास्थ्य एवं सवास्थ्य सेवाओं के कार्यों का अनुभवी व्यक्ति। वह ग्राम पंचायत आपदाप्रबंधन कमेटी में टीम में का प्रतिनिधित्व करेगा/करेगी)।
- टीम के सदस्य के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी रखने वाले या स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कामों को कर चुके लोगों को शामिल किया जायेगा।
- टीम समावेशी स्वरूप का होगा और इसमें विभिन्न गांव के तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा वंचित समूहों के साथ विभिन्न समूह के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
- गांव के प्रतिनिधि अपने गांवों/वार्डों में इसी तरह की टीम बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

✓ स्थिति को मॉनीटर करना।

✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथाग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी सभी संबंद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।

✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ सूखे जैसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

✓ प्रभावित इलाके में निधार्रित प्रारूप में आकलन सुनिश्चित करना।

✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटीं, और स्वास्थ्य इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।

✓ आपात स्थिति के हालात में स्वास्थ्य को लेकर प्रत्युत्तर कार्रवाइओं के शुरू होने की जानकारी सभी संबंद्ध लोगों, खासकर गावं/वार्ड स्तर की स्वास्थ्य टीम तथा स्थानीय स्तर की संस्थाओं तक पहुंचाना।

✓ पहली समन्वय बैठक बुलाना तथा इस बैठक में प्रभावित इलाकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

✓ आकलन में प्रभावित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

स्वास्थ्य संबंधी सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैं:

1.3.1- शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2- सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3- स्वास्थ्य व्यवस्था

1.3.4- आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं

1.3.4.1- छुआछूत वाली बीमारियां

1.3.4.2- बाल स्वास्थ्य

1.3.4.3- यौन एवं प्रजनन

1.3.4.4- चोट एवं मानसिक रोग

1.3.4.5- गैर संप्रेषणीय बीमारियां

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई

उद्देश्य:

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लोगों की जरूरतों का आकलन करना।
- प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति तथा रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य के आधारभूत संरचनाओं का आकलन करना।

मुख्य कार्य :

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व के अधीन तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ सर्वाधिक नाजुक हालात वाले, खासकर बूढ़े, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं, बीमार, एचआइवी/एड्स ग्रस्त लोगों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समूह के, लोगों के बारे में खास जानकारी हासिल करना।

✓ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले सभी समूहों तथा सामाजिक समूहों की भागीदारी एवं सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना।

1.3.2. प्रत्युत्तर की तैयारी

उद्देश्य:

- प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य की जीवनरक्षक जरूरतें पूरी करना।
- सुविधाओं की योजना, प्रबंधन और देखरेख में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाना।

- रिकवरी एवं पुनरुद्धार की योजना में अधिकारियों की मदद करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ स्वास्थ्य के तात्कालिक खतरों को विश्लेषण करना और तैयारी की योजना बनाना।
- ✓ मुआवजे तथा रिकवरी/ पुनरूद्धार के प्रयासों के लिए क्षति की सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ राहत सामग्री और सुविधाओं की तैयार की योजनाओं के स्वरूप एवं स्वीकार्यता के बारे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के लोगों समेत नाजुक हालत वाले सभी लोगों के प्रतिनिधियों से सलाह–मशविरा करना।
- ✓ हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों ;मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, स्वास्थ्य इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों तथा दूसरी गैर सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.3.3 स्वास्थ्य व्यवस्था

उद्देश्यः सुनिश्चित करना किः

- लोगों को प्रशिक्षित एवं दक्ष स्वास्थ्य कार्यबल से बराबरी की प्रभावी, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यसेवाएं उपलब्ध हो।
- आपदा के दौरान दवा एवं खाने की चीजों की सतत आपूर्ति तथा निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराना तथा स्वास्थ्य सूचना के प्रबंधन का मानकीकरण करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ घर–परिवार, समुदाय तथा प्राथमिक उपकेंद्र समेत सभी सतर पर आवश्यक स्वास्थ्ससेवाएं उपलब्ध कराना।
- ✓ अति सामान्य बीमारियों, ट्रिएज और रेफरल सिस्टम के लिए मानक प्रबंधन अपनाना और बनाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यापत और प्रशिक्षितहों, आबादी के स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पूरा ज्ञान और शिल्प हो।
- ✓ स्वास्थ्य की जरूरतों के मुताबिक आवश्यक दवाएं और मेडिकल साज–सामान की

व्यवस्था करना। तथा सुनिश्चित करना के ये सब ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हों।

- ✓ आपदा प्रभावित लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए उनकी पहचान करना तथा संसाधन जुटाना।
- ✓ पहले से मौजूद स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन की समीक्षा करना, जो जरूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो, उन्हें हासिल करने केलिए आकलन और सर्वे करना, और सभी रोगों तथा स्वास्थ्य के हालत के बारे में मानक तय करना।
- ✓ व्यक्ति विशेष के अधिकारों एवं सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सभी डाटा की सुरक्षा के लिए उपयुक्त सतर्कता बरतना तथा निधार्रित समय सीमा के अंदर सभी स्वास्थ्य सुविधाएं एवं रोग के बारें में रिपोर्ट सुनिश्चित करना।

1.3.4 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं

उद्देश्य:

- आगे का जोखिम कम करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।

मुख्य कार्य :

- ✓ नाजुक हालत वाले लोगों ; महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, विकलांग) की पहचान करना तथा आगे कोई और खतरा नहीं हो, इसके लिए आवश्यक सेवाएं कार्यान्वित करना।
- ✓ तय की हुई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में बाधक बनने वाले स्वास्थ्य की समस्याओं एवं जाखिमों के बारे में सूचना एकत्र करना एवं विश्लेषण करना तथा उनकी पहचान करना तथा उनके निदान के लिए व्यावहारिक व्यवस्था करना।
- ✓ प्राथमिक सवास्थ्यसेवाओं को बहाल करने के लिए दूसरे सभी क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लाना।

1.3.4.1 छुआछूत वाली बीमारियां

उद्देश्य:

- छुआछूत वाली बीमारियों की रोकथम करना तथा लोगों के लिए रोगों की पहचान एवं इलाज की वयवस्था सुनिश्चित करना।
- किसी फैलाव का पता लगाने, उसके बारे में सतर्कता बरतने तथा जांच एवं नियंत्रण के लिए समय पर प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ रागवाहकों को रोग में तब्दील होने के पहले रोगवाहक नियंत्रण की समुचित व्यवस्था तथा रोग विशेष की रोकथाम के लिए खसरे का टीका जैसा उपाय करना।
- ✓ मलेरिया, खतरा, अतिसार जैसे रोगों की तुरंत इलाज के लिए ट्रिएज, निदान तथा केस

प्रबंधन की व्यवस्था करना तथा आबादी को महामारी फैलाने वाली बीमारियों के लक्षण के बारे में सामान्य जानकारी उपलब्ध कराना।

- ✓ निधार्रित अहर्ताए पूरी हो जाने पर ही टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चलना।
- ✓ छुआछूत वाले रोगों के विस्तृत आकलन के आधार पर बचाव एवं प्रत्युत्तर की इवार्न प्रणाली बनाना तथा कार्यकर्ताओं को महामारी की पहचान एवं संभावित फैलाव के बारे में प्रशिक्षित करना।

1.3.4.2 बाल स्वास्थ्य:

उद्देश्य:

- टीकाकरण से रूकने वाले रोगों से बच्चों को बचाना तथा नवजात शिशुओं एवं बच्चों की बीमारियों का प्रबंधन करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ महामारी के जाखिमों का समाधान करना तथा 6 माह से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए खसरा टीकाकरण अभियानन चलाना।
- ✓ 6से 9 माह तक बच्चों को नौ माह होने पर फिर से टाका दिलवाना । दो खुराकों के बीच कम से कम एक माह का अंतराल निश्चित तौर पर रहना चाहिए।
- ✓ जैसे ही स्थिति बन जाए नियमित तरीके से टीकाकरण एवं टाका से रूकने वाले रोगों के लिए के लिए इपीआइ बनाना ।
- ✓ प्रत्येक नवजात शिशुओं को गर्भावस्था एवं प्रसव समन्वित प्रबंधन के दिशा निर्देशों को नवजात देखभल उपलब्ध कराना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि जिन बच्चों का इलाज हो रहा है,उनकी पोषाहार की सिोति की जांचभी हो, और जरूरत पड़ने पर पोषाहार देखभाल के लिए भेजा जायें।

1.3.4.3 यौन एवं प्रजनन

उद्देश्य:

- आपदा के दौरान न्यूनतम शुरूआती सेवापैकेज का जननीय स्वास्थ्य एवंएचआइवी की रोकथाम, देखभाल एवं मदद की सेवाएं सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ दूसरे संबंद्ध क्षेत्रों एवं समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर प्राथमिक चिकित्सा के साथ जोड़कर यौन हिंसा को कम करने के उपायों को लागू करना।
- ✓ एमआइएसएपी के समन्वयन एवं कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र या समूह के बीच लीड आरएच एजेंसी की पहचान करना तथा सुनिश्चित करना कि एक आरएच पदाधिकारी हो तथा स्वास्थ्य क्षेत्र या समूह के बीचकाम कर रहा हो।

- ✓ यौन हिंसा के क्लीनिकल प्रबंधन की सेवाएं सुनिश्चित करना। साथ ही मानसिक एवं मनोवैाानिक सहायता, कानूनी मदद एवं प्रसव किट्स उपलब्ध कराना। सुनिश्चित करना सामान्य गर्भनिरोधक तरीके उपलब्ध हों।
- ✓ इलाज के सभी केंद्रों के आसपास कचरा से सवाधानी बरतने एवंकचरों के निपटान की व्यवस्था करना।
- ✓ एचआइवी के ट्रांसमिशन एवं ट्रांसफ्यूजन की रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- ✓ प्राथमिक उपचार केंद्रों पर लोगों को महामारी फैलने के पहले रोगनिरोधन सेवाएं उपलब्ध कराना। साथ ही एचआइवी पॉजिटिव माताओं द्वारा पैदा हुए नवजात शिशुओं को इलाज, देखभाल तथा मदद उपलब्ध कराना। माताओं को नवजातों के आहार के बारे में सलाह देना एवं मार्गदर्शन करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि जिन लोगों का पहले रिट्रोवायरल थिरेपी चल रहा था, उनका इलाज जारी रहे।

1.3.4.4 चोट एवं मानसिक रोग

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि घायलों को मानसिक स्वास्थ की समस्याओं से बचाने या कम करने वाला प्रभावी इलाज एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुविधा उपलब्ध हो ।

मुख्य कार्य :

- ✓ सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास फर्स्ट एड एवं पुनरुज्जीवन की मौलिक जानकारी तथा दक्षता हो।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सेवा कार्य में सिर्फ उपयुक्त विशेषज्ञता प्राप्त एवं संसाधन वाली एजेंसियां ही लगें।
- ✓ घायलों एवं जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, चलंत उपचार, सुनिश्चित करना।
- ✓ सघन रूप से व्यथित व्यक्तियों के लिए प्राथमिक मनोवैज्ञानिक उपचार सुनिश्चित करना।
- ✓ व्यथित व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक–सामाजिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं / प्राइवेट अस्पतालों / स्थानीय डाक्टरों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ संस्थाओं में मानसिक समस्या वाले लोगों की सुरक्षा, बुनियादी जरूरतें तथा अधिकारों को सुनिश्चित करना।

1.3.4.5 गैर संप्रेषणीय बीमारियां :

उद्देश्य:

- सघन तकलीफों के लिए आवश्यक इलाज सुनिश्चित करना।

  मुख्य कार्य :

✓ एनसीडी का आकलन एवं उसके प्रचलन का कागजात सुनिश्चित करना तथा आपदा केप्रत्युत्तर कार्यों में लगी एजेंसियों के साथ उसे साझा करना।

✓ लोगों केलिए इलाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

✓ सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल की एक मानक प्रक्रिया की बहाली सुनिश्चित करना।

✓ जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा चलने–फिरने या बोलने में असमर्थ व्यकितयों की मदद के लिए एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि स्वास्थ्य से संबंधित जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और स्वस्थ्य कारणों से नश्वरता या रुग्णता को कोई खतरा नहीं है। क्या दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय बनाया गया है तथा इसकी रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को रिपोर्ट देना।

✓ सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य की आपात व्यवस्था पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण है एवं उसकी देखरेख उनकी हाथ्साों में है तथा मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।

✓ स्थानीय लोगों, दूसरी कमेटियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना ।किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, और दूसरी कमेटियों के साथ सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग बीमारी, चोट, मानसिक अस्वस्थता से ठीक हो जायें तथा स्वस्थजीवन को लौट जायें।

मुख्य कार्यः

✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।

- ✓ प्रभावित लोगों के बीच मुआवजे और आधिकारिता को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- ✓ हिंसा, वर्जना और जोर–जबर्दस्ती की रोकथाम के लिए रिकवरी के सवाल पर काम कर रहे संबंद्ध विकास कार्यक्रमों एवं स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क बनाना ।
- ✓ भविष्य में बेहतर तैयारी के लिए सामाजिक संरक्षण के कार्यों ; वर्जना, हिंसा और जोर–जबर्दस्ती की रोकथाम की कार्रवाई) के सबकों को विकास एजेंसियों के साथ साझा करना।
- ✓ विकास के नये कार्यक्रमों को डीआरआर से जोड़ना तथा डीआरआर के उपायों को अपनाना।
- ✓ रिकवरी समन्वय की बैठाकों को आयोजित करना, भाग लेना, रिकवरी की स्थितियों को जानना, अधिकारियों को सूचित करना तथा सभी के साथ सलाह–मशविरा कर उपयुक्त निर्णय लेना।
- ✓ आपदा के बाद की जरूरतों के आकलन के साथ–साथ नश्वरता एवं रुग्णता, स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं, साज–सामान एवं आपूर्ति को को हुई क्षति के आकलन लिए स्वास्थ्य एवं संबंद्ध सरकारी विभागों / स्वयंसेवी संगठनों को मदद करना।
- ✓ लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषाहार सेवाओं की फिर से जल्द बहाली की हिमायत करना।
- ✓ मुआवजे, अनुदान कके त्वरित वितरण में सरकार को मदद करना, मॉनीटर करना कि सभी प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा मिले और अगर उनकी कोई मांग हो, तो पूरी की जाये।
- ✓ स्वास्थ्य एवं पोषाहार वाउचर उपलब्ध कराने एवं लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एनजीओ / सीबीओ को प्रोत्साहित करना।
- ✓ काम करने लायक सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था की योजना शुरू करना।
- ✓ जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधांओं की बेहतरी के लिए आपदा प्रबंधन टीम निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत स्तर पर योजनायें बनाये।
- ✓ सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने एवं फिर से खड़ा करने के लिए स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमों तथा रिकवरी के सवाल पर कामकर रहे स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ संपर्क बनना। उन्हें आपदारोधी डिजायन बनाने तथा बेहतर निर्माण करने की सलाह देना।
- ✓ भविष्य में बेहतर योजना के लिए सवास्थ्य के सबकों को विकास योजना में लगी एजेंसियों के साथ साझा करना।
- ✓ नये विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना तथा ग्रीन बुक में उल्लेखित आपदा जोखिम कम करने के उपायों को अपनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है:

2.1- आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपाय:

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने / डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- ग्राम पंचायत में शरणस्थल से संबंधित विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य से जुड़ी जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ सुनिश्चित करना कि गांव स्तर की सभी कमेटियां एवं कार्यसमूह आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।
- ✓ ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक योजना में स्वास्थ्यसेवाओं के लिए योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि जैसी नीतियों को शामिल करने में अहम भमिका अदा करना।
- ✓ नदी, तटबंध, जीर्णशीर्ण मकानों, और गंदे पानी या खतरनाक जगहों के आसपास रहने वाले लोगों की पहचान करना । आपदा प्रबंधन कमेटी लोगों को इन जगहों से किसी दूसरे सुरक्षित जगह ले जाने का प्रस्ताव बनाए तथा स्थानीय लोगों के बीच इस सवाल पर जागरूकता पैदा करे।
- ✓ बीमारियों को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करना। पंचायत में जिस बीमारी के होने की ज्यादा आशंका हो, उसपर ज्यादा जोर देना।
- ✓ स्वास्थ्य इएसएफ नोडल एजेंसी, और सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मानदंडों के अनुसार स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम मानदंड तय करना।
- ✓ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई और हाइजिन पर आधारित कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता अभियान शुरू करना तथा स्वास्थ्य एवं आवश्यक स्वास्थ्यसेवाओं को लेकर क्या करनाचाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को बताना।
- ✓ ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य जोखिम कम करने को लेकर समय–समय पर ड्रिल आयोजित करना तथा जागरूकता पैदा करनेवाला विचार–विमर्श करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात स्थिति होने पर तुरंत शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाई पहले से तैयार हो ।
- ✓ ग्राम पंचायत में सवास्थ्य संबंधी विकास कार्यों में जोखम कम करने के उपायों को शामिल करना। इस क्रम में निम्न काम किये जा सकते हैंः

- इलाके के भौगोलिक स्वरूप के अनुसार स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों एवं नाजुकता का आकलन सुनिश्चित करना तथा देखना कि सभी वार्ड एवं गांवों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम करने एवं आपात प्रत्युत्तर की योजना सही तरीके से बनी हुई है तथा सभी संबंद्ध लोगों को इसकी जानकारी है।
- जिन स्वास्थ्य जोखिमों या दूसरे कारणों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनकी पहचान करना तथा सुनिश्चित करना कि पूर्ण सफाई,अभियान जैसे अपनाये गये कार्यक्रमों की रूपरेखा मधुबनी की समस्याओं के संदर्भ में आपदारोधी है।
- सुनिश्चित करना कि सवास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाएं आपदा के दौरान चालू हालत में रहने के लिए आपदारोधी हैं।

4.2 क्षमता सृजन की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- स्वास्थ्य टीम एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ गांव, वार्ड, और आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों आदि जैसी संस्थाओं के स्तर पर ऐसी ही कमेटियां एवं उपसमूह विकसित करना।
- ✓ गांव/वार्ड और संस्थाओं ; जैसे, स्कूल आदिं) के स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं ; छुआछूत की बीमारियों को रोकने, बाल स्वास्थ्य, यौन एवं प्रसव, मानसिक स्वास्थ्य, और गैर संप्रेषणीय बीमारियां) से जुड़ी ऐसी ही कमेटियां और उपसमूह बनाना तथा उन्हें मदद करना।
- ✓ ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य से संबंधित संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रम, वित्त एवं सामग्री) का रोस्टर रखना।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में कमेटी के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ;डीडीएमए), इंटर एजेंसी ग्रूप ;आइएजी) , तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए कमेटी के सदस्यों एवं समुदाय के लोगों के लिए समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ दूसरी कमेटियों, स्वास्थ्य इएसएफ सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ मेल–मिलाप बढ़ाना तथा आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।

- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में स्वास्थ्य कमेटी का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था,इसके लिए पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना तथा हर साल और हर आपदा के बाद मिले सबकों का दस्तावेज तैयार करना।
- ✓ ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों ; मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त, सामग्री आदि) की देखभाल करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज–सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य समिति आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम है। करना कि स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाएं आपदा के दौरान चालू हालत में रहने के लिए आपदारोधी हैं।

मुख्य कार्य:

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम–कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्यः

- ✓ गांव और वार्ड स्तर पर बैठक के बाद कमेटी का आवधिक बैठक बुलाना।
- ✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की स्वास्थ्य इएसएफ नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ सभी लोगों, तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रखंड एवं इएसएफ एजेंसियों से आपदा प्रबंधन कमेटी संपर्क बनाये हुए है।
- ✓ किसी खास जोखिम वाले नाजुक समूह के लोगों ; महिलाएं, बूढ़े, विकलांग) की पहचान करना।
- ✓ आपात समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल स्ट्रेचर, परदा, कपड़ा एवे अन्य सामानों की आपर्मि सुनिश्चित करना।
- ✓ ग्राम पंचायत की आबादी के अनुसार प्राथतिक उपचार एवं स्वास्थ्य की जरूरतों का हिसाब लगाना एवं कम से कम दस दिनों के लिए पानी को शुद्ध करने वाली गालियों के साथ फर्स्ट एड बॉक्स, टीका, एंटीसेप्टिक, दवा, पट्टी, खपची, कैंची, ब्लेड, आयोडिन, मरहम, सांप–बिच्छू काटने की दवा, ओआरएस पुड़िया, साफ कपड़ा, ब्लीचिंग पाउडर का स्टॉक सुनिश्चित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सामान्य बीमारियों की आयुर्वेदिक आयुष दवा तथा एलोपैथिक दवा का किट पय्राप्त संख्या में आपदा प्रबंधन टीम के पास रहे। साथ ही मान्यता प्राप्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ;आशा) भी मौजूद रहें।
- ✓ टीकाकरण, बिटामिन ए का खुराक देने, दवा वितरण तथा सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए आपदा पूर्व लगने वाले कैंपों के आयोजन में सवास्थ्य एवं संबंद्ध विभागों तका स्वयंसेवी संसाीओं को मदद करना।
- ✓ मवेशियों के आपदापूर्व टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए पशुधन संसाधन विभग ⁄स्व्यंसेवी संस्थाओं को मदद करना।
- ✓ लोगों से अपने आपात स्वास्थ्य किट ; आम दवा, ओआरएस, पानी शुद्ध करने की गोलियां, फर्स्ट एउ बॉक्स, जरूरत पड़ने पर प्रसव किट, मलेरिया की रोकथाम के उपाय, सफाई कपड़ा,) की जांच का अनुरोध करें तथा उनसे कहें कि वे नवजात शिशुओं समेत बीमार लोगों पूरे परिवार के लिए पर्याप्त दवा एवं अन्य सामग्री कम से कम एक सप्ताह या उससे अधिक दिनों के लिए रख लें।
- ✓ पेयजल शुद्ध करने के लिए क्लोरिन टैबलेट की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करायें।
- ✓ पानी के स्रोतों को कैसे शुद्ध करना है, क्लोरिन टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना है, तथा साफ पानी जमा करने , स्वास्थ्य, हाइजिन और सफाई की जरूरी बातों के प्रति लोगों को पहले से जागरूक बनायें।

✓ दूसरे पंचायतों की स्वास्थ्य कमेटियों, इएसएफ नोडल एजेंसी, और दूसरीसपोर्ट एजेंसियों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद एवं तकनीकी सलाह के लिए उनके साथ नेटवर्क बनायें।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए कमेटी के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। कमेटी आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत परिवार कमेटी

ग्राम पंचायत परिवार कमेटी के बारे में:

परिवार आपदा प्रबंधन कमेटी में पुरूष, महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन आदि शामिल रहते हैं। परिवार के योग्य व्यक्ति वोट देकर पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। पंचायत और इसकी कमेटियों को गांव के कार्यक्रमों को लागू करने में परिवार मदद करते हैं । स्टेकहोल्डर के इस शाखा के प्रत्युत्तर का हमेशा लाभ मिलता है। इसलिए आपात स्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेना परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रत्युत्तर की कार्रवाई करने वाले वे पहले लोग होते हैं। किसी योजना या नीति को बनाने में में यह समूह ज्यादा बेहतर तरीके से सहयोग कर सकता है।

संरचनाः 4–6 लोग

- टीम लीडर
- स्थानीय एवं परिवार की जरूरतों की अच्छी समझ रखने वाले पुरूष, महिलायें सदस्य होंगी
- टीम में विभिन्न गांवों, तथा अनुसूचितजाति / अनुसूचित जनजाति और वंचित समूह के लोगों के साथ–साथ समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि रहेंगे।
- टीम में महिला प्रतिनिधि रहेंगी।
- गांव के प्रतिनिधि इसी तरह की टीम अपने–अपने गांवों / वार्डों में बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ स्थिति को मॉनीटर करना।
- ✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथाग्राम पंचायत स्तर पर परिवार से संबंधित बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी सभी संबंद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।
- ✓ संभावित स्थिति और क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करना।
- ✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ सूखे जेसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता है , की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ आकलन में परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ✓ स्थिति और अनुभवों को प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी एवं इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के निर्देशों का अनुसरण करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी या इसकी टीम के द्वारा बुलायी गयी समन्वय बैठक में शामिल होना।
- ✓ आकलन में प्रभावित लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- प्रभावित परिवारों की जीवनरक्षक जरूरतें पूरी करना।

मुख्यकार्यः

✓ परिवार का लीडर आवश्यक निर्देशों के पालन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के संपर्क में रहेगा।

✓ परिवार के सदस्य सुनिश्चित करेंगे कि राहत की प्रक्रिया परिवार के स्तर पर चले।

✓ हर परिवार के लिए शरणस्थल, भोजन, पानी और सफाई की सुविधा सुनिश्चित करना।

✓ सुनिश्चित करना कि बच्चे, महिलाओं, बीमार, बेढे लोगों समेत परिवार के सदस्यों के लिए समय से जीवनरक्षक सेवां सुनिश्चित करना।

✓ किसी तरह की मांग या राहत/जरूरत के लिए आपदा प्रबंधन टीम सेके साथ समन्वय करना।

✓ सुनिश्चित करना कि राहत की प्रक्रिया में भोजन, शरण और सफाई की न्यूनतम जरूरतों के मानक का पालन हो रहा है।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

✓ इस बात की जांच करना कि परिवार में जीवन रक्षा के तातत्कालिक उपाय सही तरीके से कर लिये गये हैं।

✓ सुनिश्चित करना कि परिवार स्तर की आपात सभी आवश्यक सेवां हासिल कर ली गई हैं तथा उस पर उनका नियंत्रण है एवं देखरेख उनकी हाथों में है तथा मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।

✓ स्थानीय लोगों, दूसरी कमेटियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना। किये गये कामों एवं उनकी कमियों का दस्तावेज तैयार करना।

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, और दूसरी कमेटियों के साथ सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग आपदा के प्रभाव से मुक्त हो जायें एवं आपात सुविधाओं से

निकलकर अपने मूल घरों के माहौल या नये शरण स्थल या बसाये गये जगह चले जायें ।

मुख्य कार्यः

- ✓ परिवार निश्चित तौर पर सुनिश्चित करे कि क्षति का आकलन कर लिया गया है और इसकी रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है।
- ✓ परिवार निश्चित तौर पर सुनिश्चित करे कि प्रभावित लोगों को सरकार से लाभ या किसी तरह का अनुदान मिले।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ आजीविका की पुनर्बहाली के लिए परवार निश्चित तौर पर दीर्घकालिक योजना बनाये।
- ✓ ग्राम पंचायत लोगों की आजीविका एवंखाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को लागू करे।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया हैः

2.1- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपायः

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- परिवार विकास कार्यक्रमों एवं आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना तथा देखना कि परिवार से संबंधित जोखम कम करने की प्राथमिकताओं में इसे लागू किया जा रहा है एवं इसका दस्तावेजीकरण हो रहा है।

मुख्यकार्य :

- ✓ परिवार कमेटी इलाके के भौगोलिक परिदृश्य के आलोक में भोजन, शरण, और स्वास्थ्य क्षेत्र में जाखिम एवंनाजुकता का आकलन शुरू करेगी ।
- ✓ परिवार कमेटी निश्चित तौर पर नदी, तटबंध, जीर्णशीर्ण मकानों, और गंदे पानी या खतरनाक जगहों के आसपास रहने वाले लोगों की पहचान करें। ऐसी जगहों के आसपास रहने वाले परिवारों को किसी दूसरे सुरक्षित जगह ले जाने की व्यवस्था करे।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात समय के लिए परिवार अनाज, राशन, दवा, और उपयोग की दूसरी

चीजों का अतिरिक्त भंडार बनाकर रखे।

- ✓ सुनिश्चित करना कि ज्वलनशील चीजें सुरक्षित जगहों पर रखी जायें।
- ✓ सुनिश्चित करना कि मकान पूरी तरह संरक्षित और आपदारोधी हों।
- ✓ सुनिश्चित करना कि हर खतरे के समय क्या करना है, क्या नहीं करनाहै, इसबात से परिवार के सदस्य अवगत रहें।
- ✓ बूढे लोगों, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों, बच्चों, स्तनपान करानेवाली एवं गर्भवती महिलाओं जैसी नाजुक हालत वाले समूहों की विशेष जरूरतों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि परिवार के सभी लोग घर के स्तर से जुड़े जोखिमों से अवगत हैं और इससे निपटने की तैयारी पहले से कर रहे हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात स्थिति के हालात में घर केस्तर पर प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की पय्राप्त तैयारी पहले से की जा चुकी है।
- ✓ लोगों को आपदारोधी प्रणाली अपनाने के लिए बढ़ावा देना।

2.2 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्य:

- परिवार कमेटी /सदस्यों बीच आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ परिवार स्तर की पूर्व तैयारी एवं प्रत्युत्तर के संबंध में कमेटी के अंदर हर सदस्यों की एक निश्चित भूमिका होगी।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में कमेटी के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए), इंटर एजेंसी ग्रूप (आइएजी) , तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले गांव एवं ग्राम पंचायत स्तर की मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रम में हिस्सा लेना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि जरूरत के एवं निर्णायक मानवीय सहायता लेने के लिए सभी लोग या परिवार ग्राम पंचायत एवं प्रखेड सतर पर विभिन्न कार्यबल एवं आपदा प्रबंधन टीम के साथ आवश्यक संपर्क एवं संवाद बनायेंगे।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में

परिवार कमेटी का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था,इसके लिए पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना तथा हर साल और हर आपदा के बाद मिले सबकों का दस्तावेज तैयार करना।

- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज –सामाना की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि परिवार कमेटी आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम रहें।

मुख्य कार्य :

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम–कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और/या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि परिवार कमेटी के सभी सदस्य सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार हैं।

मुख्य कार्य :

- ✓ भोजन, दवा एवं दूसरी आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- ✓ मवेशियों के लिए चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि कमेटी के सभी सदस्य परिवार लीडर के मार्गदर्शन एवं देखरेख में काम कर रहे हैं।
- ✓ आपात स्थिति में जगह बदलने के लिए सुरक्षित मकानों/स्थानों की पहचान करना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात स्थिति के दौरान इस्तेमाल के लिए लोगों ने फेमली सरवाइवल किट, चाइल्ड सरवाइवल किट, मूल्यवान कागजातों एवं संपत्ति रखने के किट, मवेशी के लिए चारा, बहुउद्देशीय औजार, खोज एवं बचाव किट, पूर्व चेतावनी किट, अस्थायी शरण किट, फर्स्ट एड इमरजेंसी हेल्थ किट, तथा हाइजिन एवं सफाई किट जैसे आपात सामग्रियों को अपने पास जमा कर भडार बना लिया है।
- ✓ सामानों को प्लास्टिक कोटेड थैले में सुरक्षित जगहों पर रखें। सुनिश्चितकर लें कि लोगों को आपात स्थिति के दौरान इन सामानों को फिर से भरने एवं इस्तेमाल करने आता हो।
- ✓ परिवार के बूढ़ों, अशक्त लोगों, महिलाओं, किशोरी लड़कियों और छोटे बच्चों की विशेष जरूरतों के बारे में सोचना एवं उसके लिए तैयार रहना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात संपर्क के सभी नंबर उपलब्ध रहें।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए कमेटी के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। कमेटी आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ज्ञान केंद्र कमेटी

ज्ञान केंद्र कमेटी के बारे मे :

ग्रामीण ज्ञान आपदा प्रबंधन टीम ग्राम पंचायत सतर पर सूचनाओं के प्रसार में सूचना एवं संचार नोडल एजेंसी को मदद करती है। किसी आपात स्थिति में यह प्रत्युत्तर देने वाली मुख्य टीम की तरह काम करती है और समय से सूचनाओं का प्रसार करती है एवं सुनिश्चित करती है कि सूचनाएं सभी संबद्ध स्टेकहोल्डरों तक पहुंच जाये। ाान केंद्र कमेटी गठित करने का मकसद विभिन्न तरह की सेवाएं, विषय वस्तु एवं सूचनाएं, दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों तक , या जिन इलाकों में ऐसी जानकारियों की पहुंच नहीं है वहां तक, पहुंचाना है।

संरचनाः 12–16 लोग

- टीम लीडर (सूचना एवं प्रसारण का अनुभवी व्यक्ति, और ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी में टीम का प्रतिनिधि)
- सूचना संग्रह एवं प्रसारण की जानकारी और शिल्प वाले पुरूष और महिलाएं टीम की सदस्य होंगी।
- सदस्यों में सामुदायिक सूचनासेवा, सीानीयरेडियो, टीवी और सूचना एवं संचार का अनुभव रखने वाले वाले कमेटी के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
- गांव के प्रतिनिधि अपने गांवों / वार्डों में इसी तरह की टीम बनायेंगे।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैंः

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

  मुख्य कार्यः

- ✓ स्थिति को मॉनीटर करना।
- ✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बरती जाने वाली सतर्कताओं, आपदा की स्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी, सभी संबंद्ध लोगों तक पहुंचाना।
- ✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ सूखे जैसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

  मुख्य कार्य :

- ✓ प्रभावित इलाके में क्षति की स्थिति के बारे में सिीति रिपोर्ट निधार्रित प्रारूप में भरना।
- ✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को प्रखंड स्तर पर दूसरी ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटियों और इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी अगर तय करती है कि आपात स्थिति है, और प्रत्युत्तर कार्रवाई की जरूरत है तो सभी संबंद्ध लोगों, खासकर गावं/वार्ड स्तर की सूचना एवं संचार टीम तथा स्थानीय स्तर की संस्थाओं तक प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को क्रियाशील करने की सूचना पहुंचाना।
- ✓ जितना जल्द हो सके, शुरुआती आकलन की योजना बनाने के लिए प्रभावित इलाके के प्रतिनिधित्व के साथ पहली समन्वय बैठक बुलाना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

ज्ञान केंद्र की प्रभावी प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैं:

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-सूचनाओं का प्रसारण एवं अभिलेख बनाना

1.3.4-सूचनाओं का अभिलेख बनाना

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई / सूचनाओं का संग्रहः

उद्देश्यः

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लोगों की जरूरतों का आकलन करना तथा इसकी सूचना नोडल एजेंसियों तक पहुंचाना।
- सूचनाओं का संग्रह करने एवं उन्हें साझा करने के लिए दूसरे नोडल एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- प्रभावित लोगों को आपदा से उबारने के लिए तुरंत मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति का आकलन करना।

मुख्य कार्य :

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व के अधीन तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ प्रभावित लोगों की सर्वाधिक मजरूरी जरूरतों के बारे में जानकारी हासिल करना।

✓ नाजुक हालत वाले सभी समूहों तथा सामाजिक समूहों समेत लोगों की भागीदारी एवं सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां:

उद्देश्यः

- सूचनाओं का प्रवाह और आदान–प्रदान सुनिश्चित करना।
- समय से विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराकर रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों की योजना बनाने में अधिकारियों की मदद करना।

मुख्य कार्यः

✓ तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।

- ✓ तात्कालिक खतरों को विश्लेषण करना और तैयारी की योजना बनाना।
- ✓ मुआवजे तथा रिकवरी / पुनरूद्धार के प्रयासों के लिए क्षति की सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ लिये गये निर्णय के अनुसार हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों (मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना।
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.3.3 सूचनाओं का प्रसारण

उद्देश्य:

- सभी स्टेकहोल्डरों को समय पर और विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराना।
- सूचनाओं का निरंतर प्रवाह एवं आदान–प्रदान सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ लोगों की जीवन रक्षक जरूरतें पूरी करने के लिए संग्रहित सूचनाओं का विश्लेषण करना एवं संबंधित नोडल एजेंसियों तकपहुंचाना।
- ✓ लोगों की तात्कालिक जोखिमों का विश्लेषण करना एवं इन सूचनाओं को इस तरह प्रसारित करने की कार्ययोजना बनाना कि इनके कारण अव्यवस्था या तबाही की सिंिति नहीं बने।
- ✓ आपदा प्रबंधन विभाग एवं सूचना एवं संचार आपदा प्रबंधन टीम की नोडल एजेंसी से प्राप्त सूचनाओं और आदेशों को प्रसारित करना।
- ✓ प्रभावित इलाके में राहत सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा मदद के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए नोडल एजेसियों को विश्वसनीयसूचनाएं उपलब्ध कराना।
- ✓ प्रोफेशनल, विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा जोखिम को आगे कम करने के बारे में उनसे मिली सलाह या उनसे हुई बातचीत के नतीजे को प्रसारित करना।
- ✓ अफवाहों पर रोक लगाना एवं किसी अफवाह के फेलने पर समय से कार्रवाई करना।
- ✓ संवेदनशील सूचनाओं का प्रबंधन एवं प्रसार इस तरह करना किइसके कारण प्रभावित लोगों की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं हो।

1.3.4 सूचनाओं का अभिलेख बनाना

उद्देश्य

- आगे के संदर्भ के लिए डाटाबेस का अभिलेख तैयार करना ।

मुख्य कार्य :

✓ क्षति के आकलन का रिकार्ड तैयार करनां

✓ आपदा तथा आपदा के दौरान की गई कार्रवाइयों का वीडियो रिकार्डिंग रखना ।

✓ लोगों, दूसरी कमेटियों तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों से सलाह–मशविरा कर आपात प्रत्युत्तर का मूयांकन करना तथा प्रत्युत्तरों एवं कमियों का अभिलेख तैयार करना।

✓ अभिलेखों एवं वीडियो को सुरक्षित एवं अपदारोधी लॉकर में रखना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य:

✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और आगे कोई खतरा नहीं है, तथा दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करना एवं ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को रिपोर्ट देना।

✓ सुनिश्चित करना कि मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, और दूसरी कमेटियों के साथ सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

उद्देश्य:

- आपदा के प्रभावों से प्रभावी रिकवरी और सामान्य स्थिति एवं आम दिनचर्या वाली जिंदगी की वापसी सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य:

✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।

✓ प्रभावित लोगों के बीच मुआवजे और आधिकारिता को लेकर जागरूकता पैदा करना।

✓ सरकारी एवं दूसरे संबंद्ध अधिकारियों द्वारा प्रभावित लोगों के अधिकारों का सम्मान एवं पूर्ति सुनिश्चित करना।

✓ सूचना एवं संचार विकास कार्यक्रमों तथा इस क्षेत्र मेंकाम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क

बनाना।

- ✓ हिंसा, वर्जना और जोर–जबर्दस्ती की रोकथाम के लिए रिकवरी के सवाल पर काम कर रहे संबंद्ध विकास कार्यक्रमों एवं स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क बनाना ।
- ✓ भविष्य में बेहतर तैयारी के लिए सूचनाओं के संग्रह एवं प्रसारण के सबकों को विकास योजना बनाने वाली एजेंसियों के साथ साझा करना।
- ✓ विकास के नये कार्यक्रमों को डीआरआर से जोड़ना तथा डीआरआर के उपायों को अपनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है:

2.1- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपाय:

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य:

- ग्राम पंचायत में ज्ञान केंद्र से संबंधित विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना।
- यह देखना कि आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन हो रहा है और इसका अभिलेख तैयार किया जा रहा है एवं दस्तावेजीकरण हो रहा है।

मुख्य कार्य:

- ✓ सुनिश्चित करना कि हर गांव/वार्ड में कमेटियां गठित कर ली गई हैं और ये आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं।
- ✓ मवेशियों के इलाज, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी योजनाएं ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में शामिल कराने में आपदा प्रबंधन पशुधन कमेटी निश्चित तौर पर भूमिका अदा करे।
- ✓ नदी, तटबंध, जीर्णशीर्ण शरणस्थली, और गंदे पानी या खतरनाक जगहों में रहने वाले मवेशियों की पहचान करें। आपदा प्रबंधन कमेटी मवेशियों को इन जगहों से कसी दूसरे सुरक्षित जगह लेजाने का प्रस्ताव बनाए तथा स्थानीय लोगों के बीच इस सवाल पर जागयकता पैदा करे।
- ✓ खोज एवं बचाव, निकास,/ ढुलाई और स्वास्थ्य के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ उपरोक्त उपसमूह की तरह गांव/वार्ड स्तर की कमेटी बनाना।

- ✓ मवेशियों की आम बीमारियों की पहचान करना तथा संबंद्ध स्थेकहोल्डरों को शामिल कर बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाना।
- ✓ संभावित खतरों की पहचान करना तथा सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत के सभी लोग इस संभावित खतरे और घर में अलग से सिर्फ्फ मवेशियों के पहले से की जाने वाली तैयारियों, से अवगत हों।
- ✓ पशुधन इएसएफ नोडल एजेंसी, और सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मानदंडों के अनुसार पशुधन के लिए न्यूनतम मानदंड तय करना।
- ✓ समूहों को संगठित करना एवं उनकी भमिका एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से तय करना। समय–समय पर जोखिम कम करने और पशुधन की देखभाल के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर निकास अभ्यास, ड्रिल, और जागरूकता बनाने के लिए बहस आयोजित करना।
- ✓ जरूरत पड़ने पर मवेशी बचाव अभियान में लोगों को लगाने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान चलाना तथा समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना पशु चिकित्सा की आधारभूत संरचना आपदा से बची रहे। साथ ही देखना पशुधन से संबंधित सामान ठीक तरीके से हैं और इन सामानों को साल में दो बार अद्यःतन करना।
- ✓ चारा, टीका और पशुधन के दूसरे साज सामानों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना तथा देखना कि ये सब आपदा के समय काम करने लायक रहें।
- ✓ विकास कार्यों से संबंधित आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं को ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र में शामिल करना। ये प्राथमिकताएं निम्न हो सकती हैं:
  - ○ सुनिश्चित करना कि संकट कितना खतरनाक है, इसका विश्लेषण और जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाई की योजना सभी गांवों /वार्डों में ठीक तरीके से तैयार है और सभी संबंद्ध लोग इससे अवगत हैं।
  - ○ सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में ज्ञान केंद्र के पास पयाप्त सुविधाएं और अद्यःतन तकनालॉजी हो।
  - ○ सुनिश्चित करना कि मकान और दूसरी संरचनाएं आपदारोधी हों तथा किसी नये संरचना बनने के वक्त भवन कानून का पालन सुनिश्चित करना।
  - ○ केंद्र में आपात चेतावनी कोषांग बनाना ।
- ✓ सूचनाओं के संग्रह, प्रसार तथा अभिलेखीकरण के लिए उपसमुह नामजद करना।
- ✓ उपर की तरह गांव/वार्ड सतर की कमेटियां/ उपसमूह बनाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि संभावित खतरों से ग्रामपंचायत के सभी लोग अवगत हैं और इससे निपटने के लिए परिवार के स्तर पर पहले से तैयारी कर रहे हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रोफेशनल और ज्ञान केंद्र से जुड़े लोग संभावित खतरों, बचने के सही

उपाय एवं डिजायन, से अवगत हैं तथा जरूरत के अनुसार उन्हें प्रखंड स्तर पर नोडल एजेंसी से विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध है।

- ✓ ग्राम पंचायत स्तर पर समय–समय पर मॉक ड्रिल एवं आपदा जोखिम कम करने के सवाल पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विचार विमर्श आयेजित करना।
- ✓ ग्रामीण आबादी की जीवनवृत से जुड़ी जरूरत आधारित सेवाओं, यथा– वर्षा का पानी, फसल, पोषाहार संबंधी जानकारियां, ग्रामीण सफाई, स्वास्थ्य एवं हाइजिन के प्रतिरोधात्मक एवं निदानात्मक पहलुओं, हूनर विकास एवं बाजार की जरूरतों एवं मांग के साथ संपर्क, गांव आधारित संगठनों या लोगों का क्षमताविकास, या जोखिम कम करने के लिए ग्रामण लोगों को और भी जो जरूरतें हों, के लिए सिंगल विंडो डिलवरी सिस्अम विकसित करना।
- ✓ ज्ञान केंद्र का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण देना एवं जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आपदारोधी फसल रोपने जैसे आपदा जोखिम कम करने के उपायों को अपनाने के लिए विशेषज्ञों की राय साझा करने के लिए कृषि विशेषज्ञों यादूसरे विशेषज्ञों के साथ बैठक आयोजित कराना।
- ✓ पूर्व तैयारी एवं आपदा जोखिम कम करने के उपायों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना।
- ✓ आपात हालत में तात्कालिक प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की पहले से पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करना।

2.2 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- ज्ञान केंद्र कमेटी एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों (मानवीय, कार्यक्रमों, वित्त, सामग्री आदि) की देखभाल करना।
- ✓ विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में कमेटी के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए), इंटर एजेंसी ग्रूप (आइएजी) , तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ✓ दूसरी कमेटियों, सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ मेल–मिलाप बढ़ाना तथा

आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।

- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में बाल समिति का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था,इसके लिए पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना तथा हर साल और हर आपदा के बाद मिले सबकों का अभिलेख तैयार करना।
- ✓ कामकाज का वांछित मानक हासिल करने के लिए न्यूनतम रूप से कौन–कौन सा संसाधन जरूरी है, इसकी इनवेंटरी सूची तैयार करना तथा अगले कुछ वर्षों में इसे हासिल कर लेने की योजना बनाना।
- ✓ साज –सामाना की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि ज्ञान केंद्र कमेटी आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम7कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ आहार एवं पोषाहार, वॉश, खोज एवं बचाव, परिवार, स्वास्थ्य एवं शरण जैसी कमेटियों के साथ समन्वय के तंत्र विकसित करना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

  मुख्य कार्यः

✓ संभावित आपात स्थिति की पहचान करना। इस सिीति से निपटने के लिए आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।

✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ गांव और वार्ड तथा संस्था स्तर की बैठकों के बाद कमेटी का आवधिक बैठक बुलाना।

✓ अपने भवनों, संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

✓ नोडल एजेंसियों से सूचनाओं का त्वरित संग्रह करने के लिए तंत्र बनाना तथा सतर्कता एवं पूर्व चेतावनी की सूचना प्रसारित करना।

✓ किसी आपदा के दौरान आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए सूचनाओं के सतत संग्रह एवं प्रसार के लिए पहले से पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करना।

✓ आपदा के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना।

✓ नाजुक–खतरनाक क्षेत्रों तथा सुरक्षित स्थानों के बारे में जानकारी प्रसारित करना।

✓ संयंत्रों, टेलीफोन, टेलेक्स, वायरलेस आदि को चालू हालत में और तैयार रखना।

✓ जीवन, सामग्री, संयंत्रों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को जागरूक बनाना तथाइन सामानों को सुरक्षित जगहों पर रखना।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए कमेटी के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। कमेटी आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव कमेटी

खोज एवं बचाव कमेटी के बारे में:

खोज एवं बचाव आपदा प्रबंधन टीम सामुदायिक स्तर पर खोज एवं बचाव के कामों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह मुख्य रूप से ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी तथा प्रखंड /जिला स्तर पर खोज एवं बचाव के कामों के बीच समन्वय स्थापित करती है। स्थिति , आपात हालत की गंभीरता और टीम की क्षमता के अनुसार यह सीधे खोज एवं बचाव का काम करती है या फिर एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ जैसी विशेषज्ञ खोज एवं वचाव एजेंसियों या सरकार द्वारा गठित किसी विशेषज्ञ कार्यबल को मदद करती है।

संरचनाः 12–16 लोग

- टीम लीडर (ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी द्वारा चयनित एवं प्रखंड स्तर पर एसएआर इएसएफ के नोडल अधिकारी से सलाह–मशविरा कर नियुक्त)
- 12– 15 अन्य सदस्य (पुरूष एवं महिलाओं समेत)
- टीम के सदस्यों को सशक्त और 18से 35 वर्ष का होना चाहिए। साथ ही उनमें आग बुझाने, तैरने और प्राथमिक उपचार की योग्यता होनी चाहिए।
- जहां कहीं संभव हो, टीम में निश्चित तौर पर वैसे लोगों को शामिल करना चाहिए, जिनके पास संरचना बनाने तथा उसकी रूपरेखातैयार करने कीसमझ हो। सुयोग्य व्यक्ति के नहीं रहने पर गांव में राजमिस्त्री का काम करने वाले व्यक्ति को टीम में शामिल किया जाना चाहिए।
- टीम का स्वरूप सामाजिक रूप से समावेशी होना चाहिए तथा इसमें सभी सामाजिक समूहां, खासकर अल्पसंख्यकों एवं वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ विस्तृत जानकारी के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, खोज एवं बचाव इएसएफ नोडल पदधिकारी तथा प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना।
- ✓ खोज एवं बचाव कमेटी के सदस्यों की बैइक करना।
- ✓ स्थिति का आकलन एवं विश्लेषण करना तथा टीम की भूमिका तय करनां
- ✓ वैसे नाजुक जगहों की पहचान करना, जहां टीम की मदद की जरूरत हो और प्वाइंट नंबर तीन में लिये गये निर्णय के अनुसार जानकारी हासिल करना एवं कार्ययोजना तैयार करना।
- ✓ इएसएफ नोडल एजेंसी, अन्य विशिष्ट खोज एवं बचाव एजेंसियां (अगर उन्हें लगाना हो) और दूसरी टीमों के साथ अपनी कार्ययोजना को साझा करना तथा उनकी सलाह के अनुसार अपनी कार्ययोजना बनाना।
- ✓ जरूरत के साज सामानों को एकत्र करना तथा उन्हें तैयार करना।
- ✓ अगर खोज एवं बचाव की विशेषज्ञ टीम को लगाया जा रहा हो तो स्थानीय सूचनाओं को एकत्र करने एवं साझा करने में उस टीम को मदद करना।
- ✓ प्राथमिक उपचार की टीम एवं दूसरी टीमों के साथ उन्हें तैयार करने एवं तुरंतकार्रवाई के लिएसमन्वय स्था पित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की कार्रवाई शुरू करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ प्रभावित इलाके में खोज एवं बचाव की स्थिति के बारे में निधार्रित प्रपत्र में स्थिति की रिपोर्ट भरना।
- ✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को प्रखंड स्तर पर दूसरी ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटियां, और इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी अगर तय करती है कि आपात स्थिति है, और खोज एवं बचाव के प्रत्युत्तर कार्रवाई की जरूरत है तो सभी संबंद्ध लोगों, खासकर गावं/वार्ड स्तर की खोज एवं बचाव टीम टीम तथा स्थानीय स्तर की संस्थाओं तक प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को क्रियाशील करने की सूचना पहुंचाना।
- ✓ जितना जल्द हो सके शुरुआती आकलन के लिए प्रभावित इलाके के प्रतिनिधित्व के साथ पहली समन्वय बैठक बुलाना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

खोज एवं बचाव की सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैं:

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-खोज एवं बचाव

1.3.4-सुरक्षित निकास / परिवहन

1.3.5-इलाज

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई

उद्देश्य:

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए लगभग कितने लोग प्रभावित हैं, इसका आकलन करना।
- प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति तथा रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य के संरचनाओं का आकलन करना।

मुख्य कार्य :

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व के अधीन तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ सर्वाधिक नाजुक हालात वाले, खासकर बूढ़े, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं, बीमार, एचआइवी/एड्स ग्रस्त, लोगों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समूह के, लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने और तत्काल इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके बारे में खास जानकारी हासिल करना तथा उनकी सूची बनाना ।

✓ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले सभी समूहों तथा सामाजिक समूहों की भागीदारी एवं सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें खोज एवं बचाव के काम में लगाना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां :

उद्देश्य:

- पीड़ितों की जीवनरक्षा करना तथा गुमशुदा लोगों को खोजना।
- रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों की योजना बनाने में अधिकारियों की मदद करना।

मुख्य कार्य:

✓ तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण

करना।

- ✓ खोज एवं बचाव ऑपरेशन के लिए क्षति की सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ गुमशुदा लोगों की सूची तैयार करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले समूहों एवं सामाजिक समूहों से सलाह–मशविरा करना।
- ✓ किये गये निर्णय के अनुसार हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों (मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना।
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, बाल इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.3.3 खोज एवं बचाव

उद्देश्यः

- लोगों एवं साथ ही साथ मवेशियों की जीवनरक्षा सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ तय किये गये कार्ययोजना को लागू करें।
- ✓ तुरंत लोगों की गिनती कर लापता लोगों की सूची बनायें।
- ✓ दबे लोगों तक पहुंचने के लिए कचरों एवं गिरे हुए पेड़ों के साफ करें।
- ✓ खोज एवं बचाव इएसएफ तथा दूसरी विशेषज्ञ एजेंसियों को निम्न बातें बतायें, जानकारियां साझा करें एवं जानकारी मांगेः
- स्थिति का सतत आकलन
- आपकी कार्ययोजना एवं उनके लिए आपकी टीम को मदद की जरूरत
- उनकी योजना एवं आपकी टीम से उनकी अपेक्षित मदद
- ✓ जहां कहीं संभव हो मवेशियों एवं पशुओं को बचाने की योजना बनाना तथा संभावना तलाशना

1.3.4 सुरक्षित निकास / परिवहन

उद्देश्यः

- प्रभावित लोगों को सुरक्षित शरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यः

- ✓ सुरक्षित जगहों एवंसुरक्षित रासतों की पहचान करें।

- ✓ बचाये गये लोगों एवं मवेशियों को सुरक्षित जगहों एवं राहत शिविरों में ले जाने के लिए शरण, आहार एवं पोषाहार, मवेशी टीम के साथ समन्वय स्थापित करें।
- ✓ असुरक्षित इलाकों को चिहि्नमकरें तथा इसकी सूचना सभी संबंद्ध लोगों के साथ साझा करें।

1.3.5 इलाज

उद्देश्यः

- चोट एवं बीमारी के कारण आगे की परेशानी कम करने के लिए समय से प्राथमिक उपचार सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ बचाये गये पीड़ितों की प्राथमिक उपचार तथा गंभीर रूप से घायल लागों को अस्पताल / प्राथमिक उपचार केंद्र या बचाव समूह तक पहुंचाने के लिए फर्स्ट एड टीम के साथ निकट का समन्वय स्थापित करना।
- ✓ सबसे पहले सर्वाधिक नाजुक हालत वाले लोगों अपना ध्यान केंद्रित करें। इस काम के लिए सामाजिक संरक्षण टीम के साथ समन्वय स्थापित करें।
- ✓ घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के साथ दूसरे जगह भेजना, घायलों / बीमारों को अस्पताल पहुंचाना। के लिए परिवहन की व्यवस्था करना

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि शरण से संबंधित जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और आगे कोई खतरा नहीं है तथा दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करना एवं ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को रिपोर्ट देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि खोज एवं बचाव सुविधा पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण है एवं उसकी देखरेख उनकी हाथों में है तथा मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थिति को लगातार मॉनीटर करना तथा संबंद्ध लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना। विश्लेषण एवं सबकों का रिकार्ड तैयार करने के लिए सभी संबंद्ध सूचनाओं को सूचना एवं निर्णय में मदद करने वाली टीम के साथ साझा करना।
- ✓ बचाव एवं खोज का काम बंद हो जाने पर ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, और दूसरी कमेटियों के साथ सलाह–मशविरा कर टीम का काम बंद करना। फिर भी किसी तरह की आकस्मिकता के लिए टीम के साथ नियमित संवाद बनाये रखना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग आपदा के प्रभाव से मुक्त हो जायें एवं आपात सुविधाओं से निकलकर अपने मूल घरों के माहौल या नये शरण स्थल या बसाये गये जगह चले जायें

मुख्य कार्यः

- ✓ सरकार द्वारा घोषित क्षति के आकलन एवं रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करना।
- ✓ प्रभावित लोगों के बीच मुआवजे और आधिकारिता को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- ✓ परिवार के स्तर पर खोज एवं बचाव कार्य की व्यवस्था से जुड़ी जानकारियों एवं सामानों को उपलब्ध कराना एवं सुनिश्चित करना है सारी व्यवस्थाएं एवं सामान आपदारोधी हों।
- ✓ भविष्य में बेहतर तैयारी के लिए खोज एवं बचाव कार्यों के सबकों को विकास एजेंसियों के साथ साझा करना।
- ✓ विकास के नये कार्यक्रमों को डीआरआर से जोड़ना तथा डीआरआर के उपायों को अपनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया हैः

2.1- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपायः

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्यः

- ग्राम पंचायत में खोज एवं बचाव से संबंधित विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना तथा देखना कि शरण स्थल से संबंधित आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं दस्तावेजीकरण हो रहा है।

मुख्य कार्यः

- ✓ सुनिश्चित करना कि गांव स्तर की सभी खोज एवं बचाव कमेटियां एवं कार्यसमूह आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।
- ✓ खोज एवं बचाव, निकास/परिवहन और इलाज के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ उपर की तरह गांव/वार्ड स्तर की कमेटियां और उपसमूह बनाना।

- ✓ संभावित खतरे की पहचान करना एवं सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत के सभी लोग संभावित खतरों से अवगत हें और परिवार के सतर पर पहले से बचावकी तैयारी कर रहे हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि खोज एवं बचाव प्रोफेशनल एवं कचरा हटाने, लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने जैसे खोज व बचाव कार्यों से जुड़े लोग खोज एवं बचाव की बेहतर रूपरेखा बनाने, एवं हस्तक्षेप करने के तरीके, से अवगत हैं और उन्हें प्रखंड स्तर पर खोज एवं बचाव इएसएफ नोडल एजेंसी से जरूरत के मुताबिक विशेषज्ञ सलाह मिल रही है।
- ✓ खोज एवं बचाव इएसएफ नोडल एजेंसी, और सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मानदंडों के अनुसार खोज एवं बचाव के लिए न्यूनतम मानदंड तय करना।
- ✓ समूहों को संगठित करना एवं उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से तय करना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल और आपदा जोखिम करने को लेकर जागयकता पैदा करने तथा खोज एवं बचाव कार्य के प्रति जागरूकता बनाने के लिए विचार–विमर्श आयोजित करना।
- ✓ जरूरत पड़ने पर लोगों को खोज एवं बचाव कार्य में लगाने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान चलाना तथा समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ कमजोर मकानों तथा नाजुक हालत वाले संरचनाओं की पहचान करना तथा उनकी मरम्मति, पुनर्निर्माण करना तथा कमजोर मकानों की क्षति की भरपाई करना।
- ✓ आपदारोधी एवं आधुनिक खोज एवं बचाव तकनालॉजी का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना।

2.2 क्षमता सृजन के उपायः

उद्देश्यः

- खोज एवं बचाव टीम एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ भूकंप, बाढ़, आगजनी, आंधी, सड़क दुर्घटना, और सीबीआरएन आपदा जैसी विभिन्न आकस्मिक स्थितियों में मधुबनी में खोज एवं बचाव का काम करने के लिए टीम को दोस्ताने अंदाज में तैयार करना।
- ✓ णविभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ प्रशिक्षण में कमेटी के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए), इंटर एजेंसी ग्रूप (आइएजी) , तथा दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए कमेटी के सदस्यों एवं समुदाय के लोगों के लिए समय–समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखंड एवं जिला स्तर के मॉक

ड्रिल एवं क्षमता सृजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।

- ✓ दूसरी कमेटियों, स्वास्थ्य इएसएफ सपोर्ट एजेंसियों तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ मेल–मिलाप बढ़ाना तथा आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।
- ✓ यह जानने के लिए कि जोखिम कम करने और आपात स्थितियों से निपटने के सिलसिले में बाल समिति का कौन सा काम ठीक–ठाक तरीके से हुआ तथा और ज्यादा बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता था,इसके लिए पिछले अनुभवों का विश्लेषण करना तथा हर साल और हर आपदा के बाद मिले सबकों का अभिलेख तैयार करना।
- ✓ खोज एवं बचाव के साज– सामानों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए इनवेंटरी सूची के अनुसार आवश्यक न्यूनतम नये साज सामान हासिल करने का तंत्र सृजित करना।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि खोज एवं बचाव कमेटी आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम है।

मुख्य कार्य:

- ✓ कमेटी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम7कानून तय करना।
- ✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।
- ✓ सामुदायिक स्तर पर खोज एवं बचाव कार्य के लिए जरूरी सामानों की पंजिका बनाना।
- ✓ सामानों को बराबर तैयार एवं काम में लगने लायक बनाये रखने के लिए समय समय पर उनकी जांच करते रहना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के

लिए तैयार है।

मुख्य कार्यः

- ✓ टीम को प्रखंड स्तर के पहले से काम कर रहे सरकारी तंत्र, खासकर खोज एवं बचाव इएसएफ, एवं एनडीआरएफ/एसडीआरएफ और खोज एवं बचाव की दूसरी विशेषा एजेंसियों से परिचित कराना।
- ✓ ग्राम पंचायत सतर पर खोज एवं बचाव के कामों के लिए जरूरी न्यूनतम सामानों की सूची बनाना।
- ✓ खोज एवं बचाव के जरूरी सामानों को सरकार, स्वंयसेवी संस्थाओं एवं प्राइवेट एजेंसियों से हासिल करना एवं उन्हें खोज एवं बचाव टीम के सीधे नियंत्रण में हमेशा तैयार हालत में रखना।
- ✓ परिवार समेत सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध ऐसे सामानों की भी सूची बनाना।
- ✓ सभी सामानों को इस्तेमाल करने लायक स्थिति में हमेशा तैयार रखना।
- ✓ टीम की जोड़ी बनाना।
- ✓ गांव का विस्तृत मैप रखना जिसमें साफ तौर पर खतरे वाले वाले सुरक्षित इलाके इंगित किये गये हो।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी और खोज एवं बचाव इएसएफ से सलाह–मशविरा कर लोगों को लेजाने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान करना तथा स्थिति के अनुसार निकास समूह से तालमेल रखना।
- ✓ राहत कर्मियों की अदलाबदली के लिए बैक अप टीम को तैयार रखना।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए कमेटी के प्रमुख, सदस्य, आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। कमेटी आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य

वार्ड सदस्य के बारे में:

वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत में एक वार्ड का निवार्चित प्रतिनिधि होता है। वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेता है और योजना बनाने एवं उसके कार्यान्वयन में पंचायत को सलाह देता है। आपात स्थिति के दौरान वार्ड सदस्य आपदा प्रबंधन टीम एवं दूसरी एजेंसियों के कामों को संगठित एवं समन्वित करता है।

संरचना: प्रत्येक वार्ड के लिए एक सदस्य

- पंचायत के हर वार्ड के एक सदस्य होते हैं।
- एक ग्राम पंचायत में 10 से 12 वार्ड हो सकता है। वर्डों की संख्या पंचायत के आकार के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती हैं ।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.4- आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

1.5- पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाई:

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्य:

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्य:

✓ स्थिति को मॉनीटर करना।

✓ विभिन्न स्रोतों, सामुदायिक आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे

समझ लें।

- ✓ घर–परिवार, स्थानीय संस्थाएं, एवं गांव/वार्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर भोजन एवं शरण से संबंधित बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी सभी संबंद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना।
- ✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ सूखे जैसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ प्रभावित इलाके में निधार्रित प्रारूप में आकलन सुनिश्चित करना।
- ✓ आपात स्थिति है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्थिति रिपोर्ट को ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटीं, और इएसएफ नोडल एजेंसी के साथ साझा करना।
- ✓ आपात स्थिति के हालात में ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी निश्चित तौर पर सभी संबंद्ध कमेटियों, गांव/वार्ड स्तर पर सभी वार्ड सदस्यों तथा सामुदायिक स्तर पर सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाई शुरू होने की सूचना पहुंचाये।
- ✓ पहली समन्वय बैठक बुलाना तथा इस बैठक में प्रभावित इलाकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- ✓ आकलन में प्रभावित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

वार्ड सदस्यों के लिए सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां निम्न खंडों में विभाजित हैं:

1.3.1-शुरुआती आकलन की कार्रवाई

1.3.2-सशक्त प्रत्युत्तर और समन्वित कार्रवाइयां

1.3.3-प्रत्युत्तर की कार्रवाई की मॉनिटरिंग

1.3.4-कानून–व्यवस्था

1.3.1 शुरुआती आकलन की कार्रवाई

उद्देश्य:

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लोगों की जरूरतों का आकलन करना।
- प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति तथा रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य की संरचनाओं का आकलन करना।

मुख्य कार्य :

✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व के अधीन तथा दूसरी कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ सर्वाधिक नाजुक हालात वाले, खासकर बूढ़े, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं, बीमार, एचआइवी/एड्स ग्रस्त, लोगों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समूह के, लोगों के बारे में खास जानकारी हासिल करना।

✓ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले सभी समूहों तथा सामाजिक समूहों की भागीदारी एवं सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां:

उद्देश्य:

- प्रभावित बच्चों की जीवन रक्षक जरूरतें पूरी करना।
- सुविधाओं की योजना, प्रारूप, प्रबंधन और देखरेख करना
- संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करना।

मुख्य कार्य:

✓ तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।

✓ स्वास्थ्य के तात्कालिक खतरों का विश्लेषण करना और तैयारी की योजना बनाना।

✓ राहत सामग्री और सुविधाओं की तैयार की योजनाओं के स्वरूप एवं स्वीकार्यता के बारे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के लोगों समेत नाजुक हालत वाले सभी लोगों के प्रतिनिधियों से सलाह–मशविरा करना।

✓ प्राथमिक हस्तक्षेप का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।

✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों (मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना।

✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, बाल इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

1.3.3 प्रत्युत्तर की कार्रवाई की मॉनिटरिंग

उद्देश्यः सुनिश्चित करना किः

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
- समाज के सभी वर्गों पर ध्यान दिया जा रहा है।
- संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है।

मुख्य कार्य :

✓ ग्राम पंचायत के साथसलाह–मशविरा कर खोज एवं बचाव कार्य शुरू करना, आकलन करना कि क्या बाहरी मदद की जरूरत है, और उसके अनुसार इएसएफ एजेंसियों, प्रखंड तथा जिला के अधिकारियों को सूचित करना।

✓ सामानों की ढुलाई सुरक्षित जगहों पर सुनिश्चित करना।

✓ बदलते हालातों का आकलन एवं मॉनिअरिंग करना, और प्रभावित लोगों, प्रत्युत्तर की कार्रवाई कर रहे स्टेकहोल्डरों के समूह तथा प्रखंड एवं जिला के अधिकारियों से सलाह–मशविरा कर स्थिति के अनुसार प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ सर्वाधिक नाजुक हालत वाले समूहों (महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु वाली महिलाएं , बूढ़े, अशक्त लोग, एचआइवी/एड्सग्रस्त लोग) की पहचान करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा देखना कि उनकी सबसे जरूरी जरूरतों सबसे पहले पूरी की जायें।

✓ प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में हाशिये पररहने वाले समूहों, अल्पसंख्यकों, दलितों और वंचितों से सलाह–मशविरा, उनका प्रतिनिधित्व और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

✓ सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन टीम काम करने की हाल में रहे।

1.3.4 कानून–व्यवस्थाः

उद्देश्यः सुनिश्चित करना किः

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के दौरान शांति बहाल रहे।
- जान–माल की कोई हानि नहीं हो।

मुख्य कार्य :

✓ वार्ड सदस्य सुनिश्चित करें कि कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो।

✓ लोगों की निजी संपत्ति की पय्रापत सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- ✓ सुनिश्चित करना कि असामाजिक तत्व प्रमुख केंद्रों से दूर रहें।
- ✓ दंगों पर नियंत्रण के लिए फोर्स की तैनाती सुनिश्चित करना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्यः

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ इस बात की जांच करना कि जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और नश्वरता या रुग्णता को कोई खतरा नहीं है। अगर पूरी व्यवस्था नहीं हुई हो तो, दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करना एवं ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को रिपोर्ट देना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात व्यवस्था पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण है एवं उसकी देखरेख उनकी हाथों में है तथा मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों,, दूसरी कमेटियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का अभिलेख तैयार करना।
- ✓ ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, और दूसरी कमेटियों के साथ सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग आपदा के प्रभाव से मुक्त हो जायें एवं आपात सुविधाओं से निकलकर अपने मूल घरों के माहौल या नये शरण स्थल या बसाये गये जगह चले जायें

मुख्य कार्यः

- ✓ वार्ड सदस्य निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें कि क्षति का आकलन हो गया है और इसकी रिपोट्र स्थानीय अधिकारियों को दी गयी है।
- ✓ वार्ड सदस्य निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें कि प्रभावित लोगों को सरकार से लाभ या अनुदान प्राप्त हो।
- ✓ जहां संभव हो,वहां स्थानीय क्षमता का इस्तेमाल करते हुए समन्वित एवं दक्ष आपूर्ति समूह प्रबंधन ै;ब्डद्ध बनायें।
- ✓ वार्ड सदस्य लोगों की आजीविका की पुनर्बहाली के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की सलाह ग्राम पंचायत को दें।

- ✓ वार्ड सदस्य आपदा प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक हस्तक्षेप का प्रस्ताव तैयार करें और इसका उल्लेख ग्राम पंचायत की वार्शिक योजना में करायें।
- ✓ वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत को आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने की सलाह दें।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस खंड की कार्ययोजना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है:

2.1- आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

2.2- क्षमता सृजन के उपाय:

2.3- क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां

2.4- आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

2.1 आपदा जोखिम कम करने/डीआरआर के प्राथमिकता वाले काम

उद्देश्य:

- ग्राम पंचायत के कार्यकलापों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करना सुनिश्चित करना तथा यह देखना कि आपदा प्रबंधन टीम और पंचायत की आपदा जोखिम कम करने की प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं अभिलेखन हो रहा है।

मुख्य कार्य:

- ✓ सुनिश्चित करना कि गांव स्तर की सभी कमेटियां एवं कार्यसमूह आपदा की स्थिति नहीं रहने के दौरान प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।
- ✓ वार्ड सदस्य वार्षिक योजना में आपदारोधी तकनालॉजी को शामिल करने का प्रसताव निश्चित तौर पर रखें।
- ✓ वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत में निवार्चित प्रतिनिधि हैं। इसलिए वे पंचायत की योजनाओं एवं नीतियों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को शामिल करने पर निश्चित तौर पर जोर दें।
- ✓ वार्ड सदस्य वार्डों और पंचायत में जोखिम और नाजुकता के आकलन के लिए पहल करें।
- ✓ इएसएफ नोडल एजेंसी, और सपोर्ट एजेंसियों के साथ सलाह–मशविरा कर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मानदंडों के अनुसार सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मानदंड तय करें।
- ✓ वार्ड सदस्य सुनिश्चित करें कि किसी योजना को लागू करने के कारण उनके वार्ड और पंचायत की स्थानीय प्राकृतिक आबोहवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2.2 क्षमता सृजन के उपाय:

उद्देश्यः

- वार्ड, पंचायत एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा जोखिम में कम करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए उनमें पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्य कार्य :

✓ वार्ड एवं पंचायत के लिए मौसम एवं स्टेकहोल्डरों की जरूरत के अनुसार मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण, एवं जागरूकता सृजन के कार्यक्रम का कैलेंडर बनाना।

✓ यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें कि वार्ड और ग्राम पंचायत के सभी लोग संभावित आपदा और आपदा की तबाही और उसके कारण होने वाली क्षति से बचने के लिए उन्हें जो कुछ न्यूनतम जानकारी चाहिए, उससे वे अवगत हो जायें।

✓ सुनिश्चित करना कि विभिन्न वार्ड के लोगों के पास बुनियादी जागरूकता प्रशिक्षण के साथ–साथ आपदा विशेष की स्थिति में उन्हें क्या कुछ करना है, इसका भी प्रशिक्षण हो।

✓ सुनिश्चित करना कि वार्ड और पंचायत में ऐसे लोग पर्याप्त संख्या में हों, जिन्होंने आपदा प्रबंधन की मध्यम/उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

✓ प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कामों की खोज–खबर रखने तथा इसमें वार्ड एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ साल में कम से कम दो अभ्यास आयोजित करना। एक बाढ़ के मौसम के पहले तैयारी के परीक्षण के लिए मॉक ड्रिल के रूप में तथा दूसरा, आपदा की घटना के बाद, आपदा के सबकों तथा प्रत्युत्तर को रिकार्ड करने के लिए।

2.3 क्रियात्मक निरंतरता की कार्रवाइयांः

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि वार्ड सदस्य आपदा के प्रभावों से तुरंत उबरने तथा आपदा के समय काम जारी रखने में सक्षम हैं।

मुख्य कार्यः

✓ वार्ड आयुक्त के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम–कानून तय करना।

✓ किसी आकस्मिक स्थिति और /या सदस्य की अनुपस्थिति के हालत में ग्राम पंचायत के सभी सदस्य अपनी जगह किसी और को नामजद करेंगे/करेंगी।

✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।

✓ ऑपरेशनल काम और समिति की बैठकों के लिए सुरक्षित भवन/ परिसर की पहचान करना।

✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।

✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.4 आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के काम

उद्देश्यः

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में स्टेकहोल्डरों का हर समूह सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार हैं।

मुख्य कार्यः

✓ गांव और वार्ड स्तर पर स्टेकहोल्डरों केसाथ बैठक करना।

✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रखंड स्तर की नोडल एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।

✓ सभी लोगों, तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।

✓ विभिन्न आपदा प्रबंधन टीमों की पूर्व तैयारियों की मॉनीटरिंग करना।

✓ वार्ड सदस्य निश्चित तौर पर स्थानीय रिसोर्स पर्सन, स्वयंसेवी संगठनों एवं दूसरी एजेंसियों का डाटा तैयार करें ।

✓ वार्ड सदस्य सुनिश्चित करे कि पंचायत में आपूर्ति समूह प्रबंधन ़ैब्डद्ध काम कर रहा है।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। वे ग्राम ज्ञान केंद्र , ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, इंटर एजेंसी ग्रुप, इओसी, इएसएफ नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों, आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय स्तर की कमेटियों तथा विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों ,खास कर प्रभावित इलाके के, के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे।

जवाबदेहीः

सभी योजनाओं, एवं योजनाओं के कार्यान्वयन और समय–समय पर लिये गये निर्णयों के लिए कमेटी के प्रमुख, सदस्य, और आपदा प्रबंधन के लिए समिति द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। कमेटी आवधिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी को सौंपा करेगी।

अन्य गैर–सरकारी हितभागी समूह

आपात प्रत्युत्तर एवं पुनः प्राप्ति की कार्यवाइयां

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्यवाइयां

शैक्षणिक संस्थाएं

इस समूह के बारे में:

शैक्षणिक संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा एवं व्यापक शोध को समर्पित संस्था है। शैक्षणिक संस्थाएं लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा, डिप्लोमा और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी / गैर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने का काम करती हैं। शैक्षणिक संस्थाएं निजी, सरकारी / सार्वजनिक और संकीर्ण हो सकती हैं।

भूमिका:

आपदा के दौरान शैक्षणिक संस्थाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर जागरूकता सृजित करने एवं समुदाय के लोगों की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगायेगा।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें। :

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

- ✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।
- ✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ सूचना को लोगों तक पहुंचायें एवं सतर्कता के उपाय करें। सबसे पहले अपनी, संस्था, स्टेकहोल्डर, और आपके स्टेकहोल्डरो में नाजुकहालत वालों की जीवन रक्षा के उपाय करें। अगर संभव हो तो अपने समुदाय की जिम्मेदारी भी संभालें।
- ✓ आपदा के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।

- ✓ अपनी संस्था या नेटवर्क की समन्वय बैठकों में शामिल हों।
- ✓ आपदा के बाद, प्रत्युत्तर की कार्रवाई शुरू होने पर स्थिति एवं प्रत्यक्ष स्टेकहोल्डरों के जीवन पर इसके प्रभाव तथा काम पर इसके असर का आकलन करें।
- ✓ सामुदायिक स्तर की संबंधित कमेटियों की मदद से तत्काल जीवन रक्षक उपाय करें।
- ✓ जीवन रक्षा करने के बाद तुरंत रिकवरी के लिए आकस्मिक योजना के अनुसार काम करें।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस समूह की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैं:

- ✓ संस्था मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना। आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता देना तथा जिले में आपदा प्रबंधन की विभिन्न सरकारी , गैर सरकारी वयवस्था के साथ इसे जोड़ना।
- ✓ संस्था पर पहचान किये गये खतरे का आकलन करना। इसके काम को बाधित करने वाले जो और भी खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ इन जोखिमों के शमन का उपाय करना।
- ✓ संस्था में डीआरआर पर सेमिनार, विचार–विमर्श कार्यशाला आयोजित करना।
- ✓ शिक्षकों, प्रशासन के लिए डीआरआर पर प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन करना तथा छात्रों के बीच डीआरआर के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- ✓ किसी आपदा के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आपदा पर नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन टीम की नोडल एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर संस्था में समय–समय पर आपदा विशेष कर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ आपदा विशेष की जोखिमों के प्रबंधन पर आयोजित होने वले व्याख्यानों, रिफ्रेशर कोर्सों में भाग लेने के लिए शिक्षकों, छात्रों को प्रेरित करना।
- ✓ राज्य और राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों के साथ नेटवर्क बनाना तथाउनके द्वारा आयोजित डीआरआर से संबंधित सेमिनारों, कार्यक्रामों में शामिल होना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि संस्थान का भवन आपदा रोधी हो तथा सुरक्षित पेयजल एवं शौचालय की सुविधाके लिए उचित कदम उठाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि संस्थान में अग्निशमन के पर्याप्तउपाय कर लिये गये हैं।
- ✓ सुनिश्चित करना कि संस्थान के पास खेल के मैदान जैसाकोई सुरक्षित जगह हो, जहां किसी

जरूरत के वक्त छात्रों को ले जाया जा सके।

- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत होना। इस बात को समझना कि जीवन और कामकाज के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं सूचनाओं को बैक–अप रखना तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखना।
- ✓ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी, जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट का प्रावधान करना ।
- ✓ आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना। आकस्मिक कार्ययोजना बनाना , उसकी जांच करना और उसे मान्य करना ।

समन्वय एवं संगठनः

शैक्षणिक संस्थान जिा सतर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूण्र भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह इस तरह समन्वय और साथ बना सकते हैंः (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों की हिस्सा बनकर (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधितव करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे।

वास्तुकार, इंजीनियर, डिप्लोमाधारी और राजमिस्त्री

इस समूह के बारे में

यह समूह प्राइवेट लोगों या सरकारी संगठनों को प्राइवेट भवनों, संग्रहालयों, मकानों, सरकारी भवनों के निर्माण कार्य आदि में अपनी सेवाएं प्रदान करता है और निर्माण के लिए वास्तुशिल्प की मदद उपलब्ध कराता है। समूह प्राइवेट लोगों, सरकारी भवनों, को स्थल मूल्यांकन एवं आकलन,संरचनात्मक आकलन, और नवीकरण के विकल्पों के संबंध में सभी आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

इसके अन्य प्रमुख कामों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के बीच बेहतर संयोजन के लिए भवनों की योजना एवं प्रारूपण नेटवर्क, आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की योजना एवं प्रारूपण, नवीकरण, स्तरोन्नयन, और देखभाल का काम शामिल है।

इस समूह में इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि वाले इंजीनियर, डिप्लोमाधारी शामिल रहते हैं।

भूमिका:

इस समूह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे समाज के प्राइवेट लोगों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। वे निर्माण की योजना बनाने, इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल यूनिटों को लगाने में आम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। वे आपदारोधी निर्माण करने में आम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।

उद्देश्य:

इस समूह को जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना बनाने एवं उसके कामों में निम्न उद्देश्यों के साथ :लगना चाहिए:

- अगर जरूरत हो तो, अपनी क्षमता को आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो जायें।
- प्रभावित लोगों को रिकवर कराना तथा उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।

- ✓ विभिन्न सगोतों, सामुदायिक स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ सुरक्षित एवं असुरक्षित मकानों की पहचान करना और इसकी सूचनालोगों तक पहुंचाना।
- ✓ आगे की कार्रवाई के लिए इएसएफ एजेंसियों एवं इंटर एजेंसी ग्रुप के साथ तुरंत समन्वय स्थापित करना।
- ✓ प्रभावित इलाकों में संसाधन सामग्री या मानवीय संसाधनों को पहुंचाना।
- ✓ विभिन्न क्षेत्रों (वॉश, स्वास्थ्य, शरण) में प्रत्युत्तर के लिए ग्राम पंखयत कमेटी के साथ जुड़ना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को इएसएफ एजेसियों के साथ जोड़ना।
- ✓ आपदा के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना।
- ✓ जीवन रक्षा करने एवं जीवन रक्षक सेवाओं को बचाने के बाद बिजनेस ऑपरेशन को बचाने के उपाय करना तथा त्वरित रिकवरी के लिए आकस्मिक योजना के अनुसार काम करना।
- ✓ भवनों एवं संरचनाओं की मरम्मति करते वक्त या उनका पुनर्निर्माण के समय आपदारोधी तकनालॉजी अपनाना एवं इसे बढ़ावा देना।
- ✓ आपदा में क्षतिग्रस्त हो गये वैसे मकानों की पहचान करना जिन्हें गिरा देने की जरूरत हो।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इस समूह की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैं:

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना। समूह आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता वाली काम मानेगी तथा जिले में आपदा प्रबंधन की विभिन्न सरकारी , गैर सरकारी व्यवस्था के साथ इसे जोड़ेगा।
- ✓ संभावित आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए अपने इंटरेस्ट ग्रुप, नेटवर्क तथा एसोसिएशन को मजबूत करना।
- ✓ उनके बिजनेस आपरेशन पर पहचान किये गये खतरे का आकलन करना। उनके बिजनेस ऑपरेशन को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ इन जोखिमों के शमन के उपाय करना।
- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत होना। इस बात को समझना कि जीवन और कामकाज के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।

- ✓ आपदा के जोखिमों एवं उन्हें कम करने के उपायों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि समाज में जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, वह भूकंपरोधी हो।
- ✓ इलाके के मौसम के अनुसार आधुनिक तकनालॉजी अपनाना।
- ✓ अपने नेटवर्क में आपदा जोखिम कम करने कपर औपचारिक एवं अनौपचारिक सेमिनार या वचार–विमर्श आयोजित करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वयंसेवी संस्थाओं, कॉरपोरेट एसोसिएशनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि कार्यालय भवन और आधारभूत संरचनाएं भूकंपरोधी और बाढ़रोधी हों।
- ✓ मकान बनाते समय या कोई औद्योगिक ईकाई लगाते समय लोगों को आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं सूचनाओं को बैक–अप रखना तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखना।
- ✓ आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना। आकस्मिक कार्ययोजना बनाना , उसकी जांच करना और उसे मान्य करना ।
- ✓ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी, जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट का प्रावधान करना।

समन्वय एवं संगठनः

जिला स्तर पर यह समूह आपदा प्रबंधन की व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह निम्न तरीके से समन्वय और साथ बना सकते हैंः (क) विभिन्न इएसएफ (जैसे, वॉश आपूर्ति से जुड़े इंजीनियर और वास्तुकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा समन्वितवॉश इएसएफ से जुड़ सकते हैं) की सपोर्ट एजेंसियों की हिस्सा बनकर, (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे और ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से वे उन लोगों के प्रति भी जवाबदेह होंगे, जिनका काम वे सामान्य समय में करते हैं। इससे उनकी साख बनने तथा दीर्घकाल में उनके आर्थिक हितों को मदद मिलेगी ।

कारीगर, शिल्पकार समूह

समूह के बारे में:

इस समूह में कुशल कामगार होते हैं और समुदाय की आर्थिक उन्नति तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे मालों से समुदाय में आजीविका का विकल्प तैयार करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। कारगर और शिल्पकार कला और शिल्प के काम में लगे लोग होते हैं और पेंटिंग, कपड़ा, घरेलू सामान, सजावट के सामान आदि बनाते हैं।

भूमिका

समूह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामानों से चीजे बनाकर और कला एवं शिल्प का व्यापार कर आजीविका का विकल्प सृजित करता है । समूह जिले की आर्थिक संवृद्धि के लिए बहुत अहम होता है।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें।
- पुनर्निर्माण करना तथा उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।

✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

✓ पूर्व चेतावनी की सूचना मिलने पर, अगर पर्याप्त समय उपलब्ध हो तो पेंटिंगस जैसे

सामानों को सुरक्षित जगह पहुंचाना।

- ✓ सूचना को लोगों तक पहुंचाना एवं सतर्कता के उपाय करना। सबसे पहले अपनी, अपने परिवार, प्रत्यक्ष स्टेकहोल्डरों , और अपने अप्रत्यक्ष स्टेकहोल्डरो में नाजुक हालत वालों की जीवन रक्षा के उपाय करना। अगर संभव हो तो अपने समुदाय की जिम्मेदारी भी संभालना।
- ✓ अपने संगठन या नेटवर्क की समन्वय बैठकों में शामिल होना।
- ✓ जीवन रक्षक उपाय करने के लिए सामुदायिक स्तर की संबंधित कमेटियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ जीवन रक्षा एवं जीवन रक्षक उपायकरने के बाद काम को फिर से बहाल करने का उपाय करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इन समूहों की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैं:

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना। आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता देना तथा जिले में आपदा प्रबंधन की विभिन्न सरकारी , गैर सरकारी वयवस्था के साथ इसे जोड़ना।
- ✓ पहचान किये गये खतरे का काम और व्यवसाय पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसके साथ ही काम को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ इन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का उपाय करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि स्टॉल, दुकान जैसे सभी निर्माण आपदारोधी और बाढ़रोधी हों।
- ✓ सामानों एव ंपेंटिंग्स जैसे उत्पादों कों आपदारोधी मकानों में रखना।
- ✓ आजीविका सृजन के लिए लोगों के बीच कला एवं शिल्प को बढ़ावा देना।
- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत होना। इस बात को समझना कि जीवन और कामकाज के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।
- ✓ संभावित आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए अपने इंटरेस्ट ग्रुप, नेटवर्क तथा एसोसिएशन को मजबूत करना।
- ✓ महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के जाखिमों एवं उन्हें कम करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ आजीविका के साधन के रूप में कलाएवं शिल्प को समाज में प्रोत्साहित करना।
- ✓ अपने नेटवर्क एवं एसोसिएशनों में आपदा जोखिम कम करने पर सेमिनार, कार्यशाला या वचार–विमर्श आयोजित करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।

- ✓ राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कला एवं शिल्प एसोसिएशनों के साथ नेटवर्क बनाना तथा उनके द्वारा आयोजित सेमिनारों, कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना। आकस्मिक कार्ययोजना बनाना ।
- ✓ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी, जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट का प्रावधान करना ।
- ✓ अपने कामों के अलावा अपने परिवार के लोगों के साथ–साथ सामाजिक दायित्व के रूपमें अपने साथ जुड़े ज्यादा खराब हालत वाले स्टेकहोल्डरों की जीवनरक्षा के लिए परिवार के स्तर पर आपदा जोखिम कम करने के उपायों को अपनाना।

समन्वय एवं संगठनः

ये समूह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह इस तरह समन्वय और साथ बना सकते हैंः (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों की हिस्सा बनकर (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधितव करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे।

व्यापार समूह (निजी क्षेत्र में कॉरपोरेट, उद्योग, एसएमई, व्यापारी शामिल हैं) और बाजार तथा बाजार संघ

इस समूह के बारे में

यह समूह समाज का महत्वपूर्ण अंग है। वे न सिर्फ आर्थिक संवृद्धि के ड्राइवर हैं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए आवश्यक जीवन रक्षक एवं कल्याण की जरूरतें सुंनिश्चित कराने के लिए सप्लाई चेन सिस्टम के भी अहम हिस्सा है।

व्यापार समूह में सभी छोटे—बड़े व्यापारी, मर्चेंट, दुकानदार, खुदरा विक्रेता, वेंडर, छोटे एवं मध्यम उद्यम, मिल, उद्योग, कॉरपोरेट आदि शामिल हैं, जो आर्थिक उत्पादन, भंडारण, परिवहन एवं वितरण का काम करते हैं। बाजार और बाजार संघ एक ऐसा समूह बनाते हैं जहां ये सभी एक समान हित में एकत्र होते हैं। वे आपस में मिलने पर बाजार या एक ही तरह के सामानों का व्यवसाय करनेवाले एसोसिएशन कहे जाते हैं।

भूमिका :

यह समूह समाज के लिए आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, व्यापार एवं वितरण समेत समग्र सप्लाई चेन सिस्टम सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा जिले की अर्थव्यवस्था के लिए यह समूह बहुत ही अहम है।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपदा जोखिम कम करने, आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें।
- पुनर्निर्माण करना तथा उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार

आकस्मिक योजना बनाना।

- ✓ विभिन्न स्रोतों, पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ अपने व्यवसाय के लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ खतरनाक सामग्रियों एवं पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ सतर्कता के उपाय करना एवं इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाना। सबसे पहले अपनी, अपने परिवार, प्रत्यक्ष स्टेकहोल्डरों , और अपने अप्रत्यक्ष स्टेकहोल्डरो में नाजुक हालत वालों की जीवन रक्षा के उपाय करना। अगर संभव हो तो अपने समुदाय की जिम्मेदारी भी संभालना।
- ✓ अपने संगठन या नेटवर्क की समन्वय बैठकों में शामिल होना।
- ✓ आपदा के बाद, प्रत्युत्तर की कार्रवाई शुरू होने पर स्थिति और प्रत्यक्ष स्अेकहोल्डरों एवं व्यापारके कामकाज पर इसके प्रभाव का आकलन करना ।
- ✓ सामुदायिक स्तर की संबंद्ध कमेटियों की मदद से तुरंत जीवन रक्षे उपाय करना।
- ✓ लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए बाजार का कामकाज जारी रखना सुनिश्चित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि बाजार में कीमतें वाजिब रहें तथा साथ ही प्रभावित एवं जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी दिलाने की व्यवस्था की जांच करना।
- ✓ जीवन रक्षा एवं जीवन रक्षक उपाय करने के बाद व्यापारिक ऑपरेशन को ठीक करने तथा त्वरित रिकवरी के उपाय करना।
- ✓ आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए खतरनाक पदार्थों का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।
- ✓ उद्योगों, मिलों, बाजारों की मरम्मती एवं पुनर्निर्माण करते वक्त आपदारोधी तकनालॉजी या तरीका अपनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इन समूहों की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैं:

व्यवसायी निम्न काम करें:

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझते हुए सभी व्यवसायी आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता देंगे तथा जिले में आपदा प्रबंधन की विभिन्न सरकारी , गैर सरकारी वयवस्था के साथ इसे जोड़ें।
- ✓ आपदा के संभावित जोखिमों से निपटने के लिए अपने हित समूह, नेटवर्क, एवं एसोसिएशन को मजबूत करें।

- ✓ पहचान किये गये खतरे का काम और व्यवसाय पर पड़ने वाले असर का आकलन करें। इसके साथ ही काम को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करें।
- ✓ इन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का उपाय करें।
- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत हों। इस बात को समझें कि उनके जीवन और व्यापार के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।
- ✓ अपने महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के जाखिमों एवं उन्हें कम करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करें।
- ✓ अपने नेटवर्क एवं बिजनेस एसोसिएशनों में आपदा जोखिम कम करने पर औपचारिक तथा अनौपचारिक सेमिनार, कार्यशाला या विचार–विमर्श आयोजित करें।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल हों।
- ✓ राज्य और राष्ट्रीय स्तर के एसएमएइ कल्सटर चैप्टर, व्यापार एवं व्यवसाय संघों, आदि के साथ नेटवर्क बनायेंगे तथा उनके द्वारा आयोजित सेमिनारों, कार्यक्रमों में शामिल हों।
- ✓ सुनिश्चित करें कि दुकान, गोदाम, कारखाना, आदि जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान भूकंपरोधी बाढ़रोधी हों।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं व्यापारिक सूचनाओं को बैक–अप रखें तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखें।
- ✓ आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहें । व्यापारिक कामकाज, के लिए आकस्मिक कार्ययोजना बनायें, उसकी जांच करें तथा उसे मान्य करें।
- ✓ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी, जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट का प्रावधान करें।
- ✓ किसी आकस्मिक घटना के घटित होने पर जोखिमों को स्थानांतरित करने की तैयारी रखें।
- ✓ अपने व्यापारिक हितों के अलावा अपने परिवार के लोगों के साथ–साथ सामाजिक दायित्व के रूपमें अपने साथ जुड़े ज्यादा नाजुक हालत वाले स्टेकहोल्डरों की जीवनरक्षा के लिए परिवार के स्तर पर आपदा जोखिम कम करने के उपायों को अपनायें।

समन्वय एवं संगठनः

ये समूह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह इस तरह समन्वय और साथ बना सकते हैंः (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों (जैसे, वॉश आपूर्ति से जुड़े सभी उद्योग ग्राम पंचायत वॉश कमेटी और लोक सवास्थ्य अभियंत्रणा विभाग द्वारा समन्वित वॉश इएसएफ के साथ जुड़ेंगे) का हिस्सा बनकर (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का

हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे तथा ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से वे जिन लोगों की सेवा सामान्य दिनों में करते हैं, उनके प्रति जवाबदेह बन सकेंगे। इससे दीर्घ काल में साख एवं आर्थिक हितों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

दलित एवं आदिवासी संघ

संघ के बारे में

आपदा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में निष्पक्ष मॉनीटरिंग हासिल करने में सतत बाधाओं के बावजूद, जाति आधारित भेदभाव की प्रकृति और कारणों की जमीनी हकीकतों की समझ के साथ जातीय भेदभाव से निपटने के लिए फिलहाल मानवीय सहायता प्रदाताओं ने मानवीय मानक को अपनाने की जरूरत नहीं महसूस की है। कई तरह से ऐसा साफ झलकता है। जैसे, (1) जाति आधरित भेदभाव को स्पष्ट रूप में समझने की कमी और तदनुसार नीतियों एवं दिशा–निर्देशों में भेदभाव की इस समस्या को शामिल नहीं किया जाना (2) समाज में हर समय काम को लेकर जाति आधारित वंर्जनाओं की सामाजिक प्रक्रिया की समझ के बिना आपदा प्रत्युत्तर कार्यक्रमों के प्रबंधन पर जोर देना (3) इस सचाई को समझने और स्वीकरने की कमी कि सामाजिक स्तरीकरण और जातीय भेदभाव से उपजे विभिन्न तरह की नाजुक हालातों के कारण आपदा प्रभावित बहुत सारे लोगों को अलग कर दिया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य अधिकार आधारित दिशा–निर्देशों या राहत एवं पुनर्वास के कामों के दौरान ऑपरेशन, मूल्यांकन, मॉनीटरिंग, और जवाबदेही की कमी के कारण अक्सर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके बारे में एक आपदा विशेषज्ञ ने कहा है, '' कार्यक्रम निस्संदेह रूप से पितृसुलभ बन जाते हैं या फिर पीड़ितों की जरूरतों को पूरा करने के बजाए अनुदान देने वालों और एजेंसियों के हितों को साधने लगते हैं।'' (वर्ल्ड डिसास्टर रिपोर्ट, 2002)।

ऐसे में इस संघ के लिए दलितों के साथ होने वाले जातीय भेदभाव तथा आदिवासियों के अलगाव के सवाल को डीआरआर कार्यक्रमों को अधिकार आधारित बनाकर निपटाना महत्पूर्ण है।

भूमिकाः

दलितों, आदिवासियों और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करने तथा जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम में संघ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

उद्देश्यः

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपदा जोखिम कम करने, आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेः

- सही मायने में समावेशी आपदा पूर्व तैयारी का तंत्र बनाना (वैसे भेदभाव की पहचान करें जो चूकवश होते हैं और इसकारण दलितों एवं हाशिये के दूसरे समुदायों को शामिल करने पर विशेष ध्यान देना सरकार एवं एजेंसियों के लिए जरूरी बनायें)।
- आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयांः

इस समूहं के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैंः

- ✓ आपदा में संघ दलित एवं अदिवासी प्रतिनिधियों एवं स्वंयसेवकों के जरिये नाजुक हालात वाले दलितों एवं आदिवासियों तक पहुंचे । इसके लिए औपचारिक तौर पर सीानीय, विकेंद्रीकृत संगठनों को पहले से की जा रही तैयारियों एवं प्रत्युत्तर योजनासे जोड़ना जरूरी है ।
- ✓ संघ गांवों में हस्तक्षेप की अवधि के दौरान महिला और बाल शाखा जैसी शाखाएं बनाने की कोशिश करे, और/वचित एवं हाशिये के लोगों, महिलाओं, बच्चों पर काम करने वाले विशेषज्ञों या संगठनों को पहले से मौजूद नाजुक हालातों एवं धाराओं की पहचान करने एवं आपदा प्रत्युत्तर के जरूरत आधारित कार्यक्रम बनाने के लिए शामिल करे ।
- ✓ संध और दूसरे स्टेकहोल्डर, स्वयंसेवकों को अपने इलाके में सरकारी एवं मानवीय एजेंसियों से राहत पाने में बाधा बनने वाले जातीय मुद्दों की पहचान करने में मदद करें। ये मुद्दे संरखण और सामाजिक सुरक्षा, जाति आधारित व्यवहार, विकास नीति, सेवाओं की आपूर्ति, जगह की नाजुकता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व आदि हो सकते हैं। ऐसा होने से समाज के लोगों को अधिकारियों का सामना करने में मजबूती मिलेगी। ये अधिकारी आखिरकार जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।
- ✓ ऐसा समूह बनायें जो आपदा के दौरान अलग से और प्रत्यक्ष रूप से दलितों और आदिवासियों की जरूरतें (अगर इलाके में दलितों की आदिवासियों से कोई सवाल नहीं हो) पूरी कर सकने में सक्षम हो।
- ✓ आपदा पूर्व के हालातों की मैपिंग कर हासिल की गयी जानकारी के आधार पर संघ और दूसरे स्टेकहोल्डर आपदा प्रत्युत्तर एवं पुनर्वास की प्रक्रिया में जातीय भेदभाव करने की कोशिश करें।
- ✓ आपदा के दौरान पूरी तरह आपात कर्मियों पर आरित हाने के बजाए इलाके में मौजूद सामाजिक काम करने वालों को इस काम में लगायें।
- ✓ यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाये कि पानी, सफाई और हाइजिन (वॉश), इलाज, पेयजल, और भोजन से संबंधित दिशा–निर्देशों में जाति आधारित भेदभाव का संज्ञान लिया जाये और विशेष तौर से जातिगत आधार पर भेदभाव के शिकार एवं सामाजिक रूप से वर्जित लोगों को नाजुक हालत वाले समूह में शामिल किया जाये।
- ✓ शरणार्थियों की पानी की जरूरतों की पहचान करें तथा पानी के शुद्धीकरण की प्रक्रिया अपनायें।
- ✓ योजना बनाने के काम में दलित महिलाओं एवं पुरूषों के प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी को बढ़ावा दें तथा वैसी जगहों का प्रबंध करें, जहां से वे आसानी से पानीले सकें। इसके साथ ही इन सेवाओं को बराबरी के स्तर पर प्राप्त करने में उन्हें जो शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है, उनका भी समाधान करें।
- ✓ जिन इलाकों में जातीय भेदभाव को पानी जैसी सेवाएं हासिल करनेसे दलितोंको वंचित किया

जाता है वहां ऐसे जगहों पर पानी के स्रोत कोलगायें कि वेआसानी से इसे हासिल कर सकें।

- ✓ वॉश किट (हाइजिन, पानी, घेलू सफाई के सामान) का वितरण नियमित रूप से करें।
- ✓ वैसी योजनाओं के लाभार्थियों एवं जानकारियों का अलग डाटाबेस रखें और साझा करें, जो स्व प्रमाण देते हों कि उनके आकलन/ वितरण/ राहत एवं पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन का लाभ वंचित समुदाय तक पहुंचा है। इस डाटाबेस में अलग अलग जाति / धर्म/ आयु/ लिंग/ अगर कोई अपंगता हो/ दी गई सहायता और समुदाय की संतुष्टि का उल्लेख होना चाहिए।
- ✓ वंचित समाज को शामिल करने की पहल के दौरान अपनाये गये अच्दे तरीकों की जानकारी प्रभावी एडवोकेसी के लिएअधिकारियों तक पहुंचायें। इन जानकारियों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए नागरिक संगठनों तक भी पहुंचायें।
- ✓ आपदा प्रत्युत्तर एवं आपदा जोखिमकम करने के कार्यक्रमों में जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतों को देखने के लिए जनलोकपाल रखें। ऐसी कमेटियों का काम प्रभावी तरीके से चले इसके लिए पय्राप्त दिशा निर्देश एवं नियम तय किये जायें तथा प्रशासनिक सुविधायें उपलब्ध करायी जाये।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इन समूहों की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैं:

- ✓ दलित एवं आदिवासी संघ समुदाय की सामाजिक नाजुकता, आपदा प्रवण इलाके (इसमें उनके रहने की जगहें जैसे तटबंध से निकटता, आजीविका के साधन, गांव की संरचना,गांव के आम संसाधनों पर उनकी पहुंच, सड़क आदि, शारीकि रूप से चल–फिर नहीं सकने वाले व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों का अनुपात आदि) से अवगत रहे और उनकी मैपिंग करें।
- ✓ संभावित आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए अपने हित समूह, नेटवर्क तथा एसोसिएशन को मजबूत करना।
- ✓ पहचान किये गये खतरे का अपने संघ पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसके साथ ही काम को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ इन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का उपाय करना।
- ✓ स्थानीय स्थितियों से खुद अवगत होने के लिए नाजुकता की मैपिंग के लिए पायलट अध्ययन करें
- ✓ प्राकृतिक आपदा प्रवण इलाके में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन के प्रतिनिधियों समेत स्वयंसेवकों, खासकर दलित एवं आदिवासी युवकों एवं समुदाय के लोगों को मिलाकर महिलाओं को सामुनापातिक प्रतिनिधित्व देते हुए कार्यबल बनायें।
- ✓ मौजूदा सामाजिक सेवा प्रदाताओं, समुदाय आधारित संगठनों और सहमना एजेंसियों के साथ मिलकर समुदाय के योग्य सदस्य जरूरतों का आकलन करें।

- ✓ राज्य और राष्ट्रीय स्तर के एसएमई कल्सटर चैप्टरों, व्यापारिक एवं व्यावसायिक संगठनों आदि के साथ नेटवर्क बनायें तथा उनके द्वारा आयोजित सेमिनारों, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हों।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों कॉरपोरेट एसोसिएशनों आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल हों।
- ✓ दलित एवं आदिवासी समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करें एवं शिक्षा को बढ़ावा दें।
- ✓ वॉश के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए समुदाय के बीच वॉश अभियान चलायें।
- ✓ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी, जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट का प्रावधान करे।
- ✓ किसी तरह का आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहें।

समन्वय एवं संगठनः

यह समूह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह इस तरह समन्वय और साथ बना सकते हैंः (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों की हिस्सा बनकर (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे।

पूर्व सैनिक एवं अवकाश प्राप्त प्रोफेशनल संघ

समूह के बारे में:

संघ पूर्व सैनिकों के बौद्धिक एवं ज्ञान आधारित विकास को बढ़ावा देता है। पूर्व सैनिकों और अवकाश प्राप्त प्रोफेशनलों के पास विशेष क्षेत्र का अनुभव और विशेषज्ञता रहता है। अवकाश प्राप्त प्रोफशनल अलग अलग पृष्ठभूमि, जैसे पुलिस, प्रोफसर, इंजीनियर, सशस्त्र बल आदि, के होते हैं। संघ समाज के हित के लिए सामाजिक मुद्दों को भी उठाता है।

भूमिका:

सघ में विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षित और दक्ष लोग होते हैं। वे सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और अपने–अपने क्षेत्र का ज्ञान, जागरूकता तथा विशेषाता उपलब्ध कराकर समाज की क्षमता का सृजन करते हैं।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभाव से उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें।
- उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या पुनर्निर्माण के काम के दौरान उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।

✓ विभिन्न स्रोतों, पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ अपने सर्किल के सभी स्टेकहोल्डरों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

✓ आप जिस सेक्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस सेक्टर की टीम को तात्कालिक दिशा निर्देश उपलब्ध करायें।

- ✓ सूचना को लोगों तक पहुंचायें एवं सतर्कता के उपाय करें। सबसे पहले अपनी, अपने परिवार, स्टेकहोल्डरों की जीवन रक्षा के उपायों पर ध्यान दें।
- ✓ अपने संगठन या नेटवर्क की समन्वय बैठकों में शामिल हों।
- ✓ समुदाय की आपदा प्रबंधन टीम को तत्काल लॉजिस्टिक मदद, तकनीकी मार्गदर्शन की मदद करें।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लॉजिस्टिक मदद, तकनीकी सहयोग उपलब्ध करायें।
- ✓ रिकवरी के दौरान समुदाय को योजना बनाने में मदद करें।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इन समूहों की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैं:

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना और इन सवालों को सरकारी प्रतिनिधियों के बीच उठाना तथा समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना।
- ✓ योजना के विकास के लिए सरकार तथा पंचायत को लॉजिस्टिक मदद तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- ✓ स्वयंसेवकों को आपदा जोखिम कम करने के उपायों, खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, आदि का प्रशिक्षण देना तथा इसके अनुभवों को समुदाय तथा आपदाप्रबंधन टीम के साथ साझा करना।
- ✓ संभावित आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए अपने हित समूह , नेटवर्क तथा एसोसिएशन को मजबूत करना।
- ✓ पहचान किये गये खतरे का काम और व्यवसाय पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसके साथ ही काम को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ स्कूलों, कार्यालय भवनों,मनोरंजन भवनों या संघ के किसी संरचना का अस्थायी निर्माण, या मरम्मती का काम कराना।
- ✓ विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता रहने के कारण ग्रामीण इलाके में आपदा जोखिम कम करने के उपायों के बारे में लोगों की क्षमता का सृजन करना।
- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत होना। इस बात को समझना कि जीवन और कामकाज के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।
- ✓ अपने नेटवर्क एवं एसोसिएशनों में आपदा जोखिम कम करने पर औपचारिक एवं अनौपचारिक सेमिनार, कार्यशाला या विचार–विमर्श आयोजित करना।
- ✓ आपदा जोखिम कम करने के उपायों, खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार आदि के बारे में दूसरे संगठनों के लिए प्रशिक्षक के रूप में शामिल होना।

- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं सूचनाओं को बैक–अप रखना तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखना।
- ✓ किसी तरह का आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना। बिजनेस ऑपरेशन के लिए आकस्मिक कार्ययोजना बनाना, उसकी जांच करना एवं उसे मान्य करना।
- ✓ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी, जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट का प्रावधान करना ।

समन्वय एवं संगठनः

ये समूह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह इस तरह समन्वय और साथ बना सकते हैंः (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों की हिस्सा बनकर (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे।

स्वास्थ्य संघ (मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, आरवीसी, नर्से)

समूह के बारे में:

स्वास्थ्य संघ मेडिकल प्रोफेशन की विभिन्न शाखाओं के सदस्यों द्वारा गठित संगठन है। यह मेडिकल प्रोफेशनलों के हितों का ख्याल करने के साथ–साथ लोकस्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा में सुधार का काम कर समुदाय के हित को भी देखता है।

स्वास्थ्य संघ में निजी क्षेत्र, सरकारी संस्थानों, नर्सिंग होमों के डाक्टर और,मेडिसिन एवं सर्जरी के सभी क्षेत्रों के जनरल प्रैक्टिशनर , स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट , सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की नर्सें, क्लीनिक और ड्रगिस्ट, दवा दुकान के मालिक जैसे स्वास्थ्य गतिविधियों से जुड़े लोग रहते हैं।

स्वास्थ्य संघ के सदस्य समान हितों को साझा करते हैं तथा बडत्रे पैमाने पर टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच शिविर और पल्स पोलियो कार्यक्रम आदि में शरीक होते हैं।

भूमिका:

जनस्वास्थ्य की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, दवा एवं चिकित्सकीय सात सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।
- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।

- ✓ विभिन्न स्रोतों, पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ सूचना को लोगों तक पहुंचाना एवं सतर्कता के उपाय करना। सबसे पहले अपनेजीवन रक्षा के उपाय करना। उसके बाद जनस्वास्थ्य और उनकी जीवन रक्षा का ख्याल करना।
- ✓ आपदा के बाद, स्थिति और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा इसके कामकाज पर इसके प्रभाव का आकलन करना।
- ✓ स्वास्थ्य इएसएफ नोडल एजेंसी तथा संबंधित सामुदायिक कमेटियों के साथ समन्वय बनाकर प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त मेडिकल सहायता की व्यवस्था करना।
- ✓ इलाके में किसी रोग के फैलाव की जांच और माम्नीटरिंग करना।
- ✓ अपने एसोसिएशन की समन्वय बैठक में भाग लेना।
- ✓ जीवन रक्षा एवं जीवनरक्षक उपाय करने के बाद स्थायी रूप से स्वास्थ्य ठीक करने का उपाय करना तथा त्वरित रिकवरी के लिए आकस्मिकता योजना के अनुसारकाम करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इन समूहों की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैं:

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना। आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता देना तथा जिले में आपदा प्रबंधन की विभिन्न सरकारी , गैर सरकारी व्यवस्था के साथ इसे जोड़ना।
- ✓ संभावित आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए अपने हित समूह, नेटवर्क तथा एसोसिएशन को मजबूत करना।
- ✓ पहचान किये गये खतरे का काम और व्यवसाय पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसके साथ ही काम को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ इन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का उपाय करना।
- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत होना। इस बात को समझना कि जीवन और कामकाज के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।
- ✓ महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा के जाखिमों एवं उन्हें कम करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ जन स्वास्थ्य, खतरनाक स्थितियों से स्वास्थ्य और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा समेत मोचिकित्सा पर खतरा से संबंधित कार्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित करना।

- ✓ खतरनाक स्थितियों से जुड़ी स्वास्थ्य के जोखिमों के प्रबंधन पर होने वाले विचार विमर्श, क्लीनिकल मीटिंग, लेक्चर, प्रदर्शन, रिफ्रेशर कोर्स में शामिल होने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
- ✓ स्वास्थ्य, हाइजिन और सफाई, निदान एवं प्रतिरोध के उपायों तथा आपदा के दौरान क्या करनाहै, क्या नहीं करना है तथा संभावितजोखिम और जोखिम कम करने के उपायों के प्रति समुदाय एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जन अभियान चलाना तथा समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- ✓ सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं इलाज सुविधाएं आपदारोधी हों ताकि आपदा के समय में वे क्रियाशील रह सकें।
- ✓ दवाओं एवं मेडिकल साज सामानों को सुरक्षित और आपदारोधी भंडारों में रखना।
- ✓ मेडिकल कचरों कासमय से सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन टीम की इएसएफ नोडल एजेंसी, ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कमेटी के साथ सलाह–मशविरा कर स्वास्थ्यएवं स्वास्थ्यसेवाओं के लिए न्यूनतम मानक तय करना।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं सूचनाओं को बैक–अप रखना तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखना।
- ✓ आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना। स्वास्थ्य संबंधी कामकाज, उसकी जांच एवं उसे मान्य करने के लिए आकस्मिक कार्ययोजना बनाना ।
- ✓ जीवनरक्षक साज सामानों एवं दवाओं को प्राप्त करने के लिए कोष की व्यवस्था करना। आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी , आपदा जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट बनाना।

समन्वय एवं संगठनः

ये समूह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह इस तरह समन्वय और साथ बना सकते हैं: (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों की हिस्सा बनकर (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेही:

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे तथा ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से वे जिन लोगों की सेवा सामान्य दिनों में करते हैं, उनके प्रति जवाबदेह बन सकेंगे। इससे दीर्घ काल में साख एवं आर्थिक हितों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मधुबनी इंटर एजेंसी ग्रुप

इंटर एजेंसी ग्रुप के बारे में:

जिला इंटर एजेंसी ग्रुप (आईएजी), मधुबनी जिला स्तर पर मधुबनी में काम करने वाले मानवीय एजेंसियों का गठबंधन है। आइएजी के सदस्यों में जिला में आपदा प्रबंधन का काम कर रहे स्वयंसेवी संगठन, और सिविल सोसायटी के संगठन शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर के स्वंयसेवी संगठनों के जिला कार्यालयों तथा जिला प्रशासन समेत दूसरे स्टेकहोल्डर समूहों के प्रतिनिधि जिला आईएजी के सदस्य हैं।

जिला आईएजी, मधुबनी विभिन्न स्वंयसेवी संगठनों तथा जिला में आपदा प्रबंधन के कामसे जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर समूहों के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाने तथा बढ़ाने का काम करता है। :

संरचना:

जिला आईएजी के कामकाज की संरचना निम्न प्रकार है:

- संयोजक (श्री कामेश्वर कामटी)
- समन्वयक (रिक्त)
- आइएजी होस्टिंग एजेंसी (सचिवालय)
- सदस्य एजेंसियां

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित खंडों में विभाजित हैं:

1.1- पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

1.2- सशक्त प्रत्युत्तर के उपायों को शुरू करने की कार्रवाइयां

1.3- सशक्त प्रत्युत्तर की कार्रवाइयां

1.3.1-संयुक्त आकलन

1.3.2-साझा प्रत्युत्तर की तैयारी

1.3.3-साझा मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग

1.4- सशक्त प्रत्युत्तर बंद करने की कार्रवाई

1.5- रिकवरी की कार्रवाइयां

1.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- पूर्व चेतावनी के लिए हालात का मुआयना करना, पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ स्थिति को मॉनीटर करना।
- ✓ स्थानीय स्तर की पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ खास आपात स्थिति से संबंधित सतर्कत की सूचना सभी संबंद्ध लोगों तक पहुंचाना।
- ✓ समस्या विशेष से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ भूकंप जैसी आपदाओं, जिनके बारे में पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, की स्थिति में तुरंत हरकत में आना और भूकंप आकस्मिक कार्ययोजना को अपनाना।
- ✓ सूखे जैसी आपदा, जिनका असर धीरे–धीरे पड़ता हे, की स्थिति में सूखे से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना में उल्लेखित सूखे के लक्षणों को मॉनीटर करना।
- ✓ आपदा पर स्थिति रिपोर्ट बनाना एवं प्रसारित करना।

1.2 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास शुरू करने की कार्रवाइयां

उद्देश्यः

- सशक्त प्रयुत्तर की आपात कार्रवाइयां सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ स्थिति का आकलन करने, खास सूचनाएं जमा करने, तथा प्रभावित इलाके की संयुक्त आकलन की योजना बनाने के लिए आपात समन्वय बैठक आयोजित करना।
- ✓ आपात स्थिति के हालात में ईओसी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथतुरंत समन्वय बनाना तथा जरूरत के अनुसार हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना।
- ✓ सभी संबंद्ध लोगों तक प्रत्युत्तर की कार्रवाई शुरू होने की सूचना पहुंचाना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि सचिवालय चौबीसो घंटे कार्यरत रहे और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दूसरे स्टेकहोल्डरों तथा जिले के बाहर से आने वाली एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहे।

1.3 आपात स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयास की कार्रवाइयां

1.3.1. संयुक्त आकलन

उद्देश्यः

- प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रभावित लोगों की जरूरतों का आकलन करना।
- प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए उनको हुई क्षति तथा रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए परिवार , समुदाय एवं राज्य के संरचनाओं का आकलन करना।

मुख्य कार्य :

✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इओसी तथा प्रमुख एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर आकलन प्रारूप तथा प्रश्नावली के अनुसार शुरुआती आकलन की योजना बनाना और आकलन करना।

✓ जरूरतों तथा विभिन्न एजेंसियों की क्षति सर्वे की तारतम्यता / संकलन के लिए एक ही तरह के आकलन प्रारूप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना।

✓ एक ही आकलन में सभी क्षेत्रों की जरूरतों एवं क्षति की जानकारी के लिए सुनिश्चित करना कि आकलन बहु एजेंसी तथा बहु–क्षेत्रीय हो।

✓ सर्वाधिक नाजुक हालात वाले, खासकर बूढ़े, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं, बीमार, एचआइवी / एड्स ग्रस्त, लोगों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समूह के, लोगों के बारे में खास जानकारी हासिल करना।

✓ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों समेत नाजुक हालत वाले सभी समूहों तथा सामाजिक समूहों की भागीदारी एवं सलाह–मशविरा सुनिश्चित करना।

1.3.2 सशक्त प्रत्युत्तर की तैयारी

उद्देश्यः

- गैप और ओवरलैप को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा संयुक्त तैयारी सुनिश्चित करना।
- उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हासिल करने के लिए सिविल सोसायटी के संगठनों का साझा प्रत्युत्तर सुनिश्चित करना।
- सरकार को क्षेत्र विशेष में उनके प्रत्युत्तर का गैप , जिसकी पहचान एजेंसी के विश्लेषण और क्षेत्रवार उपस्थिति तथा प्रभावित इलाके के समानुपातिक जरूररतों के आधार पर हुई हो, उसे पाटने में मदद करना

मुख्य कार्यः

✓ सरकार से क्षति और जरूरत की नवीनतम जानकारी लेना तथा सभी एजेंसियों के साथ साझा करना।

- ✓ तात्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार सूचनाओं का विश्लेषण करना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में गैप की पहचान एवं संसाधनों के एक ही काम में दोहरे इस्तेमाल को रोकने के लिए एजेंसी के हस्तक्षेप के इलाके की मैपिंग करना।
- ✓ गैप और ओवरलैप से बचने तथा प्रभावित समुदाय के सर्वाधिक नाजुक हालत वाले अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए सदस्य एजेंसियों के साझा प्रत्युत्तर की योजना बनाना।
- ✓ राहत सामग्री और सुविधाओं की तैयार की योजनाओं के स्वरूप एवं सवीकार्यता के बारे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग समूह के लोगों समेत नाजुक हालत वाले सभी लोगों के प्रतिनिधियों से सलाह–मशविरा करना।
- ✓ हस्तक्षेप की प्राथमिकताओं का समय आधारित विस्तृत योजना बनाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों (मानवीय संसाधन, वित्तीय स्रोत, और संभार तन्त्र की सामग्रियां) के लिए योजना बनाना।
- ✓ उपरोक्त संसाधनों को जुटाने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण , इएसएफ नोडल तथा मदद करने वाली दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और दूसरे संबंद्ध विभागों को आइएजी एवं सदस्य एजेंसियों की तरफ से जरूरत के अनुसार नेटवर्किंग सहयोग तथा स्वंसेवकों का सहयोग उपलब्ध कराना।
- ✓ सुनिश्चित करनाकि प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगे सभी एजेंसियां नाजुक हालत वाले सभी समूहों पर विशेष ध्यान दें।

1.3.3 साझा मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर की योजना और कार्रवाई सही दिशा में आगे बढ़ रही है और सर्वाधिक नाजुक हालत वाले लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है तथा उन्हें प्रत्युत्तर देने वाली एजेंसियों तथा सरकार से जरूरत के अनुसार मदद मिल रही है।
- आपात स्थिति में इंटर एजेंसी के प्रत्युत्तर (साझा प्रत्युत्तर) की कार्रवाइयों का अभिलेख तैयार करना, विश्लेषण करना तथा इसके सबकों का इस्तेमाल भविष्य के कामों में करना।

मुख्य कार्य :

- ✓ संसाधनों, कार्यकलापों, और प्रत्युत्तर योजना की टाइम लाइन का आवधिक मॉनीटरिंग करना।
- ✓ साझा प्रत्युत्तर योजना के काय्रान्वयन को लेकर सदस्यों और दूसरे स्टेकहोल्डरों की जवाबदेही तय करना।
- ✓ बदलते हालातों का आकलन एवं मॉनीटरिंग करना तथा जैसी सिाति हो उसके अनुसार प्रभावित लोगों,स्टेकहोल्डरों, प्रखंड एवं जिला के अधिकारियों के साथ प्रत्युत्तर की कार्रवइयों कासमन्वय स्थापित करना।

- ✓ प्रभावितसमुदाय के बीच आइएजी के प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों से सबक लेने के लिए बहु एजेंसीय आकलन करना।
- ✓ रिपोर्टों , मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के नतीजों को` सभी स्टेकहोल्डरों के सामने रखना तथा सबकों काइस्तेमाल भविष्य की घटनाओंके वक्त बेहतरी के लिए करना।

1.4 आपात स्थिति से निपटने के साझा प्रयासों को बंद करना

उद्देश्य:

- आपात प्रत्युत्तर को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान केंद्रित करना।

मुख्य कार्य:

- ✓ इस बात की जांच करना कि शरण से संबंधित जीवन रक्षक सभी तात्कालिक उपाय सही तरीके से किये गये हैं और नश्वरता या रुग्णता को कोई खतरा नहीं है। अगर उपाय पूरी तरह नहीं किये गये हों तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इओसी और दूसरे स्टेकहोल्डरों दूसरी कमेटियों के साथ पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करना तथा अद्यतन स्थिति को साझा करना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि आपात व्यवस्था पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण है एवं उसकी देखरेख उनकी हाथ्सों में है तथा मॉनीटरिंग का तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है।
- ✓ स्थानीय लोगों,, दूसरी कमेटियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ सलाह–मशविरा कर आपात उपायों की समीक्षा करना । किये गये कामों एवं उनकी कमियों का अभिलेख तैयार करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, दूसरे स्टेकहोल्डरों ̇ के साथ सलाह–मशविरा कर प्रत्युत्तर के आपात कार्यों को बंद करना तथा रिकवरी के कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार होना।

1.5 पुनःप्राप्ति (रिकवरी) के कार्रवाईः

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग आपदा के प्रभाव से मुक्त हो जायें एवं आपात सुविधाओं से निकलकर अपने मूल घरों के माहौल या नये शरण स्थल या बसाये गये जगह चले जायें

मुख्य कार्य:

- ✓ आइएजी निश्चित तौर पर सुनिश्चित करे कि क्षति का आकलन कर लिया गया है और इसकी रिपोट्र स्थानीय प्रशासन को दे दी गयी है।
- ✓ आइएजी निश्चित तौर पर सुनिश्चित करे कि प्रभावितलोगों को सरकारसे कोई लाभ या अनुदान मिले।
- ✓ जहां संभव हो, वहां स्थानीय क्षमता का इस्तेमाल कर समन्वित, प्रभावी एससीएम बनाना।
- ✓ आइएजी समुदाय के लोगों की आजीविका की पुनर्बहाली के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पास दीर्घकालिक योजना बनाने की सलाह दे।

✓ आइएजी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदारोधी तकनालॉजी अपनाने की सलाह दे।

✓ रिकवरी एवं पुनर्वास के कामों का जायजा लेना एवं समन्वय बनाना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

आपदा जोखिम कम करने की मुख्य कार्रवाइयां

2.1- इंटर एजेंसी समन्वित कार्रवाई

2.2- प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजनकी कार्रवाई

2.3- सूचना एवं ज्ञान प्रबंधन की कार्रवाई

2.4- एडवोकेसी की कार्रवाई

2.5- कामकाज जारी रखने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयां

2.6- आपात पूर्व की तैयारियों के काम

2.1 इंटर एजेंसी समन्वित कार्रवाई

उद्देश्यः

- आपात स्थिति की प्रभावी पूर्व तैयारी एवं प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए सदस्यों, दूसरे स्टेकहोल्डरों तथा डीडीएम के बीच समन्वय का प्रभावी तंत्र बनाना।

मुख्य कार्य :

✓ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय एवं संवाद का मंच उपलब्ध कराना।

✓ समान चिंताओं पर बहस के मंच के रूप में काम करना।

✓ समान चिंताओं को जिला प्रशासन यासंबंद्ध अधिकारियों के सामने रखना।

✓ सुनिश्चित करना कि जिले में आपदा प्रबंधन के सवालों पर विचार विमर्श और उनके लिए कार्य योजना बनाने के लिए आइएजी कोर कमेटी बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित हो।

✓ आइएजीसदस्यों के बीच त्वरित एवं प्रभावी संवाद सुनिश्चित करना।

✓ एजेंसियों के बीच कल्सटर संयेाजन सुनिश्चित करना।

✓ आपसी विश्वास और सहमति के सिद्धांतों पर आधारित सहयोग की प्रक्रिया सभी स्तरों पर विकसित करना। तथा जिले में आपदारोधी समुदाय के बनने का मार्ग प्रशस्त करनां ।

✓ समानहितों के क्षेत्र में डीडीएमए और दूसरे लाइन डिर्पाटमेंट के साथ निकटता के साथ काम करना तथा जिलास्तर के स्व्यंसेवी संस्थाओं, डीडीएम के टास्ट फोर्स के लिए सदस्यों का मनोनयन करना।

2.2 प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजनकी कार्रवाई

उद्देश्यः

- जिला आइएजी, सदस्य एजेंसी एवं उनके सहयोगी, तथा दूसरे स्टेकहोल्डरों के बीच आपदा जोखिम में कमी करने, एवं आपात स्थिति में प्रत्युत्तर के उपाय करने तथा वांछित लक्ष्य हासिल करने के संबंध में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकने के लिए पर्याप्त क्षमता सृजित करना।

मुख्यकार्यः

- ✓ सदस्य एजेंसियों और पार्टनरों तथादूसरे स्टेकहोल्डरों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण की जरूरतों का विश्लेषण करना।
- ✓ पहचान की गयी जरूरतों की योजना, बनाना, उनके लिए संसाधन जुटाना तथा प्रशिक्षण में मदद करना।
- ✓ जिले में विभिन्न विषय वस्तुओं पर प्रशिक्षकों की सूची (प्रशिक्षकों / रिसोर्स पर्सनों का डाटाबेस) बनाना।
- ✓ एजेंसियों की समान जरूरतों की पहचान करना तथा प्रशिक्षण में मदद करना।
- ✓ मौसम और स्अेकहोल्डरों की जरूरतों के अनुसार मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर बनाना।
- ✓ संभावित आपदा के प्रति लोगों को जागरूक बनाने तथा आपदा की तबाही एवं क्षति रोकने या कम करने के लिए लोगों को कम से कम क्या कुछ जानना चाहिए, यह बताने के लिए जागरूकता अभ्यास एवं अभियान चलाना।
- ✓ प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन की गतिविधियों के बारे में जानते रहने तथा इनमें आइएजी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड, जिला राज्य एवं राष्ट्रीय अधिकारियों, एजेंसियों तथा दूसरे संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ इस तरह का कम से कम दो अभ्यास साल में आयोजित करना। एक बाढ के मौसम के पहले तैयारी की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल के रूप में, तथा दूसरा आपदा एवं प्रत्युत्तर के सबकों का रिकार्ड तैयार करने के लिए आपदा के बाद। यह आयोजन डीडीएमए एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय बनाकर किया जाना चाहिए।

2.3 सूचना एवं ज्ञान प्रबंधन की कार्रवाई

उद्देश्यः

- आपदा प्रबंधन से संबंधित सूचना, ज्ञान और सीखने के संसाधनों का मिलान, प्रसंस्करण, शोध, विश्लेषण,विकास तथा प्रसार सुनिश्चित करना।

मुख्य कार्यः

- ✓ जिले के लिए आइएजी सदस्यों का डाटाबेस बनाना।
- ✓ जिले के विभिन्न स्थानों एवं अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले स्वंयसेवी संगठनों की मैंपिग

यह जानने के लिए करना कि कौन सी एजेंसी कहां और किस क्षेत्र में काम कर रही है।

- ✓ समूह के विभिन्न सदस्यों एवं डीडीएमए सहित दूसरे बाहरी स्टेकहोल्डरों के कार्यकलापों की जानकारी का मिलान करना एवं उन्हें साझा करना।
- ✓ संसाधनों एवं सदस्यों की क्षमता की मैपिंग करना।
- ✓ आइएजी की योजनाओं, गतिविधियों, रिपोर्टों तथा उपलब्धियों को प्रचारित करना।
- ✓ अधिक से अधिक लोगों , स्टेकहोल्डरों के बीच पहुंचने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट आदि का इस्तेमाल बढ़ाना तथा सूचनाओं के प्रसार में इस मीडिया का इस्तेमाज करना।

2.4 संयुक्त एडवोकेसी की कार्रवाई

उद्देश्य

- जिले में मानवीय सवालों की इंटर एजेंसी एडवोकेसी के लिए मंच उपलब्ध कराना।

मुख्य कार्य:

- ✓ नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु मुद्दों और सवालों को बहस तथा एडवोकेसी के लिए रखने के लिए सिविल सोयायटी संगठनों को तटस्थ मदद उपलब्ध कराना।
- ✓ प्रभावित समुदाय के अधिकारों की एडवोकेसी करना।
- ✓ जिले में आपदा प्रबंधन की संरचना को मजबूत करना तथा इस काम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की मदद करना।
- ✓ जिले में विकास एवं आपदा प्रबंधन के खास मुद्दों पर शोध एवं विश्लेषण करना तथा इन मुद्दों को उपयुक्त फोरम में उठाने के लिए एडवोकेसी की पहल करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन के विभिन्न स्तरों (जागरूकता फैलाना, संवेदनशीलता बढ़ाना, पूर्व चेतावनी की सूचना, आपदा के समय लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी का प्रसार आदि) पर मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल करना।
- ✓ प्रमुख सवालों पर जिले के जनाकेंद्रित अभियानों में लोगों का नेतृत्व करना।
- ✓ जिला एवं राज्य स्तर पर एडवोकेसी का काम करने वाली एजेंसियों के साथ नेटवर्क बनाना।

2.5 कामकाज जारी रखने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयां

उद्देश्य

- सुनिश्चित करना कि जिला आइएजी सचिवालय और इसकी गतिविधियां आपदा के प्रभाव से उबर जायें तथा आपदा के दौरान कार्यशील रहें।

मुख्य कार्य:

- ✓ आइएजी के कामकाज, खासकर आपदा के दौरान, के बारे में नियम–कानून तय करना।

- ✓ अध्यक्ष / संयोजक और उपाध्यक्ष का चुनाव करना ताकि एक की अनुपस्थिति में दूसरे काम करते रहें।
- ✓ आइएजी के कार्यकलापों एवं प्रक्रियाओं (आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी चरण समेत), खासकर आपदा के दौरान, के लिए एक कॉआर्डिनेटर बहाल करना।
- ✓ संयोजक की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के संबंध में प्रोटोकॉल तय करना।
- ✓ आइएजी के ऑपरेशनल काम तथा बैठकों के लिए वैकल्पिक कार्यालय (सदस्य एजेंसियों से) की पहचान करना । कार्यालय को , विशेष रूप से आपदा के दौरान, सबसे सुगम, सुरक्षित,और साज सामान से युक्त जगह स्थानांतरिकत करना पड़ सकता है।
- ✓ समिति के महत्वपूर्ण फाइलों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना। अगर संभव हो तो, बैकअप बनाना।
- ✓ सदस्यों के साथ सूचनाओं को तुरंत साझा करने का तंत्र विकसित करना। अगर मोबाइल नेटवर्क पर काम हो रहा हो तो, सूचनाओं के आदान–प्रदान, खासकर आपात स्थिति में, वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।

2.6 आपात पूर्व की तैयारियों के काम:

उद्देश्य:

- सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में सदस्य एजेंसियां एवं स्टेकहोल्डरों का समूह जिले में सशक्त प्रत्युत्तर के लिए तैयार है।

मुख्य कार्य:

- ✓ किसी संभावित आपदा की स्थिति में एजेंसीवार पूर्व की तैयारियों, पूर्वसर्गिका (प्रीपोजिशनिंग) , और कार्ययोजना का जायजा लेने के लिए आइएजी सदस्यों की आपात पूर्व तैयारी बैठक बुलाना।
- ✓ आइएजी की पूर्व तैयारियों एवं प्रीपोजिशनिंग की सूचनाओं को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे संबंद्ध अधिकारियों के साथ साझा करना।
- ✓ गांव और वार्ड स्तर पर स्टेकहोल्डरों की बैठक आयोजित करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन की विभिन्न टीमों की पूर्व तैयारियों का मॉनीटरिंग करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन कमेटी सुनिश्चित करेगी कि सभी आपदा प्रबंधन टीमें सुसज्जित हैं।
- ✓ किसी खास तरह की पहले से की जाने वाली तैयारियों, निर्देशों, आपूर्ति, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण आदि के लिए डीडीएमए, इओसी, इएसएफ,एवं अन्य सपोर्ट एजेसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूर्व चेतावनी की सूचनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए उपसमूह नामजद करना।
- ✓ सभी लोगों, तक पूर्व चेतावनी की सूचना तुरंत पहुंचाने का तंत्र बनाना।

- ✓ प्रीपोजिशनिंग डाटा, उपलब्ध एजेंसी की भौगोलिक एवं क्षेत्रविशेष के संसाधनों और क्षमता की मैपिंग करना।

समन्वय एवं संगठनः

दूसरे ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ समन्वय बनाने के लिए कमेटी एक नोडल पदाधिकारी बहाल करेगी। आइएजी के जिला संयोजक सदस्य एजेंसियों के साथ सघन समन्वय स्थापित करेंगे एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। वे इओसी,इएसएफनोडल एजेंसी और सपोर्ट एजेंसियों , आइआरएस के प्रभारी अधिकारी और जिले के दूसरे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय बनायेंगे तथा सलाह–मशविरा करेंगे। आइएजी जिला स्तर पर पूरी तैयारी एवं कार्रवाइयों के साथ प्रयासों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जरिये समन्वित करेगा तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार तौर पर काम करेगा।

स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया

इस समूह के बारे में:

मीडिया का तात्पर्य संचार के विभिन्न माध्यमों से है, जैसे– टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, मैगजिन, और इंटरनेट आदि, जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करता है। मीडिया विभिन्न मसलों से संबंधित सूचनाएं बड़े पैमाने पर लोगों तक एक साथ बहुत कम लागत पर पहुंचाती है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया एक देशया ओर ज्यादा देश की बहुत बड़ी आबादी के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच बनाती है। जबकि स्थानीय मीडिया सूचनाओं को छोटी आबादी और इलाके तक पहुंचाती है और आमतौर पर क्षेत्रीय तथा स्थानीय खबरोंपर ज्यादा ध्यान देती है।

भूमिका:

पूर्व चेतावनी देने में मीडिया अहम भूमिका अदा करती है और पूर्व चेतावनी प्रणाली का यह महत्वपूर्ण अंग है। इसके पास स्टेकहोल्डरों, उनके काम, और वे जहां काम करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति को राज्य एवं दुनिया के दूसरे हिस्सों की सामयिक घटनाओं की जानकारी सिर्फ मीडिया से ही मिलती है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में वैश्विक अनुीावों को स्टेकहोल्डरों एवं सीानीयमीडिया के साथ साझा कर सकती है।

समाज के हित के लिए सामाजिक मुद्दों को उठाने में भी मीडिया का काम है। मीडिया स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस कराने में अहम भूमिका अदा करती है।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें।
- उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

- ✓ मौसम विभाग से जानकारी हासिल करना तथा किसी तरह की सतर्कता बरतने या चेतावनी का संकेत हो तो उसे प्रसारित करना।
- ✓ किसी तरह की पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों, पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ पूर्व चेतावनी की सूचना और समाज पर इसके संभावित प्रभाव की जानकारी प्रसारित करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे इसे समझ लें।
- ✓ पूर्व चेतावनी की सूचना मिलने पर, अगर पर्याप्त समय उपलब्ध हो तो पेंटिंगस जैसे सामानों को सुरक्षित जगह
- ✓ आपदा के विभिन्न चरणों की सूचना और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रसारित करना।
- ✓ इएसएफ, ग्राम पंचायत कमेटी, के साथ समन्वय स्थापित करना तथा उनके बारे में एवं सुरक्षित शरण, स्वास्थ्य शिविर आदि में जानकारी प्रसारित करना।
- ✓ आपदा के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी आम लोगों तक प्रसारित करना।
- ✓ प्रभावित इलाके में राहत सामग्रियो की जरूरत के बारे में विश्वसनीय जानकारी देना तथा आमलोगों को मदद के लिए प्रेरित करना।
- ✓ जीवनरक्षा एवं जीवन रक्षक सुविधाओं की व्यवस्था कर लेने के बाद कारोबार को बचाने के उपाय करना तथा त्वरित रिकवरी की आकस्मिक योजना के अनुसार काम करना।
- ✓ अंतरराष्ट्रीय मीडिया संसाधन जुटाने के लिए सूचनाओं को अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाएगी।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

मीडिया निम्न कामों को करेगी:

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना। आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता देना तथा जिले में आपदा प्रबंधन की विभिन्न सरकारी , गैर सरकारी वयवस्था के साथ इसे जोड़ना।
- ✓ पहचान किये गये खतरे का कार्यालय के काम पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसके साथ ही कार्यालय के काम को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ लोगों को जागरूक करने के लिए खतरे के स्वरूप व प्रकृति की सूचना प्रसारित करना।
- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत होना। इस बात को समझना कि जीवन

और कामकाज के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।

- ✓ विशेषज्ञों के साथ सलाह मशविरा एवं विचार –विमर्श कर आपदा जोखिम कम करने के उपायें की जानकारी गांवों तक पहुंचाना।
- ✓ आपदा के जोखिमों एवं उन्हें कम कम करने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना ।
- ✓ खतरे, डीआरआर, एवं योजनाएं, और आपदा को लेकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, की जानकारियां वेबसाइट पर लगातार अद्यःतन करते रहना तथा इसे बड़ी आबादी तक पहुंचाना।
- ✓ समाचारपत्र, पुस्तक, मैगजीन जैसे प्रिंट मीडिया के सर्वसुलभ माध्यमों से जागरूकता फैलाना।
- ✓ अपने नेटवर्क में आपदा के जोखिमों के बारे में औपचारिक एवं अनौपचारिक सेमिनार, कार्यशाला या विचार–विमर्श आयोजित करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों, कॉरपोरेट एसोसिएशनों आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ मीडिया निश्चित रूप से समुदाय और सरकार के बीच सही सूचनाओं का आदान–प्रदान सुनिश्चित करेगी।
- ✓ मीडिया के माध्यम से मौसम, फसल, कृषि तकनालॉजी, क्या करना है, क्या नहीं करना है की सूचनाएं निश्चित तौर पर लोगों तक पहुंचायी जानी चाहिए।
- ✓ आपात स्थिति के समय के लिए कार्यालय के कामकाज की योजना बनाना। सूचनाएं एकत्र करने के लिए मीडिया दूर दराज के इलाकों में जाना सुनिश्चित करे । कोई भी शोध करते वक्त मीडिया एवं पीआर एजेंसियां पंचायत को शोध कार्य में शामिल करे।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं बिजनेस की सूचनाओं का बैक–अप रखें तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखें।
- ✓ आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना। कामाकज के लिए आकस्मिक कार्ययोजना बनाना, उसकी जांच करना एवं मान्य करना।
- ✓ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी, जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट का प्रावधान करना।

समन्वय एवं संगठनः

ये समूह समुदाय तथा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह इस तरह समन्वय और साथ बना सकते हैं: (क) ग्राम पंचायत का हिस्सा बनकर, (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर।(ग) दूसरे स्टेकहोल्डर । वे फिर इएसएफ एजेंसियां, आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के भी साथ हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

ग्राम पंचायत, इएफएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आइएजी, तथा दूसरे किसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मीडिया जवाबदेह होगी। वे वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे और समुदाय के मसलों को निष्पक्षता के साथ उठायेंगे।

स्थानीय एनजीओ, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, रेड क्रॉस, राष्ट्रीय एनजीओ

इस समूह के बारे में:

यह समूह समुदाय में मानवीय सिद्धांतों एवं मूल्यों, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा पूर्व की तैयारी, सामाजिक मुद्दों को उठाने, पर्यावरण संबंधी जागरूकता, स्वास्थ्य एवं देखभाल आदि को बढ़ावा देता है।

समूह के अन्य कामों में हॉस्पिटल सर्विस, ब्लड बैंक, एचआइवी/एड्स कार्यक्रम, विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, मातृत्व, बाल एवं परिवार कल्याण, नर्सिंग, छुआछुत एवं संक्रमणीय बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के उपाय, आगजनी, रेलवे या किसी अन्य दुर्घटना के वक्त राहत ऑरेशन आदि शामिल हैं।

एनजीओ को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषाताहासिल रहती है। उनके पास संसाधन (स्थानीय एवं विदेशी) रहता है । इसकारण वे समाज में जमीनी स्तर पर सहयोग कर सकते हैं। आपात समय में वे सरकार के समानांतर काम करते हैं और उल्लेखनीय तरीके से सरकार को मदद करते हैं।

भूमिका:

यह मानवीय सिद्धांतों एवं मूल्यों को बढ़ावा देता है, सामाजिक मसलों को उठाता है और आपदा के समय सरकार की मदद करता है। यह समाज की मदद करताहै तथा आपात स्थिति में बुनियादी जरूरतें पूरी करता है तथा समाज को त्वरित रिकवरी के लिए तैयार करता है।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें।
- उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

- ✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों, पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ संगठन में उपलब्ध मानवीय संसाधनों को लाना। अगर जरूरत पड़े तो दूसरे जिलों या राज्यों से भी लाना।
- ✓ विभिन्न क्षेत्रों (वॉश, स्वास्थ्य, शरण, आहार एवं पोषाहार) में प्रत्युत्तर की कार्रवाई शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत कमेटयों के साथ संगठित होना।
- ✓ आपदा में क्या करना है,क्या नहीं करना है,इसकी सूचना समुदाय में प्रसारित करना।
- ✓ जीवन रक्षा एवं जीवन रक्षक सेवाएं सुनिश्चित करने के बाद त्वरित रिकवरी के लिए बिजनेस ऑपरेशन की रक्षा करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इन समूहों की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैः

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना। समूह आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता दे तथा जिले में आपदा प्रबंधन की विभिन्न सरकारी , गैर सरकारी वयवस्था के साथ इसे जोड़े।
- ✓ ग्राम पंचायत में जलजमाव, बाढ़, और सूखा आदि जैसे खतरे का प्रोफाइल तैयार करना।
- ✓ पहचान किये गये खतरे का काम और व्यवसाय पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसके साथ ही काम को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ इन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का उपाय करना।
- ✓ स्वयंसेवकों की सूची तैयार करना और खोज व बचाव कार्य, जेंडर संवेदनशीलता तथा संरक्षण के बारे में उनकी क्षमता सृजित करना।
- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत होना। इस बात को समझना कि जीवन और कामकाज के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।
- ✓ आपदा के जाखिमों एवं उन्हें कम करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ अपने नेटवर्क में आपदा जोखिम कम करने पर औपचारिक एवं अनौपचारिक सेमिनार, कार्यशाला या वचार–विमर्श आयोजित करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों , कॉरपोरेट एसोसिएशनों तथा आइएजी, मधुबनी आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।

- ✓ सुनिश्चित करना कि कार्यालय भवन एवं संरचनाएं भूकंपरोधी और बाढ़रोधी हों।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं सूचनाओं को बैक–अप रखना तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखना।
- ✓ आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना। बिजनेस ऑपरेशन के लिए आकस्मिक कार्ययोजना बनाना, जांच करना तथा मान्य करना।
- ✓ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी, जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट का प्रावधान करना ।

समन्वय एवं संगठनः

ये समूह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह इस तरह समन्वय और साथ बना सकते हैंः (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों (जैसे, वॉश के काम से जुड़े एनजीओ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संगटित वाम्शइएसएफ के साथ होंगे) का हिस्सा बनकर (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे तथा ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से वे जिन लोगों की सेवा सामान्य दिनों में करते हैं, उनके प्रति जवाबदेह बन सकेंगे। इससे दीर्घ काल में साख एवं आर्थिक हितों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), महिलाएं, किसान, जीविका समूह

इस समूह के बारे में:

इन समूहों का गठन समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें 15 या 20 सदस्य होते हैं। ऐसे समूह में समान हित वाले समुदाय के लोग आगे आते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए समूह बनाते हैं। ऐसे समूहों में मुख्य रूप से ग्रामीण इलाके की महिलाएं एव्र गरीब लोग होते हैं। ये लोग स्थानीय चुनौतियों से निपटने और दीर्घकालिक आजीविका के विकल्पों के लिए संगठित होते हैं।

किसान समूह का गठन खेती करने एवं उसमें सुधार करने के लाभकारी कामों के लिए होता है। साथ ही साथ समूह किसानों के हितों की रक्षा भी करता हैं

भूमिका:

समूह समुदाय के अंदर दीर्घकालिक आजीविका का विकल्प उपलब्ध कराकर तथा अपने एवं समुदाय के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर लोगों की क्षमतासृजन का काम करता है।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें।
- पुनर्निर्माण करना तथा उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

- ✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।
- ✓ विभिन्न स्रोतों, पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

- ✓ समूह जिस सेक्टर टीम का प्रतिनिधित्व करता है उस टीम का मार्गदर्शन करना एवं सहयोग देना।
- ✓ सूचना को लोगों तक पहुंचाना एवं सतर्कता के उपाय करना। सबसे पहले अपनी, अपने परिवार, स्टेकहोल्डरों ,ें की जीवन रक्षा के उपाय करना। अगर संभव हो तो समुदाय के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाना।
- ✓ अपने संगठन या नेटवर्क की समन्वय बैठकों में शामिल होना।
- ✓ आजीवका पर तथा जिन सेक्टरों में वे काम कररहे हैं,उनपर आपदा के संभावित प्रभावों का आकलन करना।
- ✓ जीवन रक्षक उपायों के लिए संबंधित कमेटियों से तत्काल मदद लेना।
- ✓ आपदा प्रबंधन टीम को लॉजिस्टिक मदद, तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- ✓ रिकवरी के चरण में प्रशासन को योजना एवं मार्गदर्शन में मदद करना।
- ✓ त्वरित रिकवरी के लिए आकस्मिक कार्य योजना के अनुसार काम करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इन समूहों की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैंः

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना। आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता देना।
- ✓ पहचान किये गये खतरे का उनकी आधारभूत सरंचनाओं, आजीविका पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसके साथ ही काम को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ इन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का उपाय करना।
- ✓ संभावित आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए अपने हित समूह, नेटवर्क तथा एसोसिएशन को मजबूत करना।
- ✓ समुदाय के अंदर आपदारोधी आजीविका के विकल्पों की पहचान करना।
- ✓ महिलाओं, गरीब और अशक्त लोगों जैसे नाजुक हालत वाले समूह के लोगों को अपनी आजीविका अर्जन एवं विकास कार्यक्रमों में आपदारोधी उपायों को अपनाने के लिए निर्णयकर्ताओं पर दबाव डालने के लिए नेतृत्व संभालने का हूनर अख्तियार करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ✓ आपदा के समय हर तरह के शोषण एवं तबाही से बचने के लिए महिलाओं, गरीबों तथा नाजुक हालत वाले दूसरे लोगों के बीच क्षमता सृजित करने के लिए सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करना तथा कार्यशाला आयोजित करना।
- ✓ महिलाओं, बच्चों एवं नाजुक हालत वाले दूसरे समूहों की अधिकारों के सम्मान लायक माहौल बनाना।

- ✓ अपने सेक्टर की सरकारी योजनाओं का पता करनातथा उनमें डीआरआर के उपायों को शामिल कराना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ स्वास्थ्य एवं हाइजिन, निदानात्मक एवं प्रतिराधात्मक उपायों तथा किसी भी आपदा के समय के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बताने के लिए जनअभियान संगठित करना।
- ✓ सहकर्मियों को जेंडर एवं बच्चों के सवाल पर संवेदनशील बनाना।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं सूचनाओं को बैक–अप रखना तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखना।
- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत होना। इस बात को समझना कि जीवन और कामकाज के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।
- ✓ आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए तैयार रहना।
- ✓ किसान समूहआपदारोधी फसलों तथा आपदारोधी गोदामों के बारे में पता करें।

समन्वय एवं संगठनः

ये समूह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह इस तरह समन्वय और साथ बना सकते हैंः (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों (जैसे, वॉश के काम से जुड़े एनजीओ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संगटित वाम्शइएसएफ के साथ होंगे) का हिस्सा बनकर (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे ।

ट्रांसपोर्टर समूह (रेल, सड़क एवं नौका)

इस समूह के बारे में:

यह समूह आवागमन एवं सामानों, आवश्यक सामग्रियों तथा दूसरे संसाधनों की ढुलाई की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराता है। यह निजी व्यकितयों, आम जनता, सरकारी संगठनों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराता है।

आवश्यक सामग्रियों को विभिन्न राज्यों से लाकर उसकी आपूर्ति की जाती है। किसी जगह की मालवाहक व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि वहां मुद्रास्फीति की दर कम रहे और लोगों को सामानें सस्ती कीमत पर मिल जाये। लोग समय से अपने गंतव्य स्थानी की यात्रा करते हैं और इलाके का प्रशासन भी कुशल बनता है। यह समूह महत्वपूर्ण मशीनों एवं आवश्यक सामग्रियों की ढुलाई में सरकार की मदद करता है।

इस समूह में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर, टैक्सी सर्विसके मालिक, नाव सेवा के मालिक आदि शामिल रहते हैं ।

भूमिका:

ट्रांसपोर्ट व्यवस्था किसी जगह की जीवनरेखा है। इस कारण इस समूह की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समूह सामानों को बाजार, अस्पताल, एवं उद्योगों तक पहुंचाने में सरकार एवं आम जनता की मदद करता है। किसी जगह की कुशल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था वहां अपदा के प्रभावों को कम देता है। समूह आपदा के समय सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बनाये रखने में समाज की मदद करता है।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें।
- पुनर्निर्माण करना तथा उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।

- ✓ विभिन्न स्रोतों, पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ✓ अपने व्यवसाय के सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्टेकहोल्डरों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।
- ✓ अपने संगठन या नेटवर्क की समन्वय बैठकों में शामिल होना।
- ✓ सरकार को ट्रांसपोर्ट की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना (प्रशासन को खोज, बचाव एवं लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद करना, आपदा प्रभावित इलाके में खाद्यान्न एवं राहत सामग्री की ढुलाई करना ।
- ✓ प्रभावित इलाके में संसाधन सामग्र या मानवीय संसाधनों को पहुंचाना।
- ✓ प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों को इएसएफ एजेंसियों के साथ जोड़ना।
- ✓ आपदा के बाद, प्रत्युत्तर की कार्रवाई शुरू होने पर स्थिति और प्रत्यक्ष स्टेहोल्डरों एवं व्यवसाय के कामकाज पर इसके प्रभाव का आकलन करना।
- ✓ जीवन रक्षा एवं जीवन रक्षक उपायों को सुनिश्चित करने के बाद व्यवसाय के कामकाज की रक्षा करना तथा त्वरित रिकवरी के लिए आकस्मिक कार्ययोजना के अनुसार काम करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इन समूहों की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैं:

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना। आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता देना तथा जिले में आपदा प्रबंधन की विभिन्न सरकारी , गैर सरकारी वयवस्था के साथ इसे जोड़ना।
- ✓ संभावित आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए अपने हित समूह , नेटवर्क तथा एसोसिएशन को मजबूत करना।
- ✓ पहचान किये गये खतरे का अपने व्यवसाय के कामकाज पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसके साथ ही उनके व्यवसाय के कामकाज को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ इन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का उपाय करना।
- ✓ पूर्व चेतावनी प्रणाली के काम करने के तरीके से अवगत होना। इस बात को समझना कि जीवन और कामकाज के लिए पूर्व चेतावनी का क्या महत्व है।
- ✓ आपदा के जाखिमों एवं उन्हें कम करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना।
- ✓ नौकासेवा के मालिक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं इएसएफ नोडल एजेंसियों के सीधे सेपर्क में रहें।

- ✓ मौसम की अद्यःतन सूचना देने का तंत्र बनाना।
- ✓ अपने नेटवर्क तथा बिजनेस संगठनों में आपदा जोखिम कम करने पर औपचारिक एवं अनौपचारिक सेमिनार, कार्यशाला या विचार–विमर्श आयोजित करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ राज्य और राष्ट्रीय स्तर के एसएमई कलसटर चैप्टर, व्यापर संघों आदि के साथ नेटवर्क बनाना तथा उनके द्वारा आयोजित सेमिनारों, कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि कार्यालय भवन और आधारभूत संरचना भूकंपरोधी एवं बाढ़रोधी हों।
- ✓ वाहनों, नावों, या किसी औद्योगिक ईकाई में आपदारोधी फीचर अपनाने के लिए समूहों एवं उपसमूहों को प्रोत्साहित करना।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं सूचनाओं को बैक–अप रखना तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखना।
- ✓ आपदा आ जाने पर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना। व्यावसायिक कामकाज के लिए आकस्मिक कार्ययोजना बनाना, उसकी जांच करना एवं मान्य करना। ।
- ✓ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी, जोखिम कम करने तथा प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों के लिए बजट का प्रावधान करना ।
- ✓ सुनिश्चित करना कि किसी आकस्मिक स्थिति में व्यापार के महत्वपूर्ण सामानों, वाहनों, नाव की सामग्री को दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाये।
- ✓ अपने कामों के अलावा अपने परिवार के लोगों के साथ–साथ सामाजिक दायित्व के रूपमें अपने साथ जुड़े ज्यादा खराब हालत वाले स्टेकहोल्डरों की जीवनरक्षा के लिए परिवार के स्तर पर आपदा जोखिम कम करने के उपायों को अपनाना।

समन्वय एवं संगठन:

ये समूह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह निम्न तरीके से समन्वय और साथ बना सकते हैं: (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों (जैसे, वॉश आपूर्ति के काम में संलग्न ट्रांसपोर्टर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संगठित वॉश इएसएफ के साथ होंगे) का हिस्सा बनकर, (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेही:

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे तथा ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से वे जिन लोगों की सेवा सामान्य दिनों में करते हैं, उनके प्रति जवाबदेह बन सकेंगे। इससे दीर्घ काल में साख एवं आर्थिक हितों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

युवा, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड समूह

इस समूह के बारे में:

युवा समूह कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और समुदाय के सामाजिक विकास के लिए स्वेच्छा से काम करता है। युवा समूह में युवा संगठन, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, आदि शामिल हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने तथा समुदाय की सेवा स्वेच्छा से करने को समर्पित होते हैं।

युवा समूह और संगठन एक ऐसा मंच है, जहां सभी युवाओं को अपनी क्षमता विकसित करने , एवं अपनी रुचि को अपने आयु वर्ग के लोगों के साथ साझा करने तथा अपने समुदाय के पुनरुद्धार में निश्चयात्मक एवं रचनात्मक भूमिका अदा करने का समान अवसर मिलता है।

भूमिका:

जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं का मानव संसाधन और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना।

उद्देश्य:

यह समूह निम्न उद्देश्यों के साथ जिला स्तर पर आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की योजना एवं कामों में लगेगा।

- अगर जरूरत हो तो, अपनी ताकत आपात प्रत्युत्तर की कार्रवाइयों में लगाना।
- सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी आपदा के प्रभावसे उबर जायें तथा जितना जल्द हो सके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक हो सकें।
- उनकी व्यवस्था को आपदारोधी बनाना या उनके कामकाज पर आपदा के जोखिमों को कम करना।

1. आपात प्रत्युत्तर एवं पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां:

इन समूहों के लिए आपात प्रत्युत्तर एवं रिकवरी की कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

✓ पूर्व चेतावनी मिलने पर स्थिति का आकलन करना तथा अनुमान लगाना। जरूरत के अनुसार आकस्मिक योजना बनाना।

✓ विभिन्न स्रोतों, पूर्व चेतावनी के तंत्र, टीवी/रेडियो, इंटरनेट, प्रखंड/जिला के अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना।

✓ लोगों तक पूर्व चेतावनी की सूचना इस तरह पहुंचाना कि सभी को जानकारी मिल जाय और वे समझ लें।

- ✓ अपनी, अपने परिवार की और अगर संभव हो तो फिर अपने समुदाय की जीवन रक्षा के लिए सतर्कता के उपाय करना।
- ✓ आपदा के बाद, प्रत्युत्तर की कार्रवाई शुरू होने पर स्थिति तथा समुदाय के जीवन पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभावों का आकलन करना।
- ✓ जीवन रक्षा एवं जीवन रक्षक उपाय करने के बाद काम को फिर से बहाल करने का उपाय करना।
- ✓ लोगों एवं सामग्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए संबंधित नोडल एजेंसियों के साथ समन्वय बनाना।
- ✓ खोज एवं बचाव, राहत कार्यक्रमों में मदद करने के लिए संबंधित इएसएफ नोडल एजेंसियों के साथ समन्वय बनाना।
- ✓ कचरा हटाने तथा सड़क साफ करने में मदद करना।
- ✓ कमजोर मकानों की पहचान करने एवं उन्हें नष्ट कर देने में नोडल एजेंसी के साथ समन्वय बनाना।
- ✓ महत्वपूर्ण मकानों की रखवाली करने तथा कानून वयवस्था बहाल करने में सुरक्षा बल की मदद करना।
- ✓ जीवन रक्षा एवं जीवन रक्षक सेवाएं सुनिश्चित करने के बाद त्वरित रिकवरी के लिए आकस्मिक कार्ययोजना के अनुसार कार्य करना।

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयां

इन समूहों की डीआरआर की मुख्य कार्रवाइयां निम्न हैं:

- ✓ मधुबनी में आपदा के जोखिमों को समझना। आपदा जोखिम कम करने के उपायों को प्राथमिकता देना तथा जिले में आपदा प्रबंधन की विभिन्न सरकारी , गैर सरकारी वयवस्था के साथ इसे जोड़ना।
- ✓ संभावित आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए अपने हित समूह , नेटवर्क तथा एसोसिएशन को मजबूत करना।
- ✓ पहचान किये गये खतरे का अपने स्वैच्छिक कामों पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसके साथ ही स्वैच्छिक कामों को बाधित करने वाले और भी जो खतरे हो सकते हैं, उनका भी विश्लेषण करना।
- ✓ इन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का उपाय करना।
- ✓ एसओपी/प्लान बनाना, आवंटित किये गये क्षेत्र सेसंबंधित क्षेत्र के एसओपी प्लान को अद्यःतन करना तथा पुनरीक्षण करना।

- ✓ पूर्व चेतावनी की सूचना की स्वीकृति और प्रसारण के लिए प्रोटेकॉल बनाना तथा उसका पालन करना तथा चेतावनी की सूचना काचेकलिस्ट बनानाएवं पूर्व चेतावनी की सूचनाके तंत्र से खुद को अवबत कराना।
- ✓ यूनिट, युवा/कैडेट का क्षमता सृजन करना तथा उन्हें खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार तथा जीवन रक्षक अन्य तकनीक का प्रशिक्षण देना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के कार्यक्रमों में शामिल होना।
- ✓ शैक्षणिक संस्थानों / कैडेटों के समूह में नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करना तथा आपदा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका अभ्यास करना।
- ✓ राज्य और राष्ट्रीय स्तर के युवा समूहों के साथ नेटवर्क बनाना तथा उनके द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों, सेमिनारों, मॉक ड्रिलों में शामिल होना।
- ✓ सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण केंद्र के भवन और दूसरी संरचनाएं भूकंपरोधी और बाढ़रोधी हें।
- ✓ लोगों को आपदारोधी मकान बनाने में मदद करना।
- ✓ महत्वपूर्ण खातों एवं सूचनाओं को बैक–अप रखना तथा/या फाइलों को आपदा के संभावित खतरे से मुक्त जगहों पर रखना।
- ✓ आपदा की स्थिति में जरूरत पड़ने वाले सामानों का चेकलिस्ट बनाना तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति एवं स्टॉक सुनिश्चित करना।
- ✓ अपना आजीवका अर्जित करने एवं विकास परियोजनाओं में आपदा कम करने के उपायों को शामिल करने के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए समुदाय के युवाओं को उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।

समन्वय एवं संगठनः

ये समूह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समूह के प्रतिनिधि और उपसमूह निम्न तरीके से समन्वय और साथ बना सकते हैंः (क) विभिन्न इएसएफ की सपोर्ट एजेंसियों (जैसे, वॉश आपूर्ति के काम में संलग्न ट्रांसपोर्टर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संगठित वॉश इएसएफ के साथ होंगे) का हिस्सा बनकर, (ख) इंटर एजेंसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इंटर एजेंसी ग्रुप और सशक्त प्रत्युत्तर की रणनीति के माध्यम से वे आगे आइआरएस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दूसरे महत्वपूर्ण संरचनाओं के साथ भी हो सकते हैं।

जवाबदेहीः

समूह के प्रतिनिधि जिस इएफएस और इंटर एजेंसी ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते होंगे, उसके साथ सहमति के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए जवाबदेह होंगे। वे देश की मौजूदा कानूनों के प्रति भी जवाबदेह होंगे तथा ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से वे जिन लोगों की सेवा सामान्य दिनों में करते हैं, उनके प्रति जवाबदेह बन सकेंगे। इससे दीर्घ काल में साख एवं आर्थिक हितों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

टिप्पणी:

टिप्पणी:

टिप्पणी:

टिप्पणी:

जिलाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

फोन: +91-06276-222217
फैक्स: +91-06276-222209
ईमेल: dm-madhubani.bih@nic.in